DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN

M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

जुलाई–2023

करेन्ट अफेयर्स मैगजीन

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

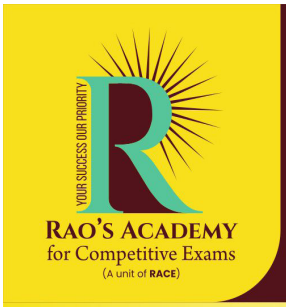

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)
YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

BHOPAL | INDORE

Offering
UPSC & MPPSC Courses

Both in
English & Hindi Medium

Best faculties
in their field of expertise

In - house
Content team

Daily
News Review

Monthly
Current Affairs Magazine

Officers
Mentorship Program

Crash Course and
Intensive Test Series for Prelims 2023

EMAIL: office@raosacademy.in | WEBSITE: www.raosacademy.in

Bhopal Branch: Plot No. 132, Near Pragati Petrol Pump, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal(M.P.) 462011
95222 05553 , 95222 05554

Indore Branch: 10,Vishnupuri, A.B.Road, Near Medi-Square Hospital Bhawar Kuwar Square, Indore (M.P.)-452001
95222 05551, 95222 05552

जुलाई - 2023

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या

Contents

कला एवं संस्कृति 1-10

- अहिल्यानगर
- गांधी शांति पुरस्कार 2021
- जगन्नाथ रथ यात्रा
- साहित्य अकादमी पुरस्कार
- छत्रपति शिवाजी महाराज
- अंबुबाची मेला
- प्राचीन माया शहर
- मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
- अल-हकीम मस्जिद
- मालचा महल
- पालखी उत्सव
- गिलगित पांडुलिपियाँ
- गुलाबी मीनाकारी हस्तकला

राजनीति और शासन 11-18

- राजद्रोह कानून
- प्रतिकूल कब्ज़ा (Adverse possession)
- UGC दिशानिर्देश
- समान नागरिक संहिता
- NCBC द्वारा 80 जातियों को OBC सूची में शामिल करना
- किसी का नाम बदलने का अधिकार और जीवन का अधिकार
- GRAI

पर्यावरण और पारिस्थितिकी 19-32

- पृथ्वी प्रणाली सीमाएँ (ESB)
- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023
- G20 कृषि मंत्रियों की बैठक
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
- सुंदरगढ़ वन
- गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि

भूकंप
LEED जीरो
वैश्विक महासागर जनगणना
डीकार्बोनाइज
खाद्य सुरक्षा सूचकांक
वियना घोषणा
एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग
हिंदू कुश हिमालय
बॉन जलवायु
ऑरोरा

अर्थव्यवस्था **33-45**

सेबी
मध्यस्थता कानून
प्रेषण
ट्रेड्स
PPI
अन्तर्दृष्टि
एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर
कच्चा इस्पात
DLG
केवल निष्पादन मंच (EOP)
दक्षिण अफ़्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU)
उदारीकृत प्रेषण योजना

विज्ञान और तकनीक **46-60**

न्यूरालिंक चिप
संयुक्त राष्ट्र की नई नीति
अदृश्य तारे
ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग (BEOS)
रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर)
मोबाइल सैटेलाइट सेवा (एमएसएस) टर्मिनल
सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT)
कृत्रिम मानव भ्रूण
फोनोन्स
हिग्स बोसॉन
वायरस
माहिर(MAHIR)
रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) के लिए टीका
बायोडिग्रेडेबल सुपरकैपेसिटर
आइंस्टीन टेलीस्कोप
चिरल बोस-तरल अवस्था
त्वचा बैंक

सामाजिक मुद्दे **61-70**

प्रत्यारोपण के लिए मानव अंग/ऊतक
NGT
टेलीग्राम बॉट

UNSDC फ्रेमवर्क 2023-2027
स्थिरता रिपोर्ट
हाथ से मैला ढोना
लिंग अंतर रिपोर्ट, 2023
लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक (GSNI) 2023
वैश्विक दासता सूचकांक 2023

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध **71-84**

संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी
भारत और नेपाल
ICC गिरफ्तारी वारंट
वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण
हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023
आर्मेनिया और अज़रबैजान
ईवी बैटरी के लिए ग्लोबल फंड
भारत और अमेरिका
ईरान
भारत और सूरीनाम
उत्तरी समुद्री मार्ग
भारत और न्यूजीलैंड
अटलांटिक घोषणा
विकासशील राष्ट्र स्थिति अधिनियम
बैंकॉक विज़न 2030
नाटो प्लस समूह
हेलिओपोलिस स्मारक
आर्टेमिस समझौते
नील पुरस्कार का आदेश

सरकारी योजना **85-91**

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना
CITIIS 2.0
दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप
न्याय विकास पोर्टल
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)
वैभव फ़ेलोशिप कार्यक्रम
संकल्प कार्यक्रम
पीएम मातृ वंदना योजना
पोषण ट्रैकर ऐप

विविध **92-99**

ERSO
राष्ट्रीय विद्युत योजना
तापस (TAPAS) UAV
भारत में बाल तस्करी
भारत रैंकिंग 2023
अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ)
ऑपरेशन अमानत
खनिज सुरक्षा साझेदारी

वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2023
नैनो यूरिया
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

योजना जुलाई 2023: विश्व को समग्र कल्याण का उपहार **100-105**

अध्याय 1: आयुष
अध्याय 2: वैश्विक कल्याण के लिए योग
अध्याय 3: मानसिक कल्याण में ध्यान संबंधी दृष्टिकोण की भूमिका
अध्याय 4: स्वस्थ जीवन शैली की मूल बातें
अध्याय 5: गैर-कब्जा - गांधीवादी विचार
अध्याय 1: खाद्य सुरक्षा के लिए जल प्रबंधन को बढ़ावा देना
अध्याय 2: सामुदायिक योजना के माध्यम से जल संरक्षण
अध्याय 3: मनरेगा वाटरशेड विकास कार्यों में सामुदायिक भागीदारी
अध्याय 4: गांवों को पानी के लिए पर्याप्त बनाना
अध्याय 5: जल स्थिरता सुनिश्चित करने वाली जल उपयोग दक्षता
अध्याय 6: 2023: अंतर्राष्ट्रीय जल प्रतिबद्धताओं का वर्ष और ग्रामीण भारत के लिए इसका क्या अर्थ है

कुरुक्षेत्र जुलाई 2023 : जल संरक्षण **106-115**

अध्याय 1: खाद्य सुरक्षा के लिए जल प्रबंधन को बढ़ावा देना
अध्याय 2: सामुदायिक योजना के माध्यम से जल संरक्षण
अध्याय 3: मनरेगा वाटरशेड विकास कार्यों में सामुदायिक भागीदारी
अध्याय 4: गांवों को पानी के लिए पर्याप्त बनाना
अध्याय 5: जल स्थिरता सुनिश्चित करने वाली जल उपयोग दक्षता
अध्याय 6: 2023: अंतर्राष्ट्रीय जल प्रतिबद्धताओं का वर्ष और ग्रामीण भारत के लिए इसका क्या अर्थ है

1 कला एवं संस्कृति

अहिल्यानगर

खबरों में क्यों?

महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भाजपा शासित राज्यों में नाम बदलने के एक और कदम में, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर मराठा शासक महारानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर अहिल्यादेवी नगर करने का फैसला किया है।
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मालवा में मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी की 298वीं जयंती समारोह के दौरान यह घोषणा की।
- अहिल्याबाई ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुशासन और प्रशासन की मिसाल कायम की।
- अहमदनगर का नाम बदलना सरकार द्वारा उठाया गया नवीनतम नाम-परिवर्तन कदम था, जिसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव कर दिया था।

अहिल्याबाई होल्कर (1725 – 1795) के बारे में

- वह भारत के मराठा मालवा साम्राज्य की होल्कर रानी थीं।
- अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ के चोंडी गांव में हुआ था।
- वह राजधानी को इंदौर के दक्षिण में नर्मदा नदी पर महेश्वर ले गईं।
- अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1754 में कुम्भेर के युद्ध में मारे गये।
- बारह साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई। उसके एक साल बाद उन्हें मालवा साम्राज्य की रानी के रूप में ताज पहनाया गया।
- उसने अपने राज्य को लूटने वाले आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने तुकोजीराव होलकर को सेना प्रमुख नियुक्त किया।
- अहिल्याबाई हिंदू मंदिरों की एक महान प्रणेता और निर्माता थीं। उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाएं बनवाईं।
- उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के वर्तमान अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था।
- उनके पिता मानकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। तब महिलाएँ स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाया।
- उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों में उत्कृष्टता हासिल की और उनके शासन के दौरान उत्तम व्यवस्था और अच्छी सरकार कायम रही।
- महेश्वर शहर एक साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और औद्योगिक केंद्र बन गया, और उन्होंने वहां एक कपड़ा उद्योग स्थापित करने में मदद की, जो अब प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ियों का घर है।
- उन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वरी आदि सहित विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार/पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित किया।

गांधी शांति पुरस्कार 2021

खबरों में क्यों?

गीता प्रेस, गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है।
- पुरस्कार में रुपये की राशि दी जाती है। 1 करोड़ रुपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु।
- हालाँकि, कांग्रेस ने गीता प्रेस को पुरस्कार देने की आलोचना की और इसे "मजाक" कहा।

गीता प्रेस

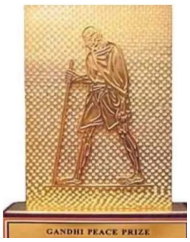

- अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया।
- 1923 में स्थापित, गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद्भगवद गीता भी शामिल है।

- संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों में विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया है।
- गीता प्रेस अपने सहयोगी संगठनों के साथ, जीवन की बेहतरी और सभी की भलाई के लिए प्रयास करता है।
- प्रधानमंत्री ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने में गीता प्रेस के योगदान को याद किया।
- उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना संस्था द्वारा सामुदायिक सेवा में किए गए कार्यों की मान्यता है।
- गांधी शांति पुरस्कार 2021, मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने में गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है।
- पिछले पुरस्कार विजेताओं में इसरो और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन शामिल हैं

जगन्नाथ रथ यात्रा

खबरों में क्यों?

जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून 2023 से शुरू होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पुरी की रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू रथ उत्सव है।
- यह प्रतिवर्ष आषाढ़ (जून-जुलाई) के चंद्र माह के शुक्ल पक्ष को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों का उत्सव मनाता है।
- रथ जुलूस की यह प्राचीन परंपरा ओडिशा और अहमदाबाद में बहुत खुशी और धूमधाम से आयोजित की जाती है।
- शंख की गूंजती ध्वनि ढोल और घंटियों के समकालिक संगीत को मंत्रोच्चार के साथ गति और आस्था में लगातार बढ़ाती है; भगवान को मंदिर से बाहर लाया गया।
- भगवान जगन्नाथ, कुख्यात भगवान कृष्ण के अवतार, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बंगाल की खाड़ी के किनारे पुरी के मंदिर शहर में रहते हैं।
- एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार, भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर उन्हें मथुरा दिखाने के लिए हर साल एक बार अपने जन्मस्थान मथुरा जाने की इच्छा रखते थे।
- पुरी के जगन्नुथ मंदिर से मथुरा के गुंडिची देवी मंदिर तक की यह यात्रा जगन्नाथथ पुरी रथ यात्रा के नाम से जानी जाती है।
- हर साल, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आषाढ़ महीने (जून-जुलाई) में अमावस्या के दूसरे दिन तीनों देवताओं को कुछ मील दूर गुंडिचा मंदिर तक रथों पर ले जाया जाता है।

रथ यात्रा से जुड़े रहस्यमय तथ्य

1. हवा के विपरीत लहराना

- गन्नाथ मंदिर के शिखर पर झंडा हवा के विपरीत लहराता है। इसे आमतौर पर दैवीय कृत्य माना जाता है और विज्ञान इसे द्रव गतिकी में कर्मन वोर्टेक्स स्ट्रीट की घटना कहता है। यह हमेशा मामला नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय यह संभव है, शिखर के साथ चलने वाली समुद्री हवा के कारण भंवर का निर्माण हो सकता है। और शीर्ष के निकट ये भंवर कभी-कभी ध्वज या बाना के उलटे फहराने का कारण होते हैं।

2. नीलचक्र

- 2000 साल पहले मंदिर के शीर्ष पर स्थापित 20 फीट का विशाल चक्र शहर के सभी कोनों से दिखाई देता है। मंदिर का डिज़ाइन अभी भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के उच्चतम बिंदु पर सीधा चक्र 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन एक टन है। लेकिन असली रहस्य इसकी स्थापना है, जैसे किस ऊर्जा ने इंसानों को हाथी के वजन के साथ 45 मंजिला इमारत पर चढ़ने में मदद की।

3. समुद्र की कोई आवाज नहीं

- पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान हनुमान को सौंपी है। इसके तहत हनुमान ने समुद्र की आवाज को इस मंदिर के अंदर आने से रोक दिया, ताकि भगवान जगन्नाथ बिना किसी व्यवधान के सो सकें।
- और वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार, मंदिर ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा एक बंद ढांचा है। यहां तक कि मंदिर के ठीक बाहर से आने वाली आवाज भी मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती है। इसलिए मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी भी तरह से नहीं सुनी जा सकती।

4. नो फ्लाई जोन

- लोग आमतौर पर इस बात से आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान उड़ता हुआ नहीं दिखता है। इसे दैवीय कृत्य माना जाता है, मंदिर के ऊपर किसी पक्षी के न उड़ने का वैज्ञानिक कारण संभवतः इमारत की बेलनाकार संरचना है। ऐसा माना जाता है कि अधिक आर्द्रता के कारण हवा का घनत्व कम होता है और रेनॉल्ड्स नंबर भी हवा के वेग के सीधे आनुपातिक होता है, जो समुद्र के पास अधिक होता है। और यह स्थिति प्राणियों के उड़ने के लिए अनुकूल प्रतीत होती है।
- दूसरी ओर, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर जाने वाले विमानों के लिए कोई उड़ान मार्ग नहीं है। वहीं, मंदिर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को 'नो फ्लाई जोन' घोषित कर दिया गया है।

5. कोई छाया नहीं

- चाहे चमक हो या बारिश, कभी किसी ने नहीं देखी जगन्नाथ पुरी के भव्य मंदिर की परछाई। हमारे पुराने इंजीनियरों की वास्तुकला कौशल के कारण मुख्य गुंबद की छाया कभी नहीं देखी जा सकती है। विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार, गुंबद की छाया हमेशा इमारत पर ही पड़ती है और इसलिए यह सभी के लिए अदृश्य है।

6. कोई बर्बादी की नीति नहीं

- जगन्नाथ पुरी मंदिर हर दिन लगभग 2,000 से 20,00000 भक्तों की सेवा करता है। 'अमुनिया', एक प्रकार का विशेष चावल का उपयोग 'अन्न' पकाने के लिए किया जाता है जिसे प्रसादम के हिस्से के रूप में परोसा जाता है और बिना किसी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के, यह सत्य है कि मंदिर परिसर से कोई भी व्यक्ति प्रसाद के बिना नहीं जाता है।

7. जादुई बर्तन

- जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद को एक अनोखे अंदाज में पकाया जाता है, जिसमें 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। विज्ञान के अनुसार, प्रत्येक बर्तन के शीर्ष पर दबाव के अंतर के कारण पहले बर्तन में प्रसाद पहले पक जाता है। चूँकि किसी तरल का क्वथनांक उस तरल पर दबाव के सीधे आनुपातिक होता है।

8. लकड़ी की मूर्तियाँ

- नवकलेबारा के दौरान, देवताओं की नई लकड़ी की मूर्तियाँ पुरानी मूर्तियों की जगह लेती हैं। यह अनुष्ठान हर 8, 12 या 19 साल में एक बार किया जाता है। कारीगर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन माता सुभद्रा और भाई बलभद्र (बलराम) की मूर्तियाँ बनाने के लिए विशिष्ट पवित्र नीम के पेड़ चुनते हैं। 2015 में हुए अंतिम नवकलेबार को लाखों उपासकों ने देखा।

साहित्य अकादमी पुरस्कार

खबरों में क्यों?

साहित्य अकादमी के सदस्य साहित्यिक पुरस्कारों में सरकार की घुसपैठ का विरोध करेंगे

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में 24 भाषाओं के लेखकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया को बदलने का इरादा व्यक्त किया है, साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए लेखकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को एक ही श्रेणी में समेकित करने की अपनी योजना बताई है।
- अकादमी को जारी एक पत्र में सरकार ने सुझाव दिया है कि नए प्रारूप में कोई भी लेखक खुद को नामांकित कर सकता है और पुरस्कारों के लिए अन्य उम्मीदवारों की सिफारिश भी कर सकता है।
- इससे साहित्यिक समुदाय के भीतर हलचल मच गई है, कई लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार का यह कदम संस्था के काम में सीधे हस्तक्षेप के समान है।
- इसके अलावा, यदि यह निर्विरोध हो जाता है, तो संभावना है कि इसे देश भर के समान संस्थानों में दोहराया जा सकता है, जिससे उन्हें डर है।
- मंत्रालय ने अकादमी से समिति के सदस्यों के साथ आंतरिक परामर्श के बाद जारी नोटिस का जवाब देने को कहा है। सरकार के कदम पर चर्चा करने के लिए एक साथ होंगे और अकादमी की सदस्य बैठक के बाद एक पत्र में अपनी पसंद को शामिल करें।

साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में

- साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रतिवर्ष दिये जाते हैं।
- इसका उद्देश्य देश की साहित्यिक विरासत को संरक्षित करना, और स्वतंत्र और अनुवादित साहित्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
- यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों के योगदान का सम्मान करता है।
- प्रत्येक भाषा के लिए चार पुरस्कारों के साथ, अकादमी साहित्य में उत्कृष्टता को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- मुख्य पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया, जिसे भाषा सम्मान के रूप में जाना जाता है, विशेषज्ञों की देखरेख में एक कठोर और गोपनीय प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित की जाती है - निकाय में 24 क्षेत्रीय भाषाओं में से प्रत्येक से चुना गया एक लेखक शामिल होता है।

चयन प्रक्रिया

- अकादमी की सामान्य परिषद के एक सदस्य ने चयन की कठोर प्रक्रिया के बारे में बताया, जिससे उन्हें डर है कि भविष्य में इससे समझौता किया जा सकता है।
- प्रत्येक सदस्य 200 नाम सुझाता है, जिसके बाद एक विशेषज्ञ समिति पहले चरण में 50 नामों को अंतिम रूप देती है।
- यह लॉट जांच के दूसरे दौर से गुजरता है, और पांच नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
- फिर दो गोपनीय जूरी पांच में से एक को फाइनलिस्ट के रूप में चुनती हैं।

राजनीतिक हस्तक्षेप का डर

- खुली नामांकन प्रक्रिया के साथ, राजनीतिक नेताओं का हस्तक्षेप होने की संभावना है जो अकादमी के गुणात्मक कार्य को विचलित कर देगा।
- 24 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 80 सदस्य सरकार के नोटिस पर चर्चा करेंगे।

छत्रपति शिवाजी महाराज

खबरों में क्यों?

रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल 350वीं राज्याभिषेक वर्षगांठ

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की क्योंकि महाराष्ट्र मराठा योद्धा राजा की 350वीं राज्याभिषेक वर्षगांठ मना रहा है।
- शिवाजी महाराज साहस और वीरता के प्रतीक हैं और उनके आदर्श महान प्रेरणा का स्रोत हैं।
- शिवाजी महाराज का मूल सिद्धांत राज्य और उसके लोगों का कल्याण था।

छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक

- शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1974 को ज्येष्ठ माह के पहले पखवाड़े के 13वें दिन (त्रयोदशी) को रायगढ़ किले में किया गया था।
- समारोह का संचालन वाराणसी के विश्वेश्वर या गागा भट्ट द्वारा शास्त्रों के अनुसार किया गया था।
- भोर होते ही भव्य राज्याभिषेक समारोह शुरू हुआ।

छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में

- छत्रपति शिवाजी महाराज पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे।
- शिवाजी भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नार शहर के पास शिवनेरी किले में शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ हुआ था।

- हिवाजी के पिता शाहजी एक जनरल के रूप में बीजापुरी सल्तनत - बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के बीच एक त्रिपक्षीय संघ - की सेवा में थे। पुणे के निकट उनके पास एक जागीरदारी भी थी।
- शिवाजी की मां जीजाबाई सिंदखेड नेता लखुजीराव जाधव की बेटी और एक गहरी धार्मिक महिला थीं
- शिवाजी को अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक माना जाता है और आज भी उनके पराक्रम की कहानियाँ लोककथाओं के भाग के रूप में सुनाई जाती हैं।
- अपनी वीरता और महान प्रशासनिक कौशल के साथ, शिवाजी ने बीजापुर की गिरती आदिलशाही सल्तनत से एक क्षेत्र बनाया।
- यह अंततः मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति बन गया।
- अपना शासन स्थापित करने के बाद, शिवाजी ने एक अनुशासित सेना और अच्छी तरह से स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था की मदद से एक सक्षम और प्रगतिशील प्रशासन लागू किया।
- शिवाजी अपनी नवोन्मेषी सैन्य रणनीति के लिए जाने जाते हैं जो अपने अधिक शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए भूगोल, गति और आश्चर्य जैसे रणनीतिक कारकों का लाभ उठाते हुए गैर-पारंपरिक तरीकों पर केंद्रित थी।
- बीजापुरी सल्तनत के साथ शिवाजी के संघर्ष और उनकी लगातार जीत ने उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के रडार पर ला दिया।
- पेचिश से पीड़ित होने के बाद 3 अप्रैल, 1680 को रायगढ़ किले में 52 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई।

प्रशासन

- उनके शासनकाल में, मराठा प्रशासन की स्थापना हुई जहां छत्रपति सर्वोच्च संप्रभु थे और विभिन्न नीतियों के उचित कार्यान्वयन की देखरेख के लिए आठ मंत्रियों की एक टीम नियुक्त की गई थी।
- ये आठ मंत्री सीधे शिवाजी को रिपोर्ट करते थे और उन्हें राजा द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन के संदर्भ में बहुत सारी शक्तियाँ दी गई थीं। ये आठ मंत्री थे -

1. पेशवा या प्रधान मंत्री, जो सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता था और उसकी अनुपस्थिति में राजा का प्रतिनिधित्व करता था।
2. मजूमदार या लेखा परीक्षक राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था
3. पंडितराव या मुख्य आध्यात्मिक प्रमुख परिवार की आध्यात्मिक भलाई की देखरेख करने, धार्मिक समारोहों की तारीखें तय करने और राजा द्वारा किए गए धर्मार्थ कार्यक्रमों की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार थे।
4. दबीर या विदेश सचिव को विदेशी नीतियों के मामलों पर राजा को सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
5. सेनापति या सैन्य जनरल सैनिकों के संगठन, भर्ती और प्रशिक्षण सहित सेना के हर पहलू की देखरेख का प्रभारी था। युद्ध के समय वह राजा का रणनीतिक सलाहकार भी होता था।
6. न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश ने कानून के निर्माण और उसके बाद के प्रवर्तन, नागरिक, न्यायिक और साथ ही सैन्य को देखा।
7. मंत्री या क्रॉनिकलर राजा द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए गए हर काम का विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार था।
8. सचिव या अधीक्षक शाही पत्राचार का प्रभारी था।

अंबुबाची मेला

खबरों में क्यों?

अंबुबाची मेले के लिए कामाख्या मंदिर में आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए हाल ही में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ तीन अस्थायी शिविर स्थापित किए गए थे।

महत्वपूर्ण बिंदु

अंबुबाची मेला:

- यह ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है।

- यह मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है जो जून के मध्य में असमिया महीने अहार के दौरान पड़ता है।
- यह देवी मां कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है।
- इस मेले को अमेटी या तांत्रिक प्रजनन उत्सव के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह भारत के पूर्वी हिस्सों में प्रचलित तांत्रिक शक्ति पंथ से निकटता से जुड़ा हुआ है।

कामाख्या मंदिर:

- यह नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है और गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट से सटा हुआ है।
- यह तांत्रिक प्रथाओं के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है।
- इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।

वास्तुकला:

- इसे दो अलग-अलग शैलियों के संयोजन से तैयार किया गया था, अर्थात् पारंपरिक नागरा या उत्तर भारतीय और सारासेनिक या मुगल वास्तुकला शैली।
- इस असामान्य संयोजन को वास्तुकला की नीलाचला शैली का नाम दिया गया है।
- यह असम का एकमात्र मंदिर है जिसका ग्राउंड प्लान पूरी तरह से विकसित है।
- इसमें सूक्ति मंदिरों से जुड़े पारंपरिक नृत्य और संगीत के प्रदर्शन के लिए पांच कक्ष, गर्भगृह या अभयारण्य, अंतराल या वेस्टिबुल, जगन मोहन या प्रमुख कक्ष, भोगमंदिर या अनुष्ठान कक्ष और नटमंदिर या ओपेरा हॉल शामिल हैं।
- यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उपरोक्त प्रत्येक कक्ष की अधिरचना विभिन्न वास्तुशिल्प विशेषताओं को प्रदर्शित करती है।
- जबकि मुख्य मंदिर में एक संशोधित सारासेनिक गुंबद है, अंतराल में दो छत वाला डिज़ाइन है, भोगमंदिर (जिसे पंचरत्न भी कहा जाता है) जिसमें मुख्य मंदिर के समान पांच गुंबद हैं और नटमंदिर में कुछ गुंबदों के समान ऊपरी सिरे के साथ एक शैल छत है। असम में अस्थायी नामघर या प्रार्थना कक्ष पाए जाते हैं।

प्राचीन माया शहर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, मानवविज्ञानियों द्वारा दक्षिणी मेक्सिको के जंगलों में एक पूर्व अज्ञात प्राचीन माया शहर की खोज की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

प्राचीन माया नगर

- दक्षिणी मेक्सिको के जंगलों में एक पूर्व अज्ञात प्राचीन माया शहर की खोज की गई है, यह संभवतः एक हजार साल से भी पहले एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
- शहर में बड़ी पिरामिड जैसी इमारतें, पत्थर के स्तंभ, "आकर्षक इमारतों" वाले तीन प्लाजा और लगभग संकेंद्रित वृत्तों में व्यवस्थित अन्य संरचनाएं शामिल हैं।
- यह देश के युकाटन प्रायद्वीप पर बालमकु पारिस्थितिक रिजर्व में स्थित है।
- इस शहर का नाम ओकोमटुन रखा गया है जिसका अर्थ युकाटेक माया भाषा में "पत्थर का स्तंभ" है।
- 250 और 1000 ईस्वी के बीच यह प्रायद्वीप के मध्य तराई क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा।
- इसका एक मुख्य क्षेत्र उच्च भूमि पर स्थित है जो व्यापक आर्द्रभूमि से घिरा हुआ है।

माया सभ्यता

- माया संभवतः मेसोअमेरिका की शास्त्रीय सभ्यताओं में सबसे प्रसिद्ध हैं।
- लगभग 2600 ईसा पूर्व युकाटन प्रायद्वीप में उत्पन्न होकर, वे वर्तमान दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज और पश्चिमी होंडुरास में 250 ईस्वी के आसपास प्रमुखता से उभरे।
- पहले की सभ्यताओं के विरासत में मिले आविष्कारों और विचारों के आधार पर, माया ने खगोल विज्ञान, कैलेंडर प्रणाली और चित्रलिपि लेखन विकसित किया।
- वे विस्तृत और अत्यधिक सजाए गए औपचारिक वास्तुकला के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें मंदिर पिरामिड, महल और वेधशालाएं शामिल थीं, जो सभी धातु उपकरणों के बिना बनाए गए थे।
- वे कुशल किसान भी थे, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बड़े हिस्से को साफ करते थे और, जहां भूजल दुर्लभ था, वहां वर्षा जल के भंडारण के लिए बड़े भूमिगत जलाशयों का निर्माण करते थे।

युकाटन प्रायद्वीप कहाँ है?

- यह मध्य अमेरिका का उत्तरपूर्वी प्रक्षेपण है जो पश्चिम और उत्तर में मैक्सिको की खाड़ी और पूर्व में कैरेबियन सागर के बीच स्थित है।
- प्रायद्वीप लगभग पूरी तरह से कोरलाइन और छिद्रपूर्ण चूना पत्थर चट्टानों के बिस्तरों से बना है।

मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग

खबरों में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ओरवाकल्लु गांव में एक मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है जिसमें एक व्यक्ति को जमीन के टुकड़े को जोतते हुए दिखाया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पेंटिंग्स "प्राकृतिक सफेद काओलिन और लाल गेरू रंग" से बनाई गई थीं।
- गेरू मिट्टी, रेत और फेरिक ऑक्साइड से बना एक रंगद्रव्य है।
- काओलिनाइट एक नरम, मिट्टी जैसा और आमतौर पर सफेद खनिज है जो फेल्डस्पार जैसे एल्यूमीनियम सिलिकेट खनिजों के रासायनिक अपक्षय द्वारा उत्पादित होता है।
- ये पेंटिंग उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन और संस्कृति के पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं।
- चित्रों में से एक में एक आदमी को अपने बाएं हाथ से एक जंगली बकरी को पकड़ते हुए और उसे नियंत्रित करने के लिए एक हुक जैसा उपकरण चलाते हुए दिखाया गया है।
- दूसरे में दिखाया गया कि दो जोड़े अपने हाथ ऊपर करके खड़े हैं जबकि एक बच्चा उनके पीछे खड़ा है।

मध्यपाषाण काल

- इसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है जो पुरापाषाण (पुराना पाषाण युग) और नवपाषाण (नया पाषाण युग) के बीच अस्तित्व में था।
- समय सीमा: यह अवधि आम तौर पर लगभग 12,000-10,000 साल पहले के बीच मानी जाती है
- जीवन शैली: मेसोलिथिक काल के दौरान, मानव समाज मुख्य रूप से शिकारी समुदाय थे।
- लोग अपनी जीविका के लिए शिकार, मछली पकड़ने और जंगली पौधों के संसाधनों को इकट्ठा करने पर निर्भर थे।
- इस अवधि के दौरान पाए गए पत्थर के उपकरण आम तौर पर छोटे होते हैं, और उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है।
- माइक्रोलिथ को संभवत: आरी और दरांती जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर चिपकाया जाता था।
- साथ ही, पुराने किस्म के औजारों का उपयोग जारी रहा।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

खबरों में क्यों?

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी (SOUADTGA) ने हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में निलंबित हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए एक निविदा जारी की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह प्रतिमा सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में बनाई गई थी, जिन्हें 'भारत का लौह पुरुष' भी कहा जाता है।
- गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर, साधु बेट नदी द्वीप पर, नर्मदा बांध की ओर स्थित है।
- 182 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, यह प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती है, जो चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की ऊंचाई 177 फीट से अधिक है।
- भारतीय निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने प्रतिमा के निर्माण का कार्य किया, जबकि डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा बनाया गया था।

सरदार वल्लभभाई पटेल:

- वल्लभभाई झावेरभाई पटेल, जिन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था।
- वह एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे, और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे।
- 1918 में, पटेल को गुजरात के कैरा में भारी बारिश के कारण फसल की विफलता के बावजूद पूर्ण वार्षिक राजस्व कर एकत्र करने के बॉम्बे सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के लिए मान्यता मिली।
- उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया और 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, स्वदेशी खादी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया।
- पटेल ने 1923 में भारतीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध लगाने वाले ब्रिटिश कानून के विरोध में नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया।
- 1928 में, उन्होंने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारडोली के जमींदारों के प्रतिरोध का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिससे उन्हें "सरदार" या नेता की उपाधि मिली।
- पटेल को 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने 560 से अधिक अर्ध-स्वायत्त रियासतों और ब्रिटिश-युग के औपनिवेशिक प्रांतों से एकजुट भारत बनाने का लक्ष्य रखते हुए, कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्पष्ट कूटनीति और, यदि आवश्यक हो, तो सैन्य कार्रवाई के माध्यम से, पटेल के नेतृत्व ने लगभग हर रियासत के विलय को सक्षम बनाया, जिससे वह भारत के वास्तविक एकीकरणकर्ता बन गए।

- आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें "भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत" के रूप में याद किया जाता है और उन्हें व्यापक रूप से भारत के लौह पुरुष के रूप में सम्मानित किया जाता है।
- पटेल ने भारत की संविधान सभा में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति शामिल थी।

मान्यता:

- 2014 से, सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अल-हकीम मस्जिद

खबरों में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की अपनी पहली यात्रा के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल की गई 11वीं सदी की अल-हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह मिस्र के काहिरा में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है।
- इसका नाम छठे फातिमिद खलीफा अल-हकीम बिन-अम्र अल्लाह (985-1021 ईस्वी) के नाम पर रखा गया है।
- मस्जिद का निर्माण मूल रूप से फातिमिद वज़ीर गौहर अल-सिकिल्ली द्वारा किया गया था, लेकिन 11 वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में बद्र अल-जमाली द्वारा निर्मित विस्तारित किलेबंदी में शामिल किया गया था।
- मस्जिद को 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था।

वास्तुकला:

- मस्जिद का निर्माण ईंटों से किया गया है जिसके अग्रभाग और मीनारें पत्थर से बनी हैं।
- मस्जिद की योजना में एक त्रिकोण है जिसमें एक आंगन के केंद्र में चार मेहराब हैं। अग्रभाग के दोनों ओर दो मीनारें हैं।
- मूल रूप से काहिरा की उत्तरी दीवार के बाहर निर्मित, मस्जिद को 1087 में शहर के भीतर शामिल किया गया था, जिसने इसकी उत्तरी दीवार और मीनारों को किलेबंदी के अभिन्न अंग में बदल दिया।
- मुख्य प्रवेश द्वार मस्जिद के पश्चिमी पहलू पर स्थित है और आकार और डिजाइन में विशाल है। यह प्रक्षेपित प्रवेश द्वारों के सबसे पुराने वास्तुशिल्प उदाहरणों में से एक है।

दाऊदी बोहरा समुदाय के बारे में

- दाऊदी बोहरा समुदाय शिया इस्लाम के भीतर एक संप्रदाय है जो व्यापार और व्यावसायिक कौशल के लिए जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 500,000 बोहरा लोग रहते हैं, जिनमें दुनिया भर में फैले प्रवासी भी शामिल हैं।
- दाऊदी बोहरा आबादी की एक बड़ी संख्या भारत, यमन, पाकिस्तान और पूर्वी अफ्रीका में रहती है।
- दाऊदी बोहरा भी कुरान को अल्लाह के शब्द के रूप में मानते हैं जो पैगंबर मोहम्मद अल-मुस्तफा को बताया गया था और उनका जीवन इसकी शिक्षाओं के इर्द-गिर्द घूमता है।
- दुनिया भर में दाऊदी बोहराओं को उनके नेता द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिन्हें अल-दाई अल-मुतलक (अप्रतिबंधित मिशनरी) के रूप में जाना जाता है, जो पहले यमन से और फिर पिछले 450 वर्षों से भारत से काम करते थे।

मालचा महल

खबरों में क्यों?

मालचा महल के आसपास का क्षेत्र नया रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में अधिकारियों से इसमें विभिन्न फूलों वाले पेड़ों की पांच-स्तरीय वृक्षारोपण करने के लिए कहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक तुगलक-युग का शिकार लॉज है, जिसे 14वीं शताब्दी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था।
- यह नई दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में स्थित है।
- अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे विलायत महल के नाम से जाना जाने लगा, जिन्हें कथित तौर पर मई 1985 में भारत सरकार द्वारा यह स्थान दिया गया था।
- तीन दशकों से अधिक समय तक, यह बेगम विलायत महल के परिवार के लिए घर के रूप में कार्य करता था, जो अवध के नवाब के वंशज होने का दावा करते थे, जिनके अंतिम सदस्य, 'प्रिंस' अली रज़ा की 2017 में मृत्यु हो गई थी।

RAO'S ACADEMY

फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में:

- 1309 में जन्मे, फ़िरोज़ शाह तुगलक तुगलक वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने 1320 से 1412 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था।
- वह 1351 से 1388 ई. तक सत्ता में रहा।
- वह अपने चचेरे भाई मुहम्मद-बिन तुगलक (1324 से 1351 ई. तक शासन किया) की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा।

फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासन:

- उनके उत्तराधिकार को कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और व्यापक अशांति के कारण, उनका क्षेत्र मुहम्मद-बिन तुगलक की तुलना में बहुत छोटा था।
- अपने शासनकाल के दौरान, फ़िरोज़ शाह ने साम्राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम किया। उन्होंने नहरों, विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण करके, जलाशयों का निर्माण और नवीनीकरण करके और कुएँ खोदकर ऐसा किया।
- उन्होंने दिल्ली के आसपास जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद सहित कई शहरों की स्थापना की।
- उन्होंने कुतुब मीनार की भी मरम्मत की, जो भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी।
- उन्होंने अपनी आत्मकथा 'फुतुहात-ए-फ़िरोज़शाही' लिखी।
- फ़िरोज़ शाह एक शासक के रूप में अंधाधुंध परोपकारी और उदार था। उसने उन प्रांतों को फिर से जीतने से इनकार कर दिया जो मुहम्मद-बिन तुगलक के कब्जे से अलग हो गए थे।
- उसने हाथ काटने जैसी सभी प्रकार की कठोर सज़ाएँ बंद कर दीं और मुहम्मद-बिन तुगलक द्वारा बढ़ाए गए भूमि कर को कम कर दिया।
- उन्होंने उलेमाओं से सलाह ली और शरीयत के अनुसार शासन किया। उसने खराज, ज़कात, खम और जजिया जैसे कई कर लगाए, जो गैर-मुस्लिम विषयों पर लगाए गए थे। उन्होंने उलेमा से स्वीकृत कराकर सिंचाई कर भी लगाया।
- उन्होंने सशस्त्र बलों को विरासत का सिद्धांत प्रदान किया, जहां अधिकारियों को आराम करने और उनके स्थान पर अपने बच्चों को सेना में भेजने की अनुमति दी गई।
- उन्होंने दान के लिए दीवान-ए-खैरात - कार्यालय की स्थापना की।
- उन्होंने दीवान-ए-बंदागान- दासों का विभाग स्थापित किया।
- उन्होंने व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए सराय (विश्राम गृह) की स्थापना की।
- उन्होंने इक्तादारी ढाँचे को अपनाया।

पालखी उत्सव

खबरों में क्यों?

जी20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप सम्मेलन के लिए शहर में आए कई देशों के प्रतिनिधियों को 800 साल पुराने वारकरी समुदाय के पालखी उत्सव की झलक मिली।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पालखी एक 1000 साल पुरानी परंपरा है जिसे महाराष्ट्र (भारत) के कुछ संतों द्वारा शुरू किया गया था और अभी भी उनके अनुयायियों द्वारा जारी रखा जाता है जिन्हें वारकरी कहा जाता है (वे लोग जो एक मौलिक अनुष्ठान का पालन करते हैं)।
- यह देवता के सम्मान में, महाराष्ट्र में हिंदू देवता विठोबा की सीट पंढरपुर की एक वार्षिक तीर्थयात्रा (यात्रा) है।

यात्रा:

- वे विभिन्न संतों, विशेष रूप से ज्ञानेश्वर और तुकाराम की पादुका (सैंडल) लेकर पालकी (रथ) के साथ चलते हैं।
- ज्ञानेश्वर की पालकी आलंदी से निकलती है, जबकि तुकाराम की पालकी देहू से शुरू होती है, दोनों महाराष्ट्र के पुणे जिले में हैं।
- पालखी ज्येष्ठ (जून) के महीने में शुरू होती है, और पूरी प्रक्रिया कुल 22 दिनों तक चलती है।
- हर साल आषाढ़ महीने के पहले पक्ष के ग्यारहवें दिन, पालखी पंढरपुर पहुंचती है।
- आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर पहुंचने पर, ये भक्त विट्ठल मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ने से पहले पवित्र चंद्रभागा नदी/भीमा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं।

इतिहास:

- संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत तुकाराम तक प्रत्येक संत वारी परंपरा का पालन कर रहे थे।
- वर्ष 1685 में, तुकाराम के सबसे छोटे पुत्र नारायण बाबा, नवीन भावना के व्यक्ति थे और उन्होंने पालकी की शुरुआत करके दिंडी-वारी परंपरा में बदलाव लाने का फैसला किया, जो सामाजिक सम्मान का प्रतीक है।

- उन्होंने तुकाराम की चांदी की पादुकाएं पालखी में रखीं और अपनी दिंडी के साथ आलंदी की ओर बढ़े, जहां उन्होंने ज्ञानेश्वर की पादुकाएं उसी पालकी में रखीं।
- जुड़वां पालकी की यह परंपरा हर साल चलती रही, लेकिन 1830 में अधिकारों और विशेषाधिकारों को लेकर तुकाराम के परिवार में कुछ विवाद हो गए।
- इसके बाद, कुछ विचारशील व्यक्तियों ने जुड़वां पालखी की परंपरा को तोड़ने और इसके बाद दो अलग पालखी, देहु (पुणे) से तुकाराम पालखी और आलंदी (पुणे) से ज्ञानेश्वर पालखी का आयोजन करने का निर्णय लिया।
- उस समय से लेकर आज तक, दोनों पालकी पुणे में थोड़े समय के लिए रुकती हैं और फिर हडपसर में अलग होकर पंढरपुर के पास के गांव वाखरी में फिर से मिलती हैं।

वारकरी कौन हैं?

- वे एक हिंदू धार्मिक संप्रदाय हैं जो कृष्ण के अवतार विठोबा (या विट्ठल) को काम करते हैं।

गिलगित पांडुलिपियाँ

खबरों में क्यों?

हाल ही में, संस्कृति राज्य मंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के तहत "हमारी भाषा, हमारी विरासत" शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संस्कृति राज्य मंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के तहत "हमारी भाषा, हमारी विरासत" शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने के लिए गिलगित पांडुलिपियों के बारे में उल्लेख किया।

गिलगित पांडुलिपियाँ:

- यह 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था, जो भारत में सबसे पुराना जीवित पांडुलिपि संग्रह है।
- बर्च की छाल और मिट्टी से लेपित गिलगित पांडुलिपियाँ भारत में सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपियाँ हैं।
- इन पांडुलिपियों में विहित और गैर-विहित दोनों बौद्ध कार्य शामिल हैं जो संस्कृत, चीनी, कोरियाई, जापानी, मंगोलियाई, मांचू और तिब्बती धर्म-दार्शनिक साहित्य के विकास पर प्रकाश डालते हैं।
- इनका उपयोग बौद्ध विचार और लेखन के इतिहास और विकास के अध्ययन के लिए किया जाता है और यह अमूल्य है।
- ये पांडुलिपियाँ 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हो सकती हैं और उस काल की गुप्त ब्राह्मी और उत्तर-गुप्त ब्राह्मी लिपि की बौद्ध संकर संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं।
- पांडुलिपियों की खोज कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में तीन किश्तों में की गई थी।

हमारी भाषा, हमारी विरासत कॉन्क्लेव

- एक राष्ट्र के रूप में भारत की भाषाई विविधता की बहुमूल्य विरासत को मनाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
- कॉन्क्लेव के दौरान, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने गिलगित पांडुलिपियां उपलब्ध कराई।
- भारत को असाधारण भाषा विविधता का वरदान प्राप्त है। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर बोली जाने वाली 7,111 भाषाओं में से लगभग 788 भाषाएँ अकेले भारत में बोली जाती हैं।
- इस प्रकार भारत पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और नाइजीरिया के साथ दुनिया के चार सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है।

पांडुलिपियाँ क्या हैं?

- पांडुलिपि कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर कम से कम पचहत्तर साल पुरानी एक हस्तलिखित रचना है जिसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य मूल्य है।
- ये सैकड़ों विभिन्न भाषाओं और लिपियों में पाए जाते हैं। अक्सर, एक भाषा कई अलग-अलग लिपियों में लिखी जाती है।
- उदाहरण के लिए, संस्कृत उड़िया लिपि, ग्रंथ लिपि, देवनागरी लिपि और कई अन्य लिपियों में लिखी जाती है।
- ये ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे चट्टानों पर शिलालेख, फरमान, राजस्व अभिलेखों से भिन्न हैं जो इतिहास में घटनाओं या प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। पांडुलिपियों में ज्ञान सामग्री होती है।

गुलाबी मीनाकारी हस्तकला

खबरों में क्यों?

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने G20 देशों के आने वाले प्रतिनिधियों को GI टैग वाली गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प उपहार में देने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

वाराणसी का एक अनोखा शिल्प

- गुलाबी मीनाकारी भारत में गाय घाट के पास, वाराणसी की गलियों में प्रचलित एक दुर्लभ और उत्कृष्ट शिल्प है।
- वाराणसी अपनी उत्कृष्ट गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जो कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है
- फारस से उत्पन्न, इस कला रूप में विभिन्न रंगों को मिलाकर धातु की सतहों को रंगना शामिल है।
- इस कला को मुगल काल के दौरान 17वीं शताब्दी की शुरुआत में फ़ारसी एनामेलिस्टों द्वारा वाराणसी लाया गया था।
- शब्द "मीना" फ़ारसी शब्द "मीनू" से आया है, जिसका अर्थ है "स्वर्ग", जो आकाश के नीले रंग को संदर्भित करता है।
- वाराणसी में, गुलाबी मीनाकारी का अभ्यास मुख्य रूप से आभूषणों और घर की सजावट की वस्तुओं पर किया जाता है।
- शिल्प में सलाई (नक़्क़ाशी उपकरण), भट्ठी, धातु पैलेट, मोर्टार और मूसल, कलाम (तामचीनी लगाने का उपकरण), पीतल की डाई, छोटे स्क्रबिंग ब्रश, संदंश और टकला (रंग लगाने के लिए सुई जैसा उपकरण) जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

गुलाबी मीनाकारी लोकप्रिय रूप से तीन रूपों में पाई जाती है:

- एक रंग खुला मीना: केवल सोने की रूपरेखा उजागर होती है, और एक पारदर्शी रंग का उपयोग किया जाता है।
- पंच रंगी मीना: पांच रंगों लाल, सफेद, हरा, हल्का नीला और गहरा नीला का प्रयोग किया जाता है।
- गुलाबी मीना: इस रूप में गुलाबी रंग प्रमुख है।

भौगोलिक संकेत (GI) टैग

- वस्तुओं के भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान को दर्शाते हैं।
- वे उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता और उसके विशिष्ट भौगोलिक इलाके से प्राप्त विशिष्टता का आश्वासन देते हैं।
- GI टैग बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) का एक अनिवार्य घटक हैं और पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत संरक्षित हैं।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

2 राजनीति और शासन

राजद्रोह कानून

खबरों में क्यों?

विधि आयोग ने कुछ संशोधनों के साथ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने और आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाने की सिफारिश की

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत के विधि आयोग ने भारत में राजद्रोह पर 153 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है, इस बात पर जोर देते हुए कि "कानूनी प्रावधान को निरस्त करने से देश की सुरक्षा और अखंडता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।"
- इसके बजाय, आयोग ने भारतीय दंड संहिता या IPC (देशद्रोह कानून) की धारा 124A में संशोधन का समर्थन किया "ताकि प्रावधान की व्याख्या, समझ और उपयोग में अधिक स्पष्टता लाई जा सके।"
- कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग के अनुसार, धारा 124A में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसे केदार नाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1962 के फैसले के साथ संरेखित किया जा सके, जिसमें हिंसा भड़काने की खतरनाक प्रवृत्ति की उपस्थिति को रेखांकित किया गया था। राजद्रोह की धारा लागू करने के लिए यह एक पूर्व शर्त है और दंडात्मक प्रावधान का उपयोग स्वतंत्र भाषण को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- मार्च 2016 में केंद्र द्वारा दिए गए एक संदर्भ का उत्तर देते हुए आयोग की 279वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि धारा 124A को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए: "जो शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने या असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है, हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।"

अनुशंसा

- इसमें कहा गया है कि राजद्रोह कानून, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास या "तीन साल" का प्रावधान है, में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक सजा को "सात साल" तक बढ़ाया जा सके, जिससे अदालतों को राजद्रोह के मामले में सजा देने के लिए अधिक जगह मिल सके।
- धारा 124A का संचालन, एक गैर-जमानती अपराध, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं और न्यायविदों ने आरोप लगाया है कि अक्सर असहमति को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के निरंतर अंतरिम आदेश के कारण रुका हुआ है।
- प्रस्तावित प्रावधान धारा 124ए में "हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति" को शामिल करता है, जैसा कि केदार नाथ के फैसले में बताया गया है और वैकल्पिक सजा को तीन से सात साल की जेल तक बढ़ाता है।
- आयोग ने कहा, अभिव्यक्ति "प्रवृत्ति" का अर्थ वास्तविक हिंसा या हिंसा के आसन्न खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति मात्र है।
- इसने दंडात्मक प्रावधान के दुरुपयोग को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी निर्धारित किए।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में यह संशोधन करने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि धारा 124ए के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) केवल तभी दर्ज की जाएगी जब कोई पुलिस अधिकारी, जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का न हो, प्रारंभिक जांच करेगा और उसके आधार पर अधिकारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार FIR दर्ज करने की अनुमति देती है।

राजद्रोह कानून पर भारत का विधि आयोग:

- राजद्रोह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है।
- कानूनी प्रावधान को निरस्त करने से देश की सुरक्षा और अखंडता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- केवल यह तथ्य कि कोई विशेष कानूनी प्रावधान अपने मूल में औपनिवेशिक है, उसे निरस्त करने के मामले को मान्य नहीं करता है।
- अमेरिका, ब्रिटेन आदि जैसे न्यायक्षेत्रों ने वास्तव में अपने राजद्रोह कानून को आतंकवाद विरोधी कानूनों के साथ विलय कर दिया है।
- इसके बावजूद, इनमें से कुछ देशों ने वास्तव में जो किया है वह यह है कि उन्होंने अपने राजद्रोह कानून को आतंकवाद विरोधी कानूनों के साथ मिला दिया है।
- धारा 124ए की राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी तत्वों से निपटने में उपयोगिता है क्योंकि यह निर्वाचित सरकार को हिंसक और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने का प्रयास करती है।
- कानून द्वारा स्थापित सरकार का अस्तित्व में रहना राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- इस संदर्भ में, धारा 124ए को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि ऐसी सभी विध्वंसक गतिविधियों को उनकी शुरुआत में ही रोक दिया जाए।
- धारा 124ए के अभाव में, सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें आरोपियों से निपटने के लिए बहुत अधिक कड़े प्रावधान हैं।

प्रतिकूल कब्ज़ा (Adverse possession)

खबरों में क्यों?

भारत के 22वें विधि आयोग (LCI) ने अपनी 280वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता और केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केटी शंकरन की सदस्यता वाले विधि आयोग ने अपनी 280वीं रिपोर्ट में कहा कि परिसीमा की अवधि बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।
- हालाँकि, इसके दो पदेन सदस्यों ने एक असहमति नोट दायर किया जिसमें कहा गया कि कानून न्यायिक जांच में खड़ा नहीं है और प्रतिकूल कब्जे के तहत झूठे दावों को बढ़ावा देता है।

प्रतिकूल क जे

- प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा इस विचार से उत्पन्न होती है कि भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।
- अनिवार्य रूप से, प्रतिकूल कब्ज़ा संपत्ति के शत्रुतापूर्ण कब्जे को संदर्भित करता है, जो निरंतर, निर्बाध और शांतिपूर्ण होना चाहिए।
- विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इसके पीछे तर्क इस विचार से आता है कि "भूमि का स्वामित्व लंबे समय तक संदेह में नहीं रहना चाहिए", "मालिक द्वारा बेकार छोड़ी गई भूमि का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति से समाज को लाभ होगा," और "जो लोग आते हैं" रहने वाले को मालिक मानने से उसकी रक्षा की जा सकती है।"
- यह कहावत कि कानून उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपने अधिकारों को लेकर सोते हैं, प्रतिकूल कब्जे के समर्थन में लागू किया जाता है।
- सीधे शब्दों में कहें तो, मूल स्वामित्व धारक जिसने भूमि पर अपने अधिकारों को लागू करने की उपेक्षा की, उसे लंबे समय के बाद भूमि में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पृष्ठभूमि

- जबकि यह अवधारणा मूल रूप से 2000 ईसा पूर्व की है, इसकी जड़ें हम्मुराबी संहिता में पाई जाती हैं, "प्रतिकूल कब्जे द्वारा शीर्षक" का ऐतिहासिक आधार इंग्लैंड में भूमि की वसूली के लिए कार्यों पर सीमा के क़ानून का विकास है।
- इस तरह का पहला क़ानून वेस्टमिंस्टर का क़ानून, 1275 था।
- हालाँकि, यह संपत्ति परिसीमन अधिनियम, 1874 था, जिसने परिसीमा की अवधि को उस समय से बारह वर्ष निर्धारित किया था जब कार्रवाई का कारण पहली बार सामने आया था, जिसने औपनिवेशिक भारत द्वारा विरासत में मिले सीमाओं के मॉडल के लिए आधार तैयार किया था।
- सीमा के कानून को घरेलू तटों पर लाने का पहला प्रयास "1859 का अधिनियम XIV" था, जिसने ब्रिटिश भारत में नागरिक मुकदमों की सीमा को विनियमित किया।
- 1963 में परिसीमा अधिनियम के पारित होने के बाद, प्रतिकूल कब्जे पर कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

परिसीमा अधिनियम, 1963 अपने साथ क्या प्रावधान लाया?

- 1963 के अधिनियम ने भूमि के असली मालिक की स्थिति को मजबूत कर दिया, क्योंकि अब उसे केवल अपना स्वामित्व साबित करना था, जबकि प्रतिकूल कब्जे के सबूत का बोझ उस पर दावा करने वाले व्यक्ति पर स्थानांतरित हो गया।

- परिसीमन अधिनियम, 1963 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास 12 वर्षों से अधिक समय से निजी भूमि या 30 वर्षों से अधिक समय से सरकारी भूमि है, वह उस संपत्ति का मालिक बन सकता है, जैसा कि 1963 अधिनियम के अनुच्छेद 64, 65, 111 या 112 में अचल संपत्ति पर कब्जे के मुकदमों से संबंधित है।
- 1963 अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 65 के अनुसार, अचल संपत्ति पर प्रतिकूल कब्ज़ा रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है।
- हालाँकि, कब्ज़ा खुला, निरंतर और "बारह वर्षों के लिए वास्तविक मालिक के शीर्षक की अवज्ञा में" होना चाहिए। इसी तरह, अनुच्छेद 64 पिछले कब्जे के आधार पर कब्जे के मुकदमे को नियंत्रित करता है न कि स्वामित्व के आधार पर।
- इस बीच, अनुच्छेद 112, जो सरकारी संपत्ति पर लागू होता है, प्रतिकूल स्थिति द्वारा शीर्षक देने के लिए 30 साल की आवश्यकता को अनिवार्य करता है।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राज्य के लिए सीमा अवधि किसी निजी व्यक्ति की भूमि के लिए बेदखली की तारीख से 30 वर्ष होगी, जहां किसी सार्वजनिक सड़क या सड़क या उसके किसी हिस्से को बेदखल कर दिया गया है और इसके लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। इसका कब्ज़ा "किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से"।

प्रतिकूल कब्ज़े के मुख्य तत्व क्या हैं?

- 2004 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में, अदालत ने प्रतिकूल कब्जे की सामग्री पर विचार किया।
- मामले में पूर्व SC न्यायाधीश एस राजेंद्र बाबू द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, "जो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है, उसे दिखाना चाहिए:
    a. वह किस तारीख को कब्जे में आया,
    b. उसके कब्जे की प्रकृति क्या थी,
    c. क्या कब्जे के तथ्य की जानकारी दूसरे पक्ष को थी,
    d. उसका कब्ज़ा कब तक जारी रहा,
    e. उसका कब्ज़ा खुला और अबाधित था।
- प्रतिकूल कब्ज़ा "खुला" होने के लिए, या छुपाने के किसी भी प्रयास के बिना, इसे मालिक के विशिष्ट ज्ञान में लाने की आवश्यकता नहीं है।
- हालाँकि, ऐसी आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है जहां स्वामित्व को हटाने का अनुरोध किया जाता है।
- इसके अलावा, इस तरह के कब्जे को "अबाधित" रखने के लिए "आचरण के निरंतर पाठ्यक्रम" की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि इसे "कब्जे के निष्पक्ष छिटपुट कृत्य" द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है।
- 1981 में क्षितीश चंद्र बोस बनाम रांची के आयुक्त के फैसले में, शीर्ष अदालत ने खुलेपन और निरंतरता की आवश्यकताओं को रेखांकित किया।
- हालाँकि, निर्णयों की एक श्रृंखला में, SC ने सिफारिश की कि सरकार "प्रतिकूल कब्जे" के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और उचित बदलाव करे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल क जे पर कानून में बदलाव का सुझाव दिया

- हेमाजी वाघाजी जाट बनाम भीखाभाई खेंगारभाई हरिजन और अन्य में 2008 के अपने फैसले में दो-न्यायाधीशों वाली एससी बेंच ने सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 65 से निपटते हुए कहा कि प्रतिकूल कब्जे का कानून "एक मालिक को बाहर कर देता है" सीमा के भीतर निष्क्रियता के आधार पर" और "तर्कहीन, अतार्किक और पूरी तरह से असंगत" है।
- अदालत ने कहा, मौजूदा कानून असली मालिक के लिए बेहद कठोर है और संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बेईमान व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित लाभ है।
- "प्रतिकूल कब्जे पर कानून के बारे में नए सिरे से विचार करने" की "तत्काल आवश्यकता" पर जोर देते हुए, अदालत ने सरकार को "प्रतिकूल कब्जे के कानून पर गंभीरता से विचार करने और उचित बदलाव करने" की सिफारिश की।

UGC दिशानिर्देश

खबरों में क्यों?

MoE ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए नए UGC दिशानिर्देशों की घोषणा की

महत्वपूर्ण बिंदु

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 वर्ष से कम पुराने उच्च शिक्षा संस्थान अब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और निजी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह कार्यकारी परिषदें बनानी होंगी।
- केंद्र ने अधिक गुणवत्ता-केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंडों को सरल बनाकर डीम्ड दर्जा प्राप्त करने के लिए मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने UGC (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 जारी किया, जो 2019 दिशानिर्देशों का स्थान लेगा।
- नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित "हल्के लेकिन कड़े" नियामक ढांचे के सिद्धांत पर बनाए गए हैं।
- नए सरलीकृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और हमारे उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने में दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

RAO'S ACADEMY

- मानदंड वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी तरीके से कई और गुणवत्ता-केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा घोषित करने का प्रावधान करता है।
- इस संबंध में नियमों का पहला सेट 2010 में अधिसूचित किया गया था और बाद में इन्हें 2016 और 2019 में संशोधित किया गया था।

2019 दिशानिर्देश और नए विनियम

- 2019 दिशानिर्देशों के तहत, "20 वर्षों से कम समय तक अस्तित्व में नहीं रहने वाले" उच्च शिक्षा संस्थान इस स्थिति के लिए आवेदन करने के पात्र थे।
- हालाँकि, संशोधित दिशानिर्देशों ने अब इसे बहु-अनुशासनात्मकता, NAAC ग्रेडिंग, NIRF रैंकिंग और NBA ग्रेडिंग से बदल दिया है।
- इसका मतलब है कि कोई भी बहु-विषयक संस्थान जिसके पास लगातार तीन चक्रों के लिए कम से कम 3.01 संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) के साथ NAAC द्वारा वैध मान्यता हो, लगातार तीन चक्रों के लिए दो-तिहाई पात्र कार्यक्रमों के लिए NBA मान्यता हो या किसी विशिष्ट कार्यक्रम के शीर्ष 50 में हो। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों से लगातार NIRF की श्रेणी डीम्ड स्थिति के लिए आवेदन कर सकेगी।

- इसके अलावा, एक से अधिक प्रायोजक निकाय या सोसायटी द्वारा प्रबंधित संस्थानों का एक समूह भी डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए आवेदन कर सकता है।
- नए नियम "विशिष्ट संस्थान" श्रेणी को भी पेश करते हैं, जहां एक मौजूदा संस्थान या एक संस्थान शुरुआत से ही अद्वितीय विषयों में शिक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है और/या देश की रणनीतिक जरूरतों को संबोधित करता है या संरक्षण में लगा हुआ है। आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित भारतीय सांस्कृतिक विरासत या पर्यावरण के संरक्षण या कौशल विकास के लिए समर्पित या खेल या भाषाओं या किसी अन्य अनुशासन के लिए समर्पित को पात्रता मानदंड से छूट दी जाएगी।
- वर्तमान में देश में लगभग 170 डीम्ड संस्थान हैं।
- जो अन्य मानदंड बदले गए हैं उनमें संकाय की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करना, निजी संस्थानों के लिए कॉर्पस फंड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करना और इन विश्वविद्यालयों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह कार्यकारी परिषद का निर्माण करना शामिल है।
- संशोधित दिशानिर्देशों ने डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पर पंजीकरण करना भी अनिवार्य कर दिया है।
- इसके अलावा, न्यूनतम 'A' ग्रेड और उससे ऊपर या संबंधित वर्ष की NIRF रैंकिंग की "विश्वविद्यालय" श्रेणी में 1 से 100 तक रैंक वाले डीम्ड विश्वविद्यालय ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए पात्र हैं।
- 'विशिष्ट श्रेणी' के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थान अपनी घोषणा के पांच साल बाद ऑफ-कैंपस के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे ए ग्रेड से मान्यता प्राप्त हैं या एनआईआरएफ की 'विश्वविद्यालय' श्रेणी में शीर्ष 100 में शामिल हैं।

संक्षेप में:

- विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप हैं।
- डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड:
  - लगातार तीन चक्रों के लिए कम से कम 3.01 CGPA के साथ NAAC 'A' ग्रेड।
  - लगातार तीन चक्रों के लिए दो तिहाई पात्र कार्यक्रमों के लिए NBA मान्यता।
  - पिछले तीन वर्षों से लगातार NIRF (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) की किसी विशिष्ट श्रेणी के शीर्ष 50 में।
  - पिछले तीन वर्षों से लगातार समग्र NIRF रैंकिंग के शीर्ष 100 में।

समान नागरिक संहिता

खबरों में क्यों?

भारत का विधि आयोग समान नागरिक संहिता के बारे में जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार और सुझाव मांगता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- 22वां विधि आयोग UCC के महत्व और कई अदालती फैसलों के मद्देनजर उसका व्यापक पुनर्मूल्यांकन करेगा, जिससे विषय की गहन जांच सुनिश्चित होगी।
- प्रारंभ में भारत के 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर विषय की जांच की थी और एक प्रश्नावली के साथ अपनी अपील के माध्यम से सभी हितधारकों के विचार मांगे थे।
- 21वें विधि आयोग ने "पारिवारिक कानून में सुधार" पर परामर्श पत्र जारी किया है।
- चूंकि उक्त परामर्श पत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए विषय की प्रासंगिकता और महत्व तथा इस विषय पर विभिन्न न्यायालयों के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, भारत के 22वें विधि आयोग ने इसे उचित समझा। विषय पर नये सिरे से विचार-विमर्श करें।
- तदनुसार, भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों और विचारों को फिर से जानने का निर्णय लिया।

- इससे पहले, 2016 में, कानून और न्याय मंत्रालय ने UCC के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए विधि आयोग को एक संदर्भ दिया था।
- UCC विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले एक कानून के निर्माण का आह्वान करता है।
- इसका उद्देश्य खंडित व्यक्तिगत कानूनों की प्रणाली को प्रतिस्थापित करना है, जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।

समान नागरिक संहिता के बारे में

- समान नागरिक संहिता (UCC) भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा।

इतिहास

- यह औपनिवेशिक भारत के समय का है जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया था, जिसमें विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए।
- ब्रिटिश शासन के अंतिम छोर पर व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए B N राव समिति बनाने के लिए मजबूर किया।
- हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई और समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के लिए एक नागरिक संहिता की सिफारिश की।

संवैधानिक प्रावधान:

- समान नागरिक संहिता (UCC) को निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया गया।
- अनुच्छेद 44: "राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता (UCC) प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

UCC की आवश्यकता

- समान सिद्धांत: सामान्य संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे पहलुओं के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम बनाएगी।
- धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा: धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक सेट सच्ची धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला है।
- कमजोर और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा: यह समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करेगा।
- कलह में कमी: यदि और जब पूरी आबादी समान कानूनों का पालन करना शुरू कर देगी, तो संभावना है कि इससे जीवन में अधिक शांति आएगी और दंगों में कमी आएगी।
- धर्म-आधारित भेदभाव को रोकता है: व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर लोगों के बीच अंतर करते हैं। वैवाहिक मामलों के संबंध में समान प्रावधानों वाला एक एकीकृत कानून उन लोगों को न्याय प्रदान करेगा जो भेदभाव महसूस करते हैं।
- वोट बैंक की राजनीति को हटाएं: UCC को चुनने से राजनीतिक व्यवस्था का धार्मिक गठजोड़ दूर हो जाएगा जिसमें मतदाताओं को धर्म, जाति आदि के आधार पर विभाजित किया जाता है।
- प्रशासन को आसान बनाता है: यूसीसी भारत के विशाल जनसंख्या आधार का प्रशासन करना आसान बना देगा।
- UCC का वैश्विक अभ्यास: लगभग सभी मुस्लिम राष्ट्र जैसे मोरक्को, पाकिस्तान आदि UCC का पालन कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय एकीकरण: एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य में मदद करेगी।
- गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है।
- गोवा में एक समान पारिवारिक कानून है।

NCBC द्वारा 80 जातियों को OBC सूची में शामिल करना

खबरों में क्यों?

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) छह राज्यों (महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा) में लगभग 80 और जातियों को OBC सूची में शामिल करने के अनुमोदन के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC):

- OBC का तात्पर्य नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से है।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ओबीसी श्रेणी के भीतर क्रीमी लेयर, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की भूमिका:

- NCBC एक वैधानिक निकाय है जो केंद्रीय OBC सूची में जाति को शामिल करने के अनुरोधों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- आयोग प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक बेंच बनाता है और अपने फैसले केंद्र सरकार को भेजता है।
- कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, कानून बनाया जाता है, और राष्ट्रपति परिवर्तनों को अधिसूचित करते हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 15(4) राज्य को ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
- इन प्रावधानों में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और आवास शामिल हैं।
- अनुच्छेद 16(4) राज्य को ओबीसी के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है।

केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ:

- 2014 के बाद से, सरकार ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में 16 समुदायों को केंद्रीय OBC सूची में जोड़ा है।
- संविधान का 105वां संशोधन 671 राज्य OBC समुदायों के लिए लाभों को संरक्षित करते हुए, अपनी स्वयं की OBC सूची बनाए रखने के राज्यों के अधिकारों की पुष्टि करता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में

- 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित समूहों के कल्याण दावों और कार्यक्रमों पर गौर करने की शक्ति है।
- इससे पहले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक वैधानिक संगठन के रूप में एनसीबीसी के लिए जिम्मेदार था।

NCBC की पृष्ठभूमि

- 1950 और 1970 के दशक में क्रमशः काका कालेलकर और बी.पी. मंडल के तहत दो पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किए गए थे।
- काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंद्रा साहनी मामले में लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों को शामिल करने और बाहर करने पर विचार करने, जांच करने और सिफारिश करने के लिए सरकार को एक स्थायी समिति स्थापित करने का आदेश दिया।
- इन निर्देशों के अनुसार 1993 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम ने NCBC की स्थापना की।
- वंचित समूहों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए 2017 का 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 को संसद द्वारा अनुमोदित एक अलग कानून द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे 1993 का अधिनियम अप्रचलित हो गया।
- विधेयक को अगस्त 2018 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

संघटन:

- आयोग में शामिल हैं:
- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में तीन अन्य सदस्य।
- उनकी सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- NCBC का मुख्यालय दिल्ली में है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ-साथ, उन "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में नये अनुच्छेद 338 B और 342 A शामिल किये गये।
- यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी बदलाव लाता है।
- यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करना हो तो इसकी आवश्यकता होगी।

किसी का नाम बदलने का अधिकार और जीवन का अधिकार

खबरों में क्यों?

इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों (HC) ने कहा कि किसी का नाम या उपनाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इलाहाबाद HC ने कहा कि अपना नाम रखने/बदलने का मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 21 और 14 के तहत प्रत्येक नागरिक में निहित है, जबकि दिल्ली HC ने फैसला सुनाया कि पहचान का अधिकार "अनुच्छेद 21 का आंतरिक" भाग है"।

HC के समक्ष मामले

- 'सदानंद और अन्य बनाम CBSE और अन्य' में, दो भाइयों ने दिल्ली HC के समक्ष एक याचिका दायर की थी।
  - जातिगत अत्याचारों के कारण, पिता ने पहले अपना उपनाम बदल लिया था और इसे आवश्यकतानुसार समाचार पत्र और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया था।
  - आधार, पैन और वोटर आईडी जैसे विभिन्न सार्वजनिक दस्तावेजों में उनका उपनाम बदल दिया गया था।
  - हालाँकि, CBSE ने भाइयों के प्रमाणपत्रों को पिता के नए उपनाम के साथ अपडेट करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे बाद में उनकी जाति में बदलाव होगा, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था।
- 'मो.' समीर राव बनाम यूपी राज्य' मामले में, इलाहाबाद HC ने उच्च विद्यालय और इंटरमीडिएट प्रमाणपत्रों में अपना नाम बदलने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर निपटारा किया, जो कि आत्म-मूल्य की उच्च भावना के लिए प्रतीत होता है।
- राज्य ने तर्क दिया कि नाम में बदलाव पूर्ण अधिकार नहीं है और यह कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है।

HC का फैसला:

इलाहाबाद HC:

- अधिकारियों ने नाम बदलने के आवेदन को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया था और इस तरह के कार्यों ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था।
- नाम किसी व्यक्ति की पहचान का एक अनिवार्य घटक है और निजता के अधिकार के दायरे में आता है।
- पहचान संबंधी सभी दस्तावेजों में एकरूपता आवश्यक है। किसी को अलग-अलग नामों के साथ पहचान दस्तावेज ले जाने की अनुमति देने से भ्रम/शरारत पैदा होगी।

दिल्ली HC:

- सामाजिक कलंक और अपने बेटों को होने वाले नुकसान से उबरने के लिए पिता ने अपना उपनाम बदलने का फैसला किया था और CBSE का इनकार पूरी तरह से अनुचित था।
- याचिकाकर्ताओं को एक पहचान पाने का पूरा अधिकार है जो उन्हें समाज में एक सम्मानजनक और सम्मानित पहचान प्रदान करती है।
- यदि उन्हें अपने उपनाम के कारण कोई नुकसान हुआ है या इसके कारण सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा है, तो वे निश्चित रूप से अपनी पहचान बदलने के हकदार हैं।

अनुच्छेद 21 के बारे में उच्च न्यायालयों ने क्या कहा?

- दिल्ली और इलाहाबाद HC दोनों मामलों में, अनुच्छेद 21 का एक सामान्य सूत्र चलता हुआ पाया गया।
- इलाहाबाद HC ने कहा कि पसंद का नाम रखने/व्यक्तिगत पसंद के अनुसार नाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।
- अदालत ने केरल HC के फैसले (2020) पर भरोसा किया, जिसने फैसला सुनाया कि नाम रखना और उसे व्यक्त करना निश्चित रूप से अनुच्छेद 19 (1) (a) और अनुच्छेद 21 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है।
- दिल्ली HC ने माना कि "पहचान का अधिकार" अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है।
- इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीवन के अधिकार के दायरे में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें किसी व्यक्ति को उस जाति के कारण किसी भी जातिवाद का सामना नहीं करना पड़ता है जिससे वह संबंधित है।

नाम बदलने के अधिकार पर प्रतिबंध :

- उचित प्रतिबंध: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी का नाम बदलने या रखने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
- अनुच्छेद 19(2): राज्य या उसके साधन संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रावधानों को छोड़कर किसी भी नाम के उपयोग या नाम में परिवर्तन में बाधा नहीं डाल सकते। अनुच्छेद 19(2) भारत की सुरक्षा और संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों में प्रतिबंध की अनुमति देता है।
- निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत: नाम बदलने के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों पर कानून द्वारा लगाया गया कोई भी प्रतिबंध निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। यह सिद्धांत के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के मामले में स्थापित किया गया था।
- आनुपातिकता: अधिकारों पर प्रतिबंधों की वैधता निर्धारित करने में आनुपातिकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण कानून के उद्देश्य से असंगत नहीं है।

GRAI

खबरों में क्यों?

शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (GRAI) 2022 लॉन्च किया गया

महत्वपूर्ण बिंदु

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI) 2022 भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) की एक पहल है।

GRAI 2022 के बारे में:

- विभिन्न संगठनों में शिकायत निवारण तंत्र की तुलनात्मक तस्वीर पेश करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा GRAI की अवधारणा और डिजाइन किया गया था।
- एक व्यापक सूचकांक के आधार पर कुल 89 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का मूल्यांकन और रैंकिंग की गई।
- मूल्यांकन चार आयामों पर केंद्रित है: दक्षता, प्रतिक्रिया, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। इन आयामों का मूल्यांकन 12 संगत संकेतकों का उपयोग करके किया गया था।
- GRAI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शिकायतों के निपटान में लगने वाला समय 2021 में 32 दिनों से घटकर 2023 में 18 दिन हो गया है।
- सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया गया डेटा जनवरी और दिसंबर 2022 के बीच की अवधि के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली (CPGRAMS) से एकत्र किया गया था।

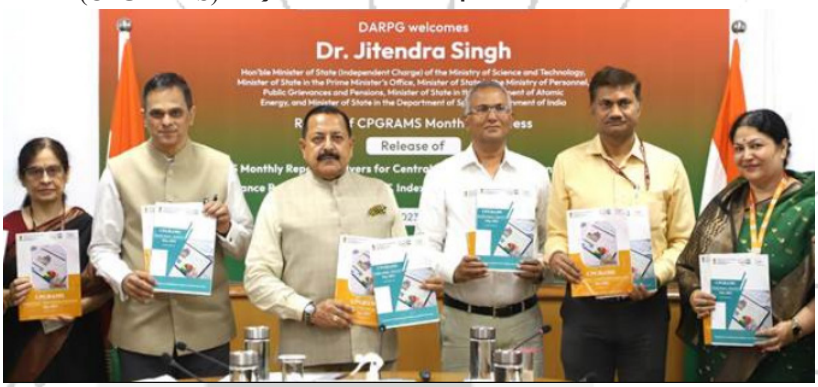

CPGRAMS के बारे में

- CPGRAMS एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को कहीं भी और कभी भी शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाना है
- (24x7).
- सिस्टम द्वारा उत्पन्न अद्वितीय पंजीकरण संख्या के माध्यम से शिकायतों पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान की जाती है।
- अंग्रेजी के साथ-साथ 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है।
- 2022 में, सरकार ने CPGRAMS के 10-चरणीय सुधारों को लागू किया।
- इसमें CPGRAMS 7.0 का सार्वभौमिकरण, AI/ML का उपयोग करके तकनीकी संवर्द्धन आदि शामिल थे।
- CPGRAMS एक स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिकों के लिए भी सुलभ है, जिससे व्यक्तियों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करना और उनकी शिकायतों की प्रगति को ट्रैक करना सुविधाजनक हो जाता है।

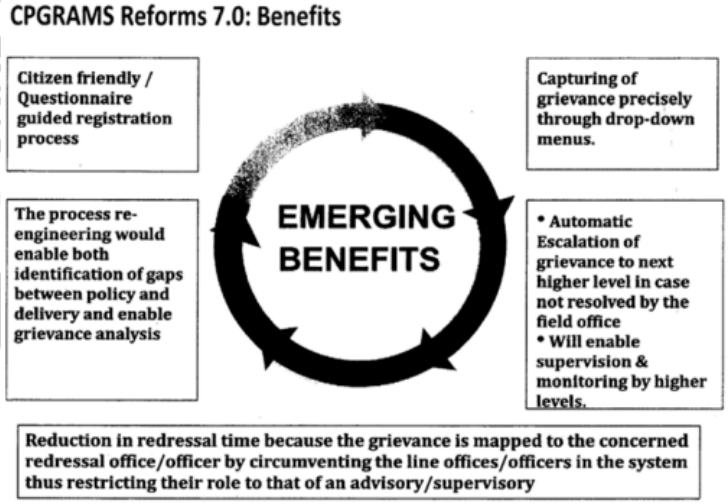

3 पर्यावरण और पारिस्थितिकी

पृथ्वी प्रणाली सीमाएँ (ESB)

खबरों में क्यों?

वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की स्वास्थ्य स्थिति के आठ प्रमुख उपायों में से सात में विफल हो रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पृथ्वी की बेहतरी के एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के अनुसार, मानव गतिविधि ने ग्रह की सुरक्षा और न्यायपूर्ण प्रयोग के आठ नए सीमांकित संकेतकों में से सात में दुनिया को खतरे के क्षेत्र में ला दिया है।
- जलवायु व्यवधान से परे जाकर, पृथ्वी आयोग के वैज्ञानिकों के समूह द्वारा एक चिंतनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसमें कहा गया है कि हमारा ग्रह जल की उपलब्धता, पोषक तत्वों की प्रचुरता, पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव और एयरोसोल प्रदूषण के बढ़ते संकट का सामना कर रहा है। ये जीवन-समर्थन प्रणालियों की स्थिरता के लिए संकट और सामाजिक समानता की स्थिति में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- एक अध्ययन, जो जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ था, मानव कल्याण के संकेतकों के साथ ग्रहों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतों को संयोजित करने का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है।
- यह अध्ययन संपूर्ण लोक-ग्रह प्रणाली का अंतःविषय विज्ञान मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

पृथ्वी आयोग

- पृथ्वी आयोग, जिसे विश्व के दर्जनों अग्रणी अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्थापित किया गया था, चाहता है कि विश्लेषण अगली पीढ़ी के स्थिरता लक्ष्यों और प्रथाओं की वैज्ञानिक रीढ़ बने, जो जलवायु पर वर्तमान फोकस से परे अन्य सूचकांकों और पर्यावरणीय न्याय को शामिल करने के लिए विस्तारित हो।
- यह उम्मीद है कि शहर और व्यवसाय अपनी गतिविधियों के प्रभाव को मापने के तरीके के रूप में लक्ष्यों को अपनाएंगे।
- यह अध्ययन ग्रह के लिए "सुरक्षित और न्यायसंगत" बेंचमार्क की एक श्रृंखला निर्धारित करता है जिसकी तुलना मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण संकेतों से की जा सकती है।
- नाड़ी, तापमान और रक्तचाप के बजाय, यह जल प्रवाह, फास्फोरस उपयोग और भूमि रूपांतरण जैसे संकेतकों को देखता है।
- सीमाएं विश्वविद्यालयों और संयुक्त राष्ट्र विज्ञान समूहों द्वारा पिछले अध्ययनों के संश्लेषण पर आधारित हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच।
- लगभग हर वर्ग में स्थिति गंभीर है। वैश्विक मानक स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है।
- जलवायु के लिए, दुनिया ने पहले से ही वैश्विक तापन को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C से 2°C के बीच यथासंभव कम रखने का लक्ष्य अपनाया है।
- पृथ्वी आयोग का कहना है कि यह एक खतरनाक स्तर है क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही अत्यधिक गर्मी, सूखे और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं जो लगभग 1.2°C के वर्तमान स्तर के साथ आते हैं।
- उनका कहना है कि एक सुरक्षित और न्यायसंगत जलवायु लक्ष्य 1°C है, जिसके लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास की आवश्यकता होगी। उनका कहना है कि पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के बिना जलवायु को स्थिर करना असंभव है।

सुरक्षित और न्यायसंगत

- जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, "सुरक्षित और न्यायसंगत" सीमा दुनिया के 50 से 60% हिस्से को मुख्य रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का घर बनाना है।
  - हालाँकि, वास्तविकता यह है कि ग्रह के केवल 45 से 50% हिस्से में ही एक अक्षुण्ण पारिस्थितिकी तंत्र है।
- खेतों, शहरों और औद्योगिक पार्कों जैसे मानव-परिवर्तित क्षेत्रों में, आयोग का कहना है कि कम से कम 20 से 25% भूमि को अर्ध--प्राकृतिक आवासों जैसे पार्क, आवंटन और पेड़ों के समूहों को बनाए रखने के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं जैसे परागण, जल गुणवत्ता विनियमन, कीट और रोग नियंत्रण, और प्रकृति तक पहुंच द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य लाभ।
  - हालाँकि, लगभग दो-तिहाई परिवर्तित परिदृश्य इस लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहते हैं।
- दूसरा लक्ष्य एरोसोल प्रदूषण है, जो कार निकास, कारखानों और कोयला, तेल और गैस बिजली संयंत्रों से जमा होता है। वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच एयरोसोल सांद्रता के असंतुलन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो मानसून के मौसम और अन्य मौसम पैटर्न को बाधित कर सकता है।
- स्थानीय स्तर पर, उदाहरण के लिए शहरों में, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसरण में 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक जोखिम की सीमा स्थापित करता है, जिसे पीएम 2.5 के रूप में जाना जाता है, जो फेफड़ों और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है।

- यह सामाजिक न्याय का मुद्दा है क्योंकि गरीब, अक्सर मुख्य रूप से पिछड़े समुदायों को सबसे खराब परिणाम भुगतने पड़ते हैं क्योंकि उनमें से कई अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

सुरक्षित सीमा

- सतही जल के लिए बेंचमार्क यह है कि किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में नदियों और नालों के प्रवाह का 20% से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है और मीठे पानी की स्थानीय प्रजातियों में कमी आती है।
- जलविद्युत बांधों, जल निकासी प्रणालियों और निर्माण द्वारा दुनिया की एक तिहाई भूमि पर यह "सुरक्षित सीमा" पहले ही पार कर ली गई है।
- ध्यातव्य गई कि, विश्व की 47% नदी घाटियाँ चिंताजनक दर से नष्ट हो रही हैं।
- मेक्सिको सिटी जैसे जनसंख्या केंद्रों और उत्तरी चीन के मैदान जैसे सघन कृषि क्षेत्रों में यह एक बड़ी समस्या है।
- पोषक तत्व की उपलब्धता चिंता का एक और विषय है क्योंकि समृद्ध देशों में किसान पौधों और भूमि द्वारा अवशोषित करने की क्षमता से अधिक नाइट्रोजन और फास्फोरस का छिड़काव कर रहे हैं।
- इससे अस्थायी तौर पर पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन जल प्रणालियों में पानी का बहाव बढ़ जाता है, और मनुष्यों के पीने के लिए अस्वास्थ्यकर हो जाता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक इक्विटी यहां महत्वपूर्ण है। गरीब देशों को अधिक उर्वरकों की आवश्यकता है, जबकि समृद्ध देशों को अधिशेष में कटौती करने की आवश्यकता है।
- संतुलित रूप से, इस मामले में "सुरक्षित और न्यायसंगत सीमा" 61 मिलियन टन नाइट्रोजन और लगभग 6 मिलियन टन फॉस्फोरस का वैश्विक अधिशेष है।

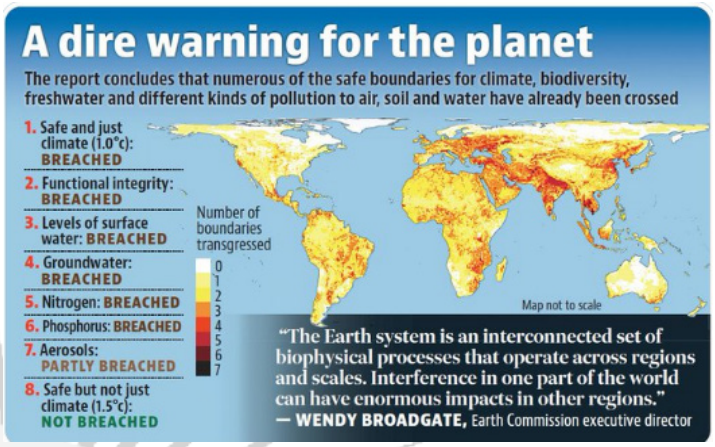

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023

खबरों में क्यों?

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड-2023 जारी किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए "राष्ट्रीय कार्य योजना कोड-2023" जारी किया है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) द्वारा देहरादून में आयोजित 'विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस' के अवसर के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना कोड-2023 जारी किया गया था।
- भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां वन प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रणाली है।
- कार्य योजना वह मुख्य साधन है जिसके माध्यम से भारत में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, जिसे पहली बार 2004 में अपनाया गया था, बाद में 2014 में संशोधन के साथ एकरूपता लाई गई और हमारे देश के विभिन्न वन प्रभागों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना की तैयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य किया गया।
- भारत में वनों का प्रबंधन कई कारणों से किया जा रहा है जैसे पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, मिट्टी के कटाव और जलग्रहण क्षेत्रों के अनाच्छादन की जाँच करना, टीलों के विस्तार की जाँच करना, लोगों की भागीदारी के साथ वृक्ष और वन आवरण को बढ़ाना, वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना आदि।
- भारत और दुनिया में वैज्ञानिक वन प्रबंधन लगातार नए दृष्टिकोण, नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के साथ विकसित हो रहा है और वन प्रबंधन की अनिवार्यताओं और इस पर निर्भर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को विकसित करना अनिवार्य हो गया है।

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023

- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 देश के विभिन्न वन प्रभागों के लिए कार्य योजना तैयार करने में राज्य वन विभागों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी।
- राष्ट्रीय कार्य योजना कोड-2023 वन प्रबंधन योजना की अनिवार्यताओं के बारे में विस्तार से बताता है, जिसमें वनों के टिकाऊ प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल किया गया है।

- इसमें वन और वृक्ष आवरण की सीमा और स्थिति शामिल है; वन्य जीवन, वन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति सहित जैव विविधता का रखरखाव, संरक्षण और वृद्धि, मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, वन संसाधन उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लाभों का रखरखाव और वृद्धि, और उचित नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करना
- पहली बार, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 ने राज्य के वन विभागों को निरंतर डेटा संग्रह और एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इसके अद्यतनीकरण में संलग्न होने के लिए निर्धारित किया है।
- "भारतीय वन प्रबंधन मानक" जो इस कोड का एक हिस्सा है, प्रबंधन में एकरूपता लाने का प्रयास करते हुए हमारे देश में विविध वन पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखता है।
- भारत में वैज्ञानिक वन प्रबंधन के दीर्घकालिक अनुभवों के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और संकेतकों के अनुरूप, सतत वन प्रबंधन के मानकों को भारतीय वन प्रबंधन मानक में संहिताबद्ध किया गया है। भारतीय वन प्रबंधन मानक राज्य वन विभागों को कार्य योजनाओं के नुस्खों के विरुद्ध प्रबंधन प्रथाओं की प्रभावशीलता को मापने की सुविधा प्रदान करेगा।

G20 कृषि मंत्रियों की बैठक

ख़बरों में क्यों

हाल ही में तीन दिवसीय G20 कृषि मंत्रियों की बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हैदराबाद में संपन्न हुई तीन दिवसीय जी20 कृषि मंत्रियों की बैठक में एक 'परिणाम दस्तावेज़ और अध्यक्ष का सारांश' अपनाया गया, जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई, साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कार्रवाई का भी आह्वान किया गया।
- दस्तावेज़ को अपनाने में सर्वसम्मति को "ऐतिहासिक" बताते हुए एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद यह सहमति बनी, जिसमें जी20 विकासशील देशों के नेतृत्व की परिकल्पना की गई थी।
- G20 के ठोस डिलिवरेबल्स के लिए भारत की पहल - खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 और बाजरा और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान के लिए 12वीं G20 MACS अंतर्राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाना है।

डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत:

- वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट के जवाब में G20 ने सामूहिक जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया।
- कमजोर स्थितियों में देशों और आबादी को मानवीय सहायता की सुविधा प्रदान करना।
- खाद्य सुरक्षा जाल और पौष्टिक भोजन तक पहुंच को मजबूत करना।
- जलवायु स्मार्ट और जलवायु लचीली कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान दें।

अंतर्राष्ट्रीय बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल (International Millets and Other Ancient Grains Research Initiative (MAHARISHI):

- इसका उद्देश्य अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाना और बाजरा और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में जागरूकता पैदा करना है
- बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 और उसके बाद

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया

- खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाने के लिए कृषि विविधता को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना।
- टिकाऊ कृषि उत्पादन के लिए जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का वित्तपोषण।
- लचीली कृषि आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से समावेशी विकास।
- कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण और कृषि डेटा प्लेटफार्मों का मानकीकरण।

- बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक खाद्य उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि को स्वीकार करते हुए, दस्तावेज़ में जी20 के कृषि मंत्रियों ने कहा कि वे बिगड़ती वैश्विक खाद्य असुरक्षा की स्थिति और कई विकासशील और अल्पविकसित देशों में कुपोषण की दर में वृद्धि से गंभीर रूप से चिंतित हैं।
- दस्तावेज़ में, G20 के कृषि मंत्रियों ने G20 मटेरा और बाली नेताओं की घोषणाओं में उल्लिखित तात्कालिकता को दोहराया और खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- वैश्विक खाद्य असुरक्षा की स्थिति और कुपोषण दर गरीबी, कोविड-19 महामारी, गहराते जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि संकट और दुनिया में चल रहे संघर्षों से बढ़ी है।
- 'खाद्य सुरक्षा और पोषण' पर अपने 'कार्रवाई के आह्वान' में, मंत्रियों ने उच्च कीमतों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चल रहे व्यवधानों और भोजन और उर्वरकों की अत्यधिक कीमत में अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार के लिए विविध, सुरक्षित और स्थायी रूप से उत्पादित पौष्टिक भोजन के महत्व पर जोर देते हुए,

मंत्रियों ने दस्तावेज़ में कहा कि वे फसल विकास, उत्पादन और उपभोग पैटर्न में नवाचारों को बढ़ावा देने की पहल को प्रोत्साहित करते हैं।

- खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, मंत्री एक-दूसरे के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने पर सहमत हुए।
- मंत्रियों ने जलवायु-लचीली प्रौद्योगिकियों, प्रकृति-आधारित समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने और टिकाऊ कृषि के लिए मौजूदा पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान के बेहतर प्रसार को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
- उन्होंने लोगों, जानवरों, पौधों और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को एक साथ संतुलित और अनुकूलित करने के लिए एक एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण का आह्वान किया, और उभरते और वर्तमान में होने वाले जूनोटिक रोगों, महामारी की संभावना और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अन्य खतरों से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) का मुकाबला किया।
- मंत्रियों ने G20 की भारत की अध्यक्षता और 2023 में कृषि एजेंडे को आगे बढ़ाने में इसके नेतृत्व के लिए गहरा आभार व्यक्त किया और कहा कि वे 2024 में ब्राजील की G20 की अध्यक्षता और 2025 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता की आशा करते हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO)

चर्चा में क्यों

अधिकांश कमज़ोर देशों द्वारा खाद्य आयात में गिरावट चिंता का कारण है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में कमजोर देशों द्वारा खाद्य आयात में गिरावट की उम्मीद है, जिससे चिंता बढ़ गई है।
- हालाँकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आयात का विस्तार जारी है और वैश्विक बिल इस वर्ष एक नए रिकॉर्ड तक पहुँच सकता है।
- सबसे कम विकसित देशों के लिए खाद्य आयात बिल में इस वर्ष 1.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया था।
- FAO ने हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य बाजारों पर अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में कहा कि शुद्ध खाद्य आयात करने वाले विकासशील देशों में 4.9 प्रतिशत की गिरावट देखी जा सकती है।
- दोनों समूहों में खाद्य आयात की मात्रा में गिरावट एक चिंताजनक घटना है, जो क्रय क्षमता में गिरावट का संकेत देती है।
- कई प्राथमिक खाद्य पदार्थों की कम अंतरराष्ट्रीय कीमतें घरेलू खुदरा स्तर पर कम लागत में पूरी तरह से तब्दील नहीं हुई हैं, यह भी सुझाव दिया गया है कि जीवन-यापन की लागत का दबाव 2023 में बना रह सकता है।
- FAO ने कहा, फिर भी, विश्व खाद्य आयात बिल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान था। यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक खाद्य बिल 2023 में बढ़कर 1.98 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, जो 2022 से 1.5 प्रतिशत अधिक है।
- हालाँकि, पिछले साल की तुलना में इसके बहुत धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है क्योंकि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने से मांग कम हो गई है। विश्व खाद्य आयात बिल 2022 में 11 प्रतिशत और 2021 में 18 प्रतिशत बढ़ गया।
- फलों, सब्जियों, चीनी और डेयरी उत्पादों के लिए कोटेशन बहुत अधिक हैं, जिससे मांग पर पानी फिर रहा है, खासकर आर्थिक रूप से सबसे कमजोर देशों में।
- इस बीच, विश्व चावल उत्पादन 2023-24 में 1.3 प्रतिशत बढ़कर 523.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मात्रा के हिसाब से 4.3 प्रतिशत घटकर 53.6 मिलियन टन होने की उम्मीद है।
- इसके विपरीत, 2023 में गेहूं का उत्पादन 2022 में अपने सर्वकालिक उच्च 777 मिलियन टन से 3 प्रतिशत घटने की उम्मीद है, मुख्य रूप से रूसी संघ और ऑस्ट्रेलिया में अपेक्षित कमी के कारण क्योंकि उन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया था।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के बारे में

- 1945 में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- सदस्य: 194 देश (भारत सहित) और यूरोपीय संघ।
- लक्ष्य
  - भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का उन्मूलन;
  - गरीबी उन्मूलन और सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाना; और
  - भूमि, जल, वायु, जलवायु और आनुवंशिक संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और उपयोग।
- मुख्यालय: रोम, इटली

सुंदरगढ़ वन

खबरों में क्यों?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) राज्य इकाई ने ओडिशा में सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में "प्राकृतिक आर्क" को भू विरासत स्थल घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्राकृतिक मेहराब, जिसे जुरासिक काल का माना जाता है, जियो हेरिटेज टैग के साथ भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब होगा।
- यह साइट प्राथमिक तलछटी संरचनाओं को प्रदर्शित करती है और माना जाता है कि इसका निर्माण दोष गतिविधियों और उप-हवाई मौसम के कारण हुआ है।
- GSI ने पहले क्योंझर जिले के नोमिरा में पिलो लावा को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया था।
- भू-विरासत उन भूवैज्ञानिक विशेषताओं को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं जो पृथ्वी के विकास या पृथ्वी विज्ञान के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं या जिनका उपयोग शिक्षा के लिए किया जा सकता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:

- इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी।
- वर्तमान में, GSI खनन मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है।
- GSI के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण और अद्यतनीकरण से संबंधित हैं।

गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र ने गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र ने गहरे समुद्रों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दुनिया की पहली संधि को अपनाया है, जो लगभग 20 वर्षों के प्रयास के बाद एक मील का पत्थर है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में घोषणा की।
- 15 वर्षों से अधिक की चर्चाओं और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पांच दौर की वार्ताओं के बाद, गहरे समुद्र संधि के अध्याय पर 100 से अधिक देशों द्वारा एक समझौते पर पहुंचने के बाद इसे अपनाया गया, जिसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि के रूप में भी जाना जाता है।
- इसे मंजूरी देकर, सदस्य देशों ने नई ऊर्जा प्रदान की है।
- यह समझौता न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर के लिए दो साल तक खुला रहेगा।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 60 देशों द्वारा समझौते की पुष्टि के बाद यह प्रभावी होगा।
- इसे समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLoS) के ढांचे के तहत अपनाया गया है।
- यह समझौता 2030 तक दुनिया की 30 प्रतिशत भूमि और समुद्र को पर्यावरण संरक्षण के तहत लाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
- अन्य प्रावधानों के अलावा, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों को साझा करने, उच्च समुद्र पर संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करने और पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने को नियंत्रित करेगा।

संधि की मुख्य बातें

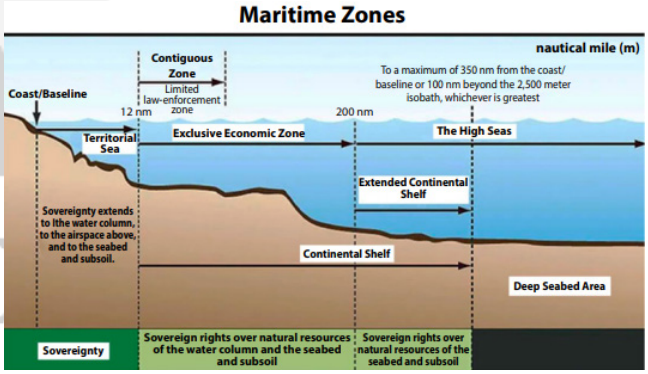

- लचीलेपन को मजबूत करना और इसमें प्रदूषण-भुगतान सिद्धांत के साथ-साथ विवादों के लिए तंत्र पर आधारित प्रावधान शामिल हैं।
- पार्टियों को अपने अधिकार क्षेत्र से परे किसी भी नियोजित गतिविधियों के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना चाहिए।
- मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें महासागर प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है जो जलवायु परिवर्तन और महासागर अम्लीकरण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन का निर्माण करता है।
- स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता और लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे की आवश्यकता को पहचानना।
- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जल में बड़े पैमाने पर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना है, जो गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करते हैं।
- इसमें संधि की शर्तों के अनुपालन की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पार्टियों के एक सम्मेलन की स्थापना का भी आह्वान किया गया है।

भूकंप

खबरों में क्यों?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के भीतर छह भूकंप आए।

महत्वपूर्ण बिंदु

Earthquake Today in Jammu and Kashmir Strikes Near Thathri

- 24 घंटे की अवधि के भीतर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में छह कमजोर भूकंपों की एक श्रृंखला देखी गई, जिनमें से सबसे मजबूत भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई।
- पहले झटके के बाद जम्मू-कश्मीर के पास भी रिक्टर स्केल पर 3.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया।
- नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने भी सत्यापित किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में कई कमजोर भूकंप महसूस किए गए थे।
- मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ पहाड़ी रामबन जिला 3.0 तीव्रता के भूकंप का केंद्र था।
- भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर, 33.31 डिग्री उत्तर और 75.19 डिग्री पूर्व अक्षांश पर आया।

भूकंप क्या है?

- साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से है। पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा निकलती है जिससे तरंगें पैदा होती हैं जो हर दिशा में फैलकर कंपन पैदा करती हैं। यही कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न होने के स्थान को भूकंप मूल तथा जिस स्थान पर सबसे पहले इन तरंगों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र, भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है।

भूकंप का कारण

- पृथ्वी की सतह बड़े खंडों में विभाजित है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो एस्थेनोस्फीयर के रूप में जानी जाने वाली अर्ध-द्रव परत पर तैरती हैं।
- ये प्लेटें लगातार गति में रहती हैं, यद्यपि बहुत धीमी गति से।
- जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अपसारी अथवा अभिसरण सीमाएँ अथवा रूपांतरित सीमाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। जब दो प्लेटें अभिसरण सीमाओं के पास एक दूसरे से टकराती हैं या खिसकती/आपसी रगडाव करती हैं, तो अक्सर सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी भूकंप आते हैं।
- सबडक्शन एक अभिसरण सीमा के साथ एक टेक्टोनिक प्लेट को दूसरे के नीचे धकेलने की प्रक्रिया है। जब प्लेटें एक-दूसरे से टकराती हैं या गुजरती हैं तो भारी दबाव और घर्षण पैदा होता है।
- प्लेट सीमाओं के पास की चट्टानें अत्यधिक तनाव के परिणामस्वरूप अंततः टूट जाती हैं और फिसल जाती हैं।
- भूकंप संग्रहित ऊर्जा के तेजी से निकलने के कारण होता है, जो भूकंपीय तरंगों का कारण बनता है।

भूकंप-सूचक यंत्र (सिस्मोग्राफ-Seismograph)

- सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंप के विवरण जैसे कि इसकी अवधि, बल और दिशा को मापता है और रिकॉर्ड करता है।
- सिस्मोग्राफ में एक पेन लगा होता है।
- जब भूकंप आता है तो भूकंप से उत्पन्न कंपन के साथ पेन भी कंपन करता है।
- पेन कागज की चलती हुई पट्टी पर कंपन की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है।
- चलती पेन से बनने वाली विभिन्न तरंगें हमें भूकंप की दिशा और शक्ति का अनुमान देती हैं। यह P और S तरंगों के आगमन में अंतर की भी गणना करता है।

रिक्टर पैमाने

- भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल और मरकली स्केल पर मापी जाती है।
- रिक्टर स्केल का उपयोग आमतौर पर भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल जहां भूकंप की तीव्रता को 1 से 9 स्केल पर मापता है, वहीं मरकली स्केल इसे 12 पॉइंट स्केल पर मापता है।
- 6 रिक्टर स्केल से ऊपर के भूकंपों से जान-माल की क्षति होती है।

LEED जीरो

चर्चा में क्यों

हरित भवन परियोजनाओं के LEED शून्य प्रमाणन में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष पर है

महत्वपूर्ण बिंदु

- USGBC और GBCI के अनुसार, LEED शून्य प्रमाणित हरित भवन परियोजनाओं में भारत अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है।
- भारत में, रियल्टी फर्म DLF और FMCG प्लेयर ICT LEED जीरो ग्रीन सर्टिफिकेशन पहल में अग्रणी हैं।
- LEED ज़ीरो परियोजनाएं, जिनमें कार्यालय स्थान, आतिथ्य सुविधाएं, खुदरा मॉल, औद्योगिक विनिर्माण परियोजनाएं और डेटा केंद्र शामिल हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं।
- LEED ज़ीरो उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, पानी या अपशिष्ट की श्रेणियों में शुद्ध शून्य या शुद्ध सकारात्मक स्थिति तक पहुँच चुके हैं।

RAO'S ACADEMY

- यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक (GBCI) ने एक बयान में कहा कि भारत LEED जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं के साथ एक शीर्ष देश के रूप में उभरा है।
- भारत LEED जीरो सर्टिफिकेशन में अमेरिका और चीन दोनों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए वैश्विक नेता बन गया है।
- भारत में 73 LEED ज़ीरो प्रमाणित परियोजनाएं हैं, जिनमें कुल 150 से अधिक LEED ज़ीरो प्रमाणन का 45 प्रतिशत शामिल है।
- प्रमाणन के मामले में हरियाणा और तमिलनाडु सबसे आगे हैं।
- अमेरिका और चीन के पास क्रमशः 47 (30 प्रतिशत) और 15 (10 प्रतिशत) प्रमाणपत्रों के साथ दूसरे और तीसरे सबसे अधिक LEED शून्य प्रमाणन हैं।
- भारत स्थित रियल एस्टेट डेवलपर DLF 45 प्रमाणपत्रों के साथ कुल LEED शून्य प्रमाणपत्रों में विश्व स्तर पर अग्रणी है, इसके बाद 15 प्रमाणपत्रों के साथ आईटीसी समूह है।

- जबकि निजी क्षेत्र भारत को नेट ज़ीरो प्रमाणन में प्रगति करने में मदद कर रहा है, USGBC और GBCI ने बताया कि भारत में सभी कार्बन उत्सर्जन का लगभग एक तिहाई भवन और निर्माण क्षेत्र से आता है।
- LEED ज़ीरो परियोजनाओं में भारत की नेतृत्व स्थिति स्थिरता और नवीन हरित भवन प्रथाओं को अपनाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- USGBC और GBCI ने कहा कि यह उपलब्धि 2070 तक शुद्ध शून्य जीएचजी उत्सर्जन हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप भी है।
- LEED प्रमाणन का पूरक, LEED ज़ीरो उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, पानी या अपशिष्ट की श्रेणियों में शुद्ध शून्य या शुद्ध सकारात्मक स्थिति तक पहुँच गए हैं।
- आज तक, LEED ज़ीरो परियोजनाओं के 35 मिलियन से अधिक प्रमाणित वर्ग फुट हैं।
- USGBC अन्य गतिविधियों के अलावा, अपने LEED ग्रीन बिल्डिंग कार्यक्रम के माध्यम से बाजार परिवर्तन के अपने मिशन की दिशा में काम करता है।
- 2008 में स्थापित, GBCI विशेष रूप से USGBC के लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिज़ाइन (LEED) ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के ढांचे के भीतर परियोजना प्रमाणन और पेशेवर क्रेडेंशियल्स और प्रमाणपत्रों का प्रबंधन करता है। यह अन्य प्रमाणपत्रों का भी प्रबंधन करता है।

LEED शून्य परियोजनाएँ

- LEED उन परियोजनाओं के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शक और प्रोत्साहन रहा है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी सुनिश्चित करते हैं। LEED ज़ीरो LEED प्रमाणन कार्यक्रमों और टिकाऊ लक्ष्यों में एक नया अतिरिक्त है।
- USGBC ने LEED ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में नेट-शून्य संसाधनों (ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट) और नेट-शून्य कार्बन ऑपरेशन को संबोधित करने के लिए LEED जीरो लॉन्च किया।
- अन्य LEED रेटिंग प्रणालियों की तरह, LEED ज़ीरो ने भी मानक और अभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- LEED ज़ीरो की प्राथमिक चिंता एक संतुलित ऊर्जा प्रणाली को बनाए रखना है।
- इसमें न केवल पर्यावरण पर निर्माण के प्रभाव को कम करना शामिल है, बल्कि इसे अगले स्तर पर ले जाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पथ कार्बन और पानी, अपशिष्ट और ऊर्जा जैसे बुनियादी संसाधनों के शुद्ध-शून्य प्रभाव को बनाए रखते हुए इमारतों को खड़ा करने में मदद करेगा।
- LEED ज़ीरो एक स्थायी पर्यावरण और पुनर्योजी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट परियोजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य समग्र रूप से बेहतर परिणामों के लिए अन्य LEED रेटिंग प्रणालियों को पूरक बनाना है।

LEED शून्य प्रमाणीकरण के मुख्य फोकस क्षेत्र

LEED शून्य प्रमाणीकरण के प्रकारों में शामिल हैं;

- LEED जीरो कार्बन: LEED जीरो कार्बन मुख्य रूप से भवन विकास के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। इसलिए, यह एक ऐसी इमारत को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करता है जो एक वर्ष से अधिक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ काम कर रही है।
- LEED ज़ीरो एनर्जी: LEED ज़ीरो एनर्जी उन इमारतों के लिए है जो एक वर्ष में शुद्ध-शून्य ऊर्जा संतुलन का स्रोत हैं।
- लीड जीरो वॉटर: यह प्रमाणीकरण उन इमारतों को मान्यता देता है जो एक वर्ष में शून्य पीने योग्य पानी के उपयोग का संतुलन हासिल करते हैं।
- LEED जीरो वेस्ट: यह प्रमाणीकरण उन इमारतों को मान्यता देता है जो प्लैटिनम स्तर पर ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक (जीबीसीआई) टू जीरो वेस्ट प्रमाणन प्राप्त करते हैं।

LEED प्रमाणीकरण के लाभ

- LEED-प्रमाणित इमारतें पर्यावरणीय तनाव को कम करती हैं।
- LEED-प्रमाणित इमारतों में अपशिष्ट उत्पादन और ऊर्जा की खपत कम होती है।
- LEED प्रमाणीकरण पानी और अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाता है।
- LEED-प्रमाणित इमारतों की परिचालन लागत कम होती है।

वैश्विक महासागर जनगणना

खबरों में क्यों?

वैश्विक महासागर जनगणना का लक्ष्य 10 वर्षों में 100,000 समुद्री प्रजातियों को खोजना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों की एक टीम एक अनुसंधान जहाज पर आर्कटिक में बैरेंट्स सागर के ठंडे पानी के लिए रवाना हुई।
- उनका लक्ष्य ठंडे रिसाव के आसपास नई समुद्री प्रजातियों को ढूंढना है - समुद्र तल पर दरारें जहां से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अन्य गैसें निकलती हैं।
- इन दरारों के पास, नरम मूंगा, ग्लास स्पंज, समुद्री पेन और क्रस्टेशियंस सहित प्रजातियां, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही होंगी।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल लगभग 10% समुद्री प्रजातियों का ही औपचारिक रूप से वर्णन किया गया है, और लगभग 2 मिलियन प्रजातियों की पहचान की जानी बाकी है।

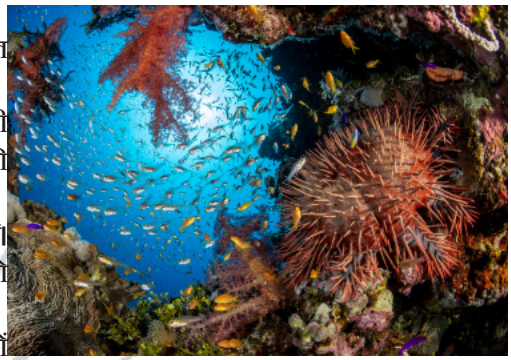

- महासागर जनगणना नामक एक नई वैश्विक पहल इसे बदलने की इच्छा रखती है।
- महासागर जनगणना ने एक दशक के भीतर 100,000 नई समुद्री प्रजातियों को खोजने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इसका इरादा समुद्री जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पर दर्जनों अभियानों पर वैज्ञानिकों को भेजने और उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी, डीएनए अनुक्रमण और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करके ऐसा करने का है।
- पहल अपने संचालन के पहले वर्ष में सात अभियान चलाएगी लेकिन आने वाले वर्षों में और भी अधिक करने की योजना है। ट्रोम्स विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में, बैरेंट्स सागर में पहला अभियान पहले से ही चल रहा है।
- महासागर जनगणना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान संस्थानों, व्यवसायों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया से कई भागीदारों को एक साथ लाने का प्रयास करती है।
- महासागर जनगणना का उद्देश्य समुद्री जीवन का दस्तावेजीकरण करने के पिछले प्रयासों को आगे बढ़ाना है, जैसे कि चैलेंजर अभियान, एक मूलभूत समुद्री वैज्ञानिक कार्यक्रम जो 1872 और 1876 के बीच हुआ था, साथ ही समुद्री जीवन की हालिया जनगणना, एक परियोजना जो 2000 और 2010 के बीच हुई थी।
- यह अज्ञात समुद्री जीवन की खोज के लिए द निप्पॉन फाउंडेशन (जापान में एक गैर-लाभकारी परोपकारी संगठन) और नेकटन फाउंडेशन (यू.के. में समुद्री विज्ञान और संरक्षण संस्थान) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
- समुद्री जीवन की जनगणना ने 540 समुद्री अभियान शुरू किए, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगभग 1,200 नई समुद्री प्रजातियों की खोज की और औपचारिक रूप से उनका वर्णन किया; अन्य जीव अभी भी पहचान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- महासागर अरबों लोगों के लिए भोजन और आजीविका प्रदान करते हुए पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण है।
    - हालाँकि, महासागर को खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जिसमें महासागर का गर्म होना और अम्लीकरण शामिल है।

डीकार्बोनाइज

खबरों में क्यों?

शहरों के पर्यावरण पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए, कम कार्बन वाले शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2050 तक सात अरब लोग शहरों में रहेंगे। 2020 में ही शहरों ने 29 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दिया

डीकार्बोनाइज शहरी प्रणालियाँ:

- अन्य ग्रीनहाउस गैसों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है।
- यह चरम मौसम की घटनाओं के रूप में भी प्रकट होता है, जिससे जीवन, आजीविका, संपत्ति और सामाजिक कल्याण की हानि होती है।
- निम्न-कार्बन या यहां तक कि शुद्ध-शून्य शहरों में संक्रमण के लिए हमें ऊर्जा, भवन, परिवहन, उद्योग और शहरी भूमि-उपयोग सहित कई क्षेत्रों में शमन और अनुकूलन विकल्पों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- इसे 'सेक्टर-कपलिंग दृष्टिकोण' कहा जाता है, और यह शहरी प्रणालियों को डीकार्बोनाइज करने के लिए आवश्यक है।

ऊर्जा-प्रणाली परिवर्तन:

- एक ऊर्जा-प्रणाली परिवर्तन शहरी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को लगभग 74% तक कम कर सकता है।
- स्वच्छ ऊर्जा और संबंधित प्रौद्योगिकियों में तेजी से प्रगति और कीमतों में गिरावट के साथ, हमने कम कार्बन समाधानों को लागू करने में आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को भी पार कर लिया है।
- परिवर्तन को मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर लागू किया जाना चाहिए।
- आपूर्ति पक्ष पर शमन विकल्पों में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शामिल है।

- मांग पक्ष पर, 'बचें, बदलाव करें, सुधार करें' ढांचे का उपयोग करने से सामग्री और ऊर्जा की मांग में कमी आएगी, और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ जीवाश्म ईंधन की मांग को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- दूसरा, ऊर्जा क्षेत्र में अवशिष्ट उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए, हमें कार्बन-डाइऑक्साइड हटाने (CDR) प्रौद्योगिकियों को लागू करना चाहिए।
- वास्तव में, हमारे पास ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से नेट-शून्य शहरी प्रणाली बनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां और ज्ञान का आधार है।

कोई एक आकार फिट दृष्टिकोण नहीं:

- किस शमन और अनुकूलन रणनीति को लागू करना शहर की कुछ विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण जीवाश्म ईंधन को स्वच्छ ऊर्जा से बदलने जितना आसान नहीं है।
- ऊर्जा न्याय और सामाजिक समानता के विविध मुद्दे हैं जिनसे निपटा जाना है।
- जब हम ऊर्जा-संक्रमण नीतियां बनाते हैं जो सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से उचित हों तो यह एक महत्वपूर्ण विचार है।
- शहर का स्थानिक स्वरूप, भूमि-उपयोग पैटर्न, विकास का स्तर और शहरीकरण की स्थिति पर विचार किया जाता है।
- एक स्थापित शहर ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार और पुन: उपयोग कर सकता है, और सार्वजनिक और साथ ही साइकिल चलाने और पैदल चलने जैसे सक्रिय परिवहन को बढ़ावा दे सकता है।
- वास्तव में, लोगों के आसपास डिज़ाइन किए गए चलने योग्य शहर ऊर्जा की मांग को काफी कम कर सकते हैं - जैसे कि सार्वजनिक परिवहन को विद्युतीकृत करना और नवीकरणीय-आधारित जिला शीतलन और हीटिंग नेटवर्क स्थापित करना।

न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण:

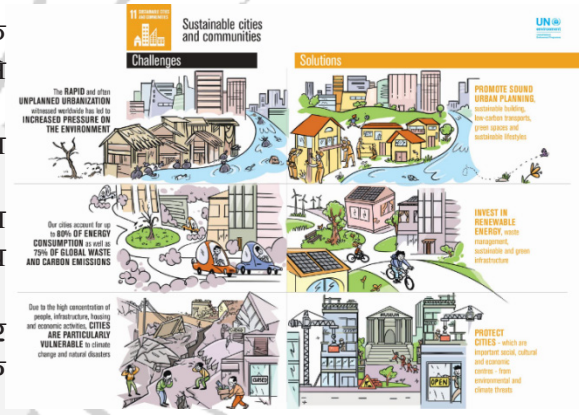

- ऊर्जा प्रणालियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका, स्थानीय आर्थिक विकास और विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की सामाजिक-आर्थिक भलाई से जुड़ी हुई हैं।
- इसलिए एक आकार-सभी के लिए फिट दृष्टिकोण सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से न्यायपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने की संभावना नहीं है।
- उदाहरण के लिए, नवीकरणीय-ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों में लोगों या समुदायों के समूहों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकता है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं।
- मोटे तौर पर, ऊर्जा आपूर्ति को तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग (उदाहरण के लिए शहरीकरण के कारण), ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों और निर्यात के खिलाफ संतुलित करने की आवश्यकता है।
- अतिरिक्त न्याय संबंधी चिंताओं में शामिल हैं - बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित भूमि बेदखली, गरीबी का स्थानिक संकेंद्रण, कुछ समुदायों का हाशिए पर जाना, लैंगिक प्रभाव और आजीविका के लिए कोयले पर निर्भरता।

खाद्य सुरक्षा सूचकांक

चर्चा में क्यों

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) जारी किया गया

महत्वपूर्ण बिंदु

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा में सुधार और काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रूप से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) जारी करता है।

SFSI क्या है?

- SFSI द्वारा विकसित, सूचकांक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के चयनित "मापदंडों" पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापना है।
- SFSI के अनुसार, सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को "अपने प्रदर्शन में सुधार करने और अपने अधिकार क्षेत्र में एक उचित खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने" के लिए प्रोत्साहित करना है।
- सूचकांक एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ ढांचा प्रदान करता है।
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापेगा।
- एसएफएसआई का लक्ष्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे अंततः सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का प्रावधान सुनिश्चित हो सके।
- पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में जारी किया गया था।

स्कोरिंग पैरामीटर और वेटेज

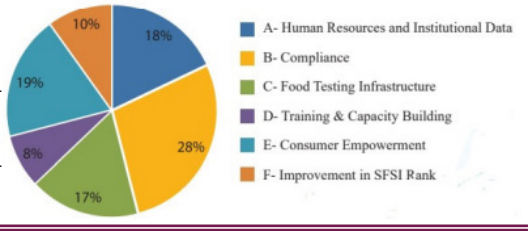

- प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की मूल्यांकन शीट की समीक्षा की गई।
- सूचकांक जारी होने से पहले सीएसी की बैठक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सामान्य स्कोर और प्रदर्शन मापदंडों पर चर्चा की गई।

- स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करने के लिए मान्य डेटा का उपयोग किया गया था।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा मापदंडों को मोटे तौर पर अंकों के अलग-अलग भार के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

सूचकांक रैंकिंग:

- इस तथ्य के आधार पर कि एसएफएसआई के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंक बनाने के लिए समान संस्थाओं के बीच तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए समान राज्यों की तुलना की जानी चाहिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

Categories	Name of States/UTs
Large States (20)	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal
Small States (8)	Arunachal Pradesh, Goa, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura
Union Territories (UTs) (8)	Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, National Capital Territory of Delhi, Jammu and Kashmir, Lakshadweep, Ladakh and Puducherry.

5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक:

Category- Union Territories	
Name	Rank
Jammu & Kashmir	1
Delhi	2
Chandigarh	3

Category- Small States	
Small State	Rank
Goa	1
Manipur	2
Sikkim	3

Category- Large States	
Large State	Rank
Kerala	1
Punjab	2
Tamil Nadu	3

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- समान राज्यों की तुलना बड़े राज्यों (20), छोटे राज्यों (8) और केंद्रशासित प्रदेशों (8) की श्रेणियों में की जाती है।
- 5वें संस्करण में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता केरल (बड़े राज्य), गोवा (छोटे राज्य) और जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) थे।
- रिपोर्ट में विशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ-साथ कई प्रयास शुरू किए जाने पर प्रकाश डाला गया है।

वियना घोषणा

खबरों में क्यों?

इस वर्ष (2023) वियना घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम की 30वीं वर्षगांठ है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वियना घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम (वीडीपीए) एक मानवाधिकार घोषणा है जिसे 25 जून 1993 को वियना, ऑस्ट्रिया में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
- पूरे 2023 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करने के लिए स्पष्ट कदम उठाने के लिए राज्यों और अन्य सभी से आह्वान करने के लिए मानवाधिकार 75 पहल का जश्न मना रहा है।

घोषणा की मुख्य विशेषताएं:

- इसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता और परस्पर निर्भरता की पुष्टि की।
- अपनी राजनीतिक स्थिति को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए वियना के आत्मनिर्णय का अधिकार
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना सहित, दण्ड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई।

कार्य योजना:

- मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पद की सिफारिश इस घोषणा द्वारा की गई थी और बाद में महासभा द्वारा बनाई गई थी
- मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने की वांछनीयता पर विचार करे।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अनुवर्ती कार्रवाई पर नियमित बहस (अपने एजेंडा आइटम 8 के तहत) आयोजित करती है।
- हालाँकि, नई चुनौतियाँ यूडीएचआर और वीडीपीए की पूर्ति में बाधा बन रही हैं, इनमें डिजिटलीकरण और जलवायु परिवर्तन, असमानताएं, लिंग भेदभाव और घृणास्पद भाषण, दुष्प्रचार और ध्रुवीकरण में वृद्धि शामिल है।

UDHR (1948):

- 1948 में अपनाया गया मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर), दुनिया भर में लोगों के लिए उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना मानव अधिकारों का एक सामान्य मानक निर्धारित करती है।
- इसमें दो संधियाँ शामिल हैं अर्थात् नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (ICCPR) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (ICESCR) जिसे 1966 में अपनाया गया था।
- यूडीएचआर, आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर के साथ मिलकर मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक शामिल है।

एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग

खबरों में क्यों?

एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग ने बैंकॉक में आयोजित 32वें सत्र के दौरान सर्वसम्मति से भारत को द्विवार्षिक 2023-24 के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) पर स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि:

- एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1956 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की मंजूरी के तहत की गई थी।
- इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

सदस्यता:

- आयोग में भारत सहित 25 सदस्य देश शामिल हैं, प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

संगठनात्मक संरचना:

- आयोग की संरचना में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल है। सदस्यों में से निर्वाचित एक अध्यक्ष दो साल के कार्यकाल के लिए कार्य करता है।
- एफएओ के महानिदेशक आयोग के काम के समन्वय, आयोजन और देखरेख के लिए जिम्मेदार सचिवालय की नियुक्ति और समर्थन करते हैं।

बैठकें:

- आयोग हर दो साल में कम से कम एक बार बैठक करता है, जिससे सभी सदस्य देशों को भाग लेने का अवसर मिलता है।

उद्देश्य:

- आयोग के प्राथमिक उद्देश्यों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने सदस्य देशों के बीच पौध संरक्षण गतिविधियों का समन्वय और समर्थन करना शामिल है।
- यह पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए फाइटोसैनिटरी उपायों (RSPM) और अन्य प्रासंगिक पहलों के लिए क्षेत्रीय मानकों को विकसित करने पर केंद्रित है।

हिंदू कुश हिमालय

खबरों में क्यों?

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय (HKH) में ग्लेशियर द्रव्यमान का 65 प्रतिशत तेजी से नुकसान देखा गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र:

- ये 3500 किलोमीटर से अधिक और आठ देशों - अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
- हिंदू कुश हिमालय यकीनन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'जल टावर' है, जो एशिया की दस सबसे बड़ी नदियों का स्रोत होने के साथ-साथ आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ और बर्फ की सबसे बड़ी मात्रा का स्रोत है।
- ये नदियाँ मिलकर पहाड़ों और निचले इलाकों में रहने वाले 1.3 अरब लोगों की पीने के पानी, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग और स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा करती हैं।

रिपोर्ट के बारे में

- हिंदू कुश हिमालय (HI-WISE) में जल, बर्फ, समाज और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार, ग्लेशियरों ने 2010 और 2019 के बीच प्रति वर्ष 0.28 मीटर (m w. e.) के बराबर पानी खो दिया, जबकि 2000 और 2009 के बीच प्रति वर्ष 0.17 (m w. e.) पानी का नुकसान हो गया।
- 1951 और 2020 के बीच क्षेत्र में औसत तापमान में प्रति दशक 0.28°C की वृद्धि हुई है।
- 12 नदी बेसिनों में से नौ में अधिक ऊंचाई पर तापमान में वृद्धि देखी गई है। सबसे तीव्र प्रभाव ब्रह्मपुत्र, गंगा, यांग्त्ज़ी और सिंधु बेसिन में महसूस किया जा रहा है।

- रिपोर्ट में बताया गया है कि सामान्य व्यवसाय परिदृश्य में, HKH ग्लेशियर 2100 तक अपनी वर्तमान मात्रा का 80 प्रतिशत तक खो सकते हैं।
- इसके अलावा, उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत बर्फ का एक चौथाई हिस्सा नष्ट हो सकता है।
- रिपोर्ट में एक अध्ययन का हवाला दिया गया है जिसमें 1971 और 2000 के बीच औसत बर्फबारी की तुलना में 2070 और 2100 के बीच सिंधु बेसिन में बर्फबारी में 30-50 प्रतिशत, गंगा में 50-60 प्रतिशत और ब्रह्मपुत्र में 50-70 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की गई है।

हिंदू कुश हिमालय का महत्व

- ग्लेशियर HKH में लगभग 73,173 वर्ग किलोमीटर (किमी2) क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, जो क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
- क्षेत्र की जैव विविधता - जिसका 40 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत है - क्रायोस्फीयर पर निर्भर है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने, जैविक विविधता का समर्थन करने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- HKH में बर्फ और बर्फ एशिया के 16 देशों से होकर बहने वाली 12 नदियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- लगभग 240 मिलियन लोग पहाड़ों में हैं और 1.65 बिलियन डाउनस्ट्रीम उन पर निर्भर हैं।

एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICIMOD) के बारे में

- यह हिंदू कुश हिमालय (HKH) के लोगों की ओर से काम करने वाला एक अंतर-सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र है।
- यह काठमांडू, नेपाल में स्थित है।
- यह आठ क्षेत्रीय सदस्य देशों - अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के लिए काम करता है।

कार्य

- यह महत्वपूर्ण पर्वतीय समस्याओं के नवीन समाधान खोजने के लिए सूचना और ज्ञान सृजन और साझाकरण के माध्यम से क्षेत्र की सेवा करता है।
- यह विज्ञान को नीतियों और जमीनी प्रथाओं के साथ जोड़ता है।

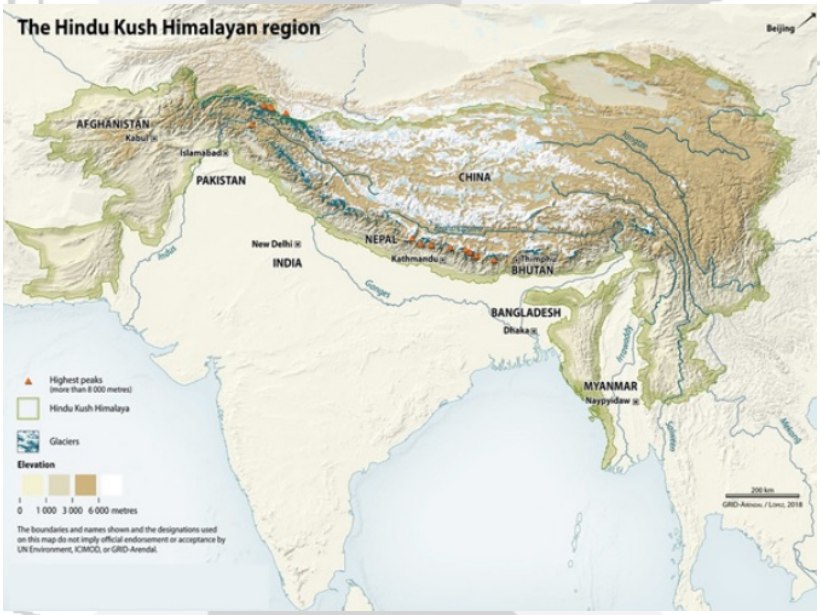

- यह एक क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है जहां विशेषज्ञ, योजनाकार, नीति निर्माता और व्यवसायी सतत पर्वतीय विकास की उपलब्धि के लिए विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

बॉन जलवायु

चर्चा में क्यों

हाल ही में समाप्त हुआ बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पाठ्यक्रम सुधार के एक अवसर के रूप में बनाया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बढ़ते तापमान को नियंत्रित रखने के लिए वर्तमान वैश्विक प्रयास बेहद अपर्याप्त हैं, 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पूरा करने की किसी भी यथार्थवादी संभावना को जीवित रखने के लिए जलवायु कार्रवाई में बड़े पैमाने पर और तत्काल स्केल-अप आवश्यक है।
- बॉन से अपेक्षा की गई थी कि वह त्वरित कार्रवाई के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में कार्य करेगा।
- लेकिन अधिक प्रसिद्ध साल के अंत में होने वाले जलवायु सम्मेलनों की तरह, बॉन का प्रदर्शन ख़राब रहा। विकसित और विकासशील देश पुराने और नए मुद्दों पर झगड़ते रहे और अंतिम दिन तक एक भी बैठक के एजेंडे पर सहमत नहीं हो सके।

ग्लोबल स्टॉकटेक

- हालाँकि, एक चीज़ जिसे देशों ने पूरा करने में कामयाबी हासिल की, वह ग्लोबल स्टॉकटेक या जीएसटी पर तकनीकी चर्चा का तीसरा और अंतिम दौर था।

RAO'S ACADEMY

- 2015 के पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य, जीएसटी एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में प्रगति का आकलन करना और पर्याप्तता अंतर को पाटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ाने के तरीकों और साधनों का निर्णय लेना है। पेरिस समझौते में कहा गया है कि जीएसटी को 2023 से शुरू करके हर पांच साल में आयोजित किया जाना चाहिए।
- जीएसटी पर वास्तविक बैठक सीओपी28 में होगी, जो साल के अंत में होने वाला जलवायु सम्मेलन है, जो इस बार दुबई में आयोजित किया जा रहा है। तकनीकी चर्चाओं ने स्टॉकटेक अभ्यास में शामिल किए जाने वाले तत्वों पर एक संक्षिप्त 'ढांचा' तैयार किया। यहां तक कि विकसित और विकासशील देशों के बीच मुख्य रूप से वित्त और अमीर देशों की 'ऐतिहासिक जिम्मेदारी' से संबंधित प्रावधानों को लेकर बार-बार झड़पें देखी गईं।

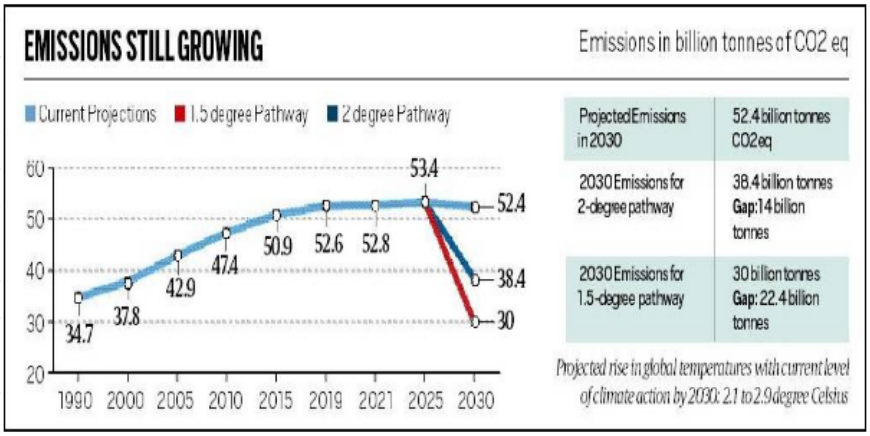

- संचित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, लगभग 40 समृद्ध और औद्योगिक देशों के समूह से आया है, जिन्हें आमतौर पर अनुबंध I देशों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनका उल्लेख जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुबंध I में किया गया था।

बजट माइने रखता है

- जीएसटी के अलावा, जलवायु कार्रवाई के लिए 2021 में ग्लासगो में COP26 में एक और तंत्र स्थापित किया गया था। शमन कार्य कार्यक्रम (MWP) कहा जाता है, यह एक अस्थायी आपातकालीन अभ्यास है जो केवल उत्सर्जन में कटौती बढ़ाने पर केंद्रित है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का कहना है कि 1.5 डिग्री लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक 2019 के स्तर से 43% कम करना होगा।
- फिलहाल, उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है और, 2021 में, 2019 के स्तर से अधिक था।
- विकसित देशों का दायित्व है कि वे धन और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से विकासशील देशों की जलवायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करें। लेकिन पैसे की हमेशा कमी बनी रहती है।
- एक आकलन के अनुसार, विकासशील देशों को अपनी जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए अब से 2030 के बीच 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
- विकासशील देशों की हानि और क्षति की ज़रूरतें हर साल लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई हैं।
- सभी प्रकार के अन्य उद्देश्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसका कुल अनुमान हर साल कई खरबों डॉलर का होता है।
- इसके विपरीत, विकसित देशों ने 2020 से प्रति वर्ष जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी, वह भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

पेरिस में बैठक

- पेरिस में दो दिवसीय बैठक के साथ जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का एक नया प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के प्रमुख भाग लेंगे।
- नए वैश्विक वित्तीय समझौते के लिए शिखर सम्मेलन वैश्विक वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए धन जुटाने और जैव विविधता हानि और गरीबी जैसी संबंधित समस्याओं से निपटने का एक प्रयास है।

ऑरोरा

खबरों में क्यों?

शोधकर्ताओं ने पहली बार अंतरिक्ष से लिए गए "कार्बन डाइऑक्साइड ऑरोरा" के डेटा का विश्लेषण किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

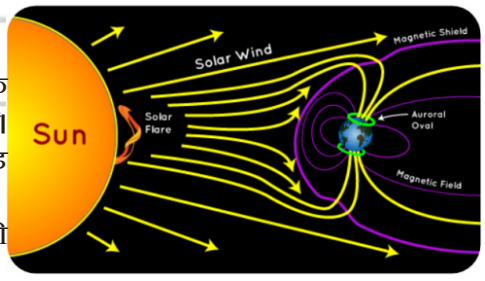

- नॉर्दर्न लाइट्स, या ऑरोरा एक ऐसी घटना है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही आकर्षक भी है, जो वैज्ञानिकों से लेकर रोजमर्रा के स्टारवॉचर्स तक सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है।
- हालांकि उनका विस्तार से अध्ययन किया गया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से जुड़े अरोरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यह अब बदल सकता है।
- ऑरोरा शब्द से आकाश में चमकती शानदार हरी और कभी-कभी लाल रोशनी की छवियां उभर सकती हैं।
- लेकिन अरोरा वायुमंडल में होने वाले कई अलग-अलग प्रकार के विद्युत चुम्बकीय उत्सर्जन से जुड़े होते हैं।
- इनमें से अधिकांश उत्सर्जन मानव आंखों से दिखाई नहीं देते हैं।

ऑरोरा के बारे में

- गठन: जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशित कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में गैसों से टकराते हैं, तो वे रंगीन प्रकाश की छोटी चमक पैदा करते हैं, जिसे हम अरोरा के रूप में जानते हैं।

- उत्तरी गोलार्ध में, इस घटना को उत्तरी रोशनी (ऑरोरा बोरेलिस) कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, इसे दक्षिणी रोशनी (ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस) कहा जाता है।
- ऑरोरा की गोलार्ध विषमता आंशिक रूप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हस्तक्षेप के कारण है।
- आमतौर पर देखे जाने वाले हरे और लाल अरोरा परमाणु ऑक्सीजन की उत्तेजित अवस्था के कारण ग्रह की सतह से 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच होते हैं।

कार्बन डाइऑक्साइड ऑरोरा

- जब आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो वे कई अलग-अलग परमाणुओं और अणुओं के साथ संपर्क करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक है।
- जबकि यह गैस वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में मौजूद होने के कारण ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्य करने के लिए जानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ अंश अंतरिक्ष के किनारे पर भी वायुमंडल में मौजूद हैं।
- जब पृथ्वी से लगभग 90 किलोमीटर ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु अरोरा के दौरान उत्तेजित हो जाते हैं, तो वे अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं।
- इससे ग्रह के वायुमंडल में आमतौर पर देखी जाने वाली तुलना में अधिक अवरक्त विकिरण होता है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

4 अर्थव्यवस्था

सेबी

खबरों में क्यों?

सेबी ने उच्च जोखिम वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अतिरिक्त खुलासे का प्रस्ताव रखा है

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने के ढांचे पर एक परामर्श पत्र जारी किया, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास या तो एकल समूह एक्सपोजर केंद्रित है या उनके इक्विटी निवेश पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण समग्र होल्डिंग्स हैं।
- पेपर में कहा गया है कि कुछ FPI को अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा एक ही निवेशित कंपनी/कंपनी समूह में केंद्रित करते देखा गया है। कुछ मामलों में, ये संकेंद्रित होल्डिंग्स भी लगभग स्थिर रही हैं और लंबे समय तक कायम रहीं।
- एकल निवेशित कंपनी या समूह में इस तरह के केंद्रित निवेश से चिंता और संभावना बढ़ जाती है कि ऐसे कॉर्पोरेट समूहों के प्रवर्तक या एकजुट होकर काम करने वाले अन्य निवेशक, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) बनाए रखने जैसी नियामक आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए FPI मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि ऐसा होता, तो किसी सूचीबद्ध कंपनी में स्पष्ट फ्री फ्लोट उसका वास्तविक फ्री फ्लोट नहीं हो सकता है, जिससे ऐसे शेयरों में मूल्य हेरफेर का खतरा बढ़ जाता है।
- "MPS जैसे नियमों की हेराफेरी के जोखिम को कम करने और FPI मार्ग के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह प्रस्तावित है कि स्वामित्व, आर्थिक और नियंत्रण अधिकारों के सभी धारकों की पूरी तरह से पहचान करने के लिए उन्नत पारदर्शिता उपायों को कुछ उद्देश्यपूर्ण तरीके से अनिवार्य किया जा सकता है। परामर्श पत्र में कहा गया है कि उच्च जोखिम वाले FPI की पहचान की गई है जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।

FPI को वर्गीकृत करें

- पेपर में FPI को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं जैसे केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड या सार्वजनिक खुदरा फंड को छोड़कर सभी FPI को उच्च जोखिम वाले FPI के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- इसमें कहा गया है कि इस तरह के खुलासे PMLA (धन शोधन निवारण) नियमों और FPI नियमों द्वारा निर्धारित किसी भी भौतिकता सीमा से अप्रतिबंधित होने चाहिए।

- MPS की हेराफेरी की रोकथाम के लिए, सेबी के परामर्श पत्र ने प्रस्ताव दिया है कि उच्च जोखिम वाले FPI, जो एक एकल कॉर्पोरेट समूह में अपनी इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) का 50 प्रतिशत से अधिक रखते हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रकटीकरण के लिए आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
- एकल भारत/भारत-संबंधित कॉर्पोरेट समूह एक्सपोज़र वाले FPI को योजना स्तर पर उनके कुल एयूएम के 25 प्रतिशत से कम जोखिम के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है और इसलिए पेपर में कहा गया है कि उन्हें अतिरिक्त प्रकटीकरण की किसी भी आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।
- इसमें कहा गया है कि नए FPI जिन्होंने अभी निवेश शुरू किया है, उन्हें अतिरिक्त खुलासे की आवश्यकता के बिना छह महीने की अवधि तक 50 प्रतिशत समूह एकाग्रता सीमा को पार करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, 6 महीने के बाद, ऐसे FPI द्वारा 50 प्रतिशत एकाग्रता सीमा को पार करने पर अतिरिक्त खुलासे की आवश्यकता शुरू हो जाएगी।
- अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां मौजूदा FPI अपने निवेश को बंद करने की प्रक्रिया में हैं। इसमें कहा गया है कि वे किसी एकल कॉर्पोरेट समूह में अस्थायी रूप से 50 प्रतिशत निवेश सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे FPI का पोर्टफोलियो छह महीने के भीतर खत्म हो जाए।
- मौजूदा उच्च जोखिम वाले FPI जिनकी एकल कॉर्पोरेट समूह में एकाग्रता सीमा 50 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं की आवश्यकता प्रभावी होने से पहले, ऐसे जोखिम को 50 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए छह महीने की विंडो प्रदान की जाएगी।
- पेपर में प्रस्ताव दिया गया है कि भारतीय इक्विटी बाजारों में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल हिस्सेदारी वाले मौजूदा उच्च जोखिम वाले FPI को 6 महीने के भीतर अतिरिक्त विस्तृत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर FPI को अपना एयूएम सीमा से नीचे लाना चाहिए।
- भविष्य में 25,000 करोड़ रुपये की AUM सीमा को पार करने वाले उच्च जोखिम वाले FPI को घटना के 3 महीने के भीतर अतिरिक्त

विस्तृत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर FPI को समय सीमा के भीतर अपने एयूएम को सीमा से नीचे लाना होगा।

सेबी के बारे में

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल, 1988 को एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के प्रावधान 30 जनवरी, 1992 को लागू हुए।

सेबी के उद्देश्य

1. निवेशक सुरक्षा: यह सेबी की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इसमें मार्गदर्शन प्रदान करके निवेशकों के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि किया गया निवेश सुरक्षित है।
2. स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों के व्यापार और विनियमन से संबंधित धोखाधड़ी प्रथाओं और कदाचार को रोकना
3. वित्तीय मध्यस्थों जैसे अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स आदि के लिए एक आचार संहिता विकसित करना।
4. वैधानिक नियमों और स्व-नियमन के बीच संतुलन बनाए रखना।

सेबी के कार्य

- प्रतिभूति बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
- प्रतिभूति बाजार के विकास और परेशानी मुक्त कामकाज को बढ़ावा देना।
- प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय संचालन को विनियमित करना।
- पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंकरों, स्टॉकब्रोकरों, निवेश सलाहकारों, मर्चेंट बैंकरों, रजिस्ट्रारों, शेयर ट्रांसफर एजेंटों और अन्य लोगों के लिए एक मंच के रूप में सेवा करना।
- जमाकर्ताओं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिभूतियों के संरक्षकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों को सौंपे गए कार्यों को विनियमित करना।
- निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों और उनके मध्यस्थों के बारे में शिक्षित करना।
- प्रतिभूति बाजार और उससे संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना।
- कंपनी के अधिग्रहण और शेयरों के अधिग्रहण की निगरानी करना।
- उचित अनुसंधान और विकासात्मक रणनीति के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को कुशल और अद्यतन बनाए रखना।

सेबी की शक्तियां

अर्ध-न्यायिक शक्ति

- प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं के मामलों में, सेबी इंडिया निर्णय पारित कर सकता है।
- सेबी की उक्त शक्ति प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की सुविधा प्रदान करती है।

अर्ध-कार्यकारी शक्ति

- सेबी उल्लंघनों की पहचान करने या उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए बही-खातों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर सकता है। यदि यह किसी को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाता है, तो नियामक संस्था नियम लागू कर सकती है, निर्णय पारित कर सकती है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

अर्ध-विधायी शक्ति

- निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, आधिकारिक निकाय को प्रासंगिक नियम और कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। ऐसे नियमों में लिस्टिंग दायित्वों, अंदरूनी व्यापार नियमों और आवश्यक प्रकटीकरण आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है।
- यह निकाय प्रतिभूति बाजार में कदाचार को खत्म करने के लिए नियम और कानून बनाता है।
- जब सेबी की शक्तियों और कार्यों की बात आती है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का दबदबा होता है। दोनों शीर्ष निकायों को अपने सभी कार्यों और संबंधित निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए।

मध्यस्थता कानून

खबरों में क्यों?

केंद्र ने मध्यस्थता कानून में सुधार का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई

महत्वपूर्ण बिंदु

- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में सुधारों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन, भारत की कुशल और पार्टी-संचालित मध्यस्थता की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- भारत सरकार ने कानूनी मामलों के विभाग के माध्यम से एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके मध्यस्थता प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- पूर्व कानून सचिव टीके विश्वनाथन के नेतृत्व में समिति का लक्ष्य 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करना है। लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अदालती हस्तक्षेप को कम करने पर ध्यान देने के साथ समिति से 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

RAO'S ACADEMY

अधिनियम के कामकाज की जांच:

- विशेषज्ञ समिति के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की कार्यप्रणाली की पूरी तरह से जांच करना है। विदेशी न्यायालयों की तुलना में इसकी ताकत, कमजोरियों और चुनौतियों का आकलन करके, समिति सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना चाहती है। यह महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा तैयार करने और सरकार को अन्य सिफारिशें करने के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा।

न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करना:

- मध्यस्थता को वास्तव में पार्टी-संचालित प्रक्रिया बनाने के लिए, समिति का लक्ष्य ऐसे समाधान प्रस्तावित करना है जो पार्टियों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को सीमित कर दें। इस मुद्दे को संबोधित करके, समिति का लक्ष्य मध्यस्थता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अदालत की भागीदारी के कारण होने वाली देरी को कम करना है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए अधिक कुशल और समयबद्ध ढांचा तैयार करना है।

पुरस्कारों को अंतिम रूप देने में तेजी:

- समिति द्वारा संबोधित किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मध्यस्थ पुरस्कारों को अंतिम रूप देने का शीघ्र श्रेय है। पुरस्कारों और अपीलों को रद्द करने से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में संशोधन का सुझाव देकर, समिति का उद्देश्य मध्यस्थता पुरस्कारों के तेजी से कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना है। इससे पार्टियों को अपने विवादों के निर्णायक समाधान का आश्वासन मिलेगा।

प्रतिस्पर्धी माहौल का विकास करना:

- विशेषज्ञ समिति मध्यस्थता सेवा बाजार में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के महत्व को पहचानती है। इस प्रयोजन के लिए, समिति एक मॉडल मध्यस्थता प्रणाली के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश करेगी जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों को आकर्षित करके, यह ढांचा मध्यस्थता के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाएगा।

न्यायिक प्राधिकारियों पर निर्भरता को कम करना:

- समिति का एक प्रमुख उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों और अदालतों पर निर्भरता को कम करने के लिए एक वैधानिक साधन का सुझाव देना है। एक प्रशासनिक तंत्र और मानक संचालन प्रक्रियाओं की स्थापना करके, समिति का लक्ष्य सरकार से जुड़े मध्यस्थ पुरस्कारों की नियमित चुनौतियों को कम करना है। यह मध्यस्थता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे पक्षों को विवाद समाधान के अधिक कुशल और विश्वसनीय साधन उपलब्ध होंगे।

लागत निर्धारण और कर्तव्यों का चार्टर:

- समिति मध्यस्थता की लागत और मध्यस्थों की फीस निर्धारित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। लागत गणना के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करके, समिति का लक्ष्य मध्यस्थता प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों, पार्टियों और मध्यस्थ संस्थानों के आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए कर्तव्यों का एक चार्टर तैयार किया जाएगा, जिससे मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता और प्रभावशीलता में और वृद्धि होगी।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए अलग कानून:

- समिति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए अलग-अलग कानून बनाने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेगी। प्रत्येक श्रेणी की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करके, समिति का लक्ष्य एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करना है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता दोनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, पार्टियों और मध्यस्थों द्वारा अपनाने के लिए मॉडल मध्यस्थता समझौतों और पुरस्कारों के लिए टेम्पलेट की सिफारिश की जाएगी।

मध्यस्थता विधान को सरल बनाना और कार्यों का मानकीकरण करना:

- पहुंच और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए, समिति सरल भाषा में मध्यस्थता पर नए कानून की आवश्यकता का पता लगाएगी। मध्यस्थों के लिए एक पुस्तिका विकसित करके, समिति उनके कार्यों को मानकीकृत करना और व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। ये उपाय मध्यस्थता कार्यवाही की व्यावसायिकता और स्थिरता को बढ़ाएंगे।

प्रेषण

खबरों में क्यों?

2023 में प्रेषण प्रवाह की वृद्धि धीमी होकर केवल 0.2% रह सकती है

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास संक्षिप्त के नवीनतम संस्करण से पता चला है कि भारत में प्रेषण प्रवाह में वृद्धि 2022 में 24% से अधिक से 2023 में 0.2% तक धीमी हो सकती है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि के कारण प्रवासियों के लिए रोजगार और वेतन लाभ सीमित हो रहे थे, जिससे प्रेषण में मंदी आ रही थी।
- पूर्वी एशिया और प्रशांत और उप-सहारा अफ्रीका जैसे अन्य क्षेत्रों में, 2023 में प्रेषण की वृद्धि दर लगभग 1% होने का अनुमान है।
- OECD अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में हाईटेक क्षेत्र में, जो सूचना प्रौद्योगिकी (IT) श्रमिकों की मांग को प्रभावित कर सकती है और अनौपचारिक धन हस्तांतरण चैनलों की ओर औपचारिक प्रेषण के मोड़ को जन्म दे सकती है, जिससे 2023 में प्रेषण के प्रवाह पर असर पड़ने की संभावना है।

RAO'S ACADEMY

- विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार, भारत, जिसने 2022 में प्रेषण में रिकॉर्ड उच्च $111 बिलियन तक पहुंचने के लिए 24% से अधिक की वृद्धि दर्ज की, 2023 में प्रेषण प्रवाह में केवल 0.2% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 38 उच्च आय वाले लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में प्रवासियों की कम मांग, अरब की खाड़ी के आसपास स्थित छह अरब देशों का एक समूह जहां तेल की गिरती कीमतों ने विकास को प्रभावित किया है, एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान कारक है।

विश्व बैंक रिपोर्ट

- विश्व बैंक का प्रवासन और विकास संक्षिप्त, OECD अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि से 2023 में प्रेषण के प्रवाह पर असर पड़ने की संभावना है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, जिससे IT श्रमिकों की मांग प्रभावित हो रही है और अनौपचारिक धन हस्तांतरण चैनलों के लिए औपचारिक प्रेषण का विचलन हो रहा है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में प्रवासी श्रमिकों की कम मांग, जहां तेल की कीमतों में गिरावट से विकास प्रभावित हुआ है, प्रेषण में गिरावट का एक अन्य प्रमुख कारक है।
- नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के पिछले संस्करण में, विश्व बैंक द्वारा 2022 में भारत के लिए रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर के प्रेषण प्रवाह का अनुमान लगाया गया था। इसे जून 2023 में 111 बिलियन डॉलर तक संशोधित किया गया है।
- यह संशोधन उच्च आय गंतव्य अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई मजबूत श्रम बाजार स्थितियों और मजदूरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ जीसीसी देशों में उच्च ऊर्जा कीमतों का परिणाम है।

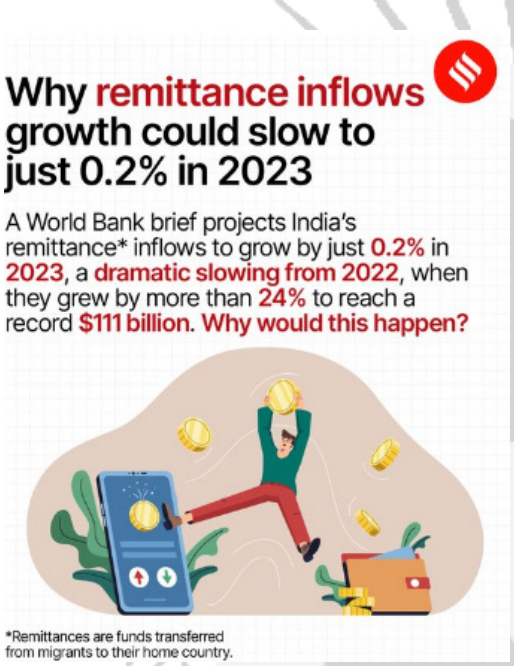

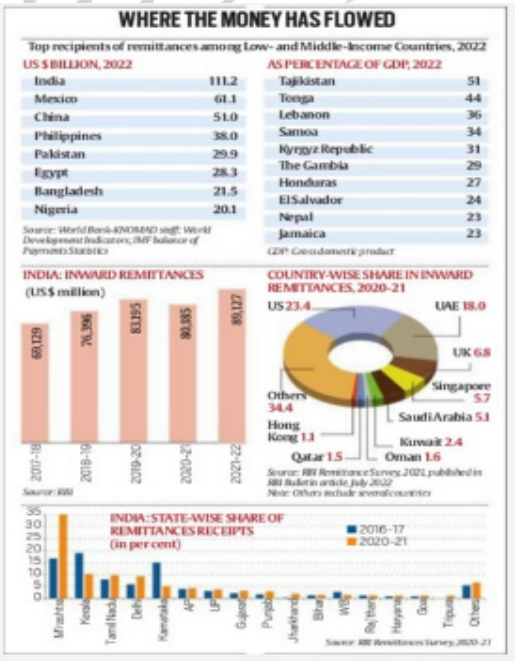

प्रेषण महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- मध्यम और निम्न आय वाले विकासशील देशों के लिए FDI के बाद प्रेषण वित्तपोषण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
- इसका घरेलू वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह संपत्ति निर्माण के साथ-साथ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में योगदान देता है।
- वे सरकार की नकद हस्तांतरण योजनाओं के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और घरेलू आय का एक अनिवार्य पहलू हैं, खासकर कठिन समय के दौरान।
- कोविड-19 महामारी के सबसे बुरे प्रभावों के बाद अधिकांश देशों के लिए प्रेषण विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत और एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रवाह है।
- 2022 में प्रेषण एफडीआई प्रवाह का लगभग 326% था, जो 2019 में 247% से बढ़ रहा है; और 2019 में 935% की तुलना में 1,036% आधिकारिक विकास सहायता।
- विश्व बैंक KNOMAD (प्रवास और विकास पर वैश्विक ज्ञान भागीदारी) के प्रमुख के अनुसार, महामारी के बाद से प्रेषण अधिकांश देशों के लिए वित्त का एक प्रमुख स्रोत है और इसके अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण घटक बनने की उम्मीद है।
- प्रेषण दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद (2022) का केवल 4% है, और व्यक्तिगत रूप से नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद का 23.1%, पाकिस्तान का 7.9%, श्रीलंका का 5.1%, बांग्लादेश का 4.7% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है।
- इसकी तुलना में, प्रेषण प्रवाह ताजिकिस्तान (51%), टोंगा (44%), लेबनान (35%), समोआ (34%), और किर्गिज़ गणराज्य (31%) जैसे देशों के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा है।

भारत को धन कहाँ से प्राप्त होता है?

- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि भारत के कुल प्रवासी स्टॉक का 30% हिस्सा हैं, इसके पीछे GCC क्षेत्र है।

- RBI की COVID-19 की प्रतिकूल परिस्थितियों और भारत की आवक प्रेषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रवासियों का अधिक उच्च--कुशल सफेदपोश श्रमिकों की ओर रुख करना आवक प्रेषण के लिए एक अच्छा संकेत है।
- RBI सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला कि केरल और कर्नाटक जैसे पारंपरिक प्रेषण प्राप्तकर्ता राज्यों की हिस्सेदारी 2016-17 और 2020-21 के बीच तेजी से गिर गई।
- जबकि 2016-17 में केरल शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य था, वहीं 2020-21 में महाराष्ट्र शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य के रूप में उभरा है।
- परिवर्तनों के कारणों में मेजबान देश की बदलती गतिशीलता, वेतन अंतर को कम करना और बदलते व्यावसायिक पैटर्न जैसे सफेदपोश श्रमिकों में वृद्धि और अन्य राज्यों और देशों से कम वेतन वाले अर्ध-कुशल श्रमिकों का आगमन शामिल है।
- आरबीआई की रिपोर्ट में पाया गया कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से GCC में प्रवासन में वृद्धि हुई है।

ट्रेड्स

खबरों में क्यों?

खाता एग्रीगेटर के माध्यम से व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TREDS) के साथ जीएसटीएन का एकीकरण

महत्वपूर्ण बिंदु

- सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) MSME चालान की सीधी मंजूरी को सक्षम करने के लिए GSTN (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) को TREDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रहे हैं।
- एकीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि GSTN पर MSME द्वारा उठाए गए ई-चालान सीधे TREDS पोर्टल पर आ सकते हैं, इस प्रकार किसी भी अतिरिक्त गतिविधि या दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को नकार दिया जाएगा।
- यह समय के साथ TReDS प्लेटफार्मों के कामकाज में काफी सुधार कर सकता है।
- इससे ऋण अंडरराइटिंग और मंजूरी में भी तेजी आएगी क्योंकि जीएसटी प्लेटफॉर्म से सीधे सोर्सिंग से फाइनेंसरों को चालान की वास्तविकता के संबंध में अधिक आश्वासन और आराम मिलेगा।
- इसके अलावा, यह विशेष रूप से कमजोर या न्यूनतम क्रेडिट इतिहास वाले MSME के लिए एक वैकल्पिक क्रेडिट डेटाबेस बनाने में मदद करेगा।

अकाउंट एग्रीगेटर क्या है?

- एक अकाउंट एग्रीगेटर (AA) एक प्रकार की आरबीआई विनियमित इकाई है (NBFC-AA लाइसेंस के साथ) जो किसी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से और डिजिटल रूप से उस वित्तीय संस्थान से जानकारी तक पहुंचने और साझा करने में मदद करता है जिसमें उनका खाता है और एए में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ जानकारी साझा करता है। व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा साझा नहीं किया जा सकता।
- ऐसे कई अकाउंट एग्रीगेटर होंगे जिनमें से एक व्यक्ति चुन सकता है।
- अकाउंट एग्रीगेटर आपके डेटा के प्रत्येक उपयोग के लिए 'रिक्त चेक' स्वीकृति के लंबे नियमों और शर्तों को एक विस्तृत, चरण-दर-चरण अनुमति और नियंत्रण से बदल देता है।

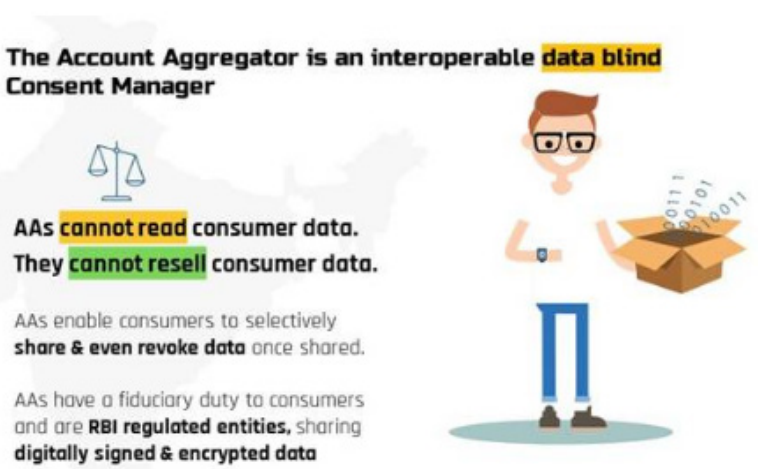

द्वितीयक खिड़की

- विक्रेता डेटा और चालान प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रवाहित होंगे, जिससे हमें बेहतर तरीके से ऑडिट करने में मदद मिलेगी और विक्रेता का बेहतर डेटा दृश्य भी तैयार होगा।
- तो यह एक द्वितीयक विंडो के रूप में बहुत उपयोगी होगा क्योंकि हम डेटा जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास GST डेटा के साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म पर वास्तविक प्रदर्शन भी होगा।
- इससे फाइनेंसरों को अन्य वितरण मॉडल के लिए इस डेटा का उपयोग करने में भी मदद मिलेगी।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए GST नेटवर्क को अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल के माध्यम से एकीकृत किए जाने की संभावना है।

- चर्चाओं से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि चालान जीएसटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ सकते हैं, लेकिन AA (अकाउंट एग्रीगेटर) मॉडल के माध्यम से।
- GSTN को FIP (वित्तीय सूचना प्रदाता) और TREDS प्लेटफार्मों को FIU (वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और इसलिए उन्हें सभी चालान मिलेंगे।
- फरवरी 2021 में, जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति ने प्रमाणित चालान तक पहुंच की एकल खिड़की के माध्यम से डेटा के वास्तविक समय साझाकरण की अनुमति देने के लिए GSTN ई-चालान पोर्टल के साथ TREDS प्लेटफॉर्म के एकीकरण की सिफारिश की थी।
- हालाँकि, परिचालन, कार्यान्वयन चुनौतियों और डेटा साझाकरण संबंधी चिंताओं के कारण अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बेहतर एकीकरण

- अब GSTN, पंजीकरण के लिए उद्यम प्लेटफॉर्म और सरकारी E-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल सहित सभी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ एकीकरण पर चर्चा चल रही है।
- यदि सरकार अनुमति देती है तो ये या तो सीधे TReDS प्लेटफॉर्म के साथ होगा, या फिर अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से होगा।
- इस तरह के एकीकरण से सरकार को बनाए जा रहे चालान और मंजूरी और अस्वीकृति दरों को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी, इस प्रकार अधिक केंद्रीय PSU कंपनियों को TReDS में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- CPSE अभी तक नहीं आ रहे हैं लेकिन हम राज्यों से मांग देख रहे हैं। इसमें सरकारी पोर्टलों के एकीकरण से ही सुधार होना चाहिए।
- गोवा और तमिलनाडु पहले से ही सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जल्द ही TReDS में शामिल होने की उम्मीद है।

नया अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क एक औसत व्यक्ति के वित्तीय जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा?

- भारत की वित्तीय प्रणाली में आज उपभोक्ताओं के लिए बैंक विवरण की भौतिक हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां साझा करना, नोटरी या स्टांप दस्तावेजों के लिए इधर-उधर भागना, या किसी तीसरे पक्ष को अपना वित्तीय इतिहास देने के लिए अपना व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड साझा करना कई झंझटों से भरा है।
- अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इन सभी को एक सरल, मोबाइल-आधारित, सरल और सुरक्षित डिजिटल डेटा एक्सेस और साझाकरण प्रक्रिया से बदल देगा।
- इससे नई प्रकार की सेवाओं जैसे नए प्रकार के ऋण के अवसर पैदा होंगे।
- व्यक्ति के बैंक को बस अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से जुड़ने की जरूरत है।
- वर्तमान में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से 23 बैंक AA के अंतर्गत हैं।

Account Aggregator empowers the individual with control over their personal financial data, which otherwise remains in silos

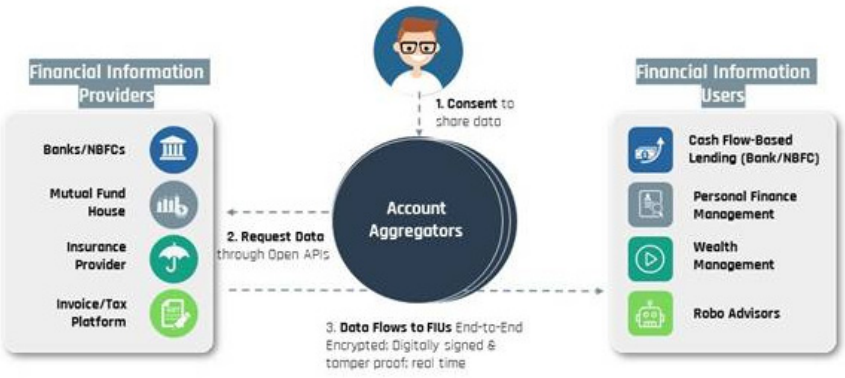

TReDS क्या है?

- TReDS कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण / छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है।
- ये प्राप्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) सहित कॉरपोरेट्स और अन्य खरीदारों से हो सकते हैं।
- TReDS PSS अधिनियम के तहत अधिकृत एक भुगतान प्रणाली है।
- यह MSME के चालान/बिलों को अपलोड करने, स्वीकार करने, छूट देने, व्यापार करने और निपटान करने और प्राप्य और देय दोनों फैक्टरिंग (रिवर्स फैक्टरिंग) की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मंच है।
- एमएसएमई विक्रेता, कॉर्पोरेट और अन्य खरीदार, जिनमें सरकारी विभाग और पीएसयू शामिल हैं, और फाइनेंसर (बैंक NBFC-फैक्टर और अनुमति के अनुसार अन्य वित्तीय संस्थान) टीआरईडीएस में प्रत्यक्ष भागीदार हैं और इस प्रणाली के तहत संसाधित सभी लेनदेन MSME के लिए "बिना सहारा के" हैं।
- प्रारंभ में, तीन संस्थाओं को TReDS संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था।
- बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, 'ऑन-टैप' प्राधिकरण अक्टूबर 2019 में पेश किया गया था।
- नए खिलाड़ियों को प्रस्ताव की खूबियों और अतिरिक्त संस्थाओं की क्षमता के आकलन पर विचार करते हुए अधिकृत किया जाएगा।

TReDS में भागीदार कौन हैं?

- विक्रेता, खरीदार और फाइनेंसर TReDS प्लेटफॉर्म पर भागीदार हैं।

TReDS में विक्रेता के रूप में कौन भाग ले सकता है?

- केवल MSME ही TREDS में विक्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं।

TReDS में खरीदार के रूप में कौन भाग ले सकता है?

- कॉर्पोरेट, सरकारी विभाग, पीएसयू और कोई भी अन्य संस्था TReDS में खरीदार के रूप में भाग ले सकती है।

TReDS में फाइनेंसर के रूप में कौन भाग ले सकता है?

- बैंक, NBFC - फैक्टर और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान, TREDS में फाइनेंसरों के रूप में भाग ले सकते हैं।

TReDS कैसे काम करता है?

- एक फैक्टरिंग यूनिट (FU) मानक नामकरण का निर्माण, जिसका उपयोग TReDS में चालान (बीजकों) या विनिमय के बिल के लिए किया जाता है, जिसमें चालान/विनिमय के बिल (एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा खरीदारों को माल/सेवाओं की बिक्री का साक्ष्य) का विवरण शामिल होता है। MSME विक्रेता (फैक्टरिंग के मामले में) या खरीदार (रिवर्स फैक्टरिंग के मामले में) द्वारा TReDS प्लेटफॉर्म;
- प्रतिपक्ष खरीदार या विक्रेता द्वारा एफयू की स्वीकृति, जैसा भी मामला हो;
- फाइनेंसरों द्वारा बोली लगाना;
- विक्रेता या खरीदार द्वारा सर्वोत्तम बोली का चयन, जैसा भी मामला हो;
- फाइनेंसर द्वारा (चयनित बोली का) एमएसएमई विक्रेता को वित्तपोषण/छूट की सहमत दर पर किया गया भुगतान;
- खरीदार द्वारा फाइनेंसर को नियत तिथि पर भुगतान।

PPI

खबरों में क्यों?

प्रीपेड भुगतान लिखतों (PPI) के लिए जमा बीमा कवर

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) धारकों को जल्द ही किसी भी धोखाधड़ी या अनधिकृत भुगतान लेनदेन के खिलाफ उनके पैसे की सुरक्षा मिल सकती है।
- आरबीआई विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए गठित एक समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय बैंक को PPI के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) कवर के विस्तार की जांच करनी चाहिए, जो वर्तमान में केवल बैंक जमा के लिए उपलब्ध है।
- यदि समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है, तो यह PPI धारकों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

PPI क्या हैं?

- PPI ऐसे उपकरण हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन और उनमें संग्रहीत धन के बदले प्रेषण सुविधाओं को सक्षम करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- PPI को कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है।
- PPI दो प्रकार के होते हैं छोटे PPI और पूर्ण-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) PPI। इसके अलावा, छोटे PPI को 10,000 रुपये तक के पीपीआई (कैश लोडिंग सुविधा के साथ) और 10,000 रुपये तक के PPI (बिना कैश लोडिंग सुविधा के) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- PPI को नकद, बैंक खाते से डेबिट, या क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा लोड/रीलोड किया जा सकता है।
- PPI की कुल सीमा के अधीन PPI की नकद लोडिंग 50,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है।

PPI उपकरण कौन जारी कर सकता है?

- PPI आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
- अब तक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जियो पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक सहित 58 से अधिक बैंकों को प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने और संचालित करने की अनुमति दी गई है।
- 33 गैर-बैंक PPI जारीकर्ता हैं।
- गैर-बैंक PPI जारीकर्ताओं में से कुछ अमेज़ॉन पे (इंडिया), बजाज फाइनेंस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, रेजरपे टेक्नोलॉजीज और सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट हैं।

RBI समिति ने क्या सिफारिश की है?

- समिति ने कहा कि आरबीआई ने हाल ही में देश में कई बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं को PPI जारी करने के लिए अधिकृत किया है। बटुए में रखा पैसा जमा की प्रकृति का होता है। हालाँकि, वर्तमान में, DICGC कवर केवल बैंक जमा तक ही विस्तारित है।
- PPI जारीकर्ताओं के पास जमा होने के कारण, जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा भी विनियमित किया जाता है, PPI खंड में जमा बीमा का विस्तार करने की जांच की जानी चाहिए, आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने सिफारिश की।
- रिज़र्व बैंक इस बात की जांच कर सकता है कि प्राप्त अनुभव के आधार पर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) कवर को बैंक PPI और बाद में गैर-बैंक PPI तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं।

DICGC क्या है?

- DICGC RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जमा बीमा प्रदान करती है।
- जमा बीमा प्रणाली वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को बैंक विफलता की स्थिति में उनकी जमा राशि की सुरक्षा का आश्वासन देकर।
- DICGC द्वारा विस्तारित जमा बीमा स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LABs), भुगतान बैंकों (PBs), लघु वित्त बैंकों (SFBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है, जिन्हें RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

DICGC क्या बीमा करता है?

- DICGC बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जैसे सभी जमाओं का बीमा करता है जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है।
- किसी बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को बैंक के परिसमापन या विफलता की तिथि पर उनके पास मौजूद मूलधन और ब्याज दोनों राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है।
- DICGC द्वारा प्रदान किया गया पहले का बीमा कवर एक लाख रुपये था। हालाँकि, बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर की सीमा 2020 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई थी।

सिस्टम में PPI की कुल संख्या कितनी है?

- RBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक PPI की कुल संख्या 16,185.26 लाख थी।
- इनमें से वॉलेट्स की संख्या करीब 1,3384.68 लाख और कार्ड्स की संख्या 2800.58 लाख थी। FY2023 में, PPI के माध्यम से लेनदेन की कुल मात्रा 74,667.44 लाख थी।

अन्तर्दृष्टि

खबरों में क्यों?

RBI गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड 'अंतरदृष्टि' लॉन्च किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में 'अंतरदृष्टि' नामक एक नए वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का अनावरण किया। डैशबोर्ड का उद्देश्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना और प्रासंगिक डेटा कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति को ट्रैक करना है। यह पहल कई हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की आरबीआई की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

स्थानीय स्तर पर वित्तीय बहिष्करण का आकलन करना

- 'अंतर्दृष्टि' डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताओं में से एक देश भर में स्थानीय स्तर पर वित्तीय बहिष्कार की सीमा का आकलन करने की क्षमता है। वित्तीय बहिष्करण के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों की पहचान करके, नीति निर्माता इन अंतरालों को दूर करने और अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

आंतरिक उपयोग और बहु-हितधारक दृष्टिकोण

- शुरुआत में RBI के भीतर आंतरिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया, 'अंतर्दृष्टि' डैशबोर्ड से वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाकर, डैशबोर्ड का लक्ष्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के सामूहिक प्रयास में सरकारी एजेंसियों, नियामकों और वित्तीय संस्थानों जैसी विभिन्न संस्थाओं को शामिल करना है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक

- 2021 में, RBI ने वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक विकसित किया। एफआई-इंडेक्स बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाओं और पेंशन सहित विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी को एकीकृत करता है। यह वित्तीय समावेशन का समग्र मूल्यांकन प्रदान करता है, जिसमें 0 से 100 तक का एकल मान निर्दिष्ट किया जाता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।

FI-सूचकांक के पैरामीटर और आयाम

- FI-इंडेक्स में अलग-अलग वेटेज के साथ तीन व्यापक पैरामीटर शामिल हैं: पहुंच (35%), उपयोग (45%), और गुणवत्ता (20%)। प्रत्येक पैरामीटर में विभिन्न आयाम शामिल होते हैं जिनकी गणना संकेतकों की एक श्रृंखला का उपयोग करके की जाती है। इन आयामों का मूल्यांकन करके, नीति निर्माता वित्तीय समावेशन प्रयासों की प्रभावशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन नीतियों को बढ़ाना

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 'अंतर्दृष्टि' डैशबोर्ड का लॉन्च भारतीय रिज़र्व बैंक का एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह वित्तीय समावेशन का समर्थन करने वाली नीतिगत पहलों को लागू करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। डैशबोर्ड द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर, नीति निर्माता वित्तीय समावेशन उपायों को बढ़ाने और वंचित और मुख्यधारा की वित्तीय प्रणालियों के बीच अंतर को पाटने के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं।

एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर

खबरों में क्यों?

- भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा के रूप (SAAA) उद्योग कड़े व्यापक आर्थिक दबाव और कड़ी फंडिंग सर्दियों के कारण मौजूदा मंदी के बावजूद 2026 के अंत तक 2.5 गुना बढ़कर 26 अरब डॉलर के राजस्व तक पहुंचने की ओर अग्रसर है।
- हालांकि मंदी की चिंताएं बड़ी हैं, भारतीय SaaS उद्योग ने अशांत समय का सामना करने के लिए उल्लेखनीय एंटीफ्रैगिलिटी प्रदर्शित की है।
- सर्वेक्षण में शामिल संस्थापकों में से 93 प्रतिशत ने अगले 12 महीनों में राजस्व में वृद्धि की आशा जताई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय SaaS कंपनियां परिचालन और पूंजीगत दक्षता सुनिश्चित करते हुए विकास (राजस्व सृजन) को दोगुना कर रही हैं।
- भारतीय SaaS इक्विटी फंडिंग 2022 में 2,780 सौदों के साथ 30 प्रतिशत बढ़कर $419 मिलियन हो गई, जबकि 2021 में 2,605 सौदों के साथ कुल $319 मिलियन की फंडिंग हुई।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में सर्दियों में व्यापक रूप से स्वीकृत फंडिंग के बावजूद, सीड-स्टेज फंडिंग में 1.5 गुना वृद्धि देखी गई, जबकि शुरुआती चरण की फंडिंग में 2022 के दौरान मूल्य में उल्लेखनीय 1.6 गुना वृद्धि देखी गई।
- वास्तव में, भारतीय SaaS स्टार्ट-अप ने 2019 की तुलना में 2022 में 3 गुना अधिक फंडिंग हासिल की, जो 47 प्रतिशत की स्थिर सीए-जीआर का प्रदर्शन करता है।

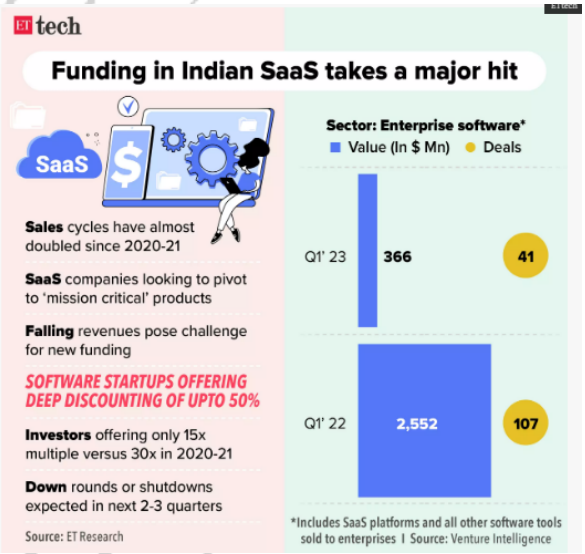

सास के लिए चुनौतियाँ

- रिपोर्ट में कहा गया है कि विलंबित बिक्री चक्र संस्थापकों के लिए एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि ग्राहक सावधानी से खर्च करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य क्लाउड लागत को अनुकूलित करना है।
- मंदी जैसी स्थिति के कारण 2023 में ग्राहक मांग कम होने का जोखिम है जिससे सकल मार्जिन कम हो सकता है।
- भारतीय SaaS पारिस्थितिकी तंत्र ने मंदी और बाहरी व्यवधानों के सामने उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन का उदाहरण पेश किया है।
- यह 'हर्ड इम्युनिटी' इंगित करती है कि भारतीय SaaS कंपनियां न केवल चुनौतीपूर्ण समय में जीवित रहने के लिए सुसज्जित हैं, बल्कि अनुकूलन करने, विकसित होने और मजबूत होकर उभरने के लिए तैयार हैं।

2023 के लिए आउटलुक

- SaaS रिपोर्ट में कहा गया है कि संस्थापक और निवेशक दोनों अगले 12-18 महीनों में मूल्यांकन गुणकों के महामारी-पूर्व स्तर पर वापस आने को लेकर आशावादी हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशक अपने निवेश निर्णयों में अधिक विवेकपूर्ण हो रहे हैं और उन्होंने अपना ध्यान उन संस्थाओं में निवेश करने की ओर केंद्रित किया है जो विकास के अलावा दक्षता और लाभप्रदता प्रदर्शित करती हैं।
- निवेशकों को भी इस क्षेत्र में निरंतर रुचि के कारण अगले 12 महीनों में डील गतिविधि और निकास दोनों में उछाल की उम्मीद है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का लाभ प्रमुख अवसर क्षेत्रों - DevOps, साइबर सुरक्षा और वर्टिकल SaaS - तक भी फैला हुआ है, जो SaaS श्रेणियों में विकास और नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व करेगा।

कच्चा इस्पात

खबरों में क्यों?

भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में इस्पात क्षेत्र पर केंद्रित सरकार के 9 साल के "सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण" विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

- मंत्री ने देश की प्रगति और विकास सुनिश्चित करने में इस्पात क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन शुरू किया।
- भारत वर्तमान में कच्चे इस्पात के विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में है, जिसने 2018 में जापान को पीछे छोड़ दिया।
- पिछले 9 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने उल्लेख किया कि भारत 2022-23 में 6.02 मीट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील के निर्यात के साथ स्टील के शुद्ध निर्यातक के रूप में खड़ा है।
- देश 2014-15 में 9.32 मीट्रिक टन आयात और 5.59 मीट्रिक टन निर्यात के साथ स्टील का शुद्ध आयातक था।

इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति

- केंद्रीय मंत्री ने लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि विभिन्न शहरों में छह वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोले गए हैं, तीन और जल्द ही अपना परिचालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
- मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ELV) का उपयोग स्टील के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (NSP 2017)

- तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग विकसित करने पर ध्यान देने के साथ जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सरकार ने NSP 2017 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर प्रकाश डाला, जो इस्पात क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
- सरकार ने उल्लेख किया कि भारत ने 2030-31 तक 300 MTPA की कुल कच्चे इस्पात क्षमता और 255 MTPA की कुल कच्चे इस्पात की मांग/उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- 2030-31 तक, SAIL के कच्चे इस्पात उत्पादन की परिचालन क्षमता को मौजूदा 19.51 MTPA से बढ़ाकर अस्थायी रूप से लगभग 35.65 MTPA करने की भी परिकल्पना की गई है।
- सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (DMI और SP नीति) को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप अब तक लगभग 34,800 करोड़ रुपये का आयात प्रतिस्थापन हुआ है।

उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI)

- मंत्री ने विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए पीएलआई योजना के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक 27 कंपनियों से जुड़े 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यह 24.7 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता वृद्धि और 55000 की रोजगार सृजन क्षमता के साथ लगभग 30,000 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित करेगा।
- भारतीय गुणवत्ता वाले स्टील को दूसरों से अलग करने के लिए 'ब्रांड इंडिया' लेबलिंग एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।
- इस्पात मंत्रालय ने देश में उत्पादित इस्पात की मेड इन इंडिया ब्रांडिंग की पहल की है और प्रमुख इस्पात उत्पादक पहले ही इस दिशा में एक साथ आ चुके हैं।
- इस्पात मंत्रालय ने भी खुद को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर शामिल कर लिया है और 22 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान की है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ इस पर काम कर रहा है।

इस्पात क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन

- इस्पात क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्री ने उल्लेख किया कि मंत्रालय ने पहले से ही हरित इस्पात उत्पादन के प्रत्येक पहलू के लिए कार्य बिंदुओं की पहचान करने के लिए 13 कार्यबलों का गठन किया है और इस्पात उद्योग और अन्य मंत्रालयों/विभागों के हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), रेलवे, बिजली, आदि।

DLG

खबरों में क्यों?

RBI ने डिजिटल ऋण में डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी (DLG) पर दिशानिर्देश जारी किए

महत्वपूर्ण बिंदु

- रिज़र्व बैंक डिजिटल ऋण में डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी (DLG) पर दिशानिर्देश लेकर आया, जिसका उद्देश्य क्रेडिट वितरण प्रणाली के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है।

डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी क्या है?

- DLG एक विनियमित इकाई (RE) और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली इकाई के बीच एक संविदात्मक व्यवस्था है, जिसके तहत आरई आरई को निर्दिष्ट ऋण पोर्टफोलियो के एक निश्चित प्रतिशत तक डिफ़ॉल्ट के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देता है।
- RE का तात्पर्य बैंकों और एनबीएफसी जैसी संस्थाओं से है, जिन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।

पात्रता:

- दिशानिर्देशों के अनुसार, एक आरई केवल ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी)/अन्य आरई के साथ डीएलजी व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है जिसके साथ उसने आउटसोर्सिंग (एलएसपी) व्यवस्था में प्रवेश किया है।
- डीएलजी प्रदान करने वाली एलएसपी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

DLG के प्रपत्र:

- आरई के पास नकद जमा किया गया।
- आरई के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में रखी गई सावधि जमा।
- आरई के पक्ष में बैंक गारंटी

क्षमता

- डीएलजी कवर उस ऋण पोर्टफोलियो की राशि के 5% से अधिक नहीं होगा।

समय:

- अधिकतम 120 दिनों की अतिदेयता

बैकअप

- रिपोर्ट के अनुसार डीएलजी व्यवस्था को आरई और डीएलजी प्रदाता के बीच एक स्पष्ट कानूनी रूप से लागू अनुबंध द्वारा समर्थित होना चाहिए।

अन्य प्रावधान

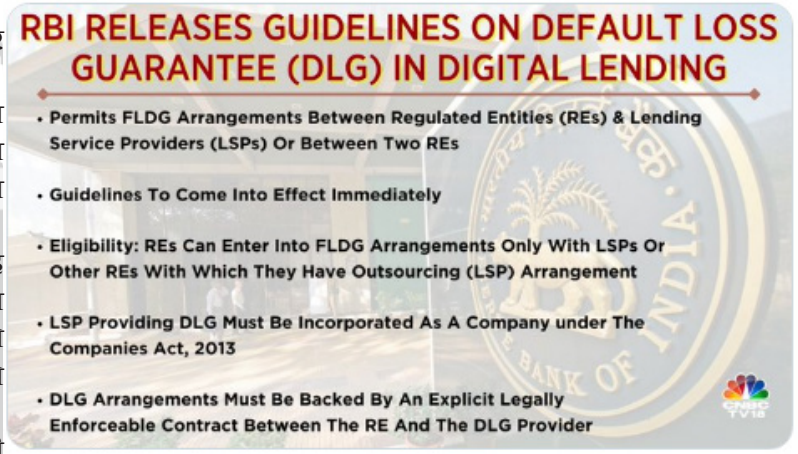

- पिछले साल रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण देने के लिए नियामक ढांचा जारी किया था।
- जिम्मेदार नवाचार और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन को और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से, डिजिटल ऋण में डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी व्यवस्था पर दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।
- दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि आरई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बकाया पोर्टफोलियो पर डीएलजी कवर की कुल राशि, जो कि अग्रिम रूप से निर्दिष्ट है, उस ऋण पोर्टफोलियो की राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अंतर्निहित गारंटी व्यवस्था के मामले में, डीएलजी प्रदाता अंतर्निहित ऋण पोर्टफोलियो के पांच प्रतिशत के बराबर राशि से अधिक का प्रदर्शन जोखिम वहन नहीं करेगा।
- पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में मान्यता देना और उसके परिणामस्वरूप प्रावधान करना RE की जिम्मेदारी होगी।
- इसके अलावा, RES को किसी भी डीएलजी व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी होगी।

केवल निष्पादन मंच (EOP)

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें मध्यस्थों की एक नई श्रेणी बनाई गई, जिसे केवल निष्पादन प्लेटफ़ॉर्म (EOPs) कहा जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो म्यूचुअल फंड की योजनाओं की प्रत्यक्ष योजनाओं में सदस्यता, मोचन और स्विच लेनदेन जैसे लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
- अब तक, म्यूचुअल फंड योजनाओं की प्रत्यक्ष योजनाओं में केवल निष्पादन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी/डिजिटल प्लेटफार्मों (गैर-ग्राहकों को निवेश सलाहकारों/स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफार्मों सहित) के लिए कोई विशिष्ट ढांचा उपलब्ध नहीं था।
- सेबी के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी इकाई को सेबी या एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) से पंजीकरण प्राप्त किए बिना ईओपी के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

EOP की श्रेणियां: पूंजी बाजार नियामक ने ईओपी को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।

- श्रेणी 1 EOP: इन्हें म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- इस श्रेणी के तहत, ईओपी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और म्यूचुअल फंड में लेनदेन की सुविधा के लिए एएमसी द्वारा अधिकृत एएमसी और/या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (RTA) के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करेंगे।
- ये संस्थाएं म्यूचुअल फंड की योजनाओं की प्रत्यक्ष योजनाओं में लेनदेन के एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर सकती हैं और निवेशकों या अन्य मध्यस्थों को सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।
- श्रेणी 2 EOP: इन्हें सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी और यह निवेशकों के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं और केवल स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफार्मों के माध्यम से काम कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड

- यह एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित धन का एक पूल है।
- यह एक ट्रस्ट है जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है जो एक सामान्य निवेश उद्देश्य साझा करते हैं और इसे इक्विटी, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और/या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU)

खबरों में क्यों?

पश्चिम में मांग में कमी के कारण व्यापारिक निर्यात में गिरावट के बीच, भारत दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) के साथ व्यापार समझौता करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत दक्षिणी अफ्रीका के पांच देशों के संघ के साथ एक व्यापार समझौते पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहा है जो फार्मास्युटिकल उत्पादों और ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ावा दे सकता है।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, संभावित भारत-एसएसीयू तरजीही व्यापार समझौते के संबंध में अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है।
- पहले दौर की चर्चा 2007 में हुई और 2010 में बातचीत रुक गई।
- हालाँकि, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष 2020 में वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापार विशेषज्ञों ने बताया है कि निर्यात का विविधीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के 40% निर्यात ऑर्डर सिर्फ सात देशों से आते हैं और इसलिए बाहरी झटके के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

- वर्तमान में, अमेरिका और यूरोप भारत के व्यापारिक निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाते हैं और पिछले दशक में आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा दिया है।
- भारतीय निर्यात में लगातार चौथे महीने गिरावट आई।
- मई 2023 में माल निर्यात 10.30% घटकर 34.98 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि मई 2022 में यह 39 बिलियन डॉलर था, मई 2023 में आयात 6.57% घटकर 57.1 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 61.12 बिलियन डॉलर था, जिससे व्यापार घाटा 22.12 बिलियन डॉलर हो गया।
- कुल मिलाकर निर्यात में गिरावट आ रही है क्योंकि वैश्विक मांग में मंदी ने अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से कम कर दिया है और वित्त वर्ष 2023 के दौरान पेट्रोलियम निर्यात बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम निर्यात को बढ़ा रहा था।
- क्रमिक आधार पर अप्रैल में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में पिछले महीने की तुलना में 23% की भारी गिरावट दर्ज की गई।
- विशेष रूप से, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में विकास में तेजी से गिरावट आई, जो नीति में सख्ती और तीव्र ऊर्जा संकट के प्रभाव को दर्शाता है।
- देश की बिजली उपयोगिता, एस्कॉम, पुरानी लाभहीनता और रखरखाव की कमी से जूझ रही है, बिजली की मांग में महामारी के बाद की वृद्धि को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) के बारे में

- यह दुनिया का सबसे पुराना सीमा शुल्क संघ है जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी।
- सदस्य देश: दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्वातिनी (पूर्व में स्वाज़ीलैंड)।
- मुख्यालय: विंडहोक (नामीबिया)
- इसे 1910 और 1969 के समझौतों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रशासित किया गया था।
- सीमा शुल्क संघ ने स्थानीय उत्पादन पर शुल्क और SACU के बाहर से सदस्यों के आयात पर सीमा शुल्क एकत्र किया और परिणामी राजस्व राजस्व-साझाकरण सूत्र का उपयोग करके त्रैमासिक किश्तों में सदस्य देशों को आवंटित किया गया था।
- 1969 के समझौते में सुधार के लिए बातचीत 1994 में शुरू हुई, और 2002 में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नई व्यवस्था को एसएसीयू के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अनुमोदित किया गया।
- संघ की आर्थिक संरचना सदस्य राज्यों को एक ही टैरिफ से जोड़ती है और उनके बीच कोई सीमा शुल्क नहीं है।
- सदस्य राज्य एक एकल सीमा शुल्क क्षेत्र बनाते हैं जिसमें इन देशों में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए सदस्य राज्यों के बीच सभी व्यापार पर टैरिफ और अन्य बाधाएं काफी हद तक समाप्त हो जाती हैं, और एक सामान्य बाहरी टैरिफ होता है जो एसएसीयू के गैर--सदस्यों पर लागू होता है।

उदारीकृत प्रेषण योजना

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) पर बीस प्रतिशत कर जल्द ही लागू होने वाला है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बैंकों को भारत के बाहर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय छूट पर TCS का आकलन करने और एकत्र करने में कठिनाई हो रही थी।

- दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार द्वारा लगाए गए कर को वसूलने की जिम्मेदारी बैंकों पर छोड़ दी है।
- LRS भारतीय निवासियों को चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष $250,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति देता है। इस सीमा से अधिक के किसी भी प्रेषण के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- यह योजना आरबीआई द्वारा 4 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी।
- केवल व्यक्तिगत भारतीय निवासियों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, को एलआरएस के तहत धन भेजने की अनुमति है।
- कॉरपोरेट्स, साझेदारी फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट आदि को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- केंद्रीय बजट 2023 ने एलआरएस (शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्य के अलावा) के तहत बाहरी विदेशी प्रेषण के लिए पूरे मूल्य पर 20% का स्रोत पर कर संग्रह (TCS) पेश किया।
- किए गए लाभ पर कर देयता: यदि LRS के तहत किए गए विदेशी निवेश पर कोई लाभ कमाया जाता है, तो यह निवेश कितने समय तक रखा गया था, उसके आधार पर भारत में कर योग्य है।

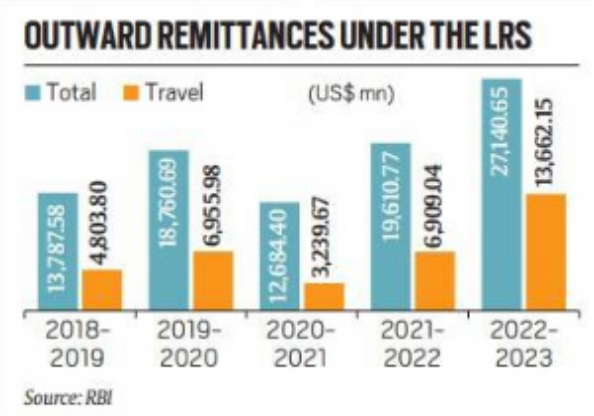

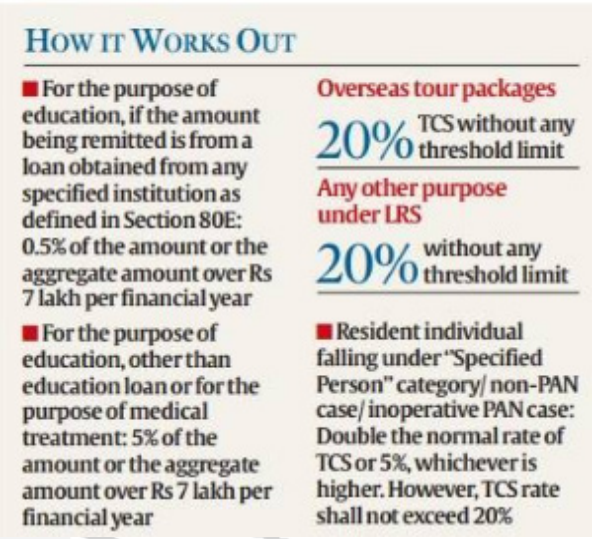

प्रेषण की आवृत्ति:

- LRS के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- एक बार जब वित्तीय वर्ष के दौरान 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि का प्रेषण किया जाता है, तो एक निवासी व्यक्ति इस योजना के तहत कोई और प्रेषण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अनुमत लेनदेन के प्रकार:

- विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाते खोलना;
- विदेश में अचल संपत्ति का अधिग्रहण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI), और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (OPI);
- कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित अनिवासी भारतीयों (NRI) को भारतीय रुपये में ऋण सहित ऋण प्रदान करना;
- विदेश में निजी दौरे (नेपाल और भूटान को छोड़कर);
- विदेश में रिश्तेदारों का भरण-पोषण;
- विदेश में चिकित्सा उपचार;
- विदेश में पढ़ाई करना।

YOUR SUCCESS IS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

5 विज्ञान और तकनीक

न्यूरालिंक चिप

खबरों में क्यों?

एलन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट कंपनी को मानव परीक्षण के लिए मिली मंजूरी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एलोन मस्क की मस्तिष्क-प्रत्यारोपण कंपनी न्यूरालिंक को मनुष्यों में अपने प्रायोगिक उपकरण का पहला नैदानिक परीक्षण करने के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ।
- लेकिन अरबपति कार्यकारी के प्रौद्योगिकी के धमाकेदार प्रचार, अन्य कंपनियों में उनके नेतृत्व रिकॉर्ड और न्यूरालिंक प्रयोगों से संबंधित पशु कल्याण संबंधी चिंताओं ने चिंता बढ़ा दी है।
- न्यूरालिंक मस्तिष्क इंटरफ़ेस उपकरणों पर काम करने वाली पहली या एकमात्र कंपनी से बहुत दूर है।
- दशकों से, दुनिया भर की शोध टीमें पक्षाघात और अवसाद जैसी स्थितियों के इलाज के लिए प्रत्यारोपण और उपकरणों के उपयोग की खोज कर रही हैं।
- पहले से ही, हजारों लोग सुनने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे न्यूरोप्रोस्थेटिक्स का उपयोग करते हैं। लेकिन मस्क न्यूरालिंक डिवाइस से जिस व्यापक क्षमता का वादा कर रहे हैं, उस पर विशेषज्ञों ने संदेह जताया है।
- न्यूरालिंक की स्थापना 2016 में चुपचाप की गई थी और 2019 में अपनी तकनीक का प्रदर्शन करने तक यह ज्यादातर रडार के नीचे रहा।
- यह एक ऐसा उपकरण बना रहा है जो सीधे मानव मस्तिष्क के साथ इंटरफेस कर सकता है - जिसे "लिंक" कहा जाता है, मस्क ने एक प्रकार की मस्तिष्क चिप को "आपकी खोपड़ी में फिटबिट" के रूप में वर्णित किया है - और एक रोबोट जो स्वचालित रूप से इसे एक प्रकार की न्यूरल सिलाई मशीन की तरह प्रत्यारोपित कर सकता है।

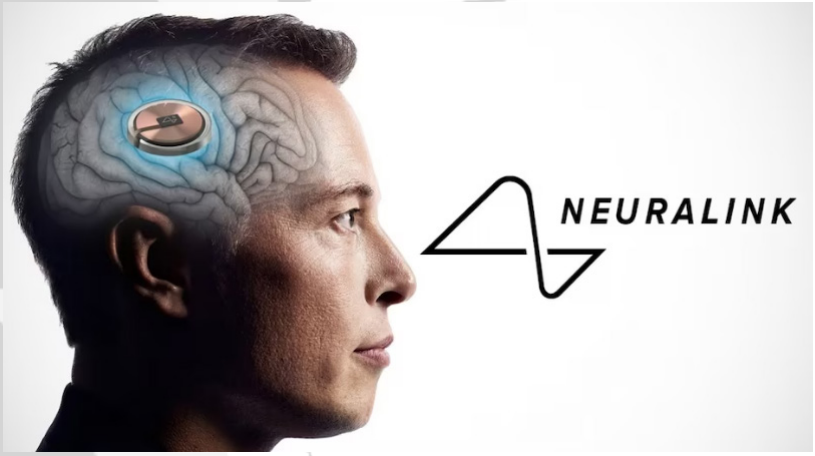

- इसका उपकरण न्यूरॉन्स के बीच संचार को 'सुनने' के लिए सीधे मस्तिष्क के ऊतकों में प्रत्यारोपित किए गए अल्ट्रा-लचीले, छोटे इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है।
- न्यूरालिंक ऐसा करने वाली एकमात्र कंपनी नहीं है या सबसे उन्नत भी नहीं है—पार्किंसंस रोग जैसी स्थितियों के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण पहले से ही व्यापक उपयोग में हैं और ब्लैकरॉक न्यूरोटेक और सिंक्रोन जैसी समान कंपनियां पहले ही दशकों पहले मानव परीक्षण शुरू कर चुकी हैं—
  - लेकिन इसे अधिक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया गया है क्योंकि यह अच्छी तरह से वित्त पोषित है और एक उपन्यास या तकनीकी रूप से आश्चर्यजनक उपकरण होने के बजाय मस्क से इसका संबंध है।
- मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के साथ सीधे इंटरफेस करने की अनुमति देकर, न्यूरोटेक कंपनियों को उम्मीद है कि वे लोगों को चोट या बीमारी जैसी चीजों के कारण खोई हुई क्षमताओं को वापस पाने में मदद कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए दृष्टि बहाल करने के लिए दृष्टि से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को उत्तेजित करने के लिए एक कैमरे का उपयोग किया जा सकता है या एक रोबोट अंग को मस्तिष्क के उस क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है जो गति को नियंत्रित करता है।
- डिवाइस ब्लूटूथ सिग्नल के माध्यम से मस्तिष्क को बाहरी कंप्यूटर से जोड़ता है, जिससे आगे और पीछे निरंतर संचार सक्षम होता है।
- यह कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण को सक्षम कर सकता है, प्राकृतिक मोटर कार्यों की नकल कर सकता है और पार्किंसंस, मिर्गी, रीढ़ की हड्डी की चोटों, ऑटिज्म, अवसाद आदि जैसी स्थितियों के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
- अब तक, न्यूरालिंक ने जानवरों पर अपने चिप्स का परीक्षण किया है। 2021 में जारी एक वीडियो में एक बंदर को अपने दिमाग से वीडियो गेम पोंग खेलने के लिए डिवाइस का उपयोग करते हुए दिखाया गया है और 2022 के एक अन्य वीडियो में एक बंदर को कंप्यूटर पर टेलीपैथिक रूप से टाइप करते हुए दिखाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की नई नीति

खबरों में क्यों?

संपूर्ण मानवता के लिए - बाह्य अंतरिक्ष शासन नीति का भविष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्षिप्त रूप से जारी किया गया

महत्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने हाल ही में "सभी मानवता के लिए - बाहरी अंतरिक्ष प्रशासन का भविष्य" शीर्षक से एक नीति संक्षिप्त जारी की है, जिसमें बाहरी अंतरिक्ष में शांति, सुरक्षा और हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक नई संधि के विकास की सिफारिश की गई है।
- सिफ़ारिशें सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में होने वाले आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से पहले आई हैं।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय समाधानों को सुविधाजनक बनाना और वैश्विक प्रशासन को मजबूत करना है।

नीति की मुख्य बातें:

- पिछले दशक में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से उपग्रह प्रक्षेपण में तेजी से वृद्धि हुई है।
- 2013 में 210 नए लॉन्च हुए, जो 2019 में बढ़कर 600 और 2020 में 1,200 और 2022 में 2,470 हो गए।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और जापान जैसे देश मानव मिशन, चंद्र अन्वेषण और संसाधन दोहन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में अग्रणी हैं।
- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) अपने आर्टेमिस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने की योजना बना रहा है।
- चंद्रमा पर खनिज (हीलियम 3 का समृद्ध भंडार है, जो पृथ्वी पर दुर्लभ है), क्षुद्रग्रह (प्लैटिनम, निकल और कोबाल्ट सहित मूल्यवान धातुओं के प्रचुर भंडार) और ग्रह देशों के लिए आकर्षक हो सकते हैं।
- अंतरिक्ष संसाधन अन्वेषण, दोहन और उपयोग पर एक सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का अभाव है।
- संक्षेप में पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्राधिकार, नियंत्रण, दायित्व और जिम्मेदारी के मुद्दों को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष संसाधन गतिविधियों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए तंत्र स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया गया है।
- अंतरिक्ष यातायात का वर्तमान समन्वय खंडित है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएं अलग-अलग मानकों और प्रथाओं को अपना रही हैं।
- समन्वय की कमी सीमित स्थान क्षमता वाले देशों के लिए चुनौतियां खड़ी करती है।
- अंतरिक्ष मलबे के प्रसार को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पहचाना गया है, जिसमें हजारों वस्तुएं परिचालन अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा करती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के लिए अधिकार क्षेत्र, नियंत्रण, दायित्व और जिम्मेदारी से संबंधित कानूनी विचारों का आह्वान करता है। अंतरिक्ष के कबाड़ को हटाने की तकनीक विकसित की जा रही है, लेकिन कानूनी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

सिफ़ारिशें:

- संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष में शांति, सुरक्षा और हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक नई संधि पर बातचीत और विकास की सिफारिश करता है।
- यह संधि उभरते खतरों से निपटने और जिम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंड, नियम और सिद्धांत स्थापित करेगी।
- सदस्य देशों से अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष वस्तु युद्धाभ्यास और अंतरिक्ष घटनाओं के समन्वय के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने का आग्रह किया जाता है। यह समन्वय अंतरिक्ष अभियानों की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र कानूनी और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए, अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए मानदंडों और सिद्धांतों के विकास का आह्वान करता है।
- विशेष रूप से चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर अंतरिक्ष संसाधनों की स्थायी खोज, दोहन और उपयोग के लिए एक प्रभावी ढांचे की सिफारिश की जाती है।

अदृश्य तारे

खबरों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने सितारों को चेतावनी दी है, 20 वर्षों के भीतर तारामंडल अदृश्य हो सकते हैं

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रकाश प्रदूषण के कारण मनुष्यों की रात के आकाश में ब्रह्मांड को देखने की क्षमता केवल 20 वर्षों में गायब हो सकती है।
- रात का आकाश हमारे पर्यावरण का हिस्सा है और यह एक बड़ी कमी होगी अगर अगली पीढ़ी इसे कभी नहीं देख पाएगी, जैसे कि अगर उन्होंने कभी पक्षी का घोंसला नहीं देखा होगा।
- पिछले कुछ वर्षों में, प्रकाश प्रदूषण का मुद्दा तेजी से बिगड़ गया है, खासकर 2016 के

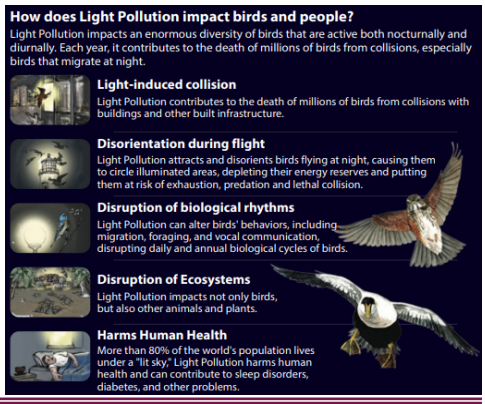

बाद से जब खगोलविदों ने बताया कि रीस के अनुसार, आकाशगंगा अब लगभग एक तिहाई आबादी को दिखाई नहीं देती है।

- वैज्ञानिकों ने कहा कि बढ़ता प्रकाश प्रदूषण अब प्रति वर्ष लगभग 10 प्रतिशत की दर से रात के आकाश को रोशन कर रहा है।

भावी पीढ़ियों के लिए कोई ब्रह्मांड नहीं

- एक बच्चा जो ऐसी जगह पैदा हुआ है जहां रात के आकाश में वर्तमान में 250 तारे दिखाई देते हैं, 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक केवल 100 तारे ही देख पाएंगे, ऐसा जर्मन सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने कहा है।
- कुछ पीढ़ियों पहले, लोगों को ब्रह्मांड की इस चमकदार दृष्टि का नियमित रूप से सामना करना पड़ता था - लेकिन जो पहले सार्वभौमिक था वह अब बेहद दुर्लभ है।
- अब केवल दुनिया के सबसे अमीर लोग और कुछ सबसे गरीब लोग ही इसका अनुभव करते हैं। बाकी सभी के लिए, यह कमोबेश ख़त्म हो चुका है।

प्रकाश प्रदूषण क्या है?

- कृत्रिम प्रकाश का अनुचित या अत्यधिक उपयोग - जिसे प्रकाश प्रदूषण के रूप में जाना जाता है - मनुष्यों, वन्यजीवों और हमारी जलवायु के लिए गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं।

प्रकाश प्रदूषण के घटकों में शामिल हैं:

- चकाचौंध (Glare)- अत्यधिक चमक जो दृश्य असुविधा का कारण बनती है
- आसमानी चमक(Skyglow) - रात के समय आबादी वाले इलाकों में आसमान का चमकना
- प्रकाश अतिचार(Light trespass) - प्रकाश का वहां गिरना जहां इसका इरादा या आवश्यकता नहीं है
- अव्यवस्था(Clutter) - प्रकाश स्रोतों का उज्ज्वल, भ्रमित करने वाला और अत्यधिक समूहन

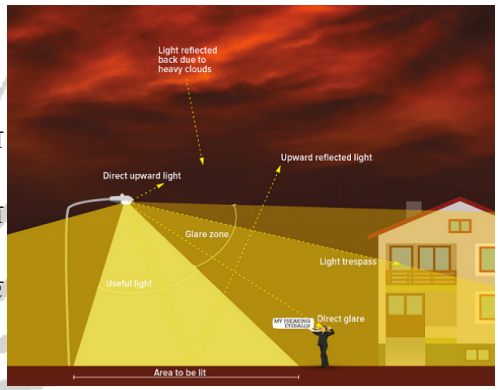

प्रकाश प्रदूषण कितना घातक है?

- 2016 के अभूतपूर्व "वर्ल्ड एटलस ऑफ आर्टिफिशियल नाइट स्काई ब्राइटनेस" के अनुसार, दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी आसमान की रोशनी में रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में 99 प्रतिशत जनता प्राकृतिक रात का अनुभव नहीं कर पाती है।

प्रकाश प्रदूषण के कारण

1. खराब योजना: साइनेज और स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना इंजीनियरों द्वारा बनाई जाती है, और यदि वे आसपास के वातावरण पर प्लेसमेंट के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वे चकाचौंध, हल्का अतिक्रमण और हल्की अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं।
2. गैर-जिम्मेदाराना उपयोग: किसी कमरे को रोशनी के साथ छोड़ना या स्ट्रीट लैंप पर टाइमर सेट करना और सीज़न के लिए टाइमर को समायोजित नहीं करना। ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए सक्रिय रूप से चयन न करना प्रकाश प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है।
3. अधिक जनसंख्या: यह वास्तव में क्षेत्रीकरण का मुद्दा है। बहुत सारे व्यवसाय या बहुत सारे आवास, एक ही क्षेत्र में समूहित होने से कई प्रकार के प्रकाश प्रदूषण हो सकते हैं।
4. प्रकाश का अत्यधिक उपयोग: प्रकाश प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण विद्युत प्रकाश का अत्यधिक उपयोग है। समय के साथ बिजली काफी सस्ती हो गई है; इसलिए, लोग अपनी बिजली की खपत के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। इससे बिजली की अधिक खपत होती है और रोशनी का भी अत्यधिक उपयोग होता है, खासकर रात के समय।
5. स्मॉग और बादल: स्मॉग और बादल शहरों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकते हैं और इस प्रकार आसपास के वातावरण को अधिक उज्ज्वल बनाते हैं, जिससे प्रकाश प्रदूषण होता है।

ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग (BEOS)

खबरों में क्यों?

BEOS एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल आवेगों का चयन करके किसी अपराध में संदिग्ध भागीदारी का पता लगाया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक उपकरण है जो जांच से उत्पन्न ज्ञान की उपस्थिति से जुड़े मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि में परिवर्तन को मापता है जब संदिग्ध दुश्मनों को जवाब या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह EEG (इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ मशीन) पर काम करता है।
- बीईओएस एक गैर-आक्रामक तकनीक है जिसमें उच्च स्तर की संवेदनशीलता और पूछताछ की एक न्यूरो-मनोवैज्ञानिक विधि है जिसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या ब्रेन फिंगर मैपिंग कहा जाता है।

- बीईओएस का उपयोग किसी अपराध में भाग लेने के अनुभव वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

- बीईओएस का विकास चंपादी रमन मुकुनंदन, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, पूर्व प्रोफेसर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, बैंगलोर भारत में नैदानिक मनोविज्ञान के प्रमुख द्वारा किया गया था।
- उनके पास मस्तिष्क और स्मृति के बीच संबंधों पर कुछ डेटा था और उन्होंने इसे मनोवैज्ञानिक चर के 11 सेट में अनुवादित किया। यदि ईईजी पर सभी 11 चर सकारात्मक आते हैं तो संदिग्ध को पढ़ा जा रहा बयान सच माना जाता है।

अवयव:

जानना और याद रखना दो तंत्रिका संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं।

(vi) जानना: यह परिचितता के साथ या उसके बिना पहचान की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

(vii) स्मरण: यह किसी व्यक्ति के जीवन के प्रसंगों और आत्मकथात्मक विवरणों को स्मरण करना है।

प्रक्रिया:

1. बीईओएस में संदिग्ध के साथ प्री-टेस्ट साक्षात्कार।
2. संदिग्ध बीईओएस परीक्षण प्रक्रिया से परिचित है।
3. सूचित सहमति प्राप्त की जाती है।
4. परीक्षण आयोजित करते समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, बल्कि विषय को केवल घटनाओं/परिदृश्य के साथ प्रदान किया जाता है और परिणामों का विश्लेषण यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि मस्तिष्क कोई अनुभवात्मक ज्ञान उत्पन्न करता है या नहीं और इसका खुलासा किया जाना चाहिए।

परिचालन तंत्र:

1. किसी व्यक्ति को एक चित्र/शब्द दिखाया जाता है।
2. यदि यह ज्ञात या परिचित है तो यह मस्तिष्क के न्यूरॉन को ट्रिगर करेगा।
3. न्यूरॉन्स के ट्रिगर होने से ब्रेनवेव उत्पन्न होगी (P 300)।
4. मस्तिष्क तरंगों के उत्पन्न होने से मस्तिष्क में विद्युत क्षमता एकत्रित हो जाती है।
5. एक मीड गियर में व्यक्ति की खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं।
6. स्कैल्प ईआरजी ईईजी मस्तिष्क तरंगों को मापता है।
7. मस्तिष्क तरंगों की माप से एनालॉग सिग्नल उत्पन्न होते हैं जिन्हें ईईजी एम्पलीफायर में प्रवर्धित किया जाता है।
8. प्रवर्धित किए गए एनालॉग सिग्नलों का कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि व्यक्ति दोषी है/दोषी नहीं है।

दोषी का पता लगाने के लिए मस्तिष्क तरंगों का उपयोग कैसे किया जाता है:

- यदि यह लाल है तो व्यक्ति दोषी है।
- यदि हरा है तो व्यक्ति दोषी नहीं है।
- यदि यह नीला है तो सूचना ऐसी है जिसे व्यक्ति जानता तो होगा लेकिन परिचित नहीं है।

बीईओएस में प्रयुक्त जांच:

- जांच का उपयोग तथ्यों को खोजने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है और यह उन प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है जिन्हें जांच की सामग्री से जोड़ा जा सकता है।

BEOS में दो प्रकार की जांच का उपयोग किया जाता है:

- श्रवण जांच
- दृश्य जांच

सफल बीईओएस परीक्षा के लिए आवश्यक शर्तें:

अनुमति:

- विषय को परीक्षा देने से इंकार करने का अधिकार है।
- यदि परीक्षण स्वेच्छा से लिया गया है तो लिखित सहमति होनी चाहिए।
- ऐसे मामलों में सहमति की आवश्यकता नहीं है जहां बीईओएस अदालत के आदेश पर किया जाता है।
- बीईओएस प्रणाली:
- वीडियो एकीकृत ईईजी
- उच्च गुणवत्ता वाला गैर-ध्रुवीकरण इलेक्ट्रोड
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

परीक्षक:

- उसके पास मनोविज्ञान में पीएच.डी. होनी चाहिए।

परीक्षार्थी:

- उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
- उसे कोई भी शारीरिक या मानसिक रोग नहीं होना चाहिए।
- वह नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में नहीं होना चाहिए।

बीईओएस परीक्षा कक्ष:

- कमरा विद्युतरोधी होना चाहिए।
- यह वातानुकूलित होना चाहिए।
- कमरे में एक तरफ का शीशा होना चाहिए।
- कमरे में सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग सिस्टम जरूर होना चाहिए.

गोपनीयता:

- जिस कमरे में बीईओएस आयोजित किया जाता है वहां केवल परीक्षक और परीक्षार्थी ही मौजूद रहना चाहिए।

बीईओएस के उद्देश्य:

- अपराधी की पहचान करना.
- निर्दोष व्यक्ति को दोषमुक्त करना।
- अपराध के वास्तविक अपराधी को अलग करना

बीईओएस के लाभ:

- यह गैर-आक्रामक तकनीक है।
- इससे समय की बचत होती है।
- विषय के साथ कोई बातचीत नहीं।
- विषय से किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

भारत में स्थिति:

- 5 मई, 2010 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बालासुब्रमण्यम ने "श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य" मामले में कहा कि आरोपी की सहमति के बाद नार्कोएनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों की अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा:

- हमारी सुविचारित राय है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी तकनीकों के लिए मजबूर या अनैच्छिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है, और ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप के समान है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर)

खबरों में क्यों?

यूरोपीय आयोग ने वन हेल्थ दृष्टिकोण में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए कार्रवाई का एक प्रस्ताव अपनाया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपीय संघ की परिषद (ईयू) ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सिफारिशों का एक सेट अपनाया।
- इसने चिकित्सा हस्तक्षेप के प्रति सूक्ष्मजीवों के प्रतिरोधी बनने के जोखिम को कम करने के लिए मानव और पशु स्वास्थ्य में एंटीबायोटिक्स जैसे रोगाणुरोधकों के विवेकपूर्ण उपयोग की सिफारिश की।
- ये सिफारिशें यूरोपीय आयोग द्वारा अप्रैल 2023 को यूरोपीय परिषद को प्रस्तुत एक प्रस्ताव का हिस्सा थीं।
- आयोग ने वन हेल्थ दृष्टिकोण में एएमआर से निपटने के लिए यूरोपीय संघ की कार्रवाइयों को बढ़ाने की सिफारिश के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- यह दृष्टिकोण इसलिए अपनाया गया क्योंकि मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण का स्वास्थ्य आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है।
- एएमआर को तीनों क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है।
- यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ के फार्मास्युटिकल कानून में सुधार लाने के उद्देश्य से उपायों के एक पैकेज का हिस्सा था।
- यह अनुमान लगाया गया है कि यूरोपीय संघ/यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हर साल 35,000 से अधिक लोग मर जाते हैं।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं की उन्हें रोकने या मारने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का विरोध करने की क्षमता है। प्रतिरोधी सूक्ष्मजीव जानवरों, पौधों और भोजन के बीच और पर्यावरण में प्रवेश कर सकते हैं।
- इस घटना के कई स्वास्थ्य और आर्थिक निहितार्थ हैं, 2019 में बैक्टीरियल एएमआर से अनुमानित 4.95 मिलियन मौतें हुईं।

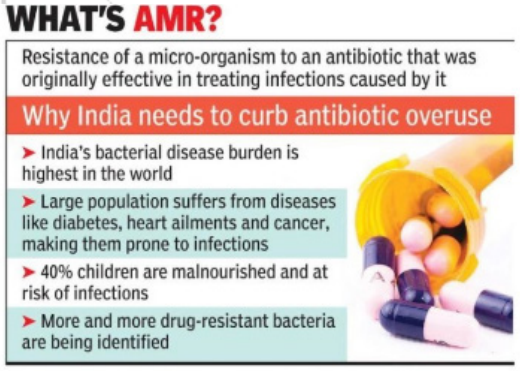

प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्रवाइयों की एक श्रृंखला शामिल थी:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को मजबूत करना
- एएमआर और रोगाणुरोधी खपत (एएमसी) की निगरानी और निगरानी को सुदृढ़ करना
- संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के साथ-साथ रोगाणुरोधी प्रबंधन और रोगाणुरोधी के विवेकपूर्ण उपयोग को मजबूत करना

- मानव स्वास्थ्य में एएमसी और एएमआर के लिए लक्ष्य सुझाएं
- जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, नवाचार के लिए प्रोत्साहन और रोगाणुरोधी और अन्य एएमआर चिकित्सा प्रति उपायों तक पहुंच
- सहयोग बढ़ाएँ
- वैश्विक गतिविधियों को बढ़ाना

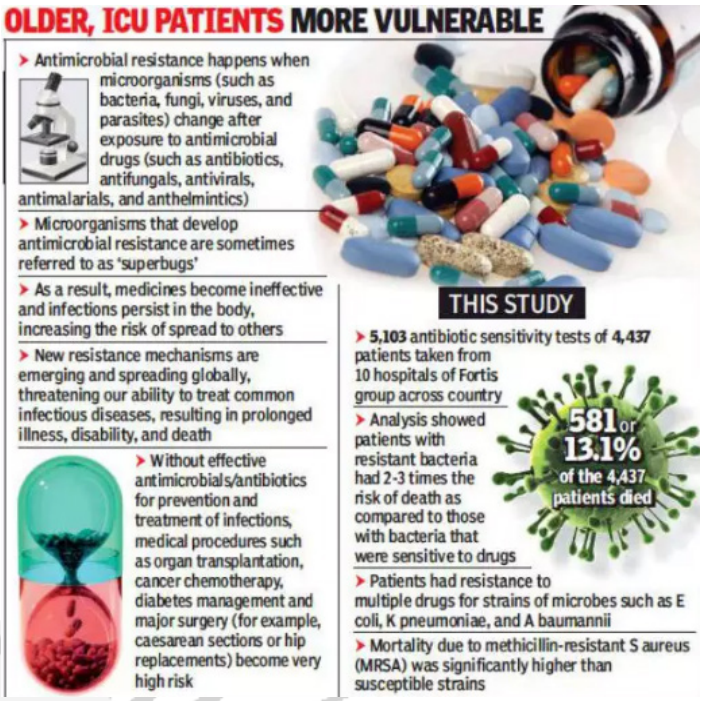

- यूरोपीय रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र के साथ विकसित यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए कई लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किए गए थे।
- लक्ष्यों में मौजूदा निगरानी और निगरानी अंतराल को बंद करने और वास्तविक समय की जानकारी सहित डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।
- इसमें समुदाय, अस्पतालों और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं जैसे सभी स्तरों पर एएमआर और एएमसी दोनों पर डेटा तक समय पर पहुंच भी शामिल है।
- 2019 के आधारभूत वर्ष की तुलना में संघ में मनुष्यों में एंटीबायोटिक दवाओं की कुल खपत को 20 प्रतिशत तक कम करना भी एक अन्य लक्ष्य है।
- यह सामुदायिक और अस्पताल क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से लागू होगा, जिसमें दीर्घकालिक देखभाल सुविधाएं और घरेलू देखभाल सेटिंग्स शामिल हैं।
- सदस्य देशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मनुष्यों में एंटीबायोटिक दवाओं की कुल खपत का कम से कम 65 प्रतिशत विश्व स्वास्थ्य संगठन के AWaRe वर्गीकरण में परिभाषित एंटीबायोटिक दवाओं के पहुंच समूह से संबंधित है।
- 2030 तक, मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस द्वारा प्रति 100,000 जनसंख्या पर रक्तप्रवाह संक्रमण की कुल घटनाओं को 2019 की तुलना में 15 प्रतिशत कम करने की आवश्यकता है।
- 2030 तक तीसरी पीढ़ी के सेफलोस्पोरिन-प्रतिरोधी एस्चेरिचिया कोलाई द्वारा संक्रमण में 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए और कार्बापेनम-प्रतिरोधी क्लेबसिएला निमोनिया में 5 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए।
- संघ द्वारा 2050 के लिए शून्य प्रदूषण दृष्टिकोण वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण को उस स्तर तक कम करना है जिसे अब स्वास्थ्य और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है।
- संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के अंतर्गत, एएमआर सिफारिशें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों को पूरी तरह से विकसित करने और लागू करने और टीका-रोकथाम योग्य बीमारियों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए उपाय करने की तर्ज पर हैं।
- एएमआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने की सिफारिशें राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर एएमआर के बारे में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी के साथ मानव स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और कृषि विज्ञान क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों को प्रदान करके ज्ञान और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

मोबाइल सैटेलाइट सेवा (एमएसएस) टर्मिनल

खबरों में क्यों?

इसरो 13 तटीय राज्यों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर उपग्रह टर्मिनल स्थापित करेगा

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, समुद्री जहाजों के साथ संचार में सुधार करने और भारतीय जल की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए 13 तटीय राज्यों में कम से कम 1 लाख मोटर चालित और मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर मोबाइल उपग्रह सेवा (एमएसएस) टर्मिनल स्थापित कर रही है।

- न्यूस्पेस इंडिया ने निगरानी, नियंत्रण और निगरानी के लिए समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों में पोत संचार और सहायता प्रणाली स्थापित करने के लिए एमएसएस टर्मिनल प्रदान करने, स्थापित करने और कमीशन करने के लिए निजी विक्रेताओं को चुनना शुरू कर दिया है।
- परियोजना के कार्य के समग्र दायरे में आपातकालीन संचार का समर्थन करने और समुद्री संपत्तियों एक्सपॉन्डर्स की ट्रैकिंग के लिए एक समर्पित एमएसएस सैटकॉम नेटवर्क की स्थापना शामिल है।
- इसमें एक समर्पित 9m/11m सी-बैंड ग्राउंड स्टेशन और हब बेसबैंड सिस्टम की स्थापना, सैटेलाइट बैंडविड्थ

की व्यवस्था करना और आवश्यक सेवा अनुमोदन का मार्गदर्शन करना, और नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में फील्ड तैनाती के लिए सैटेलाइट टर्मिनलों का निर्माण शामिल है।

- यह प्रणाली NavIC (भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन) पर चलेगी, जिसे इसरो द्वारा जारी किया गया था और इसका स्वामित्व और संचालन भारत के पास है।
- नेटवर्क में राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने और भारतीय जल क्षेत्र में मछुआरों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में तैनाती के लिए विशेष ग्राउंड स्टेशन और उपग्रह टर्मिनल शामिल होंगे।
- ये एक्सपॉन्डर्स आंध्र प्रदेश, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, दमन और दीव, पुडुचेरी, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल के तटीय राज्यों में स्थापित किए जाएंगे।
- अधिकारियों के अनुसार, एक बार नेटवर्क स्थापित हो जाने के बाद, अधिकारी मछुआरों के साथ दो-तरफा संचार प्रणाली स्थापित करने, समय-समय पर स्थिति तक पहुंचने, आपातकालीन मौसम अलर्ट भेजने, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार होने पर लोगों को सचेत करने और सटीक नेविगेशन अलर्ट भेजने में सक्षम होंगे।
- सभी एक्सपॉन्डर्स में संचार के लिए इन-बिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ ट्रांसीवर होंगे। ऐप और ट्रांसपोंडर के बीच संचार की अनुमति देने के लिए एक बहुभाषी ऐप भी विकसित किया जा रहा है।
- लाभ: समुद्र में जहाजों के साथ बेहतर संचार स्थापित करना; मछुआरों को बेहतर सुरक्षा; भारतीय जलक्षेत्र की अधिक कुशलता से निगरानी करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करें।

सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT)

खबरों में क्यों?

पुणे की IUCAA टीम ने सूर्य की पराबैंगनी इमेजिंग कैप्चर करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीन विकसित की है

महत्वपूर्ण बिंदु

- सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT), पुणे के इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) द्वारा विकसित एक अद्वितीय अंतरिक्ष टेलीस्कोप, अब तैयार है और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को सौंप दिया गया है।
- टेलीस्कोप को ADITYA-L1 मिशन के साथ एकीकृत करने की तैयारी है, जिसके इस साल अगस्त के मध्य में लॉन्च होने की उम्मीद है।

आदित्य-एल1 मिशन

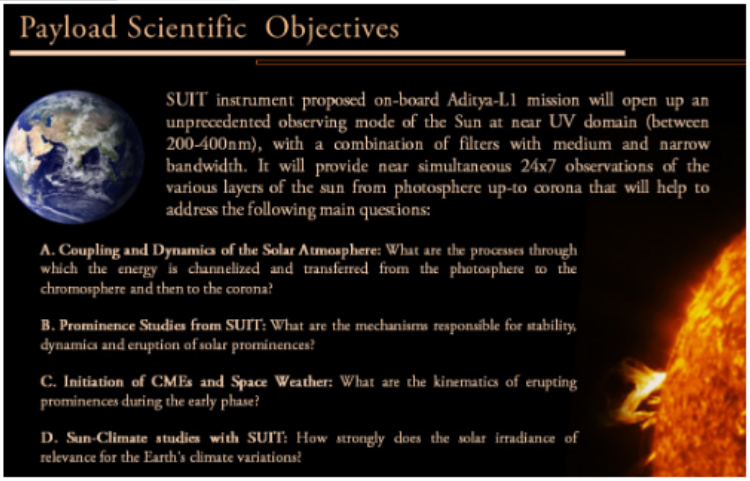

- ADITYA-L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित इसरो की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी।
- यह पृथ्वी से L1, या लैग्रेंज बिंदु 1 तक लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की उड़ान भरेगा, जो सूर्य के अवलोकन के लिए पांच अनुकूल स्थानों में से एक है।
- मिशन का लक्ष्य सूर्य की सतह की घटनाओं और अंतरिक्ष के मौसम पर नियमित छवियां और अपडेट प्रदान करना है।
- आदित्य-एल1 मिशन सात अलग-अलग पेलोड ले जाएगा जो सूर्य पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और सौर हवा में विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करने में सक्षम हैं। आदित्य--एल1 हार्ड एक्स-रे से इन्फ्रारेड तक सौर विकिरण के निर्बाध माप के साथ-साथ एल1 बिंदु पर सौर हवा और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में कणों के इन-सीटू माप को सक्षम करेगा।
- आदित्य-एल1 मिशन के लॉन्च के बाद, एल1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा तक पहुंचने में लगभग 100 दिन लगेंगे, जहां सभी सात अद्वितीय पेलोड वैज्ञानिक अवलोकन करेंगे।
- हार्डवेयर के लिए इसरो से 25 करोड़ रुपये के शुरुआती अनुदान के अलावा, वैज्ञानिकों को पेलोड के विकास के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक अल्ट्रा-क्लीन रूम का निर्माण और विकिरण को पकड़ने के लिए विशेष फिल्टर डिजाइन करना शामिल था।

SUIT का कॉन्फ़िगरेशन

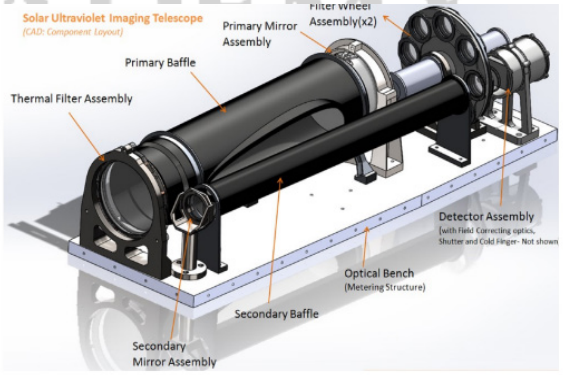

- SUIT में 11 संकीर्ण और चौड़े बैंडपास फिल्टर के संयोजन के साथ एक ऑफ-एक्सिस रिची-चेरेतिन कॉन्फ़िगरेशन है जिसका उपयोग पराबैंगनी (यूवी) तरंग दैर्ध्य रेंज 200-400 एनएम में पूर्ण-डिस्क सौर इमेजिंग के लिए किया जाएगा।
- SUIT टेलीस्कोप सूर्य की ठंडी सतह के ऊपर उच्च तापमान वाले वातावरण के अस्तित्व और निकट-पराबैंगनी विकिरण और उच्च-ऊर्जा सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति और भिन्नता जैसे मूलभूत प्रश्नों का समाधान करेगा।
- SUIT के माध्यम से, हार्ड एक्स-रे से इन्फ्रारेड तक सौर विकिरण का निर्बाध माप होगा, साथ ही L1 बिंदु पर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र सहित सौर हवा में कणों का इन-सीटू माप भी होगा।

- SUIT परियोजना में पिछले दस वर्षों में 200-300 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे।
- SUIT, पहली बार, हमें पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन और ऑक्सीजन सामग्री को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण इस तरंग दैर्ध्य में छवियों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देगा।
- सूट त्वचा कैंसर के लिए खतरनाक यूवी विकिरण को भी मापेगा।

कृत्रिम मानव भ्रूण

खबरों में क्यों?

वैज्ञानिक स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके कृत्रिम भ्रूण विकसित करते हैं

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके सिंथेटिक मानव भ्रूण बनाया है, जो एक अभूतपूर्व प्रगति है जो अंडे या शुक्राणु की आवश्यकता को दरकिनार कर देता है।
- ये मॉडल भ्रूण, जो मानव विकास के शुरुआती चरणों से मिलते जुलते हैं, आनुवंशिक विकारों के प्रभाव और बार-बार होने वाले गर्भपात के जैविक कारणों पर एक महत्वपूर्ण खिड़की प्रदान कर सकते हैं।
- हालाँकि, यह कार्य गंभीर नैतिक और कानूनी मुद्दों को भी उठाता है क्योंकि प्रयोगशाला में विकसित संस्थाएँ यूके और अधिकांश अन्य देशों में मौजूदा कानून के दायरे से बाहर हैं।
- संरचनाओं में धड़कता हुआ दिल या मस्तिष्क की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन इसमें ऐसी कोशिकाएं शामिल होती हैं जो आम तौर पर नाल, जर्दी थैली और भ्रूण का निर्माण करती हैं।
- सिंथेटिक भ्रूणों का चिकित्सकीय उपयोग किए जाने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है।
- इन्हें मरीज के गर्भ में प्रत्यारोपित करना गैरकानूनी होगा, और यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या इन संरचनाओं में विकास के शुरुआती चरणों के बाद भी परिपक्व होने की क्षमता है।
- इस कार्य की प्रेरणा वैज्ञानिकों के लिए विकास की "ब्लैक बॉक्स" अवधि को समझना है, जिसे तथाकथित कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों को केवल 14 दिनों की कानूनी सीमा तक प्रयोगशाला में भ्रूण विकसित करने की अनुमति है।
- इसके बाद वे गर्भावस्था के स्कैन और अनुसंधान के लिए दान किए गए भ्रूणों को देखकर विकास की दिशा को आगे बढ़ाते हैं।

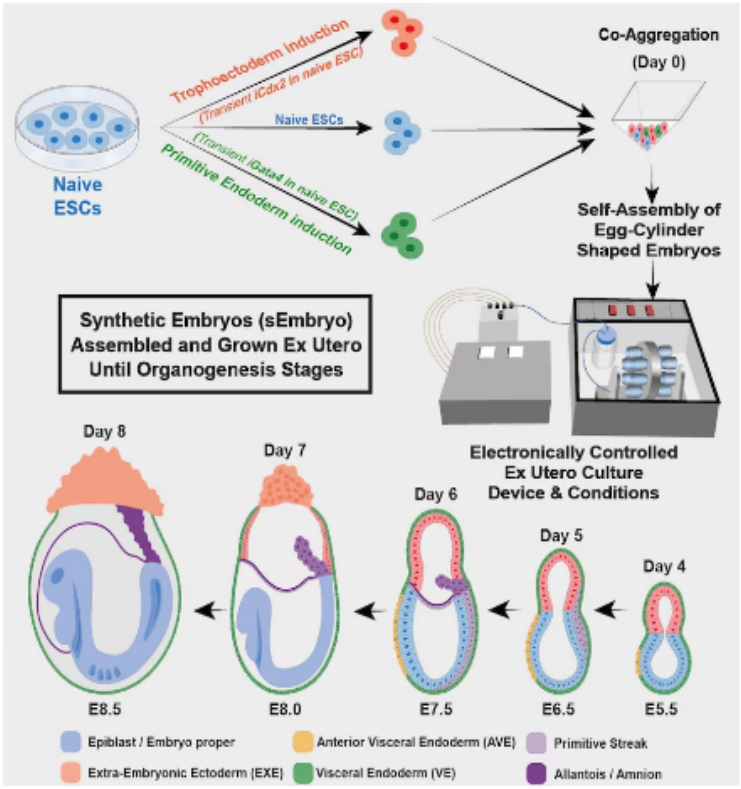

महत्त्व:

- आनुवंशिक विकारों के प्रभाव और बार-बार होने वाले गर्भपात के पीछे के जैविक कारणों को समझने में मदद मिलेगी।
- कथित तौर पर मानव भ्रूण के निर्माण के लिए अंडे या शुक्राणु की आवश्यकता को टाल दिया गया है।

स्टेम सेल के बारे में:

- शरीर में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की अद्वितीय क्षमता वाली एक कोशिका।
- शरीर के बढ़ने पर उसे नई कोशिकाएँ प्रदान करें, और क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी विशेष कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करें।

दो अद्वितीय गुण:

- नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार-बार विभाजित हो सकता है।
- जैसे ही वे विभाजित होते हैं, वे शरीर को बनाने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं।

फोनोन्स

खबरों में क्यों?

भौतिकविदों ने क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके फोनन को विभाजित किया है

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने अपने क्वांटम गुणों और क्वांटम अवस्थाओं में हेरफेर और नियंत्रण करने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए फोनन को सफलतापूर्वक विभाजित किया है।
- फोनन क्वासिपार्टिकल्स हैं जो ठोस पदार्थ में परमाणुओं या अणुओं के सामूहिक कंपन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- इस उपलब्धि से भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर या बेहद संवेदनशील माप उपकरणों के ध्वनि-आधारित संस्करणों का विकास हो सकता है।
- हाल ही में, आईबीएम ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उसने यह प्रदर्शित करने का दावा किया कि एक क्वांटम कंप्यूटर एक उपयोगी समस्या को हल कर सकता है जिसे आज के पारंपरिक कंप्यूटर हल नहीं कर सकते हैं, यह चिंता का परिणाम है कि जब उनकी गणनाएं जटिल हो जाती हैं तो वे बहुत अविश्वसनीय हो सकती हैं।

क्यूबिट्स क्या है?

- क्वांटम कंप्यूटर अपनी जानकारी की बुनियादी इकाइयों के रूप में क्वैब का उपयोग करते हैं।
- एक क्वबिट एक कण हो सकता है - एक इलेक्ट्रॉन की तरह; कणों का संग्रह; या एक कण की तरह व्यवहार करने के लिए इंजीनियर किया गया क्वांटम सिस्टम।
- कण अजीब चीजें कर सकते हैं जो बड़ी वस्तुएं, जैसे कि शास्त्रीय कंप्यूटर के अर्धचालक, नहीं कर सकते क्योंकि वे क्वांटम भौतिकी के नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार यह है कि जानकारी को कण की कुछ संपत्ति में 'एनकोड' किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन, और फिर इन विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है।
- परिणामस्वरूप, क्वांटम कंप्यूटरों से जटिल गणनाएँ करने की अपेक्षा की जाती है जो आज के सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटरों की पहुंच से बाहर हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग के अन्य रूप सूचना की अन्य इकाइयों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, रैखिक ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग (एलओक्यूसी) फोटॉन, प्रकाश के कणों, को क्वैबिट के रूप में उपयोग करता है।

फोनोन्स

- इस प्रकार भौतिकविदों को आश्चर्य हुआ कि क्या वे फ़ोनों को क्वैबिट के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
- फोटॉन प्रकाश ऊर्जा के पैकेट हैं; इसी तरह, फोनन कंपन ऊर्जा के पैकेट हैं।
- जबकि शोधकर्ता विद्युत धाराओं, चुंबकीय क्षेत्र आदि का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों और दर्पण, लेंस आदि के साथ फोटॉन में हेरफेर कर सकते हैं, उन्हें फोनन में हेरफेर करने के लिए नए उपकरणों की आवश्यकता थी।
- प्रकाशिकी अनुसंधान में बीम-स्प्लिटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक टॉर्च की रोशनी एक सीधी रेखा में चमक रही है। यह मूलतः फोटॉनों की एक धारा है।
- जब एक बीम-स्प्लिटर को प्रकाश के पथ में रखा जाता है, तो यह किरण को दो भागों में विभाजित कर देगा, अर्थात, यह 50% फोटॉन को एक तरफ प्रतिबिंबित करेगा और अन्य 50% को सीधे गुजरने देगा।
- जब एकल तरंग बीम-स्प्लिटर के साथ संपर्क करती है, तो यह दो संभावित परिणामों - परावर्तित और संचरित - के सुपरपोजिशन में प्रवेश करती है। जब ये अवस्थाएँ पुनः संयोजित होती हैं, तो एक हस्तक्षेप पैटर्न दिखाई देता है।

फोनन के प्रकार

- जब यूनिट सेल में एक से अधिक परमाणु होते हैं, तो क्रिस्टल में दो प्रकार के फोनन होंगे। इस प्रकार, दो प्रकार के फ़ोनन हैं जिनका हम संघनित पदार्थ भौतिकी में अध्ययन करते हैं:
- ध्वनिक फ़ोनन: ध्वनिक फ़ोनन में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयन एक साथ घूमते हैं।
- ऑप्टिकल फोनन: ऑप्टिकल फोनन में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयन एक दूसरे के खिलाफ स्विंग करते हैं। ऑप्टिकल फोनन प्रकाश से आसानी से उत्तेजित होते हैं।

फ़ोनों के गुण

- फोनोन को अक्सर अर्ध-कण के रूप में उपयोग किया जाता है, कुछ लोकप्रिय शोध से पता चला है कि फोनन और प्रोटॉन में वास्तव में कुछ प्रकार का द्रव्यमान हो सकता है और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकते हैं।
- कहा जाता है कि फ़ोनों में एक प्रकार का नकारात्मक द्रव्यमान और नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है।
- फोनन सघन सामग्री में तेजी से (अधिकतम वेग के साथ) यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं।
- यह अनुमान लगाया गया है कि जब यह घनत्व में अंतर का पता लगाता है, तो फोनन एक नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के गुणों को प्रदर्शित करते हुए दूर हट जाएगा।
- फ़ोनों के भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भविष्यवाणी की गई है।
- इनका उपयोग अर्ध-कणों के रूप में भी किया जा सकता है।
- वे गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकते हैं।
- उनमें नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक द्रव्यमान होता है।
- वे सघन सामग्री में (उच्च वेग के साथ) तेजी से यात्रा करते हैं।

हिग्स बोसॉन

खबरों में क्यों?

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोगों में दुर्लभ हिग्स बोसोन क्षय देखा गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN), जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) की मेजबानी करता है, ने घोषणा की कि संगठन के वैज्ञानिकों को उस दुर्लभ प्रक्रिया का पहला सबूत मिला है जिसके द्वारा हिग्स बोसोन एक Z बोसॉन और एक फोटॉन में विघटित हो जाता है।

- 2012 में हिग्स बोसोन की खोज, जिसे कुछ लोग "गॉड पार्टिकल" कहते हैं, कण भौतिकी के अध्ययन में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुई।
- उस खोज के बाद से, एलएचसी में एटलस और सीएमएस प्रयोगों के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक कण के गुणों की जांच कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किस तरह से उत्पन्न होता है और यह अन्य कणों में कैसे विघटित होता है।
- पिछले महीने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर फिजिक्स (एलएचसीपी) सम्मेलन में, एटलस और सीएमएस टीमों ने बताया कि कैसे उन्होंने हिग्स बोसोन के जेड बोसोन और एक फोटॉन में क्षय होने के प्रमाण खोजे।
- Z बोसॉन कमजोर बल का विद्युत रूप से तटस्थ वाहक है और फोटॉन विद्युत चुम्बकीय बल का वाहक है।

स्टैंडर्ड मॉडल

- CERN के अनुसार, यह क्षय कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा अनुमानित अनुमानों से परे कणों के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर सकता है।
- मानक मॉडल वर्तमान सर्वोत्तम सिद्धांत है जो प्राथमिक कणों, या ब्रह्मांड के निर्माण खंडों से जुड़ी सभी घटनाओं की व्याख्या कर सकता है।
- इसमें 12 मूलभूत पदार्थ कण शामिल हैं जिन्हें क्वार्क (जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं) और लेप्टान (जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह बताता है कि बल वाहक कण, जो कि बोसॉन के व्यापक समूह से संबंधित हैं, क्वार्क और लेप्टान को कैसे प्रभावित करते हैं।
- इसमें तीन बल शामिल हैं जो पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं यानी विद्युत चुंबकत्व, मजबूत बल और कमजोर बल।
- गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान में मानक मॉडल में शामिल नहीं है।

हिग्स बोसोन का क्षय

- CERN के अनुसार, हिग्स बोसोन कण का Z बोसॉन और फोटॉन में क्षय दो फोटॉन में क्षय के समान है।
- इन मामलों में, कण सीधे कणों के इन युग्मों में क्षय नहीं होता है।
- इसके बजाय, यह "आभासी कणों के मध्यवर्ती लूप" के माध्यम से होता है जो अस्तित्व में आते हैं और बाहर जाते हैं लेकिन सीधे पता नहीं लगाया जा सकता है।
- इन "आभासी" कणों में नए और अब तक अज्ञात कण शामिल हो सकते हैं जो हिग्स बोसोन के साथ बातचीत करते हैं

यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) के बारे में

- CERN की स्थापना 1954 में हुई थी। इसमें 23 सदस्य देश हैं। 22 सदस्य यूरोपीय देश हैं। इज़राइल एकमात्र गैर-यूरोपीय राष्ट्र है जिसकी CERN में पूर्ण सदस्यता है।
- भारत CERN का सहयोगी सदस्य है और संयुक्त राज्य अमेरिका को CERN में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- CERN जिनेवा में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है।

CERN के कार्य

- इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य उच्च-ऊर्जा भौतिकी अनुसंधान के लिए आवश्यक कण त्वरक और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे प्रदान करना है।
- CERN दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला संचालित करता है। मूल रूप से, प्रयोगशाला का उपयोग केवल परमाणु नाभिक का अध्ययन करने के लिए किया जाता था।
- बाद में, इसका उपयोग उप-परमाणु कणों के बीच बातचीत का अध्ययन करने के लिए उच्च-ऊर्जा भौतिकी में अनुसंधान के लिए भी किया जा रहा है।

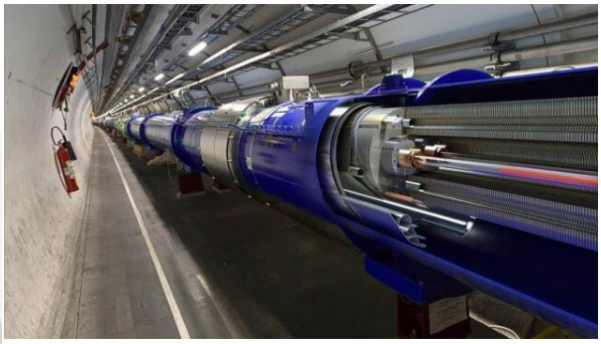

वायरस

खबरों में क्यों?

अध्ययन से पता चलता है कि लोग एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस के उपयोग के बारे में जागरूक हैं और इसे स्वीकार करतें हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक नए अध्ययन से पता चलता है कि लोग एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस के विकास के पक्ष में हैं - और शिक्षित करने के अधिक प्रयासों से उन्हें उपचार का उपयोग करने की काफी अधिक संभावना होगी।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) संकट का मतलब है कि पहले से इलाज योग्य संक्रमण जान ले सकता है।
- इसने फ़ेज़ थेरेपी जैसे एंटीबायोटिक विकल्पों के विकास को पुनर्जीवित किया है, जिसे पहली बार एक सदी पहले खोजा गया था लेकिन कई देशों में एंटीबायोटिक दवाओं के पक्ष में छोड़ दिया गया था।
- अध्ययन से पता चलता है कि फेज थेरेपी की सार्वजनिक स्वीकृति पहले से ही काफी अधिक है, और लोगों को नवीन दवाओं और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में सोचने से इसका उपयोग करने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
- जब "मार" और "वायरस" जैसे कठोर शब्दों का उपयोग किए बिना, बल्कि "प्राकृतिक जीवाणु शिकारी" के रूप में वर्णन किया जाता है, तो फ़ेज़ थेरेपी की अधिक स्वीकार्यता होती है।

- जिन लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लिया, उनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में उच्च जागरूकता थी - 92 प्रतिशत ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में सुना था, लेकिन केवल 13 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने सर्वेक्षण से पहले फेज थेरेपी के बारे में सुना था।
- सफलता और दुष्प्रभाव दर, उपचार की अवधि, और जहां दवा को उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, ने उनकी उपचार प्राथमिकताओं को प्रभावित किया।
- यह अध्ययन एक्सेटर विश्वविद्यालय से सोफी मैककैमोन, किरिल्स मकारोव्स, सुसान बंडुची और विकी गोल्ड द्वारा आयोजित किया गया था।

फेज थेरेपी का महत्व

- बैक्टीरिया कोशिकाओं और मानव कोशिकाओं में महत्वपूर्ण अंतर के कारण फेज से मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है।
- चूंकि वे प्रतिकृति बना सकते हैं, प्रारंभिक खुराक अपेक्षाकृत छोटी हो सकती है।
- स्वाभाविक रूप से गैर विषैले क्योंकि वे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं।
- फ़ेज़ चिकित्सीय विकसित करने में चुनौतियाँ: नैदानिक परीक्षणों की कमी, सही फ़ेज़ खोजने में समय लेने वाली प्रक्रिया, फ़ेज़ को पेटेंट कराने में कठिनाइयाँ क्योंकि वे प्राकृतिक संस्थाएँ हैं आदि।

माहिर(MAHIR)

खबरों में क्यों?

विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए उन्नत और उच्च-प्रभाव अनुसंधान मिशन (MAHIR) लॉन्च किया गया

महत्वपूर्ण बिंदु

- बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है।
- "उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर मिशन (MAHIR)" शीर्षक वाले राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है।
- उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करके और उन्हें कार्यान्वयन चरण में ले जाकर, मिशन उन्हें भविष्य के आर्थिक विकास के लिए मुख्य ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहता है और इस प्रकार भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाना चाहता है।
- मिशन को बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और दोनों मंत्रालयों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करके वित्त पोषित किया जाएगा।
- किसी भी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता भारत सरकार के बजटीय संसाधनों से जुटाई जाएगी।
- 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए योजना बनाई गई, मिशन आइडिया टू प्रोडक्ट के प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगा।

मिशन के उद्देश्य

मिशन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वैश्विक विद्युत क्षेत्र के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य की प्रासंगिकता के क्षेत्रों की पहचान करना और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी एंड-टू-एंड विकास करना।
- विद्युत क्षेत्र के हितधारकों को सामूहिक विचार-मंथन, सहक्रियात्मक प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी के सुचारू हस्तांतरण के लिए रास्ते तैयार करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकियों (विशेष रूप से भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित) की पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना और उनके व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों तक दक्षताओं, क्षमताओं और पहुंच का निर्माण करने के लिए विदेशी गठबंधनों और साझेदारियों का लाभ उठाना, जिससे जानकारी के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा मिल सके।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण, पोषण और विस्तार करना तथा देश के विद्युत क्षेत्र में जीवंत और नवीन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- अपने राष्ट्र को विद्युत प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास में अग्रणी देशों में शामिल करना

अनुसंधान के लिए चिन्हित क्षेत्र

आरंभ करने के लिए, अनुसंधान के लिए निम्नलिखित आठ क्षेत्रों की पहचान की गई है:

1. लिथियम-आयन भंडारण बैटरियों के विकल्प
2. भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर/पैन को संशोधित करना
3. गतिशीलता के लिए हरित हाइड्रोजन (उच्च दक्षता ईंधन सेल)
4. कार्बन कैप्चर
5. भू-तापीय ऊर्जा

6. ठोस अवस्था प्रशीतन।
7. ईवी बैटरी के लिए नैनो तकनीक
8. स्वदेशी सीआरजीओ तकनीक

मिशन की संरचना

- मिशन में दो स्तरीय संरचना होगी - एक तकनीकी स्कोपिंग समिति और एक शीर्ष समिति।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तकनीकी स्कोपिंग समिति, विश्व स्तर पर चल रहे और उभरते अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करेगी, सिफारिश करेगी, तकनीकी-आर्थिक लाभों को उचित ठहराएगी, मिसिआउटलाइन के तहत विकास के लिए अनुसंधान संभावित प्रौद्योगिकियां प्रदान करेगी, और अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की आवधिक निगरानी करेगी।
- टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी (टीएससी) विश्व स्तर पर अनुसंधान के चल रहे और उभरते क्षेत्रों का सर्वेक्षण और पहचान करेगी और शीर्ष समिति को सिफारिशें करेगी। टीएससी उन संभावित प्रौद्योगिकियों की पहचान करेगा जिन्हें मिशन के तहत विकास के लिए विचार किया जा सकता है।
- टीएससी बिजली क्षेत्र के भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता को सामने लाएगा और प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के तकनीकी-आर्थिक लाभ को उचित ठहराएगा और प्रौद्योगिकी के लिए बाजार निर्माण के लिए एक रोडमैप लेकर आएगा।
- टीएससी अंतिम उत्पाद से वांछित विशिष्टताओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करेगा। टीएससी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की आवधिक निगरानी भी की जाएगी।
- केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकी और उत्पादों पर विचार-विमर्श करेगी और अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देगी। शीर्ष समिति अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी गौर करेगी।
- शीर्ष समिति अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देगी और अनुसंधान की प्रगति की निगरानी करेगी। मिशन के तहत विकसित की जाने वाली तकनीक/उत्पाद पर शीर्ष समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। सभी शोध प्रस्तावों/परियोजनाओं की अंतिम मंजूरी शीर्ष समिति द्वारा दी जाएगी।

मिशन का दायरा

- मिशन के तहत, एक बार जब अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान हो जाती है और शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो दुनिया भर की कंपनियों/संगठनों से परिणाम-लिंक्ड फंडिंग के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
- प्रस्ताव का चयन गुणवत्ता सह लागत-आधारित चयन (क्यूसीबीएस) आधार पर किया जाएगा। मंत्रालयों के संगठन चयनित अनुसंधान एजेंसी के साथ प्रौद्योगिकियों का सह-विकास भी कर सकते हैं।
- विकसित प्रौद्योगिकी का आईपीआर भारत सरकार और अनुसंधान एजेंसी द्वारा साझा किया जाएगा।
- मिशन भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं को भी वित्त पोषित करेगा और दोनों मंत्रालयों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से उनके व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- स्टार्ट-अप को आईपीआर भारत सरकार/सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझा करना होगा।
- यह मिशन जानकारी के सुचारु आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी प्रदान करेगा। मिशन प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग भी तलाशेगा।

रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) के लिए टीका

खबरों में क्यों?

यूरोपीय संघ ने सामान्य श्वसन वायरस आरएसवी के लिए अपने पहले टीके को मंजूरी दे दी

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपीय नियामकों ने रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) के लिए क्षेत्र के पहले टीके को मंजूरी दे दी है, जो सालाना हजारों अस्पताल में भर्ती होने और मौतों का कारण बनता है।
- अरेक्सवी नामक शॉट, ब्रिटिश दवा निर्माता जीएसके (जीएसके.एल) द्वारा बनाया गया है और इसे 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- आरएसवी आम तौर पर सर्दी जैसे लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन यह बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया का एक प्रमुख कारण है।
- वायरस की जटिल आणविक संरचना और पिछले वैक्सीन प्रयासों के साथ सुरक्षा चिंताओं ने 1956 में पहली बार वायरस की खोज के बाद से एक शॉट को सफलतापूर्वक विकसित करने के प्रयासों को बाधित कर दिया था।
- यूरोपीय आयोग द्वारा अनुमोदन, जो यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के हालिया समर्थन के बाद है, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक द्वारा एरेक्सवी को हरी झंडी देने के लगभग एक महीने बाद आता है।
- यूरोप में वैक्सीन की उपलब्धता राष्ट्रीय सिफारिशों और प्रतिपूर्ति चर्चाओं पर निर्भर करेगी, लेकिन 2023/2024 आरएसवी सीज़न से पहले इस शरद ऋतु में पहला लॉन्च होने की उम्मीद है।
- जीएसके, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक, एक प्रमुख एचआईवी यौगिक के लिए पेटेंट संरक्षण के लंबित नुकसान और इसके विपणन ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो में असफलताओं के साथ, दीर्घकालिक विकास को चलाने के लिए कुछ हद तक एरेक्सवी पर निर्भर है।
- जीएसके और फाइजर परीक्षणों में परीक्षण समापन बिंदुओं की विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए, प्रभावकारिता की सीधी तुलना मुश्किल है।
- दोनों कंपनियां आरएसवी टीकों के लिए अनुमानित 13 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार के एक हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

- जबकि फाइजर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी होगा, जीएसके को लगता है कि यह अंततः वयस्क आरएसवी बाजार के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लेगा।
- यूरोप में, आरएसवी के कारण हर साल 270,000 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में लगभग 20,000 लोगों की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है।

रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) के टीके के बारे में

- आरएसवी एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में फेफड़ों और श्वास मार्गों में संक्रमण का कारण बनता है। आरएसवी परिसंचरण मौसमी है, आमतौर पर पतझड़ के दौरान शुरू होता है और सर्दियों में चरम पर होता है।
- वृद्ध वयस्कों में, आरएसवी निचले श्वसन पथ रोग (एलआरटीडी) का एक सामान्य कारण है, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और जीवन-घातक निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस (फेफड़ों में छोटे वायुमार्गों की सूजन) का कारण बन सकता है।

बायोडिग्रेडेबल सुपरकैपेसिटर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (GERMI) के वैज्ञानिकों ने सबसे पतला, हल्का और बायोडिग्रेडेबल पेपर-आधारित सुपरकैपेसिटर विकसित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

बायोडिग्रेडेबल सुपरकैपेसिटर:

- सुपरकैपेसिटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जिसमें तेज़ चार्जिंग/डिस्चार्जिंग चक्र, उच्च शक्ति घनत्व और लंबा जीवनचक्र होता है।

विशेषताएँ

- यह सुपरकैपेसिटर जो किसी डिवाइस को 10 सेकंड के भीतर पूरी तरह से चार्ज कर सकता है, समुद्री शैवाल (समुद्री मैक्रोएल्गे) से विकसित किया गया है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार यह उपकरण उच्च तन्यता शक्ति और प्रदर्शन के साथ-साथ लागत प्रभावी भी है।
- उत्पाद का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी बैकअप सिस्टम, एयरबैग, भारी मशीन, इलेक्ट्रिक वाहन, आदि में किया जा सकता है; इसलिए, इसमें एक बड़ी व्यावसायिक संभावना है।
- लचीले और सबसे पतले पेपर सुपरकैपेसिटर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली समुद्री से-लूलोज़-आधारित सामग्री का उपयोग लगभग सभी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा सकता है।

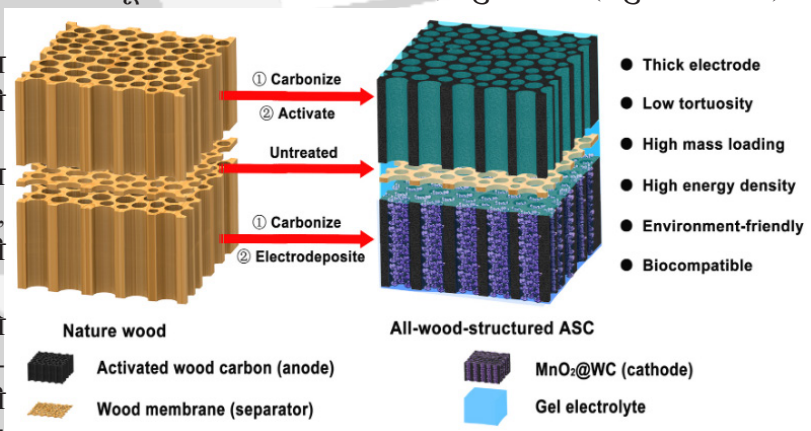

- यह उन तटीय समुदायों के लिए राजस्व का एक स्रोत भी हो सकता है जो समुद्री शैवाल की खेती करते हैं, जो पेपर सुपरकैपेसिटर के निर्माण के लिए एक आवश्यक वस्तु है, शोधकर्ताओं ने नोट किया।
- सुपरकैपेसिटर डिवाइस का परीक्षण विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों के साथ भी किया गया था।

समुद्री शैवाल

- समुद्री शैवाल मैक्रोएल्गे हैं जो चट्टान या अन्य सब्सट्रेट से जुड़े होते हैं और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- उन्हें उनके रंजकता के आधार पर क्लोरोफाइटा (हरा), रोडोफाइटा (लाल) और फियोफाइटा (भूरा) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- उनमें से, क्लोरोफाइटा कोशिका भित्ति में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और बायोएक्टिव यौगिकों जैसे अधिक संभावित घटक रखता है।
- हरे समुद्री शैवाल की कोशिका भित्ति में एक विशेष प्रकार का सेलूलोज़ अधिक मात्रा में होता है।
- कागज आधारित इलेक्ट्रोड सामग्री जैसे पेपर सुपरकैपेसिटर या ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए बैटरी के निर्माण के लिए सेलूलोज़ को सबसे उपयुक्त बायोपॉलिमर सामग्री के रूप में पाया गया है।
- सेलूलोज़ स्वयं एक इन्सुलेशन सामग्री है जिसे कागज-आधारित ऊर्जा भंडारण उपकरण बनाने के लिए प्रवाहकीय सामग्री के साथ लेपित करने की आवश्यकता होती है।
- हरे समुद्री शैवाल गुजरात के पोरबंदर तट से एकत्र किए गए थे।
- विकसित समुद्री शैवाल-आधारित इलेक्ट्रोड का उपयोग एक असममित सुपरकैपेसिटर में दो समुद्री शैवाल सेलूलोज़ नैनोकम्पोजिट और सक्रिय चारकोल पाउडर घोल के बीच सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट-भिगोए पेपर विभाजक को सैंडविच करके किया जाता है।

आइंस्टीन टेलीस्कोप

खबरों में क्यों?

CERN: आइंस्टीन टेलीस्कोप को बनाने और साकार करने में मदद कर रहा है, जो एक विशाल भूमिगत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है जो अब तक के डिटेक्टरों से दस गुना अधिक संवेदनशील होने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला है, जो वर्तमान में योजना चरण में है।
- यह वर्तमान, दूसरी पीढ़ी के लेजर-इंटरफेरोमेट्रिक डिटेक्टरों एडवांस्ड विर्गो और एडवांस्ड एलआईजीओ की सफलता पर आधारित है, जिनकी पिछले 5 वर्षों में ब्लैक होल (बीएच) और न्यूट्रॉन सितारों के विलय की सफल खोजों ने वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान के नए युग में प्रवेश कराया है।
- आइंस्टीन टेलीस्कोप कन्या डिटेक्टर की 3 किमी बांह की लंबाई से 10 किमी तक इंटरफेरोमीटर के आकार को बढ़ाकर और नई प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला को लागू करके काफी बेहतर संवेदनशीलता प्राप्त करेगा।
- आइंस्टीन टेलीस्कोप की अपेक्षित संवेदनशीलता लिगो की तुलना में कम से कम दस गुना अधिक होगी।

अनुप्रयोग:

- यह पहली बार, ब्रह्माण्ड संबंधी अंधकार युग तक के ब्रह्मांडीय इतिहास के साथ गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड का पता लगाना संभव बनाएगा, जो मौलिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के खुले प्रश्नों पर प्रकाश डालेगा।
- यह ब्लैक-होल क्षितिज के पास भौतिकी की जांच करेगा (सामान्य सापेक्षता के परीक्षणों से लेकर क्वांटम गुरुत्व तक), डार्क मैटर की प्रकृति और डार्क एनर्जी की प्रकृति और ब्रह्माण्ड संबंधी पैमानों पर सामान्य सापेक्षता के संभावित संशोधनों को समझने में मदद करेगा।
- इसकी कम-आवृत्ति संवेदनशीलता हमें मध्यवर्ती-द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का पता लगाने की अनुमति देगी।

गुरुत्वीय तरंगें क्या हैं?

- वे ब्रह्मांड में कुछ सबसे हिंसक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण अंतरिक्ष-समय में 'लहरें' हैं।
- अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी।
- आइंस्टीन के गणित से पता चला कि बड़े पैमाने पर तेजी लाने वाली वस्तुएं (न्यूट्रॉन तारे या एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले ब्लैक होल जैसी चीजें) अंतरिक्ष-समय को इस तरह से बाधित करेंगी कि लहरदार अंतरिक्ष-समय की 'तरंगें' स्रोत से दूर सभी दिशाओं में फैल जाएंगी।
- ये ब्रह्मांडीय लहरें प्रकाश की गति से यात्रा करेंगी, अपने साथ अपनी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के साथ-साथ गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति का सुराग भी ले जाएंगी।
- सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्लैक होल, सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के टकराने जैसी प्रलयंकारी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं।

चिरल बोस-तरल अवस्था

खबरों में क्यों?

हालिया शोध के अनुसार, चिरल बोस-तरल अवस्था पदार्थ की एक पूरी तरह से नई अवस्था हो सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- आमतौर पर पदार्थ ठोस, तरल या गैस रूप में मौजूद होता है।
- पूर्ण शून्य, या परमाणु के भीतर की दुनिया के करीब पहुंचने वाले तापमान पर, चीजें बहुत अलग होती हैं।
- इन "क्वांटम" अवस्थाओं में, पदार्थ ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं से काफी भिन्न तरीके से व्यवहार करता है।
- कुंठित क्वांटम प्रणालियों के तहत, जहां कणों की परस्पर क्रिया से अनंत संभावनाएं उत्पन्न होती हैं।

इसका निर्माण कैसे हुआ?

- शोधकर्ताओं ने एक द्वि-परत अर्धचालक उपकरण का उपयोग किया।
- ऊपरी परत इलेक्ट्रॉन-समृद्ध है, और ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।
- निचली परत "छिद्रों" या ऐसे स्थानों से भरी होती है जिन पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कब्जा कर सकता है।
- फिर दोनों परतों को एक साथ बेहद करीब लाया जाता है। फिर मशीन को स्थानीय असंतुलन पैदा करने के लिए चालू किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए पर्याप्त छेद नहीं होते हैं और यह चिरल बोस-तरल अवस्था नामक उपन्यास स्थिति को शुरू करता है।
- इस अवस्था में, इलेक्ट्रॉनों को पूर्वानुमेय पैटर्न में जमाया जा सकता है, जिससे वे स्पिन में परिवर्तन (उपपरमाण्विक कणों की एक परिभाषित विशेषता) के प्रति लचीले हो जाते हैं और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनों को उनके आंदोलनों को सिंक्रनाइज़ करने में भी मदद मिलती है। • पदार्थ की ऐसी अवस्थाएँ बनाना बहुत कठिन है लेकिन आगे जाकर इसका उपयोग नए डिजिटल एन्क्रिप्शन सिस्टम को तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

पदार्थ की क्वांटम अवस्थाएँ:

- पदार्थ की क्वांटम अवस्थाएँ हमारे परिचित ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं से अलग अद्वितीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं।
- कुंठित क्वांटम सिस्टम, विशेष रूप से, अनंत संभावनाओं की ओर ले जाने वाले कणों की परस्पर क्रिया को शामिल करते हैं। इन प्रणालियों में, टकराव अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे पारंपरिक कोणों को उछालना या अस्वीकार करना।

चिरल क्या है?

- चिरल शब्द 'हाथ' के लिए ग्रीक शब्द से लिया गया है जो किसी भी ऐसी चीज़ को संदर्भित करता है जिसे अपनी दर्पण छवि पर नहीं लगाया जा सकता है।
- शब्द "चिरल" भौतिकी में एक संपत्ति को संदर्भित करता है जहां किसी वस्तु या प्रणाली को उसकी दर्पण छवि पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। चिरल बोस-तरल अवस्था के संदर्भ में, "चिरल" शब्द का उपयोग किया जाता है क्योंकि चिरल बोस-तरल अवस्था में इलेक्ट्रॉन अपने दर्पण-छवि समकक्षों की तुलना में अलग तरह से चलते हैं या व्यवहार करते हैं, जिससे अद्वितीय और असममित विशेषताएं उत्पन्न होती हैं।

त्वचा बैंक

खबरों में क्यों?

उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक सफदरजंग अस्पताल में खुला।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत में 16 त्वचा बैंक हैं - एक सुविधा जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है - महाराष्ट्र में सात, चेन्नई में चार, कर्नाटक में तीन और मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक-एक।
- स्किन बैंक एक ऐसी सुविधा है जहां एक योग्य दाता से त्वचा ली जाती है और संसाधित किया जाता है और 5 वर्षों तक उचित तापमान के तहत संग्रहीत किया जाता है।
- संग्रहित त्वचा का उपयोग गहरे जलने, रासायनिक जलने, बिजली से जलने और विकिरण से जलने के लिए किया जा सकता है।

इसकी महत्ता

- यह गंभीर रूप से जलने और चोटों से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने में मदद करेगा।
- दान की गई त्वचा का उपयोग आमतौर पर जले हुए रोगियों के लिए 'जैविक ड्रेसिंग' के रूप में किया जाता है।
- दान की गई त्वचा का उपयोग अस्थायी ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है ताकि घाव जल्दी ठीक हो जाए और रोगियों की त्वचा वापस बढ़ने तक संक्रमण की संभावना कम हो जाए।
- यह ड्रेसिंग दर्द, रुग्णता की संभावना को कम कर सकती है और घाव को ऑटो ग्राफ्टिंग के लिए अनुकूल बना सकती है।
- त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर के उपचार जैसे कि मोहस सर्जरी, त्वचा के अल्सर, और धीमी गति से ठीक होने वाले या बड़े घावों के रोगियों को त्वचा ग्राफ्टिंग से लाभ हो सकता है।
- लिंग और रक्त समूह की परवाह किए बिना कोई भी दाता हो सकता है। दानकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यहां तक कि 100 साल का व्यक्ति भी अपनी त्वचा दान कर सकता है और इसका इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाएगा। केवल एचआईवी और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, एसटीडी, सामान्यीकृत संक्रमण और सेप्टीसीमिया (निमोनिया, टी.बी, आदि), किसी भी प्रकार के त्वचा संक्रमण, घातक बीमारी से पीड़ित और त्वचा कैंसर के सबूत वाले लोग दान नहीं कर सकते हैं।

RAO'S ACADEMY

6 सामाजिक मुद्दे

प्रत्यारोपण के लिए मानव अंग/ऊतक

खबरों में क्यों?

सरकार मेट्रो को प्रत्यारोपण के लिए अंगों के परिवहन की अनुमति देती है

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों और ऊतकों को अब मेट्रो ट्रेनों के माध्यम से ले जाया जा सकता है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश में सभी मेट्रो प्रणालियों के लिए टिकट नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है।
- मंत्रालय ने मेट्रो रेलवे (गाड़ी और टिकट) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया।
- मेट्रो रेलवे (गाड़ी और टिकट) नियम, 2014 के अनुसार, रक्त, शव, हड्डियां, मानव शरीर के अंग, मानव कंकाल और जानवरों के शवों को "आक्रामक सामग्री" माना जाता है जिन्हें मेट्रो ट्रेनों में अनुमति नहीं है।
- संशोधित नियम मानव अंगों और ऊतकों के लिए अपवाद बनाते हैं जो प्रत्यारोपण के लिए हैं।
- निषिद्ध सामग्रियों की सूची के बाद, संशोधन में एक प्रावधान जोड़ा गया: "बशर्ते कि मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का नियम 4(2)) के तहत पंजीकृत अस्पताल द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति मानव अंगों को अपने साथ ले जा सकता है या अंग या ऊतक प्रत्यारोपण के प्रयोजन के लिए ऊतक या दोनों।"

- नियम 4(2) के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत अस्पताल द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति को प्रत्यारोपण के उद्देश्य से मानव अंग/ऊतक या दोनों को ले जाने की अनुमति देता है।
- नियम धारा 4(2) खतरनाक और आपत्तिजनक सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध से संबंधित है।
- इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेलवे के अंदर निम्नलिखित सामान नहीं ले जा सकता है:

1. ख़ून सूख गया या जमा हुआ या विघटित हो गया, चाहे वह मानव हो या जानवर;
2. लाशें;
3. मृत जानवरों या मृत पक्षियों के शव;
4. प्रक्षालित और साफ की गई हड्डियों को छोड़कर हड्डियाँ; मानव कंकाल;
5. मानव शरीर के अंग; पोर्टेबल रेडियो उपकरण जो रेडियो संचार नेटवर्क और संचार-आधारित यातायात नियंत्रण सिग्नलिंग नेटवर्क के लिए जोखिम रखते हैं।

NGT

खबरों में क्यों?

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने नदी रेत खनन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से सहमति अनिवार्य कर दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश दिया है कि नदी रेत खनन के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्थापना के लिए सहमति या संचालन के लिए सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इसके बिना देश में किसी भी नदी रेत खनन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 सितंबर 2023 से प्रभावी रूप से ये सहमति प्राप्त करना।
- ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दो महीने के भीतर दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता देश भर में सभी नदी तल रेत खनन परियोजनाओं पर समान रूप से लागू हो।
- एनजीटी एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें आवेदक ने कानपुर और उन्नाव में गंगा में अवैध रेत खनन के साथ-साथ खनन करने वालों द्वारा कथित तौर पर नदी में पुल बनाने का मुद्दा उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप नदी की धाराएँ दो भागों में विभाजित हो गई थी।
- रेत खनन रेत का निष्कर्षण है, मुख्य रूप से एक खुले गड्ढे के माध्यम से लेकिन कभी-कभी महासागरों, नदी तलों और समुद्र तटों से अंतर्देशीय टीलों से खनन किया जाता है।
- इसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी MMDR अधिनियम 1957 की धारा 3 (e) के तहत 'लघु खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है।

रेत खनन का प्रभाव

- अत्यधिक रेत खनन नदी के तल को बदल सकता है, नदी को अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, किनारों को नष्ट कर सकता है और बाढ़ का कारण बन सकता है।
- यह नदी और मुहाना को गहरा करने के साथ-साथ नदी के मुहाने और तटीय प्रवेश द्वारों के विस्तार का कारण बनता है।
- इसके परिणामस्वरूप निकटवर्ती समुद्र से खारा पानी भी प्रवेश कर सकता है।
- इनस्ट्रीम खनन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो तत्काल खदान स्थलों से भी आगे तक फैल सकते हैं।
- भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करने के अलावा जलीय जानवरों और सूक्ष्म जीवों के आवास को नष्ट कर देता है।
- सौर विकिरण के संपर्क में आने से नदी तल शुष्क हो जाता है।
- यह आस-पास रहने वाले लोगों के घरों और आजीविका को प्रभावित करता है।
- यह सुरम्य समुद्र तटों को भी नष्ट कर देता है।
- रेत खनन से नदी तल बड़े और गहरे गड्ढों में बदल जाता है जिसके परिणामस्वरूप भूजल सूचकांक में गिरावट आती है।
- इसका धारा की भौतिक विशेषताओं, जैसे चैनल ज्यामिति, बिस्तर ऊंचाई, सब्सट्रेटम संरचना, स्थिरता, प्रवाह वेग पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

बालू खनन पर अंकुश लगाने की पहल की गयी

- MoEFCC द्वारा जारी सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016, वैज्ञानिक रेत खनन और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन पद्धति को प्रोत्साहित करता है।
- खान मंत्रालय द्वारा तैयार रेत खनन ढांचा, 2018, कुचली हुई चट्टान के टुकड़ों (क्रेशर डस्ट) आदि से निर्मित रेत के रूप में रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना करता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में स्थापित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पूरी तरह से देश में पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से विशेषज्ञता से सुसज्जित है।
- यह मानते हुए कि अधिकांश पर्यावरण मामलों में बहु-विषयक मुद्दे शामिल होते हैं जिन्हें एक विशेष मंच पर बेहतर तरीके से संबोधित किया जाता है, ट्रिब्यूनल की स्थापना पर्यावरण पर राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग और भारत के अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों की सिफारिशों के अनुसार की गई थी।
- ट्रिब्यूनल को पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मामलों में प्रभावी और शीघ्र उपाय प्रदान करने का काम सौंपा गया है। ट्रिब्यूनल के आदेश बाध्यकारी हैं और इसमें प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे और क्षति के रूप में राहत देने की शक्ति है।

ट्रिब्यूनल की संरचना क्या है?

- ट्रिब्यूनल की उपस्थिति पांच क्षेत्रों- उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में है। प्रधान पीठ उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- सेंट्रल जोन की बेंच भोपाल में, ईस्ट जोन की बेंच कोलकाता में, साउथ जोन की बेंच चेन्नई में और वेस्ट जोन की बेंच पुणे में स्थित है।
- ट्रिब्यूनल का अध्यक्षता अध्यक्ष करता है जो प्रधान पीठ में बैठता है और इसमें कम से कम दस लेकिन अधिक से अधिक बीस न्यायिक सदस्य होते हैं और कम से कम दस लेकिन अधिक से अधिक बीस विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।

ट्रिब्यूनल में मामले कौन प्रस्तुत कर सकता है और किस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है?

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची I में उल्लिखित विधानों में शामिल विषयों से संबंधित पर्यावरणीय क्षति के लिए राहत और मुआवजे की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकरण से संपर्क कर सकता है।

अनुसूची I में क़ानून हैं:

  - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
  - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977;
  - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;
  - वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
  - सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991;
  - जैविक विविधता अधिनियम, 2002.
- ट्रिब्यूनल के पास पर्यावरण और प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाले सभी नागरिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित कानूनों के तहत किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के आदेश/निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती भी दे सकता है।

क्या न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी हैं?

- हाँ, ट्रिब्यूनल के निर्णय बाध्यकारी हैं। ट्रिब्यूनल के आदेश लागू करने योग्य हैं क्योंकि निहित शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान हैं।

टेलीग्राम बॉट

खबरों में क्यों?

हाल ही में, ऐसी रिपोर्टें सामने आईं जिनमें आरोप लगाया गया कि एक टेलीग्राम बॉट के पास अनधिकृत पहुंच थी और वह व्यक्तियों की पहचान संख्या को उजागर कर रहा था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह दावा किया गया था कि टेलीग्राम बॉट किसी व्यक्ति के फोन नंबर के बारे में पूछताछ करने पर उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील डेटा का खुलासा कर रहा था।
- बॉट ने नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, जन्मतिथि, स्थान, लिंग और उस संस्थान का नाम लीक कर दिया जहां से उन्हें टीका लगाया गया था।
- विशेष रूप से, उपयोगकर्ता को CoWIN ऐप के लिए पंजीकरण करते समय इनमें से कुछ विवरण सहेजने पड़ते थे।
- 16 जनवरी, 2021 को लॉन्च किए गए CoWIN पोर्टल पर लाखों भारतीय उपयोगकर्ताओं ने साइन अप किया था और इसका उपयोग टीकाकरण स्लॉट बुक करने के लिए किया था।
- डेटा में 12-14 वर्ष की आयु के 40 मिलियन से अधिक बच्चे और 45 वर्ष से अधिक आयु के 37 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा वरिष्ठ नागरिक हो सकते हैं।
- अब, इस बॉट तक पहुंच संभव नहीं है।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

- सरकार की ओर से दो, थोड़ी भिन्न, प्रतिक्रियाएँ थीं।
- पहला भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था जिसने डेटा लीक के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि "ऐसी सभी रिपोर्टें बिना किसी आधार के और शरारतपूर्ण प्रकृति की हैं"।
- एक प्रेस विज्ञप्ति में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि तीन तरीके हैं जिनसे CoWIN पर डेटा तक पहुंचा जा सकता है।
- सबसे पहले, कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से पोर्टल पर अपने डेटा तक पहुंच सकता है।
- दो, एक वैक्सीनेटर किसी व्यक्ति के डेटा तक पहुंच सकता है, और जब भी कोई "अधिकृत" उपयोगकर्ता सिस्टम तक पहुंचता है तो CoWIN सिस्टम ट्रैक और रिकॉर्ड करता है।
- और अंत में, तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन जिन्हें CoWIN API की अधिकृत पहुंच प्रदान की गई है, वे ओटीपी प्रमाणीकरण के बाद टीकाकरण वाले लोगों के व्यक्तिगत स्तर के डेटा तक पहुंच सकते हैं।
- सरकार ने दावा किया कि बिना ओटीपी के डेटा को टेलीग्राम बॉट के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
- मंत्रालय ने आगे बताया कि CoWIN केवल उनके जन्म का वर्ष एकत्र करता है जबकि प्लेटफ़ॉर्म पर किसी व्यक्ति का पता सहेजने का कोई प्रावधान नहीं है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे को देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए साइबर सुरक्षा की देखभाल करने वाली भारतीय नोडल सरकारी एजेंसी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-IN) को शामिल किया है। इसके अलावा, CoWIN के मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक अभ्यास शुरू किया गया है।
- एक टेलीग्राम बॉट फोन नंबर दर्ज करने पर काउइन ऐप का विवरण दे रहा था।
- डेटा को थ्रेट एक्टर डेटाबेस से बॉट द्वारा एक्सेस किया जा रहा था, जो पहले चुराए गए डेटा से भरा हुआ लगता है।

बॉट क्या है?

- बॉट, रोबोट का संक्षिप्त रूप, एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या RPA के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया है।
- बॉट स्वचालित रूप से निर्देशों के एक सेट के माध्यम से काम करते हैं और वे कार्यों और प्रक्रियाओं को मनुष्यों की तुलना में बहुत तेजी से, अधिक सटीक और अधिक मात्रा में करते हैं।
- टेलीग्राम पर, प्रत्येक बॉट का एक अद्वितीय हैंडल होता है।
- किसी बॉट को जोड़ने के लिए, किसी को बस उसे खोजना होगा, बॉट हैंडल पर क्लिक करना होगा और वे चैट विंडो में इसके साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे।
- ये बॉट कुछ लोकप्रिय कार्यों के साथ "किसी भी प्रकार के कार्य या सेवा" का समर्थन कर सकते हैं, जिसमें उपयोगकर्ताओं के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देना, कुछ फ़ाइल प्रकारों को अन्य में परिवर्तित करना या उपयोगकर्ताओं के लिए अनुस्मारक सेट करना शामिल है।
- हालाँकि, हाल ही में, गलत तरीके से काम करने वाले बॉट्स में तेजी से वृद्धि हुई है और मुख्य रूप से घोटाले चलाने, या व्यक्तिगत डेटा को बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है।

क्या कोई बॉट उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है?

- जाहिर तौर पर हां, चैटबॉट्स के बारे में उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह है। कई चैटबॉट उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करते हैं, जिसमें उनकी बातचीत, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और स्थान शामिल हैं।
- यद्यपि इस डेटा का उपयोग चैटबॉट प्रतिक्रियाओं को निजीकृत करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इसका उपयोग घोटाले और पहचान की चोरी, मैलवेयर फैलाने और साइबर हमले लॉन्च करने के लिए किया जाता है।

CoWIN क्या है और यह कैसे काम करता है?

- CoWIN, जो कि COVID-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए है, टीकाकरण प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार के तत्वावधान में पेश और बनाया गया एक ऐप है।
- यह पंजीकरण, लाभार्थी ट्रैकिंग, नियुक्ति शेड्यूलिंग, वैक्सीन स्टॉक प्रबंधन, वास्तविक समय डेटा निगरानी, पहचान सत्यापन, टीकाकरण और प्रत्येक टीकाकरण वाले व्यक्ति को तत्काल डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करने जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है।
- CoWIN ने अब तक 5,773 टीकाकरण स्थलों के माध्यम से 2.2 बिलियन से अधिक प्रशासित वैक्सीन खुराक दर्ज की है।

UNSDC फ्रेमवर्क 2023-2027

खबरों में क्यों?

भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-2027 पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार-UNSDC ढांचा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, विकास के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली की सामूहिक पेशकश का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह 2030 एजेंडा से प्राप्त चार रणनीतिक स्तंभों पर बनाया गया है - लोग, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी।
- आपस में जुड़े हुए चार स्तंभों में स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाले छह परिणाम क्षेत्र हैं; पोषण और खाद्य सुरक्षा; गुणवत्ता की शिक्षा; आर्थिक विकास और सभ्य कार्य; पर्यावरण, जलवायु, WASH और लचीलापन और लोगों, समुदायों और संस्थानों को सशक्त बनाना।
- इसमें SDG स्थानीयकरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो एसडीजी के कार्यान्वयन और त्वरण की दिशा में भारत के नेतृत्व और भारत द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग की वकालत के अनुरूप है।
- कार्यान्वयन और निगरानी का नेतृत्व भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र, भारत द्वारा एक संयुक्त संचालन समिति के माध्यम से किया जाएगा।
- UNSDCF को देश स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के लिए प्रमुख योजना और कार्यान्वयन साधन के रूप में नामित किया गया है।

केंद्र:

- भारत सरकार-UNSDCF SDG स्थानीयकरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर विशेष जोर देता है, SDG को लागू करने और तेज करने में भारत के नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाता है।
- SDG स्थानीयकरण राष्ट्रीय ढांचे और समुदायों की प्राथमिकताओं के अनुरूप, स्थानीय स्तर पर SDG को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है।
- भारत का लक्ष्य अपने विकास मॉडल को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और सक्रिय रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है।

कार्यान्वयन और निगरानी:

- GoI-UNSDCF 2023-2027 के कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग का नेतृत्व संयुक्त संचालन समिति के माध्यम से भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र, भारत द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

सतत विकास लक्ष्यों

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें।
- यह 17 SDG का एक समूह है जो मानता है कि एक क्षेत्र में कार्रवाई दूसरों में परिणामों को प्रभावित करेगी और विकास को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना होगा।
- देश उन लोगों की प्रगति को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सबसे पीछे हैं।
- SDG को गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भारत ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से SDG के लक्ष्य 13वें को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
- लक्ष्य में जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है।

स्थिरता रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी पहली 'स्थिरता रिपोर्ट' जारी की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- NHAI की पहली 'वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट' में NHAI की शासन संरचना, हितधारकों, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी पहल को शामिल किया गया है।
- यह रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- स्थिरता रिपोर्ट पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के लिए NHAI द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है।
- वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक ईंधन की कम खपत के कारण प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.44% और 9.49% की कमी आई।
- NHAI स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर अग्रसर होकर अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी काम कर रहा है।
- ग्रीन हाउस गैस (GHG) ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और यात्रा से उत्सर्जन, मीट्रिक टन CO2 समकक्ष / किमी में मापा गया, वित्त वर्ष 2020-21 में 9.7% और वित्त वर्ष 2021-22 में 2% की गिरावट देखी गई।
- इसी प्रकार संचालन में, गीगा जूल/किमी में ऊर्जा तीव्रता वित्त वर्ष 2020-21 में 37% और वित्त वर्ष 2021-22 में 27% कम हो गई, जबकि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निर्मित किलोमीटर में लगातार वृद्धि हुई है।
- 97 प्रतिशत से अधिक पहुंच के साथ, FASTag के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ने कार्बन पदचिह्न को कम करने में योगदान दिया है।
- NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में निर्माण में फ्लाई-ऐश और प्लास्टिक कचरे का उपयोग बढ़ गया है।
- NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में पुनर्चक्रित डामर (RAP) और पुनर्चक्रित समुच्चय (RA) के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है।

- NHAI ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), स्वयं सहायता समूहों, CSR भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी की है।
- जुलाई 2022 में, NHAI ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान चलाया और देश भर में 114 चिन्हित स्थानों पर एक साथ वृक्षारोपण के माध्यम से एक ही दिन में लगभग 1.1 लाख पौधे लगाए।
- NHAI की स्थिरता रिपोर्ट सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे इसकी स्थिरता साख प्रदर्शित करने के लिए एक स्वैच्छिक पहल के रूप में लिया गया है और इसे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।
- रिपोर्ट को आश्वासन कार्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा बाहरी रूप से आश्वस्त किया गया है। यह स्थिरता रिपोर्ट वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ढांचे के अनुसार बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए नए रास्ते खोलेगी जिसे 'ग्रीन फाइनेंस' के रूप में जाना जाता है।
- NHAI ने टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, हरित राजमार्गों को बढ़ावा देना और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना शामिल है।
- आगे बढ़ते हुए, NHAI यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसकी परियोजनाएं न केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भी हैं।

NHAI के बारे में

- NHAI अधिनियम, 1988 के माध्यम से स्थापित, पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक नोडल एजेंसी है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को लागू करने का अधिकार है।

हाथ से मैला ढोना

खबरों में क्यों?

सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 66% जिले ही मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हैं

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कुल 766 जिलों में से केवल 508 जिलों ने खुद को मैला ढोने से मुक्त घोषित किया है।

पृष्ठभूमि

- अप्रैल 2022 में, केंद्र ने कहा कि देश में हाथ से मैला ढोने से कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 161 श्रमिकों की मौत हो गई।
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 27 मौतें हुईं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 26 मौतें हुईं।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में केवल 66% जिले ही मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हैं।
- रिपोर्ट के तहत मंत्रालय ने 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' को 'सीवरों की खतरनाक सफाई' से अलग किया है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?

- मैनुअल निकासी से तात्पर्य सूखे शौचालयों से मानव और पशु अपशिष्ट को हटाने और निपटान के लिए परिवहन करने की प्रक्रिया से है।
- "मैन्युअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार मैनुअल स्केवेंजिंग का अर्थ है अस्वच्छ शौचालय में मानव मल को किसी भी तरीके से मैन्युअल रूप से साफ करना, ले जाना, निपटान करना या संभालना।
- यह दिसंबर 2013 से प्रतिबंधित है।
- इसे अपमानजनक प्रथा के रूप में 1993 में मैन्युअल स्कैवेंजिंग विरोधी अधिनियम द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था।

मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कानून

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 गंदे शौचालयों के निर्माण या रखरखाव, और सीवर पाइप और सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई या खतरनाक सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है।
- अनुच्छेद 21: यह अनुच्छेद 'जीवन के अधिकार' और गरिमा की भी गारंटी देता है।
  - स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत पहल)
  - सफाईमित्र सुरक्षा चैलेंज
  - स्वच्छता अभियान ऐप
- संशोधन अधिनियम: न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020' का परिचय।
- यांत्रिक सफाई: विधेयक में सीवेज सिस्टम को पूरी तरह से साफ करने और दुर्घटना की स्थिति में बेहतर व्यावसायिक सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

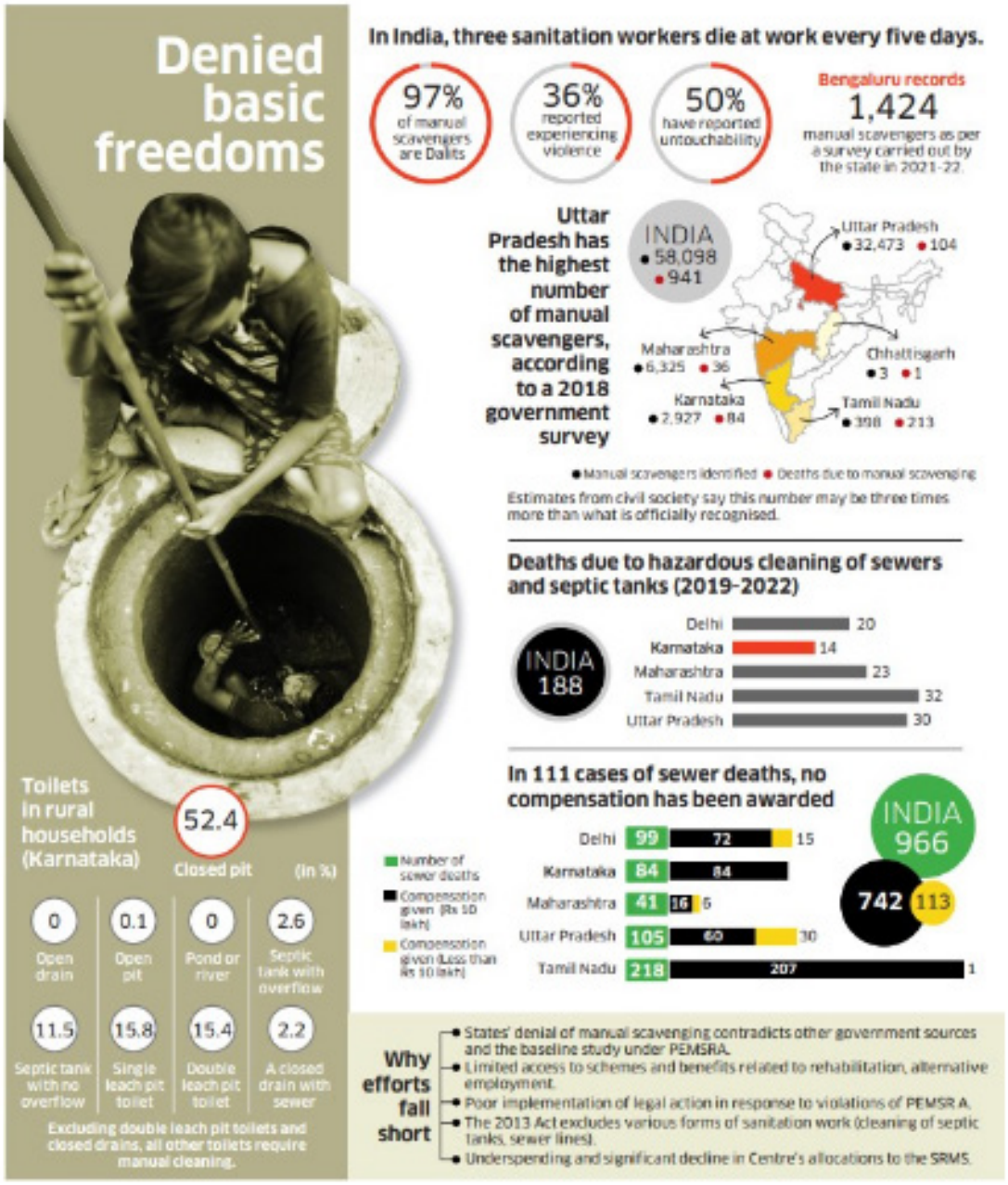

सरकारी पहल

- मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास की योजना के अनुसार, 58,000 चिन्हित सीवर श्रमिकों में से प्रत्येक को 40,000 रुपये का एकमुश्त नकद भुगतान दिया गया है।
- इसके अलावा, उनमें से लगभग 22,000 (आधे से भी कम) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं।
- हालाँकि, मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास की योजना को अब सीवर कार्य के 100% मशीनीकरण के लिए नमस्ते योजना के साथ मिला दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पुनर्वास योजना के लिए कोई आवंटन नहीं दिखाया गया और नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया।

तकनीकी विकास

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने भारत में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक रोबोट विकसित किया है।
- लगभग 10 इकाइयाँ पूरे तमिलनाडु में तैनात की जाएंगी और योजना उन्हें अगले गुजरात और महाराष्ट्र में उपयोग मं लाने की है।

लिंग अंतर रिपोर्ट, 2023

खबरों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में 2023 के लिए वार्षिक लिंग अंतर रिपोर्ट जारी की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में प्रकाशित वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, जो पिछले साल से आठ स्थानों का सुधार है।

वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक

- लिंग अंतर पुरुषों और महिलाओं के बीच उनके सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक सशक्तिकरण, उपलब्धियों या विकास के संदर्भ में असमानता है।
- यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है जो 2006 में अपनी स्थापना के बाद से इन अंतरालों को पाटने की प्रगति को ट्रैक करता है।
- यह श्रम बाजार में लिंग अंतर संकट पर हाल के वैश्विक झटकों के प्रभाव का भी पता लगाता है।
- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी बेंचमार्क इंडेक्स है, जो उप-मापदंडों के साथ चार प्रमुख आयामों पर लैंगिक समानता और समानता की दिशा में राष्ट्रों की प्रगति का मूल्यांकन और तुलना करता है।

मुख्य आयाम:

- आर्थिक भागीदारी और अवसर
- शिक्षा प्राप्ति
- स्वास्थ्य और जीवन रक्षा
- राजनीतिक सशक्तिकरण

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने लैंगिक समानता के मामले में कुछ प्रगति की है। पिछले वर्ष की तुलना में यह आठ स्थान ऊपर आया है और अब 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। 2022 संस्करण में भारत 135वें स्थान पर था।
- भारत ने पिछले संस्करण के बाद से 1.4 प्रतिशत अंक और आठ स्थानों का सुधार किया है, जो कि 2020 के समता स्तर की ओर आंशिक सुधार दर्शाता है।
- भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर ली है, जो एक सकारात्मक विकास है।
- भारत ने कुल लिंग अंतर का 64.3% कम कर दिया है।
- हालाँकि, जब आर्थिक भागीदारी और अवसर की बात आती है, तो भारत अभी भी इस क्षेत्र में केवल 36.7% समानता के साथ पीछे है।

विभिन्न सूचकांकों पर भारत की स्थिति:

- भारत में, हालांकि वेतन और आय समानता में वृद्धि हुई है, वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी कमी आई है।
- भारत ने 25.3% की समता दर के साथ प्रगति की है, और अब 15.1% सांसद महिलाएँ हैं।
- स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, 2017 से उपलब्ध आंकड़ों वाले 117 देशों में से, 18 देशों ने 40% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व हासिल किया है, जिसमें बोलीविया (50.4%), भारत (44.4%), और फ्रांस (42.3%) शामिल हैं।
- भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9 प्रतिशत अंक का सुधार देखा गया है, जिसने एक दशक से अधिक की धीमी प्रगति के बाद समग्र समानता में योगदान दिया है।

लिंग अंतर को कम करने के लिए भारतीय पहल

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: यह बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- महिला शक्ति केंद्र: इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।

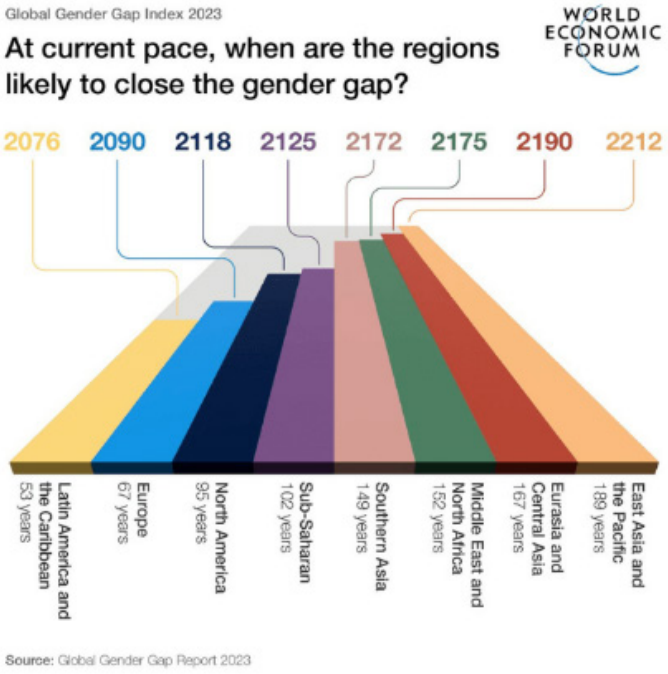

- महिला पुलिस स्वयंसेवक: इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं और संकट में महिलाओं की सहायता करती हैं।
- राष्ट्रीय महिला कोष: यह एक शीर्ष माइक्रोफाइनेंस संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना: इस योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।
- महिला उद्यमिता: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों/एसएचजी/एनजीओ का समर्थन करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBB) में खोला गया है।

लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक (GSNI) 2023

खबरों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (GSNI) 2023 जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक (GSNI) 2023 के बारे में:

- यह महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को मापता है, महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को पकड़ता है।
- इसने महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को चार आयामों में ट्रैक किया: राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक अखंडता।

मुख्य निष्कर्ष

- पक्षपाती लिंग सामाजिक मानदंड: जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में उल्लिखित है, पक्षपाती लिंग सामाजिक मानदंड लैंगिक समानता प्राप्त करने और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करते हैं। ये मानदंड महिलाओं की क्षमताओं और अधिकारों को कम आंकते हैं, उनकी पसंद और अवसरों को सीमित करते हैं।
- वैश्विक व्यापकता: लैंगिक पूर्वाग्रह विश्व स्तर पर प्रचलित है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (GSNI) चार आयामों में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह को मापता है: राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक अखंडता। सूचकांक से पता चलता है कि लगभग 10 में से 9 पुरुष और महिलाएं महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं।
- दुनिया की लगभग आधी आबादी का मानना है कि पुरुष बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं, और पांच में से दो लोग मानते हैं कि पुरुष बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते हैं।
- वैश्विक मुद्दा: लैंगिक भेदभाव विभिन्न क्षेत्रों, आय स्तरों और संस्कृतियों में बना रहता है, जिससे यह एक वैश्विक मुद्दा बन जाता है। ये पूर्वाग्रह निम्न और उच्च मानव विकास सूचकांक (HDI) दोनों देशों में स्पष्ट हैं।
- प्रगति में ठहराव: पिछले एक दशक में GSNI मूल्यों में ठहराव आ गया है, जो पक्षपाती लैंगिक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में सीमित समग्र प्रगति का संकेत देता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए मी टू और टाइम अप जैसे शक्तिशाली अभियानों के बावजूद, बहुत कम प्रगति हुई है।
- आर्थिक निहितार्थ: पक्षपातपूर्ण लिंग सामाजिक मानदंड महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा डालते हैं। हाल के साक्ष्य महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच और आर्थिक सशक्तिकरण में उनकी उपलब्धियों के बीच एक टूटे हुए संबंध का सुझाव देते हैं।
- शैक्षिक असमानताएँ: महिलाओं और पुरुषों के बीच आय का अंतर शैक्षिक असमानताओं की तुलना में लैंगिक सामाजिक मानदंडों

के उपायों से अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। लैंगिक सामाजिक मानदंडों में उच्च पूर्वाग्रह वाले देशों में महिलाओं पर घरेलू कामकाज और देखभाल के काम का अनुपातहीन बोझ देखा जाता है।

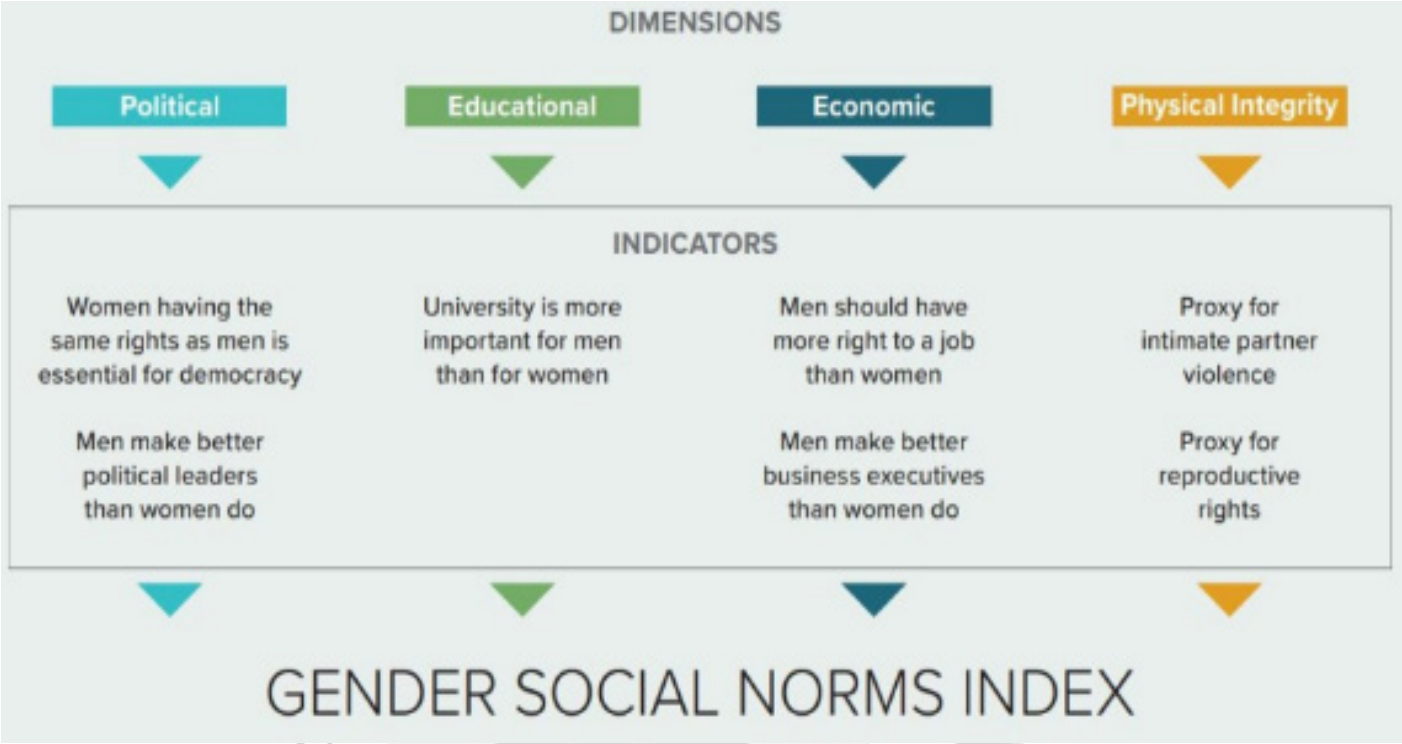

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: अधिकांश देशों में राजनीतिक पद संभालने वाली महिलाओं के लिए कई औपचारिक बाधाओं को हटाने के बावजूद, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक अंतर बना हुआ है।
- 1995 के बाद से दुनिया भर में राज्य या सरकार के प्रमुख के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत बनी हुई है, और वैश्विक स्तर पर संसद की एक चौथाई से अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा है।
- महिला नेताओं को अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कठोर निर्णय का सामना करना पड़ता है, और सामाजिक मानदंडों में बदलाव या तो महिला नेतृत्व की अधिक स्वीकार्यता को बढ़ावा दे सकता है या इसके खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे सकता है।
- सामाजिक प्रभाव: पक्षपातपूर्ण लिंग सामाजिक मानदंड न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता और विकल्पों को सीमित करते हैं बल्कि समाज को महिला नेतृत्व के लाभों से भी वंचित करते हैं। सामाजिक मानदंड जो निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को रोकते हैं, विविध दृष्टिकोणों, अनुभवों, क्षमताओं, आवाज़ों और विचारों को शामिल करने से रोकते हैं।

वैश्विक दासता सूचकांक 2023

खबरों में क्यों?

ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार, 2021 में किसी भी दिन, लगभग 50 मिलियन लोग "आधुनिक गुलामी" में जी रहे थे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैश्विक दासता सूचकांक (GSI) 160 देशों के लिए आधुनिक दासता का राष्ट्रीय अनुमान प्रदान करता है।
- यह एक मानवाधिकार संगठन वॉक फ्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है, जो बदले में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), वॉक फ्री और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) द्वारा तैयार किया गया है।
- यह GSI का पांचवां संस्करण है और यह 2022 के अनुमान पर आधारित है। पिछले चार संस्करण 2013, 2014, 2016 और 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- वॉक फ्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 49.6 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं, जिनमें से 11 मिलियन का घर भारत है।
- संगठन, वॉक फ्री, का कहना है कि "आधुनिक गुलामी स्पष्ट रूप से छिपी हुई है और दुनिया के हर कोने में जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है"।
- वॉक फ्री के अनुसार, अनुमान है कि 2021 में किसी भी दिन 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में रह रहे थे, 2016 के बाद से 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। इन 50 मिलियन (जिनमें से 12 मिलियन बच्चे हैं) में से 28 मिलियन जबरन मजदूरी और 22 मिलियन जबरन विवाह से पीड़ित हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) आधुनिक गुलामी को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। SDG का लक्ष्य 8.7 बताया गया है
- जबरन श्रम उन्मूलन, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को समाप्त करने और बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर प्रतिबंध और उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करें, और 2025 तक सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करें।

आधुनिक गुलामी क्या है?

- यह शोषण की उन स्थितियों को संदर्भित करता है जिन्हें कोई व्यक्ति धमकियों, हिंसा, जबरदस्ती, धोखे या शक्ति के दुरुपयोग के कारण मना नहीं कर सकता या छोड़ नहीं सकता।

Most prevalent

The countries estimated to have the highest prevalence of modern slavery tend to be conflict-affected, have state-imposed forced labour, and have weak governance.

	Rank	Prevalence Rate*	# of People
North Korea	1	104.6	2,696,000
Eritrea	2	90.3	320,000
Mauritania	3	32.0	149,000
Saudi Arabia	4	21.3	740,000
Türkiye	5	15.6	1,320,000
Tajikistan	6	14.0	133,000
United Arab Emirates	7	13.4	132,000
Russia	8	13.0	1,899,000
Afghanistan	9	13.0	505,000
Kuwait	10	13.0	55,000

Least prevalent

The countries with the lowest prevalence of modern slavery are those with strong governance and strong government responses to modern slavery.

	Rank	Prevalence Rate*	# of People
Switzerland	160	0.5	4,000
Norway	159	0.5	3,000
Germany	158	0.6	47,000
Netherlands	157	0.6	10,000
Sweden	156	0.6	6,000
Denmark	155	0.6	4,000
Belgium	154	1.0	11,000
Ireland	153	1.1	5,000
Japan	152	1.1	144,000
Finland	151	1.4	8,000

- यह एक व्यापक शब्द है और इसमें जबरन श्रम, जबरन विवाह, ऋण बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाएं, जबरन या दास विवाह और बच्चों की बिक्री और शोषण जैसे विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल हैं।

प्रमुख निष्कर्षों के तीन सेट हैं।

- पहले सेट में वे देश शामिल हैं जो आधुनिक गुलामी की व्यापकता के मामले में शीर्ष पर हैं। व्यापकता प्रति 1,000 जनसंख्या पर आधुनिक गुलामी की घटना को दर्शाती है।
- इस मामले में, निम्नलिखित 10 देश सबसे खराब अपराधी हैं: उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, तुर्की, ताजिकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अफगानिस्तान और कुवैत।
- सूचकांक में कहा गया है कि "ये देश कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा करते हैं, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए सीमित सुरक्षा शामिल है।"
- दूसरे सेट में सबसे कम प्रसार वाले देश शामिल हैं। सूची में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, जापान और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं।
- तीसरे समूह में आधुनिक गुलामी में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या की मेजबानी करने वाले देश शामिल हैं। सूची इस प्रकार है: भारत, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्की, बांग्लादेश और अमेरिका।
- सूचकांक में कहा गया है कि "सामूहिक रूप से, इन देशों में आधुनिक गुलामी में रहने वाले हर तीन में से लगभग दो लोग और दुनिया की आधी से अधिक आबादी रहती है। विशेष रूप से, छह G20 राष्ट्र हैं: भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका।"

YOUR SUCCESS STORY
RAO'S ACADEMY

7 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी

खबरों में क्यों?

भारत ने राजनयिक पहुंच का विस्तार करने के लिए दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय को मंजूरी दी

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र ने डाक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और केंद्रीय मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई।
- संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ एक समझौते के बाद, भारत डाक क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेने की योजना बना रहा है, जिसमें दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- साझेदारी के माध्यम से, भारत का लक्ष्य यूपीयू के विकास सहयोग और तकनीकी सहायता गतिविधियों को शुरू करना है।
- सौदे के एक हिस्से के रूप में, सरकार UPU क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कर्मचारियों और कार्यालय बुनियादी ढांचे के साथ-साथ एक फील्ड परियोजना विशेषज्ञ भी प्रदान करेगी।
- इस परियोजना के माध्यम से, भारत यूपीयू के सहयोग से क्षमता निर्माण, डाक सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाने और डाक प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स और व्यापार को बढ़ावा देने पर परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करेगा।
- केंद्र द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस पहल के न केवल भारत के लिए बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी दूरगामी लाभ होंगे।
- UPU क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से भारत के राजनयिक पदचिह्न का विस्तार होगा, अन्य देशों के साथ इसके संबंध मजबूत होंगे और वैश्विक डाक मंचों पर इसकी उपस्थिति बढ़ेगी।
- अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के दो साल बाद 1876 में भारत यूपीयू में शामिल हुआ।
- UPU के अनुसार, भारत में 20 योगदान इकाइयाँ हैं और इंडिया पोस्ट नामित ऑपरेटर है।
- UPU ने हाल ही में फिजी के सुवा में एक नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।
- नवंबर 2022 में, एजेंसी ने उरुग्वे में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अपने संप्रभु सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है।
- मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है, UPU में 192 सदस्य देश हैं।
- यह डाक क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच सहयोग के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है और अद्यतन उत्पादों और सेवाओं का एक सार्वभौमिक नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- यह सलाहकार, मध्यस्थता और संपर्क की भूमिका निभाता है, जहां जरूरत पड़ने पर सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- UPU अंतरराष्ट्रीय मेल विनिमय के लिए नियम निर्धारित करता है और मेल, पार्सल और वित्तीय सेवाओं की मात्रा में वृद्धि बढ़ाने के लिए सिफारिशें करता है।

भारत और नेपाल

खबरों में क्यों?

भारत और नेपाल ने ऊर्जा और परिवहन पर समझौते पर हस्ताक्षर किये

महत्वपूर्ण बिंदु

- दो देशों ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए और एक दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौता किया, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा।
- दोनों देशों ने पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किए, जो नेपाल को नई रेलवे लाइनों के अलावा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच प्रदान करेगी।

- पारगमन संधि में संशोधन: हस्ताक्षरित पारगमन संधि के संशोधन के कारण नेपाल को अब भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच प्राप्त है। इस समझौते को "पीढ़ी में एक बार" होने वाला समझौता माना जाता है और इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।
- भारत ने नेपाल को बुनियादी ढांचा और विकास सहायता बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें रेलवे और अंतर्देशीय जल कनेक्टिविटी, बिजली पारेषण, जलविद्युत परियोजनाएं, सिंचाई, एकीकृत चौकियां और वित्तीय कनेक्टिविटी के क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत नेपाल को 680 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के तहत तीन बिजली पारेषण गलियारों को भी वित्तपोषित करेगा।
- यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक जलविद्युत की आपूर्ति की जाएगी और तीनों देशों द्वारा उचित समय पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है।

- अर्थव्यवस्था पर सहयोग: भारत नेपाल का शीर्ष व्यापारिक भागीदार और FDI का मुख्य स्रोत है। दोनों देशों के बीच कई अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं सहित महत्वपूर्ण मात्रा में व्यापार होता है।
- विकास सहायता: भारत नेपाल को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित कुछ क्षेत्रों में विकास सहायता की पेशकश कर रहा है। ये पहल नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता के लिए हैं।
- खुली सीमाएँ और अंतरसांस्कृतिक आदान-प्रदान: भारत और नेपाल के नागरिक देश की खुली सीमा नीतियों के कारण बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इससे लोगों के लिए व्यापक रूप से बातचीत करना, संस्कृतियों का आदान-प्रदान करना और छुट्टियों पर जाना आसान हो जाता है।
- सुरक्षा सहयोग: भारत और नेपाल का आतंकवाद और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए मिलकर काम करने का इतिहास रहा है। इस सहयोग में खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है।
- जलविद्युत और जल संसाधन: भारत ने नेपाल को अपने जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण में मदद की है। नेपाल में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हैं। इस क्षेत्र में सहयोग से नेपाल की ऊर्जा उत्पादन और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बढ़ सकती है।
- पंचेश्वर में बहु-उपयोग वाली परियोजना: दोनों प्रधानमंत्रियों ने पंचेश्वर में बहु-उपयोग वाली परियोजना पर वास्तविक, समयबद्ध प्रगति करने का संकल्प लिया। इस पहल का लक्ष्य जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में सुधार करना है।
- सीमा विवाद: कई बार, भारत और नेपाल को अपनी साझा सीमा पर समस्याओं का सामना करना पड़ा है, खासकर जब इसे परिभाषित करने की बात आती है। अतीत में, इन असहमतियों ने तनाव बढ़ाया है, लेकिन इन्हें आमतौर पर चर्चा और बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया गया है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: अंतरसांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत और नेपाल द्वारा कला और विज्ञान में आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय शैक्षणिक संस्थान उन नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो वहां अध्ययन करना चाहते हैं।

प्रोजेक्ट लॉन्च किये गये

- रेलवे लाइन के कुर्था बिजलपुरा खंड को सौंपने, बथनाहा (भारत) से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन का उद्घाटन, जो भारतीय अनुदान के तहत नवनिर्मित रेल लिंक है, का उद्घाटन सहित कई परियोजनाएं शुरू की गईं। नेपालगंज (नेपाल) और रुपईडीहा (भारत) में एकीकृत चेकपोस्ट (ICP), भैरहवा (नेपाल) और सोनौली (भारत) में ICP का भूमि पूजन समारोह, मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन चरण II सुविधाओं का भूमि पूजन समारोह और भूमि पूजन गोरखपुर बुटवल ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से का समारोह उद्घाटन किया।
- भारत और नेपाल ने पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, भारत-नेपाल सीमा पर दोधारा चंदानी चेक पोस्ट पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना, सीमा पार से भुगतान और सुषमा स्वराज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सेवा संस्थान और विदेश मामलों के संस्थान, लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के लिए एक परियोजना विकास समझौते के साथ।

ICC गिरफ्तारी वारंट

खबरों में क्यों?

दक्षिण अफ्रीका संभावित आगंतुक पुतिन के लिए ICC गिरफ्तारी वारंट पर विकल्पों पर विचार कर रहा है

महत्वपूर्ण बिंदु

- दक्षिण अफ्रीका कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है यदि युद्ध अपराध गिरफ्तारी वारंट के अधीन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से संबंधित पुतिन के लिए वारंट जारी किया है और यदि वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो ICC सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका को सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करना होगा।
- जोहान्सबर्ग में 22-24 अगस्त को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सभी राष्ट्रा-ध्यक्षों को निमंत्रण जारी किया गया है।
- आईसीसी ने मार्च में पुतिन के लिए वारंट जारी किया था, जिसमें उन पर यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले क्षेत्र से बच्चों को जबरन निर्वासित करने के युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया था। मॉस्को ने आरोपों से इनकार किया है.
- दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के बीच आकर्षण बढ़ाने वाला एक विकल्प ब्रिक्स के पिछले अध्यक्ष चीन से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कहना होगा।

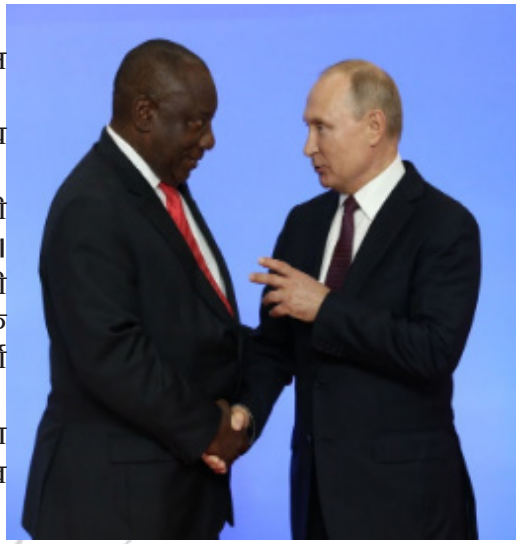

- दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और अगस्त शिखर सम्मेलन दोनों में भाग लेने वाले सभी नेताओं को राजनयिक छूट जारी की।
- हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने कहा कि यह दक्षिण अफ्रीका में सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए मानक प्रक्रिया थी।
- ये छूट किसी भी वारंट को ओवरराइड नहीं करती है जो सम्मेलन में किसी भी सहभागी के खिलाफ किसी भी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
- दक्षिण अफ्रीका ने पहले 2015 में नरसंहार के आरोप में वांछित तत्कालीन सूडानी राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को गिरफ्तार करने में अपनी विफलता पर विरोध के बाद आईसीसी छोड़ने के अपने इरादे का संकेत दिया था, जब उन्होंने जोहान्सबर्ग में एक अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।
- लेकिन दिसंबर में सत्तारूढ़ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया कि दक्षिण अफ्रीका को इस प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए और आईसीसी में भीतर से बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए।

ICC के बारे में

- यह गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के आरोपी व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अदालत है।
- इसकी स्थापना 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम क़ानून द्वारा की गई थी।
- इसका अधिकार क्षेत्र केवल 1 जुलाई, 2002 के बाद किए गए अपराधों पर है, जब रोम संविधि लागू हुई थी।
- न्यायालय के पास अपना पुलिस बल नहीं है। तदनुसार, यह राज्य के सहयोग पर निर्भर करता है, जो संदिग्धों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए आवश्यक है।
- रोम संविधि में 123 देश पक्षकार हैं।
- वे देश जिन्होंने कभी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए: भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की, आदि
- देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की: मिस्र, ईरान, इज़राइल, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदि
- सदस्य देश अपने क्षेत्र की स्थिति को न्यायालय में संदर्भित कर सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऐसी स्थिति का उल्लेख कर सकती है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को पार्टी की स्थिति की परवाह किए बिना सहयोग करना चाहिए।
- अभियोजक सदस्य राज्य में जांच शुरू कर सकता है।

वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण

खबरों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का अपना 11वां संस्करण जारी किया है, जो अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जैसे-जैसे दुनिया महामारी के प्रभाव से उबर रही है, रोजगार के अवसरों में असमानताओं को दूर करना और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर

- ILO के अनुसार, 2023 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे गिरकर 5.3% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगभग 191 मिलियन व्यक्तियों से मेल खाती है। हालाँकि यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत देता है, विभिन्न क्षेत्रों और आय समूहों के बीच पुनर्प्राप्ति की अलग-अलग डिग्री पर विचार करना आवश्यक है।

कम बेरोजगारी दर वाले क्षेत्र

- रिपोर्ट उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने अपनी बेरोजगारी दर को संकट-पूर्व स्तर से सफलतापूर्वक कम कर लिया है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप, और मध्य और पश्चिमी एशिया ने अपने श्रम बाजारों में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, बेरोजगारी दर 6.3% से 6.7% के बीच है, जो एक सकारात्मक सुधार प्रवृत्ति दर्शाता है।

जॉब गैप संकेतक का परिचय

- रोजगार की अधूरी मांग को मापने के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में, ILO ने एक नया संकेतक पेश किया है जिसे नौकरियों का अंतर कहा जाता है। यह सूचक उन सभी व्यक्तियों को शामिल करता है जो रोजगार की इच्छा रखते हैं लेकिन वर्तमान में बेरोजगार हैं। यह विश्व स्तर पर सामने आने वाली रोजगार चुनौतियों का एक व्यापक उपाय प्रदान करता है।

कम आय वाले देशों के लिए चुनौतियाँ

- कम आय वाले देशों को नौकरियों के अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इन देशों में नौकरियों की अंतर दर आश्चर्यजनक रूप से 21.5% है। इसके अलावा, यह दर 2005 में 19.1% से बढ़कर 2023 में 21.5% हो गई है, जो उनके सामने आने वाली लगातार रोजगार चुनौतियों को उजागर करती है।

बढ़ता ऋण स्तर और नीतिगत हस्तक्षेप

- बढ़ते ऋण स्तर के कारण विकासशील देशों को भी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों को लागू करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है। यह सीमा जटिल खतरों के प्रति प्रतिक्रिया में बाधा डालती है और उच्च-आय और निम्न-आय वाले देशों के बीच मौजूदा रोजगार विभाजन को मजबूत करती है।

सामाजिक सुरक्षा के लाभ

- रिपोर्ट असमानताओं को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सामाजिक सुरक्षा नीतियों के महत्व पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों में सार्वभौमिक बुनियादी वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने से एक दशक के भीतर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 14.8% की वृद्धि होगी और अत्यधिक गरीबी में 6 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय कमी आएगी।

वैश्विक वित्तीय सहायता की आवश्यकता

- व्यापक पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने और रोजगार अंतर को पाटने के लिए, रिपोर्ट रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए वैश्विक वित्तीय सहायता की वकालत करती है। इन क्षेत्रों में निवेश करके, देश अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर को कम करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में

- इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि द्वारा की गई थी।
- इसके संस्थापकों ने संगठन की स्थापना से पहले ही सामाजिक विचार और कार्य में काफी प्रगति की थी।
- यह वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र (UN) की पहली विशेष एजेंसी बन गई।
- ILO ने श्रम और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने महान मंदी (1930 के दशक) के दौरान श्रम अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखा था।

उद्देश्य

- कार्यस्थल पर मानकों, मौलिक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को विकसित करना और लागू करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पुरुषों और महिलाओं को अच्छे काम तक समान पहुंच मिले और साथ ही इसके लिए अवसर भी बढ़ें।
- सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- त्रिपक्षीयवाद और सामाजिक संवाद को मजबूत करना।

ILO के तीन अंग हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन: - ILO की महासभा - हर साल जून के महीने में बैठक होती है।
- शासी निकाय:- ILO की कार्यकारी परिषद। वर्ष में तीन बार मार्च, जून और नवंबर माह में बैठक होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय:- एक स्थायी सचिवालय।
- सम्मेलन और शासी निकाय का कार्य क्षेत्रीय सम्मेलनों, क्षेत्रीय सलाहकार समितियों, औद्योगिक और अनुरूप समितियों, विशेषज्ञों की समिति, सलाहकारों के पैनल, विशेष सम्मेलन और बैठकों आदि द्वारा पूरक है।

हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023

खबरों में क्यों?

रिपोर्ट के अनुसार, 6,500 उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति 2023 में भारत से बाहर निकलना चाहते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नवीनतम हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में 2023 में 6,500 उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों (HNWI) के बाहर निकलने की उम्मीद है, जो वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी अनुमानित बहिर्वाह संख्या है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा नुकसान वाला देश, भारत की शुद्ध निकास संख्या पिछले साल के 7,500 की तुलना में 2023 में घटकर 6,500 हो जाने का अनुमान है।

HNWI का शुद्ध बहिर्प्रवाह

- अन्य देशों के संदर्भ में, 2023 के लिए भारत के लिए 6,500 की यह संख्या चीन में 13,500 HNWI, UK में 3,200 HNWI और रूस में 3,000 के अपेक्षित शुद्ध बहिर्वाह की तुलना में है।
- यूके की प्रत्याशित HNWI उड़ान पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी है, जब 1,600 करोड़पतियों का शुद्ध पलायन हुआ था।
- ये बहिर्प्रवाह विशेष रूप से चिंताजनक नहीं हैं क्योंकि भारत प्रवास के कारण जितने नए करोड़पति खोता है उससे कहीं अधिक नए करोड़पति पैदा करता है।
- जैसा कि भारत में पिछले एक दशक से हो रहा है, चीन में हर साल प्रवासन के कारण सबसे बड़ी संख्या में डॉलर करोड़पति खो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन में सामान्य धन वृद्धि धीमी रही है, जिसका अर्थ है कि हालिया बहिर्वाह सामान्य से अधिक हानिकारक हो सकता है।
- चीन की अर्थव्यवस्था 2000 से 2017 तक मजबूती से बढ़ी, लेकिन तब से देश में धन और करोड़पति की वृद्धि नगण्य रही है (जब यूएस-डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है)।

HNWI का शुद्ध प्रवाह

- उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया 2023 में 5,200 NHWI के उच्चतम शुद्ध प्रवाह को आकर्षित करेगा।
- संयुक्त अरब अमीरात 2022 में अपनी रिकॉर्ड-तोड़ आमद के बाद 2023 में 4,500 नए करोड़पतियों के शुद्ध आगमन के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है।
- सिंगापुर 3,200 NHWI की शुद्ध आमद के साथ तीसरे स्थान पर है, जो कि रिकॉर्ड में सबसे अधिक है, इसके बाद 2,100 करोड़पतियों की अपेक्षित शुद्ध आमद के साथ अमेरिका है।
- 1,800 के अनुमानित शुद्ध प्रवाह के साथ स्विट्जरलैंड पांचवें स्थान पर है, इसके बाद 1,600 HNWI के साथ कनाडा है।
- इन देशों के बाद ग्रीस (1,200), फ्रांस (1,000 - पिछले साल के 500 करोड़पतियों की कुल संख्या से दोगुना), पुर्तगाल (800), और न्यूज़ीलैंड (700) हैं।
- इज़राइल के शीर्ष 10 से बाहर होने की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि इस साल करोड़पतियों की कुल आमद 2022 में 1,100 की तुलना में लगभग आधी होकर 600 हो जाएगी।
- आज अमेरिका प्रवासी करोड़पतियों के बीच कोविड-पूर्व की तुलना में कम लोकप्रिय है, शायद उच्च करों के खतरे के कारण।

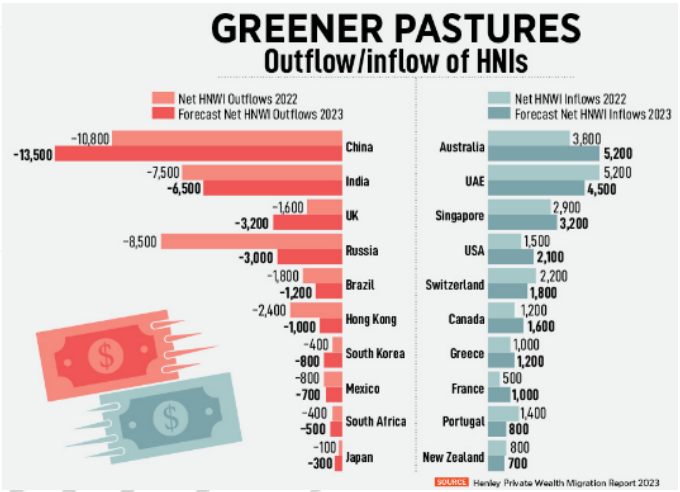

- देश अभी भी उत्प्रवास के मुकाबले अधिक NHWI को आकर्षित करता है, 2023 के लिए 2,100 के शुद्ध प्रवाह का अनुमान लगाया गया है, हालांकि यह 2019 के स्तर से एक आश्चर्यजनक गिरावट है, जिसमें 10,800 करोड़पतियों का शुद्ध प्रवाह देखा गया था।

निवेश प्रवासन मार्ग

रिपोर्ट के अनुसार, लोकप्रिय निवेश प्रवासन मार्गों में शामिल हैं:

- पुर्तगाल का स्वर्ण निवास परमिट कार्यक्रम,
- निवेश की पेशकश द्वारा ऑस्ट्रिया की नागरिकता और
- निवेश कार्यक्रम द्वारा सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता।
- अगला कनाडा का स्टार्ट-अप वीज़ा कार्यक्रम है, जो उद्यमियों और धनी व्यक्तियों के लिए कनाडाई निवास और उत्तरी अमेरिकी बाज़ार तक पहुँचने का सबसे तेज़ तरीका है।
- इस वर्ष लोकप्रियता में वृद्धि हुई है और ग्रीस के गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम के साथ निवेश कार्यक्रम द्वारा इटली का निवास शीर्ष पांच में अंतिम स्थान पर है।
- निवेश कार्यक्रम द्वारा स्पेन का निवास।

क्रियाविधि

- हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन डैशबोर्ड में डेटा वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म, न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा प्रदान किया जाता है, और पांच क्षेत्रों (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत, यूरोप और CIS और मध्य पूर्व) के प्रमुख देशों को कवर करता है।
- न्यू वर्ल्ड वेल्थ देशों और शहरों के बीच वैश्विक धन प्रवास के रुझान को ट्रैक करता है।
- करोड़पति' या 'हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल' (HNWI) उन लोगों को संदर्भित करते हैं जिनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की निवेश योग्य संपत्ति है।
- अंतरराष्ट्रीय निवास और नागरिकता सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में डॉलर करोड़पतियों के नवीनतम शुद्ध प्रवाह और बहिर्वाह (1 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की निवेश योग्य संपत्ति वाले HNWI की संख्या के बीच का अंतर, जो स्थानांतरित होते हैं और जो वहां से प्रवास करते हैं, की संख्या के बीच का अंतर को दर्शाया गया है।
- HNWI प्रवासन के आंकड़े उन HNWI पर केंद्रित हैं जो साल में छह महीने से अधिक समय तक अपने नए देश में रहते हैं।

आर्मेनिया और अज़रबैजान

खबरों में क्यों?

आर्मेनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो-काराबाख में 'जातीय सफाए' का आरोप लगाया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अर्मेनिया ने अजरबैजान पर काकेशस कट्टर-शत्रुओं के बीच दशकों से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद के केंद्र में, नागोर्नो-काराबाख के अर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र में "जातीय सफाई" की नीति अपनाने का आरोप लगाया।
- अज़रबैजान ने लाचिन कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर एक सीमा चौकी स्थापित की, जो आर्मेनिया को अलगाववादी क्षेत्र से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है।
- यह कदम अज़रबैजानी पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा एक महीने के लंबे अवरोध के बाद उठाया गया है, जिसके बारे में येरेवन का दावा है कि इससे पहाड़ी क्षेत्र में मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसमें भोजन और ईंधन की कमी का अनुभव हुआ है।
- अज़रबैजान ने जोर देकर कहा कि लाचिन गलियारे के माध्यम से नागरिक परिवहन बेरोकटोक चल रहा है।
- अर्मेनियाई ने कहा कि बाकू द्वारा सड़क के माध्यम से यातायात अवरुद्ध करने के बाद "काराबाख में मानवीय स्थिति बेहद खराब

हो गई है"।

- बाकू की हरकतें साबित करती हैं कि अजरबैजान कराबाख में जातीय सफाए की नीति अपना रहा है।
- इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) - संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष न्यायिक संस्था - ने अज़रबैजान को सड़क पर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
- आर्मेनिया ने ICJ से अपील की कि वह अजरबैजान को लाचिन सड़क की नाकाबंदी को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश दे।
- दो पूर्व सोवियत गणराज्य 30 से अधिक वर्षों से आमने-सामने हैं और कराबाख के नियंत्रण के लिए दो युद्ध लड़े - 1990 और 2020 में।
- शरद ऋतु 2020 में छह सप्ताह की लड़ाई एक रूसी-प्रायोजित युद्धविराम के साथ समाप्त हुई, जिसमें आर्मेनिया ने दशकों से नियंत्रित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया।
- यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के तहत बाकू और येरेवन के बीच चल रही शांति वार्ता के बावजूद उनकी साझा सीमा पर अक्सर झड़पें होती रही हैं।
- 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तो काराबाख में जातीय अर्मेनियाई अलगाववादी अजरबैजान से अलग हो गए। आगामी संघर्ष ने लगभग 30,000 लोगों की जान ले ली।

नागोर्नो-कारबाख़

- नागोर्नो-काराबाख, जिसे अर्मेनियाई लोग आर्टसख के नाम से जानते हैं, दक्षिण काकेशस में एक भूमि से घिरा पहाड़ी क्षेत्र है।
- 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने इस पर दावा किया था और तब से यह तनाव का विषय बना हुआ है।
- क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल समृद्ध अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके निवासी मुख्य रूप से जातीय अर्मेनियाई हैं।

ईवी बैटरी के लिए ग्लोबल फंड

खबरों में क्यों?

G20 नीति पत्र में EV बैटरी खनिज पुनर्चक्रण क्षमता के लिए वैश्विक निधि पर विचार किया गया है

महत्वपूर्ण बिंदु

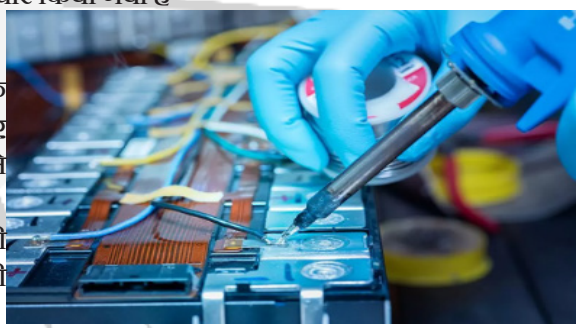

- G20 के टास्क फोर्स-4 (TF-4) को प्रस्तुत एक नीति संक्षिप्त में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरियों के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाने में निवेश करने के लिए एक वैश्विक कोष बनाने की सिफारिश की गई है।
- एक लचीली ईवी बैटरी मूल्य श्रृंखला का निर्माण शीर्षक वाले पेपर में बैटरी रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए एक अलग फंड बनाने का भी सुझाव दिया गया है।
- पेपर में कहा गया है कि बैटरी रीसाइक्लिंग शुरुआती चरण में है और रीसाइक्लिंग लागत को कम करने और सामग्री पुनर्प्राप्ति क्षमता में सुधार करने में प्रौद्योगिकी के संबंध में कमियां हैं।
- यह लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जीवन के अंत तक चलने वाली EV बैटरियों के पुनर्चक्रण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- अकेले रीसाइक्लिंग उद्योग 2040 तक $6bn का लाभ पूल बना सकता है, राजस्व संभावित रूप से $40bn से अधिक हो सकता है, जो 2030 के मूल्यों से तीन गुना वृद्धि है।
- हालाँकि, आलोचक अक्सर बताते हैं कि उत्सर्जन लाभों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है क्योंकि बैटरी प्रबंधन चुनौतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- भारत में 2022-30 तक सभी खंडों में लिथियम-आयन बैटरियों की संचयी क्षमता लगभग 600 GWh (बेस केस) होने का अनुमान है।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 निर्माताओं (आयातकों सहित) को बैटरी के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) का दायित्व प्रदान करता है जिसे वे बाजार में पेश करते हैं ताकि इसके संग्रह और रीसाइक्लिंग को सुनिश्चित किया जा सके।
- पुनर्चक्रण में चुनौतियाँ: उच्च पूंजी लागत, प्रकृति में गैर-पर्यावरण अनुकूल, उच्च तापमान और परिष्कृत मशीनरी की आवश्यकता, बैटरी के लिए डिजिटल पहचानकर्ताओं की कमी।

भारत और अमेरिका

खबरों में क्यों?

भारत, अमेरिका रक्षा उद्योग सहयोग के रोडमैप पर सहमत

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले कुछ वर्षों के लिए रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, भारत सरकार का कहना है - इस कदम से नई दिल्ली की रक्षा विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- वाशिंगटन दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए काम कर रहा है और दक्षिण एशियाई देश के साथ गहरे सैन्य-से-सैन्य और प्रौद्योगिकी संबंधों को क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व के लिए एक प्रमुख प्रतिकार के रूप में देखता है।

- नई दिल्ली में दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा सचिव और भारतीय रक्षा मंत्री के बीच एक बैठक में रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया।
- दोनों पक्ष नई प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और मौजूदा और नई प्रणालियों के सह-उत्पादन के अवसरों की पहचान करेंगे और दोनों देशों के रक्षा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेंगे।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उन्होंने अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया जो अगले कुछ वर्षों के लिए नीति दिशा का मार्गदर्शन करेगा।

- भारत अपनी लगभग आधी सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन उसने अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल सहित अन्य देशों से खरीद के लिए अपने स्रोतों में भी तेजी से विविधता ला दी है।
- नई दिल्ली यह भी चाहती है कि वैश्विक रक्षा निर्माता भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करें और स्थानीय खपत के साथ-साथ निर्यात के लिए भारत में हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन करें।
- भारत जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक से अनुमानित 1.5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर में 18 ऊंचाई वाले, लंबे समय तक चलने वाले सशस्त्र ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है।
- विमान को संभवतः चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी अशांत सीमाओं और रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।
- भारत के साथ अमेरिकी रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से बढ़कर 2020 में 20 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। अमेरिका से भारतीय खरीद में लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान, सी-130 परिवहन विमान, मिसाइल और ड्रोन शामिल हैं।

ईरान

खबरों में क्यों?

अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने हवाई सुरक्षा को मात देने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- ईरान ने दावा किया कि उसने ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक गति से चलने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है।
- यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव बरकरार है।
- ईरान ने बताया कि मिसाइल - जिसे फ़तह, या फ़ारसी में "विजेता" कहा जाता है - की सीमा 1,400 किलोमीटर तक थी।
- रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मिसाइल किसी भी क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली से होकर गुजर सकती है, हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया।
- माना जाता है कि अमेरिका की तरह चीन भी हथियारों का पीछा कर रहा है। रूस का दावा है कि वह पहले से ही हथियार तैनात कर रहा है और उसने कहा है कि उसने यूक्रेन में युद्ध के मैदान में उनका इस्तेमाल किया है।

हाइपरसोनिक हथियार क्या हैं?

- हाइपरसोनिक हथियार, जो मैक 5 से अधिक या ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक गति से उड़ते हैं, अपनी गति और गतिशीलता के कारण मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।
- वे बैलिस्टिक मिसाइलों से भिन्न हैं, जो हाइपरसोनिक गति (कम से कम मैक 5) पर भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित प्रक्षेप पथ और सीमित गतिशीलता रखते हैं।

हाइपरसोनिक हथियार कितने प्रकार के होते हैं?

- हाइपरसोनिक हथियारों की दो मुख्य श्रेणियां हैं: हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें।
- हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। फिर ग्लाइड वाहन रॉकेट से अलग हो जाता है और लक्ष्य की ओर कम से कम मैक 5 की गति से "ग्लाइड" करता है।
- हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें उच्च गति, वायु-श्वास इंजन द्वारा संचालित होती हैं।

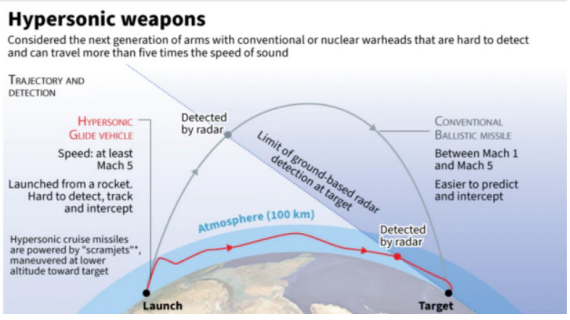

उनका महत्व क्या है?

- हाइपरसोनिक गति से अत्यधिक युद्धाभ्यास वाले हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता किसी भी देश को काफी लाभ देती है, क्योंकि ऐसे हथियार वर्तमान में उपयोग में आने वाली किसी भी रक्षा प्रणाली से बच सकते हैं।

हाइपरसोनिक हथियार बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे भिन्न हैं?

- बैलिस्टिक मिसाइलें कम से कम मैक 5 की हाइपरसोनिक गति से भी यात्रा कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने प्रक्षेप पथ और सीमित गतिशीलता निर्धारित की है।

कौन से देश हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं?

- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन सभी हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं।

- अतिरिक्त देश हथियारों पर अनुसंधान कर रहे हैं, जबकि अन्य ने हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण के बारे में दावे किए हैं जिन्हें अभी तक सत्यापित नहीं किया जा सका है।

भारत और सूरीनाम

खबरों में क्यों?

सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार' से सम्मानित किया गया है।
- इसके अलावा, भारत ने सूरीनाम में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए OCI कार्ड के लिए पात्रता मानदंड का भी विस्तार किया है।
- वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए पात्रता मानदंड को चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने का निर्णय लिया गया है।

सूरीनाम में भारतीय समुदाय

- 5 जून 1873 को भारतीयों का पहला समूह लल्ला रुख नामक जहाज पर सवार होकर सूरीनाम के समुद्री तट पर पहुंचा।
- इंडो-सूरिनामी देश का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। यहां की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 27.4 फीसदी है।
- 1873-1916 की अवधि में, 34,000 से अधिक भारतीयों को बागानों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूरों के रूप में ब्रिटिश भारत से सूरीनाम लाया गया था।
- 19वीं शताब्दी में, गंगा के मैदानी इलाकों में भीषण अकाल के कारण अत्यधिक गरीबी पैदा हो गई। अत: गरीबी और अभाव के कारण भारतीय मजदूर पलायन करने को मजबूर हुए।
- सूरीनाम में इन श्रमिकों के वंशज मुख्य रूप से उपनाम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। यह अवधी और भोजपुरी के मिश्रण से बनी भाषा है। यह सूरीनाम में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
- सूरीनाम को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1976 में भारत और सूरीनाम के बीच संबंध शुरू हुए।

सूरीनाम

- सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित है।
- पड़ोसी देश: यह पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में गुयाना से घिरा हुआ है।
- भौगोलिक विशेषताएं: अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों और दलदली क्षेत्रों वाला संकीर्ण तटीय मैदान।
- प्रमुख नदियाँ: कॉमेवाइन नदी, कोपेनेम नदी, कोरेंटिन नदी, मैरोवाइन (मोरोनी) नदी आदि।
- सबसे ऊंची चोटी: जूलियाना टॉप।

उत्तरी समुद्री मार्ग

खबरों में क्यों?

उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करने के लिए रूस 24 अरब डॉलर का निवेश करेगा

महत्वपूर्ण बिंदु

- रूस ने अगले 13 वर्षों में अपने उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के विकास में 2 ट्रिलियन रूबल ($ 24 बिलियन) का निवेश करने की योजना का अनावरण किया है, और सरकार द्वारा तैयार एक मसौदा कानून पहले ही राज्य ड्यूमा में पहली बार पढ़ा जा चुका है।

उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के बारे में:

- उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR), या पूर्वोत्तर मार्ग (NEP), आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ता है।
- NSR नॉर्वे के साथ रूस की सीमा के पास बैरेंट्स सागर से लेकर साइबेरिया और अलास्का के बीच बेरिंग जलडमरूमध्य तक चलता है।
- NSR नॉर्थवेस्ट पैसेज से अलग है जो कनाडाई आर्कटिक के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले संभावित शिपिंग मार्गों की एक श्रृंखला है।
- पूरा मार्ग आर्कटिक जल में और रूस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित है। यह स्वेज़ नहर के माध्यम से पारंपरिक मार्ग की दूरी का एक तिहाई है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण, रूस में NSR अधिक सुलभ होता जा रहा है। आमतौर पर यह मार्ग सालाना केवल दो महीने के लिए खुलता है।
- यूरोप और एशिया के बीच एनएसआर मार्ग केवल 13,000 किमी लंबा है, जबकि स्वेज नहर मार्ग 21,000 किमी लंबा है, जो यात्रा की अवधि को एक महीने से घटाकर दो सप्ताह से भी कम कर देता है।

- संपूर्ण पथ, जिसे पूर्वोत्तर मार्ग कहा गया है और कनाडा के उत्तर पश्चिमी मार्ग के बराबर है, आर्कटिक समुद्र में और रूस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर स्थित है।

कई कारणों से स्वेज नहर की तुलना में NSR आर्थिक रूप से लाभदायक है:

- स्वेज नहर जैसे सामान्य मार्ग की तुलना में ऊर्जा और समय की बचत लगभग 30-40% है।
- यह स्वेज़ नहर के माध्यम से पारंपरिक मार्ग की दूरी का एक तिहाई है।
- क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, दोहन और परिवहन आसान।
- समुद्री डाकू के हमले का कोई खतरा नहीं है जिसके लिए हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका कुख्यात है।

लाभ

- हाइड्रोकार्बन सहित रूसी आर्कटिक से विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए एक वैश्विक ऊर्जा सुपरहाइवे बनें;
- बंदरगाहों और आर्थिक विकास के नए बिंदुओं तक कार्गो के निर्बाध प्रवाह की गारंटी के लिए रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र (AZRF) में मजबूत आपूर्ति नेटवर्क बनाएं;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में प्रमुखता प्राप्त करना।

चुनौतियाँ:

- रूस द्वारा NSR पर अपनी संप्रभुता का प्रयोग करने और नेविगेशन की स्वतंत्रता के सिद्धांत से इनकार करने से भू-रणनीतिक संघर्ष हो सकता है।
- आर्कटिक कोहरे से नौकायन का समय कम हो जाएगा।
- पर्यावरणीय जोखिम और बढ़ी हुई परिचालन लागत।

भारत और न्यूजीलैंड

खबरों में क्यों?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक दिल्ली में आयोजित की गई

महत्वपूर्ण बिंदु

Image Credit: PIB

- भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में दोनों देशों के उद्योगों के साथ अपनी पहली गोलमेज संयुक्त बैठक आयोजित की।
- बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त द्वारा की गई।
- बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय वाणिज्य के वर्तमान स्तर को स्वीकार किया और भारत-न्यूजीलैंड गठबंधन की विशाल क्षमता और आपसी हित के क्षेत्रों में आगे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
- चर्चा 1986 के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत गठित संयुक्त व्यापार समिति (JTC) द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के विस्तार पर भी केंद्रित थी।
- न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने पारस्परिक लाभ, आनुपातिकता, सक्षम व्यापार और निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।
- पाइन ने उन क्षेत्रों को सामने रखा जिन्हें भारत और न्यूजीलैंड मिलकर खोज सकते हैं।
- इनमें एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) प्रणाली को बढ़ावा देना, कार्बन क्रेडिट सहयोग, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग और जेस्प्री द्वारा किए गए व्यापक प्रस्ताव जैसे विशिष्ट मुद्दों पर एक साथ काम करना और द्विपक्षीय लाभ के लिए गैर-टैरिफ उपायों पर अनुरोधों को प्राथमिकता देना शामिल है।
- इस बैठक में न्यूजीलैंड बिजनेस काउंसिल की एक रिपोर्ट 'भारत न्यूजीलैंड-रिलेशनशिप अगले चरण के लिए तैयार' का भी अनावरण किया गया।
- रिपोर्ट में आर्थिक समृद्धि के लिए सहकारी गतिविधियों के सभी संभावित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।
- कार्य समूह बनाकर पारस्परिक लाभ के लिए एक सक्रिय परिचालन ढांचे की आवश्यकता है जो संयुक्त व्यापार समिति को ठोस विचार और उसके समाधान प्रदान करेगा।

अटलांटिक घोषणा

नये में क्यों

अमेरिका, ब्रिटेन ने रूस, चीन और आर्थिक अस्थिरता का मुकाबला करने के उद्देश्य से 'अटलांटिक घोषणा' बनाई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच "विशेष संबंध" को मजबूत करने के लिए एक नए रणनीतिक समझौते की घोषणा की।
- समझौते का उद्देश्य रूस, चीन और आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करना है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

अटलांटिक घोषणा:

- नेताओं ने रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में उद्योग संबंधों को बढ़ाने के लिए "अटलांटिक घोषणा" को अपनाया।
- घोषणापत्र सत्तावादी राज्यों, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों, गैर-राज्य अभिनेताओं और जलवायु परिवर्तन जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों द्वारा उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियों को स्वीकार करता है।
- लक्ष्य इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था:

- ब्रेक्जिट के बाद अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते की ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान हासिल नहीं हो सकी।
- इसके बजाय, दोनों नेता महत्वपूर्ण औद्योगिक सब्सिडी के माध्यम से एक नई हरित अर्थव्यवस्था तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए।
- यह USA योजना के अनुरूप है, और UK ने अमेरिकी दृष्टिकोण का समर्थन करने का निर्णय लिया है।

विश्व अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

- संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने माना कि विश्व अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्रांति की तुलना में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रही है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास चर्चा का एक प्रमुख विषय था।
- नेताओं ने सरकारों को एआई से जुड़े संभावित जोखिमों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

यूके में विश्व का पहला AI शिखर सम्मेलन:

- यूके ने वर्ष के अंत में यूके में दुनिया के पहले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना का खुलासा किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने शिखर सम्मेलन के लिए "समान विचारधारा वाले" देशों को बुलाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
- यूके ने यूके को भविष्य के AI नियामक की मेजबानी का भी प्रस्ताव दिया।

AI की चुनौतियाँ और विनियमन:

- उद्योग के आंकड़े AI के विनियमन की वकालत कर रहे हैं, और अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही AI आचार संहिता पर अपनी बातचीत में लगे हुए हैं।
- यूके को अपनी AI महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौजूदा चर्चाएं और रुचियां उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती हैं।
- हालाँकि, यूके ने यूएस-यूके साझेदारी की ताकत पर भरोसा जताया और साझा मूल्यों पर जोर दिया।

ऊर्जा बाज़ार अस्थिरता और यूक्रेन युद्ध को संबोधित करना:

- उम्मीद है कि अटलांटिक घोषणा से सहयोगियों को रूस के कार्यों के कारण ऊर्जा बाजारों में पुरानी अस्थिरता को दूर करने में मदद मिलेगी।
- नेताओं ने अभी तक यूक्रेन में एक बांध के हालिया विनाश के लिए मास्को को दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन ब्रिटेन ने पीड़ितों को सहायता राहत देने का वादा किया है।
- यूक्रेन युद्ध ट्रान्साटलांटिक आर्थिक संरेखण की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

विकासशील राष्ट्र स्थिति अधिनियम

खबरों में क्यों?

अमेरिकी सीनेट समिति ने चीन का "विकासशील देश" का दर्जा हटाने वाले कानून को मंजूरी दे दी

महत्वपूर्ण बिंदु

- अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति ने हाल ही में द्विदलीय कानून को मंजूरी दे दी है जिसे विकासशील राष्ट्र स्थिति अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो चीन की "विकासशील देश" स्थिति को हटाने का प्रयास करता है।
- यह कदम अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पहले की गई इसी तरह की कार्रवाई का अनुसरण करता है।
- इस कानून का अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संधियों में चीन की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

विकासशील राष्ट्र स्थिति अधिनियम

- कानून, जिसे आधिकारिक तौर पर विकासशील राष्ट्र स्थिति अधिनियम कहा जाता है, अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
- इसका मुख्य लक्ष्य भविष्य की संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन को "विकासशील देश" का दर्जा देने के खिलाफ एक अमेरिकी नीति का गठन करना है।
- अधिनियम राज्य सचिव को प्रासंगिक समझौतों में चीन की स्थिति को "विकसित देश" में बदलने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने का निर्देश देता है।

विशेषाधिकार और शोषण

- बाजार पहुंच, ऋण, सरकारी समर्थन में कमी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तकनीकी सहायता के मामले में अधिमान्य उपचार प्राप्त करें।
- WTO समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए लंबी संक्रमण अवधि की आवश्यकता होती है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) जैसे कुछ विकसित देश के सदस्यों की एकतरफा वरीयता योजनाओं से लाभ।
- जलवायु परिवर्तन की ज़िम्मेदारियों जैसे मुद्दों से संबंधित अनुकूल व्यवहार।
- चीन की विकासशील देश की स्थिति वर्तमान में इसे विशिष्ट संगठनों और संधियों के भीतर कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है। कानून के समर्थकों का तर्क है कि चीन को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और व्यापक वैश्विक निवेश के कारण अब विकासशील देश नहीं माना जा सकता है।
- उनका तर्क है कि चीन ने बहुपक्षीय वार्ता में अनुचित लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है, विशेष रूप से इसकी बेल्ट और रोड पहल में यह स्पष्ट है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रतिक्रियाएँ

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने 'विकसित' और 'विकासशील' देशों को परिभाषित नहीं किया है और इसलिए सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे 'विकसित' हैं या 'विकासशील' हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के पास भी विकासशील देशों की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी निगरानी उद्देश्यों के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है।

बैंकॉक विज़न 2030

खबरों में क्यों?

विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव (पूर्व) के अनुसार, इस साल के अंत में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन बैंकॉक विजन 2030 को अपनाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

बैंकॉक विज़न 2030

- मार्च 2023 में, थाईलैंड ने 19वीं बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की।
- इसमें बिम्सटेक बैंकॉक विजन 2030 के मसौदा पाठ पर चर्चा की गई और उसे मंजूरी दी गई, जो 2030 तक बिम्सटेक को एक समृद्ध, लचीला और खुले क्षेत्र की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित एक नेता-स्तरीय दस्तावेज़ है।
- दस्तावेज़ का उद्देश्य शांति, स्थिरता और आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र के रूप में बिम्सटेक को और बढ़ावा देना है।
- विज़न में पाए गए लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और थाईलैंड के जैव-परिपत्र-हरित आर्थिक मॉडल के अनुरूप भी हैं।
- यह दस्तावेज़ एक व्यापक ढांचे के रूप में काम करेगा, जो संगठन और उसकी गतिविधियों को दिशा प्रदान करेगा।
- थाईलैंड ने बैंकॉक विज़न 2030 प्रस्तुत किया है जो BIMSETC को एक ऐसे क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता है जो समृद्ध, लचीला और खुला हो।

बिम्सटेक के बारे में

- बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास के सात सदस्य देश शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

सदस्य देशों:

- बिम्सटेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
- सदस्य राज्य रणनीतिक रूप से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं।

उद्देश्य:

- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा: बिम्सटेक का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है।
- कनेक्टिविटी को मजबूत करना: संगठन क्षेत्र के भीतर भौतिक, आर्थिक और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहता है।
- लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना: बिम्सटेक का उद्देश्य सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान, पर्यटन और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- आम चुनौतियों का समाधान: इसका उद्देश्य गरीबी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और आतंकवाद जैसी आम चुनौतियों का समाधान करना है।

सहयोग के क्षेत्र:

1.व्यापार और निवेश:

- व्यापार सुविधा को बढ़ाना, बाधाओं को कम करना और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- निवेश को प्रोत्साहित करना और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना।

2.परिवहन और कनेक्टिविटी:

- परिवहन बुनियादी ढांचे और नेटवर्क के विकास के माध्यम से भौतिक कनेक्टिविटी में सुधार।
- क्षेत्र के भीतर समुद्री कनेक्टिविटी, हवाई संपर्क और मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ाना।

3.ऊर्जा:

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कुशल ऊर्जा उपयोग सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग को सुविधाजनक बनाना।

4.पर्यटन एवं संस्कृति:

- पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत स्थलों के संरक्षण में सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- पर्यटन प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और पर्यटन उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।

5.कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:

- कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना।
- सतत कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकी और ज्ञान को साझा करना।

6.पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:

- पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन उपायों पर सहयोग करना।

नाटो प्लस समूह

खबरों में क्यों?

एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि वह भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बढ़ते चीन से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों के बीच, एक अमेरिकी सीनेटर ने एक विधेयक पेश करने की योजना बनाई है जो भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बना देगा।
- इस कदम से बिना किसी नौकरशाही परेशानी के सर्वोच्च अमेरिकी प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण की सुविधा होगी।
- नाटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में वर्तमान में नाटो और पांच गठबंधन राष्ट्र - ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देना है।
- इस प्रयास का उद्देश्य भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को उन्नत करना है। हालाँकि, भारत ने पहले ही इस रूपरेखा को अस्वीकार कर दिया था।
- इस श्रेणी में भारत के शामिल होने से उनके रक्षा संबंध मजबूत होंगे, खासकर तब जब वे दोनों चीन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- क्वाड उस क्षेत्र में एक महान कदम है। नाटो प्लस फाइव के साथ रक्षा सरेखण पर भारत अगला कदम होगा।

नाटो के बारे में

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की स्थापना 1949 में हुई थी और यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 देशों का एक समूह है जो अपने सदस्यों के लोगों और क्षेत्रों की रक्षा के लिए मौजूद है।
- गठबंधन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर स्थापित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि एक नाटो सहयोगी पर हमला किया जाता है, तो सभी नाटो सहयोगियों पर हमला किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब 9/11 2001 को आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया, तो सभी नाटो सहयोगी अमेरिका के साथ खड़े थे जैसे कि उन पर भी हमला किया गया हो।
- आतंकवाद से लड़ने में नाटो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नाटो मिशन इराक के माध्यम से, हम इराकी सुरक्षा बलों और संस्थानों को उनके देश को स्थिर करने, आतंकवाद से लड़ने और दाएश की वापसी को रोकने के लिए सलाह और सहायता दे रहे हैं।
- नाटो भी ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन का पूर्ण सदस्य है, और हमारे AWACS निगरानी विमान ने एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई है।
- लगभग 20 वर्षों तक, नाटो ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि अफगानिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने।
- नेपल्स में, नाटो ने मित्र राष्ट्रों को आतंकवाद के खतरे से निपटने में मदद करने के लिए 'दक्षिण के लिए केंद्र' की स्थापना की है।
- ओपन डोर पॉलिसी नाटो का संस्थापक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि यूरोप का कोई भी देश नाटो में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है यदि वह सदस्यता के मानकों और दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है, गठबंधन की सुरक्षा में योगदान देता है और नाटो के स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन के मूल्यों को साझा करता है।
- 1949 के बाद से, नाटो की सदस्यता 12 से बढ़कर 31 देशों तक पहुंच गई है।
- अप्रैल 2023 में, हमने फिनलैंड का अपने 31वें सदस्य के रूप में स्वागत किया।

क्वाड के बारे में

- यह चार लोकतंत्रों-भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समूह है।
- सभी चार राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक समान आधार पाते हैं और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के सामान्य हित का भी समर्थन करते हैं।
- इसका उद्देश्य "स्वतंत्र, खुला और समृद्ध" इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और समर्थन करना है।
- क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, यह विचार स्पष्ट रूप से चीनी दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के इससे बाहर निकलने के बाद आगे नहीं बढ़ सका।
- आख़िरकार 2017 में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक साथ आए और इस "चतुर्भुज" गठबंधन का गठन किया।

हेलिओपोलिस स्मारक

खबरों में क्यों?

भारत मिस्र के काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान में हेलियोपोलिस (पोर्ट टेवफिक) स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत के प्रधानमंत्री मिस्र के काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान में हेलियोपोलिस (पोर्ट टेवफिक) स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
- यहां मिस्र और फिलिस्तीन में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले लगभग 4,000 भारतीय सैनिकों के नाम स्मरण किये गये हैं।

हेलियोपोलिस मेमोरियल के बारे में:

- यह बड़े हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कब्रिस्तान का हिस्सा है।
- यह स्मारक उन 3,727 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन के विभिन्न अभियानों में लड़ते हुए मारे गए थे।
- मूल पोर्ट टेवफिक स्मारक का अनावरण 1926 में किया गया था और यह स्वेज नहर के प्रवेश द्वार पर स्थित था।
- स्मारक को 1967 के इजरायली-मिस्र युद्ध में पीछे हटने वाले मिस्र के सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और 1980 में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कब्रिस्तान में एक नया स्मारक बनाया गया था।
- भारतीय सैनिकों ने मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां भारतीय घुड़सवार सेना ने हाइफ़ा की लड़ाई में भाग लिया और प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पोर्ट टेवफिक को अब पोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है।

पोर्ट स्वेज़ के बारे में

- यह मिस्र में स्वेज़ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है।
- बंदरगाह और शहर स्वेज नहर के दक्षिणी टर्मिनस को चिह्नित करते हैं, जो मिस्र के माध्यम से भूमध्य सागर से स्वेज की खाड़ी तक उत्तर-दक्षिण में चलता है।
- बंदरगाह सामान्य माल, तेल टैंकरों और वाणिज्यिक और निजी दोनों यात्री जहाजों को परिवहन करने वाले जहाजों की सेवा प्रदान करता है।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में भारतीय सेना की भूमिका

- भारतीय सैनिकों का महत्व: भारतीय सैनिकों ने मिस्र में स्वेज नहर को सुरक्षित करने और फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया में अभियानों में भाग लेने में प्रमुख भूमिका निभाई।
- हाइफ़ा की लड़ाई: हाइफ़ा की लड़ाई में भारतीय घुड़सवार सेना की भागीदारी, नई दिल्ली में एक युद्ध स्मारक द्वारा मनाई गई।
- विविध प्रतिनिधित्व: यह स्मारक भारतीय सेना और रियासतों की राज्य सेनाओं की कई भारतीय रेजिमेंटों की याद दिलाता है।
- रियासतों का योगदान: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रियासतों के सैनिकों ने युद्ध के विभिन्न प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

आर्टेमिस समझौते

खबरों में क्यों?

भारत-अमेरिका ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसरो-नासा 2024 में संयुक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

आर्टेमिस समझौते क्या हैं?

- 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST) की नींव पर बनाया गया आर्टेमिस समझौता, दिशानिर्देशों का एक व्यापक ढांचा तैयार करता है जिसका उद्देश्य आधुनिक युग में अंतरिक्ष की खोज और उपयोग को नियंत्रित करना है।
- कानूनी रूप से बाध्यकारी न होते हुए भी, ये सिद्धांत नागरिक अंतरिक्ष प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, आर्टेमिस समझौते का प्रयास 2025 तक चंद्रमा पर मानव की वापसी को सुविधाजनक बनाना है, जो भविष्य में मंगल और अन्य खगोलीय स्थलों को शामिल करने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- व्हाइट हाउस ने कहा कि नासा और इसरो दोनों 2024 में एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर सहमत हुए हैं।
- आर्टेमिस समझौते के सिद्धांत: शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, पारदर्शिता, अंतरसंचालनीयता, अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण, अंतरिक्ष विरासत का संरक्षण, अंतरिक्ष का टकराव कम करना, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन।

अर्धचालक

- भारतीय और अमेरिकी कंपनियां अर्धचालकों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए साझेदारी करेंगी जो आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को बढ़ावा देती है।

- माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारतीय राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी में 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के महत्वपूर्ण निवेश की योजना का खुलासा किया है।
- यह पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता, भारतीय अधिकारियों से अतिरिक्त फंडिंग के साथ, भारत में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा की स्थापना में परिणत होगी, जिसमें कुल निवेश राशि 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी।

तकनीकी

- भारत और अमेरिका ने AI और क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारतीय क्वांटम विश्वविद्यालयों और संस्थाओं का संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास कंसोर्टियम के साथ काम करने के लिए स्वागत है।
- देश 5G और 6G प्रौद्योगिकियों सहित उन्नत दूरसंचार में भी मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) सिस्टम पर भी मिलकर काम कर रहे हैं।

चाल का महत्व

- दोनों देश डेटा, प्रौद्योगिकी और संसाधनों को साझा करेंगे और चंद्र अन्वेषण की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- गगनयान मिशन के लिए पाठ्यक्रम, सुविधाओं और प्रशिक्षण डिजाइन को मजबूत करने में मदद करें।
- भारत की अंतरिक्ष कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन सकती हैं।

नील पुरस्कार का आदेश

खबरों में क्यों?

हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान मंत्री को देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान "ऑर्डर ऑफ द नाइल" पुरस्कार से सम्मानित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मिस्र के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की दो दिवसीय यात्रा पर थे।
- 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधान मंत्री की पहली यात्रा, महत्वपूर्ण है क्योंकि मिस्र पारंपरिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है।
- इजिप्टियन सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक मोबिलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स (CAPMAS) के अनुसार, भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू है और यह मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज पर आधारित है।
- अप्रैल 2022-दिसंबर 2022 की अवधि में भारत मिस्र का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- उसी समय के दौरान यह मिस्र के सामानों का 11वां सबसे बड़ा आयातक और मिस्र का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था।
- दोनों देश द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संपर्क और सहयोग के लंबे इतिहास के आधार पर एक करीबी राजनीतिक समझ साझा करते हैं।

ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार के बारे में:

- यह मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है।
- 1915 में स्थापित, 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' उन राष्ट्राध्यक्षों, क्राउन प्रिंसेस और उप-राष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
- 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' एक शुद्ध सोने का कॉलर है जिसमें तीन-वर्ग सोने की इकाइयां शामिल हैं जिनमें फैरोनिक प्रतीक शामिल हैं।
- पहली इकाई राज्य को बुराइयों से बचाने के विचार से मिलती जुलती है, दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि और खुशी से मिलती जुलती है और तीसरी इकाई धन और सहनशक्ति को संदर्भित करती है।
- तीनों इकाइयाँ फ़िरोज़ा और माणिक से सजाए गए एक गोलाकार सोने के फूल से जुड़ी हुई हैं।
- कॉलर से लटका हुआ एक हेक्सागोनल पेंडेंट है जिसे फ़ारोनिक शैली के फूलों और फ़िरोज़ा और रूबी रत्नों से सजाया गया है।
- पेंडेंट के बीच में, नील नदी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उभरा हुआ प्रतीक है जो उत्तर (पपाइरस द्वारा दर्शाया गया) और दक्षिण (कमल द्वारा दर्शाया गया) को एक साथ लाता है।
- जो लोग 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' प्राप्त करते हैं उन्हें उनकी मृत्यु पर सलामी दी जाएगी।

8 सरकारी योजना

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

खबरों में क्यों?

कैबिनेट ने "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" की सुविधा के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" की सुविधा के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दे दी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
- पेशेवर तरीके से योजना के समयबद्ध और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा।
- पायलट परियोजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जिससे मिली सीख को योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

कार्यान्वयन

- संशोधित करने के लिए सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया जाएगा, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और संबंधित सचिव सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर, स्वीकृत परिव्यय और निर्धारित लक्ष्यों के भीतर, गोदामों आदि जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण द्वारा 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की सुविधा के लिए संबंधित मंत्रालयों की योजनाओं के दिशानिर्देश/कार्यान्वयन पद्धतियां। चयनित 'व्यवहार्य' प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में कृषि और संबद्ध उद्देश्य।
- योजना को संबंधित मंत्रालयों की पहचानी गई योजनाओं के तहत प्रदान किए गए उपलब्ध परिव्यय का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा।

योजना के तहत अभिसरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं की पहचान की गई है:

a. **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय:**
- कृषि अवसंरचना निधि (AIF),
- कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI),
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH),
- कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (SMAM)

b. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:**
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) का औपचारिकीकरण,
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMSKY)

c. **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:**
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का आवंटन,
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य

योजना के लाभ

- यह योजना बहुआयामी है, इसका उद्देश्य न केवल पैक्स के स्तर पर गोदामों की स्थापना की सुविधा प्रदान करके देश में कृषि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है, बल्कि पैक्स को विभिन्न अन्य गतिविधियां करने में भी सक्षम बनाना है, जैसे:
  - राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए खरीद केंद्र के रूप में कार्य करना;
  - उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में कार्य करना;
  - कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना;
  - सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना, जिसमें कृषि उपज के लिए परख, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयां आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण से खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।

- किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करके, यह फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकेगा, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इससे खरीद केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन और फिर से स्टॉक को गोदामों से FPS तक वापस पहुंचाने में होने वाली लागत में भारी कमी आएगी।
- 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोण के माध्यम से, योजना पैक्स को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाकर मजबूत करेगी, जिससे किसान सदस्यों की आय में भी वृद्धि होगी।

कार्यान्वयन की समय-सीमा और तरीका

- कैबिनेट की मंजूरी के एक सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
- कैबिनेट की मंजूरी के 15 दिनों के भीतर कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
- पैक्स को सरकार के साथ जोड़ने के लिए एक पोर्टल। भारत और राज्य सरकारों की कैबिनेट की मंजूरी के 45 दिनों के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा।
- कैबिनेट की मंजूरी के 45 दिनों के भीतर प्रस्ताव का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत के प्रधान मंत्री ने कहा है कि "सहकार-से-समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी समितियों की ताकत का लाभ उठाने और उन्हें सफल और जीवंत व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
- इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' लेकर आया है। इस योजना में पीएसीएस के स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों आदि सहित विभिन्न प्रकार के कृषि-बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है, इस प्रकार उन्हें बहुउद्देशीय समितियों में बदल दिया जाएगा।
- पैक्स के स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण से पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण करके खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी, देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर कीमतें मिल सकेंगी।
- देश में 13 करोड़ से अधिक किसानों के विशाल सदस्य आधार के साथ 1,00,000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि और ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में जमीनी स्तर पर पीएसीएस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और अंतिम मील तक उनकी गहरी पहुंच का लाभ उठाने के लिए, विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने के लिए यह पहल की गई है। अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के साथ पैक्स का स्तर, जो न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि पैक्स को खुद को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने में भी सक्षम बनाएगा।

CITIIS 2.0

खबरों में क्यों?

कैबिनेट ने 2023 से 2027 तक नवाचार, एकीकरण और 2.0 (CITIIS 2.0) को बनाए रखने के लिए शहरी निवेश को मंजूरी दी

महत्वपूर्ण बिंदु

- माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनोवेट, इंटीग्रेट और सस्टेन 2.0 (CITIIS 2.0) के लिए शहरी निवेश को मंजूरी दे दी है।
- CITIIS 2.0 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (KfW), यूरोपीय संघ (EU) और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) के साथ साझेदारी में तैयार किया गया एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चार साल की अवधि यानी 2023 से 2027 तक चलेगा।
- कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है।
- CITIIS 2.0 के वित्तपोषण में AFD और KfW (प्रत्येक 100 मिलियन EUR) से 1760 करोड़ रुपये (EUR 200 मिलियन) का ऋण और EU से 106 करोड़ रुपये (EUR 12 मिलियन) का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा।
- CITIIS 2.0 का लक्ष्य CITIIS 1.0 की सीखों और सफलताओं का लाभ उठाना और उन्हें बढ़ाना है। CITIIS 1.0 को 2018 में MoHUA, AFD, EU और NIUA द्वारा संयुक्त रूप से ₹933 करोड़ (EUR 106 मिलियन) के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। CITIIS 1.0 में तीन घटक शामिल थे:
  - घटक 1: प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 12 शहर-स्तरीय परियोजनाएं।
  - घटक 2: ओडिशा राज्य में क्षमता-विकास गतिविधियाँ।
  - घटक 3: NIUA द्वारा की गई गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना, जो CITIIS 1.0 के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU) थी।
  - कार्यक्रम के तहत घरेलू विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और ट्रांसवर्सल विशेषज्ञों के माध्यम से तीनों स्तरों पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।
  - इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के आधार पर एक अद्वितीय चुनौती-संचालित वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से नवीन, एकीकृत और टिकाऊ शहरी विकास प्रथाओं को मुख्यधारा में लाया गया है।

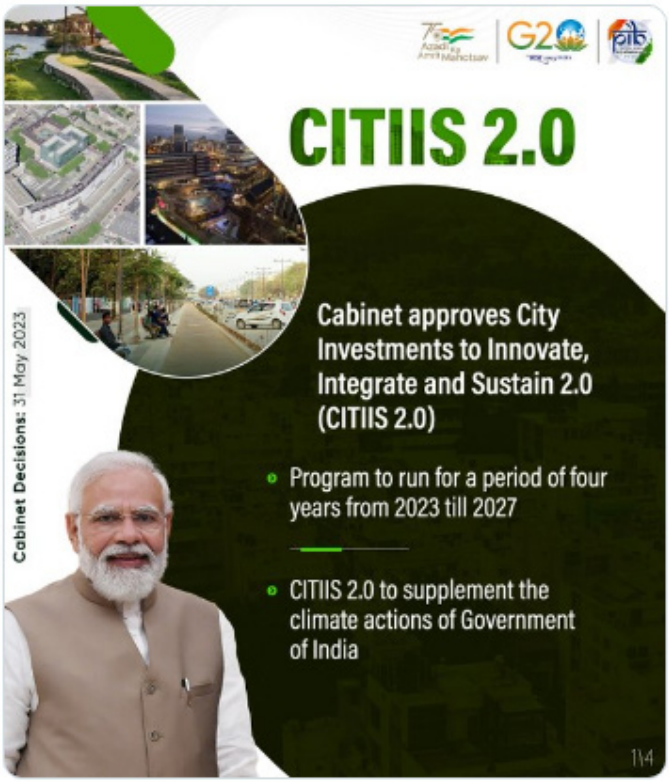

CITIIS 1.0 मॉडल के बाद, CITIIS 2.0 के तीन प्रमुख घटक हैं:

- घटक 1: एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं के चयन के माध्यम से 18 स्मार्ट शहरों में जलवायु लचीलापन, अनुकूलन और शमन पर केंद्रित विकासशील परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता।
- घटक 2: सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मांग के आधार पर समर्थन के लिए पात्र होंगे। राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी (a) अपने मौजूदा राज्य जलवायु केंद्रों / जलवायु कोशिकाओं / समकक्षों को स्थापित / मजबूत करना (b) राज्य और शहर स्तरीय जलवायु डेटा वेधशालाएं बनाना (c) जलवायु-डेटा संचालित योजना की सुविधा देना, जलवायु कार्य योजनाएं विकसित करना और (d) नगरपालिका पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, NIUA में PMU राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और रणनीतिक समर्थन के प्रावधान का समन्वय करेगा।
- घटक 3: तीनों स्तरों पर हस्तक्षेप; केंद्र, राज्य और शहर सभी राज्यों और शहरों में बड़े पैमाने पर समर्थन के लिए संस्थागत मजबूती, ज्ञान प्रसार, साझेदारी, निर्माण क्षमता, अनुसंधान और विकास के माध्यम से शहरी भारत में जलवायु शासन को आगे बढ़ाएंगे।

- CITIIS 2.0 अपने चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों (सतत आवास अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और स्मार्ट सिटीज़ मिशन पर राष्ट्रीय मिशन) के माध्यम से भारत सरकार के जलवायु कार्यों को पूरक करेगा और साथ ही भारत के इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) में सकारात्मक योगदान देगा। पार्टियों का सम्मेलन (COP26) प्रतिबद्धताएँ।

दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप

खबरों में क्यों?

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय डेयरी उद्योगों को बदलने के लिए "दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप" लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह अभिनव एप्लिकेशन, भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक "मिनी रत्न" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL), जयपुर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो भारतीय डेयरी उद्योगों पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए तैयार है। दूध संग्रहण प्रक्रिया में प्रमुख चुनौतियाँ।
- इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना और दूध सहकारी समितियों सहित जमीनी स्तर के ग्रामीण स्तर पर संचालन को सुव्यवस्थित करना है।

- इस ऐप के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
- दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप' दूध संग्रह प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और सशक्तिकरण लाएगा, जिससे अंततः दूध उत्पादकों को लाभ होगा और डेयरी क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा।

- दूध उत्पादकों, दूध सहकारी समितियों, दूध संगठनों और राज्य संघों सहित सभी साझेदारियों में जमीनी स्तर पर संचालन में सुधार के लिए आवेदन क्षेत्र में प्रासंगिक रूप से सक्रिय होगा।
- मिल्क कलेक्शन पार्टनर मोबाइल ऐप दूध उत्पादकों को अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु और अन्य भाषाओं में सभी सेवाओं की जानकारी देगा
- डेयरी उद्योग में प्रगति की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए, REIL ने एक व्यापक क्लाउड-आधारित समाधान विकसित किया है जो नवीनतम अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है।
- यह दूरदर्शी पहल प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और दूध उत्पादकों को सरकारी सब्सिडी के सीधे लाभार्थी हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- "दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप" दूध उत्पादकों, सहकारी समितियों, दूध संघों और राज्य संघों सहित दूध संग्रह प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लाएगा। ऐप की मुख्य विशेषताओं और लाभों में शामिल हैं:
  - हितधारकों के बीच पारदर्शिता में वृद्धि
  - दुग्ध सहकारी समितियों में प्रतिदिन डाले जाने वाले दूध की ऑनलाइन निगरानी
  - क्लाउड सर्वर से वास्तविक समय में दूध की कीमत अपडेट करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मानवीय त्रुटियों को दूर करना
  - ऐप के माध्यम से दूध उत्पादकों के बैंक खातों में दूध भुगतान और सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभार्थी हस्तांतरण
  - दूध उत्पादकों के ऐप पर दूध संग्रह के लिए सूचनाएं पुश करें
  - अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु और अन्य के समर्थन के साथ बहुभाषी ऐप

न्याय विकास पोर्टल

खबरों में क्यों?

न्याय विकास पोर्टल, केंद्र प्रायोजित योजना न्याय विकास के कार्यान्वयन की निगरानी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में, न्याय विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल बनाया गया था।
- न्याय विकास पोर्टल हितधारकों को लॉग इन करने के लिए चार सुविधाजनक तरीके प्रदान करता है, जो उन्हें फंडिंग विवरण, दस्तावेज़ीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन जानकारी तक सहज पहुंच प्रदान करता है।
- न्याय विकास योजना भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं और आवास में सुधार के लिए न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है।

न्याय विकास योजना के बारे में

- 1993-94 से, न्याय विभाग जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) न्याय विकास के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
- न्याय विकास योजना का उद्देश्य जिला और अधीनस्थ स्तरों पर न्यायपालिका के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना और सुधारना है।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य बेहतर न्याय वितरण की सुविधा के लिए देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास आवश्यकताओं के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
- कवरेज और दायरा: यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। इस योजना में राज्यों में न्यायिक भवनों का निर्माण और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय आवास का निर्माण शामिल है।

इस योजना में तीन नए तत्व शामिल हैं:

- वकील हॉल का निर्माण
- शौचालय परिसर
- डिजिटल कंप्यूटर रूम से वकीलों और वादकारियों को सुविधा।

अनुदान

- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात के साथ केंद्र और राज्य के बीच फंड साझा करने का पैटर्न।
- उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए, अनुपात 90:10 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यह 100% है।
- न्याय विकास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया गया है।

विशेषताएँ

- न्याय विकास योजना जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
- योजना के हालिया विस्तार के साथ, कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा, वकीलों और वादियों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

खबरों में क्यों?

केंद्र ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने देश भर में 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की बैठक में लिया गया फैसला।
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए देश भर में 2,000 पैक्स की पहचान की जाएगी।
- इस वर्ष अगस्त तक 1,000 और दिसंबर तक 1,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे।
- इस निर्णय से न केवल पैक्स की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाएं भी उपलब्ध होंगी।
- देशभर में अब तक 9,400 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।
- इन जन औषधि केंद्रों में 1800 प्रकार की दवाएं और 285 अन्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं।
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% कम दर पर उपलब्ध हैं।

पात्रता मापदंड:

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड D फार्मा / B फार्मा होना है। कोई भी संगठन, NGO, धर्मार्थ संगठन और अस्पताल B फार्मा/D फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट जगह निजी स्वामित्व वाली या किराये पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है।

विशेष श्रेणी

- महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप विशेष क्षेत्रों में हैं।
- विशेष श्रेणियों और विशेष क्षेत्रों के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क में छूट है।

प्रोत्साहन

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये (मासिक खरीद का 15% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह) है।
- रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन। विशेष श्रेणियों और क्षेत्रों में IT और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये भी प्रदान किए जाते हैं।

वैभव फ़ेलोशिप कार्यक्रम

खबरों में क्यों?

भारत सरकार ने भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (एसटीईएमएम) प्रवासी भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ने के लिए एक नया फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) प्रवासी भारतीयों को भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से जोड़ना है।
- यह सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य, ज्ञान साझाकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

कार्यान्वयन एवं पात्रता

- कार्यान्वयन एजेंसी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DSP), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- लाभार्थी: भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद् (NRI/OCI/PIO) अपने-अपने देशों में अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं।
- लाभ: प्रति माह 4,00,000 रुपये का अनुदान, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा व्यय, आवास और आकस्मिकताएं
- वर्टिकल की पहचान: क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और सामग्री विज्ञान सहित 18 पहचाने गए ज्ञान वर्टिकल में काम करने के लिए 75 अध्येताओं का चयन किया जाएगा।

- सहयोग: वैभव फेलो भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI), विश्वविद्यालयों और/या सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।
- अनुसंधान एवं विकास गतिविधि: फेलो किसी भारतीय संस्थान में प्रति वर्ष 2 महीने, अधिकतम 3 वर्ष तक बिता सकता है।

वैभव शिखर सम्मेलन

- भारत सरकार ने भारतीय STEMM प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्थानों से जोड़ने के लिए VAIBHAV शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
- शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया और इसमें 25,000 से अधिक उपस्थित लोगों ने भाग लिया।
- 70 से अधिक देशों के भारतीय STEMM प्रवासियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

संकल्प कार्यक्रम

खबरों में क्यों?

हाल ही में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (NSDE) ने संकल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 98 प्रशिक्षकों को प्रमाणित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह पहल ऑटोमोटिव सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल (ASDC), GIZ-IGVET और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास मिशन (MSSDS) के सहयोग से की गई थी।
- आजीविका संवर्धन (संकल्प) के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के राष्ट्रीय घटक के हिस्से के रूप में विकसित इस परियोजना का उद्देश्य उन्नत वेल्डिंग, सीएनसी संचालन, रोबोटिक्स, गुणवत्ता नियंत्रण और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षकों के कौशल को बढ़ाना है।

कार्यान्वयन मंत्रालय:

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने ऑटोमोटिव सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल (ASDC), GIZ-IGVET और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास मिशन (MSSDS) सहित प्रमुख हितधारकों के सहयोग से प्रशिक्षकों के क्लस्टर-आधारित प्रशिक्षण परियोजना का नेतृत्व किया।
- परियोजना ने पाठ्यक्रम विकास में उद्योग के सदस्यों को शामिल करके कौशल अंतर को पाटने और उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षकों के तकनीकी और शैक्षणिक कौशल को उन्नत करने की मांग की।

प्रमुख विशेषताएं:

- दोहरा प्रमाणन: TOT कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों को ऑटोमोटिव सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल और IGCC (जर्मन प्रमाणन एजेंसी) द्वारा आयोजित मूल्यांकन से गुजरने के बाद दोहरा प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह प्रमाणीकरण उनके संबंधित ट्रेडों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण देने में उनकी क्षमता सुनिश्चित करता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: इस पहल ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) क्षेत्र में एक मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया। सुखाकार्ता जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड जैसे संगठनों के साथ सहयोग। पुणे में लिमिटेड (SGECPL) ने TOT कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की।
- कक्षा और नौकरी पर प्रशिक्षण: TOT कार्यक्रम में एक महीने का कक्षा प्रशिक्षण और उसके बाद एक महीने की नौकरी पर प्रशिक्षण शामिल था। इस व्यापक दृष्टिकोण ने प्रशिक्षकों को प्रभावी प्रशिक्षण वितरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों से सुसज्जित किया।

फ़ायदे:

- कौशल संवर्धन: TOT कार्यक्रम का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रशिक्षकों के कौशल को बढ़ाना, उन्हें उद्योग की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करना है। उनके तकनीकी और शैक्षणिक कौशल को उन्नत करके, कार्यक्रम ने एक अत्यधिक सक्षम कार्यबल के विकास में योगदान दिया।
- उद्योग सरेखण: पाठ्यक्रम विकास में उद्योग के सदस्यों को शामिल करने से यह सुनिश्चित हुआ कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के अनुरूप थे। इस सहयोग ने कौशल अंतर को पाट दिया और प्रशिक्षुओं के लिए ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा प्रदान की।

दृष्टि:

- प्रशिक्षकों के क्लस्टर-आधारित प्रशिक्षण परियोजना के लिए प्रमाणन समारोह ने उच्च कुशल प्रशिक्षकों का एक पूल बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (TOT) कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर, सरकार का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में एक सक्षम और मजबूत कार्यबल का निर्माण करना है, जिससे कौशल विकास पहल का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा।

पीएम मातृ वंदना योजना

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने राजस्थान के दौसा में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' को 'गोद भराई' समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह 2017 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना है।

उद्देश्य

- नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना, ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के बीच स्वास्थ्य-संबंधी व्यवहार में सुधार करना।

विशेषताएँ

- यह योजना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए है।
- किसी महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिए मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो
- इस योजना के तहत गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण से लेकर बच्चे के जन्म तक 5,000 रुपये का मौद्रिक लाभ दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
- 5,000 रुपये तीन किस्तों में प्रदान किए जाते हैं।
- गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान किया जाता है।
- 2,000 रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होने और कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने के समय किया जाता है।
- 2,000 रुपये की तीसरी किस्त ऐसे बच्चे के जन्म और जन्म के पंजीकरण के बाद और ऐसे बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी के टीकाकरण का पहला चक्र प्राप्त होने के बाद मिलती है।
- योजना के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए गर्भपात/मृत जन्म के मामलों को नए मामलों के रूप में माना जाएगा।

पोषण ट्रैकर ऐप

खबरों में क्यों?

57,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों ने मोबाइल फोन पर पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करके विशेष एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एप्लिकेशन आंगनवाड़ी केंद्र (बाल देखभाल केंद्र) की गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा वितरण और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का 360-डिग्री दृश्य प्रदान करता है।
- यह श्रमिकों द्वारा उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित भी करता है।
- कुशल सेवा वितरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी ई-मार्केट (GeM) के माध्यम से खरीदे गए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- तकनीकी सहायता प्रदान करने और नए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को डाउनलोड करने और प्रत्येक राज्य में इसकी कार्यप्रणाली के साथ किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक नोडल व्यक्ति भी नियुक्त किया गया है।
- सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक जिसने अपने मूल राज्य में पंजीकरण कराया था, वह अपने वर्तमान निवास स्थान में निकटतम आंगनवाड़ी में जा सकता है और दी गई योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा लॉन्च किया गया था।

पोषण अभियान क्या है?

- इसे 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था और यह लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और पोषण पर चर्चा को सबसे आगे लाने में सहायक रहा है।
- इसे पोषण संबंधी परिणामों में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- अभियान का फोकस किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देना है।
- कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी के उपयोग, अभिसरण और लक्षित दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रयास करता है:
- बच्चों में तेजस्वी, अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के स्तर को कम करना।

9 विविध

ERSO

खबरों में क्यों?

MeitY ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग (ERSO) पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया

महत्वपूर्ण बिंदु

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत में अग्रणी बनने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउट-सोर्सिंग (ERSO) पहल शुरू की।
- पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में चलाया जा रहा है और 31 मार्च से शुरू होकर तीन महीने तक चलेगा।
- इस परियोजना को भारत के लिए गेम-चेंजर के रूप में पहचाना गया है और ERSO उद्योग से भारत को 20 अरब डॉलर तक राजस्व मिलने की संभावना है और अगले पांच वर्षों में लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी।
- ERSO पहल के लिए आवश्यक नीति और प्रक्रिया परिवर्तन पिछले कुछ महीनों में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मरम्मत उद्योग के साथ गहन परामर्श के बाद पेश किए गए हैं।
- मंत्रालय के अनुसार, MeitY, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरम्मत उद्योग के साथ मिलकर उस नीति पर काम किया, जो भारत बनाना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत के लिए एक आकर्षक गंतव्य।
- पांच कंपनियों फ्लेक्स, लेनोवो, CTDI, आर-लॉजिक और एफोरसर्व ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए स्वेच्छा से काम किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद, IT मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और प्रक्रिया और नीति में संशोधन किया जाएगा।
- ERSO परियोजना मिशन LiFE का समर्थन करेगी। मिशन LiFE को 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्रवाई कथा में सबसे आगे लाने के लिए।
- इसका उद्देश्य 'उपयोग और निपटान' अर्थव्यवस्था को एक परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल के साथ बदलना है, जिसे "सावधान और जानबूझकर उपयोग" द्वारा परिभाषित किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करना है जो जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं
- ERSO के लिए आवश्यक नीति और प्रक्रिया परिवर्तन पिछले कुछ महीनों में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मरम्मत उद्योग के साथ गहन चर्चा के बाद पेश किए गए हैं और लॉन्च किए गए सीमित पायलट के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता और दक्षता के लिए मान्य किया जा रहा है।
- मिशन लाइफ का समर्थन करने के लिए प्रधान मंत्री के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, ERSO पहल वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक गेमचेंजर होगी और पर्यावरण और हमारे ग्रह के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है।
- यह दुनिया भर के लिए ICT उत्पादों की सस्ती और विश्वसनीय मरम्मत प्रदान करके विश्व स्तर पर डिवाइस जीवन का विस्तार करने में सक्षम होगा।

राष्ट्रीय विद्युत योजना

खबरों में क्यों?

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 2022-32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित करता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने 2022-32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) को अधिसूचित किया है।
- आज ई-गजट के माध्यम से जारी किए गए योजना दस्तावेज में पिछले पांच वर्षों (2017-22) की समीक्षा, अगले पांच वर्षों (2022-27) के लिए एक विस्तृत योजना और अगले पांच वर्षों (2027-32) के लिए संभावित योजना शामिल है।
- NEP दस्तावेज़ के अनुसार अनुमानित अखिल भारतीय बिजली की मांग और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता वर्ष 2026-27 के लिए 277.2 गीगावॉट और 1907.8 बीयू और 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (EPS) के अनुसार वर्ष 2031-32 के लिए 366.4 गीगावॉट और मांग अनुमान 2473.8 बीयू है।
- ऊर्जा की आवश्यकता और अधिकतम मांग में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन, सोलर रूफ टॉप की स्थापना, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, सौभाग्य योजना आदि के कारण पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।

RAO'S ACADEMY

- कुल क्षमता वृद्धि का अनुमान वर्ष 2029-30 तक लगभग 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित क्षमता हासिल करने के देश के लक्ष्य के अनुरूप है।
- एनईपी की परिकल्पना है कि गैर जीवाश्म आधारित क्षमता की हिस्सेदारी 2026-27 के अंत तक बढ़कर 57.4% हो जाने की संभावना है और 2031-32 के अंत तक अप्रैल 2023 के लगभग 42.5% से बढ़कर 68.4% होने की संभावना है।
- कुल स्थापित कोयला क्षमता 235.1 गीगावॉट का औसत PLF 2026-27 में लगभग 58.4% होने की संभावना है और 259.6 गीगावॉट कोयला आधारित क्षमता का औसत PLF 2031-32 में लगभग 58.7% होने की संभावना है।
- राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2026-27 तक 7.45GW क्षमता के PSP आधारित भंडारण और 47.65 GWh भंडारण और 8.68 GW/ 34.72 GWh के BESS आधारित भंडारण के साथ 16.13 GW/82.37 GWh की ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। वर्ष 2031-32 तक भंडारण क्षमता की आवश्यकता 411.4 GWh (PSP से 175.18 GWh और BESS से 236.22 GWh) के भंडारण के साथ 73.93 GW (26.69 GW PSP और 47.24 GW BESS) तक बढ़ जाती है।
- वर्ष 2026-27 के लिए घरेलू कोयले की आवश्यकता 866.4 मिलियन टन और वर्ष 2031-32 के लिए 1025.8 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है और आयातित कोयले पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए संयंत्रों के लिए 28.9 मीट्रिक टन कोयले के आयात की अनुमानित आवश्यकता है।
- 2022-2027 की अवधि के लिए उत्पादन क्षमता वृद्धि के लिए कुल निधि की आवश्यकता 14,54,188 करोड़ रुपये और 2027-2032 की अवधि के लिए 19,06,406 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2027-32 के लिए निधि की आवश्यकता के अनुमान में उन परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई शामिल नहीं है जो 31.03.2032 के बाद चालू हो सकती हैं।
- औसत उत्सर्जन कारक वर्ष 2026-27 में 0.548 किलोग्राम CO2/kWhnet और 2031-32 के अंत तक 0.430 किलोग्राम CO2/kWhnet तक कम होने की उम्मीद है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) तैयार करने और पांच वर्षों में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है।

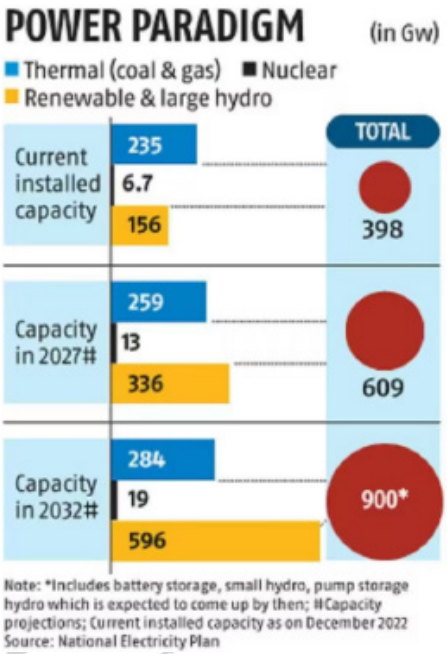

Note: *Includes battery storage, small hydro, pump storage hydro which is expected to come up by then; #Capacity projections; Current installed capacity as on December 2022
Source: National Electricity Plan

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)

- यह एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत किया गया है।

कार्य

- यह राष्ट्रीय बिजली नीति से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, बिजली प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालिक और परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करता है।
- यह विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के लिए तकनीकी मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है।
- बिजली के अंतर-राज्यीय पारेषण को विनियमित करना, उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना आदि।

तापस (TAPAS) UAV

खबरों में क्यों?

एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने TAPAS मानवरहित हवाई वाहन (UAV) की कमांड और नियंत्रण क्षमताओं के हस्तांतरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने TAPAS मानवरहित हवाई वाहन (UAV) की कमांड और नियंत्रण क्षमताओं के हस्तांतरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
- प्रदर्शन में दूर के ग्राउंड स्टेशन से कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे से 148 किमी दूर स्थित युद्धपोत INS सुभद्रा पर UAV को कमांड करना शामिल था।
- तापस UAV ने समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर संचालन किया और तीन घंटे और 30 मिनट की उड़ान पूरी की, INS सुभद्रा ने 40 मिनट के लिए संचालन का नियंत्रण संभाला।
- तापस यूएवी ने चित्रदुर्ग में एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (ATR) से उड़ान भरी और नौसेना बेस तक पहुंचने के लिए 285 किमी की दूरी तय की।
- DRDO ने एक बयान में कहा, UAV के नियंत्रण की सुविधा के लिए, INS सुभद्रा पर एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और दो शिप डेटा टर्मिनल स्थापित किए गए थे।
- सफल परीक्षण के बाद, तापस UAV वापस ATR पर उतरा।
- DRDO द्वारा विकसित तापस UAV एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALE) मानव रहित हवाई वाहन है।

- वाहन, जिसे इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 में अपनी पहली उड़ान के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था, की रेंज 18 घंटे से अधिक है और यह 28,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम कर सकता है।
- इसे तीनों सेनाओं की ISTAR (खुफिया, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और सैनिक परीक्षण) आवश्यकताओं के जवाब में विकसित किया गया था।

ISTAR के बारे में

- ISTAR (खुफिया, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और सैनिक परीक्षण) विमान भारत को युद्धक्षेत्र पारदर्शिता और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर सकता है।
- इसका उपयोग दुश्मन सैनिकों और संपत्तियों को ट्रैक करने और निगरानी करने के साथ-साथ दुश्मन की गतिविधियों और इरादों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग संचालन योजना और निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
- इन विमानों का इस्तेमाल दुश्मन सेना और बुनियादी ढांचे को सटीक रूप से निशाना बनाने और सटीक हमले करने के लिए भी किया जा सकता है।
- इससे जमीनी स्तर पर सफलता की संभावना बढ़ने के साथ-साथ संपार्श्विक क्षति और नागरिक हताहतों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
- ISTAR एक मल्टी-इंटेलिजेंस विमान है जो सैन्य और नागरिक वायु और जमीनी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एकीकृत ऑनबोर्ड सेंसर और उन्नत प्रसंस्करण का उपयोग करता है।
- ISTAR विमान मोबाइल भूमि लक्ष्यों को ट्रैक करने के साथ-साथ सीमाओं और तटीय क्षेत्रों में जहाजों और गतिविधि की निगरानी कर सकता है।
- इसका उपयोग फिक्स्ड या मोबाइल कमांड और कंट्रोल स्टेशन के साथ संयोजन में भी किया जा सकता है।
- ISTAR सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों का मानचित्रण हो सकता है।

भारत में बाल तस्करी

खबरों में क्यों?

हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ बढ़ते विश्वव्यापी आंदोलन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना है।
- संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अगर लोग और सरकारें मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करें और समझें कि सामाजिक न्याय और बाल श्रम आपस में जुड़े हुए हैं तो दुनिया से बाल श्रम को खत्म किया जा सकता है।
- यह दिन "सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान करता है, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के लिए परिकल्पित वैश्विक गठबंधन और न्यूनतम आयु पर ILO कन्वेंशन नंबर 138 के सार्वभौमिक अनुसमर्थन के तहत, जो कि सबसे खराब रूपों पर ILO कन्वेंशन नंबर 182 के सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ है।" संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार, 2020 में हासिल किए गए बाल श्रम से सभी बच्चों को सभी प्रकार के बाल श्रम के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 थीम:

- बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का विषय 'सभी के लिए सामाजिक न्याय' है। बाल श्रम खत्म करो!' इसमें सामाजिक न्याय और बाल श्रम के बीच संबंध पर जोर दिया गया।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का इतिहास और महत्व:

- इस वर्ष, हम बाल श्रम के खिलाफ 21वां विश्व दिवस मनाएंगे। इस दिन की उत्पत्ति का पता 2000 में लगाया जा सकता है।
- लगभग दो दशकों से बाल श्रम को कम करने में लगातार प्रगति हुई है।
- हालाँकि, संघर्षों, संकटों और COVID-19 महामारी ने अधिक परिवारों को गरीबी में धकेल दिया है और लाखों बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर कर दिया है।
- बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस एक अनुस्मारक है कि बाल श्रम प्रथा एक गंभीर समस्या है, और इस मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है।
- बाल श्रम बच्चों से उनकी मासूमियत, उनके अधिकार और सामान्य बचपन छीन लेता है क्योंकि उन्हें कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और अक्सर आघात का शिकार होना पड़ता है।
- इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के संदेश को बढ़ाने के लिए इस दिन का समर्थन करना और मनाना महत्वपूर्ण है।

UN के मुताबिक

- संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं, जो 10 में से 1 बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है।
- 2000 से 2020 तक, बाल श्रम में 85.5 मिलियन की कमी आई, जो 16 प्रतिशत से घटकर 9.6 प्रतिशत हो गई।
- दुनिया भर में केवल 26.4 प्रतिशत बच्चों को सामाजिक सुरक्षा नकद लाभ मिलता है।
- वैश्विक स्तर पर बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.1 प्रतिशत और अफ्रीका में बच्चों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.4 प्रतिशत खर्च किया जाता है।
- शमन रणनीतियों के बिना, 2022 के अंत तक बाल श्रम में 8.9 मिलियन की वृद्धि हो सकती है

तस्करी विरोधी अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून:

- अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम 1956 अनैतिक तस्करी और यौन कार्य को रोकता है।
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 कमजोर वर्गों के लोगों के आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करता है।
- मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन को दंडनीय अपराध बनाता है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण को रोकता है।

भारत रैंकिंग 2023

खबरों में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण जारी किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग के अनुसार, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, (NIRF) रैंकिंग 2023 के आठवें संस्करण में समग्र उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास पहले स्थान पर है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास शिक्षा मंत्रालय की उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भारत रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है; भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बेंगलुरु और IIT-दिल्ली ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।

Overall Name	2023 Rank
Indian Institute of Technology Madras	1
Indian Institute of Science Bengaluru	2
Indian Institute of Technology Delhi	3
Indian Institute of Technology Bombay	4
Indian Institute of Technology Kanpur	5
All India Institute of Medical Sciences, Delhi	6
Indian Institute of Technology Kharagpur	7
Indian Institute of Technology Roorkee	8
Indian Institute of Technology Guwahati	9
Jawaharlal Nehru University	10

भारत रैंकिंग का 2023 संस्करण

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नाम से एक नया विषय प्रस्तुत किया गया
- एकीकृत "इनोवेशन" रैंकिंग को पहले अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा निष्पादित किया गया था
- भारत रैंकिंग में नवाचार उपलब्धियां (ARIIA)।
- "वास्तुकला" के दायरे का "वास्तुकला और योजना" तक विस्तार।

- विश्वविद्यालयों की श्रेणी में, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भारत रैंकिंग 2023 में शीर्ष विश्वविद्यालय का नाम दिया गया; दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
- इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार देश के शीर्ष 10 कॉलेजों में, मिरांडा हाउस, नई दिल्ली को शीर्ष कॉलेज का नाम दिया गया और हिंदू कॉलेज, नई दिल्ली को तीसरा और प्रेसीडेंसी कॉलेज, चेन्नई को तीसरा स्थान दिया गया।
- इंजीनियरिंग श्रेणी इंडिया रैंकिंग 2023 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास को शीर्ष संस्थान का नाम दिया गया, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली और बॉम्बे देश में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार, प्रबंधन श्रेणियों में, IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर है जबकि IIM बैंगलोर और कोझिकोड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- मेडिकल श्रेणी में, शीर्ष तीन संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर हैं।
- देश के शीर्ष तीन कानून संस्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली और नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद हैं।

राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, (NIRF) के बारे में

- शिक्षा मंत्रालय ने उन महत्वपूर्ण संकेतकों को निर्धारित करने के लिए 2016 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की स्थापना की, जिन पर संस्थानों के प्रदर्शन को मापा जा सकता है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है।

पैरामीटर:

- शिक्षण, सीखना और संसाधन (TLR) (30% वेटेज),
- अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (RP) (30% वेटेज),
- स्नातक परिणाम (GO) (20% वेटेज),
- आउटरीच और समावेशिता (OI) (10% वेटेज)
- धारणा (PR) (10% वेटेज)।

अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ)

खबरों में क्यों?

हाल ही में IPS अधिकारी रवि सिन्हा को नए रॉ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया

महत्वपूर्ण बिंदु

- वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा को देश की बाहरी जासूसी एजेंसी रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, वह सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।
- छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी सिन्हा वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव हैं।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दो साल के कार्यकाल के लिए अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ) के सचिव के रूप में सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश।
- सिन्हा दो दशकों से अधिक समय से प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी में हैं।
- अपनी पदोन्नति से पहले वह रॉ के ऑपरेशनल विंग का नेतृत्व कर रहे थे। पड़ोस के विशेषज्ञ माने जाने वाले इस अधिकारी ने जम्मू--कश्मीर, पूर्वोत्तर और अन्य देशों में बड़े पैमाने पर काम किया है।
- उन्होंने ऐसे समय में पदभार संभाला है जब कुछ देशों से सिख उग्रवाद का प्रचार किया जा रहा है।
- सिन्हा के पूर्ववर्ती गोयल को जून 2019 में दो साल के लिए रॉ प्रमुख नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 2021 और जून 2022 में एक-एक साल के दो विस्तार दिए गए थे।

- माना जाता है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ गोयल ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
- सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए की गई थी, जिसमें पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आत्मघाती हमलावर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 40 जवानों को मार डाला था।
- हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश के आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था।

रॉ के बारे में

- रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी है और इसे 1968 में भारत के बाहरी खुफिया मामलों को संभालने के लिए बनाया गया था।
- रॉ के प्रमुख को कैबिनेट सचिवालय में सचिव (अनुसंधान) नामित किया जाता है, जो प्रधान मंत्री कार्यालय का हिस्सा है।
- RAW रक्षा मंत्रालय के बजाय सीधे प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है।
- अपनी स्थापना के बाद से, रॉ को विदेशी धरती पर कई महत्वपूर्ण अभियानों में खुफिया सहायता प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है।

इतिहास:

- 1968 तक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की खुफिया जानकारी संभाल रहा था।
- 1962 में चीन के साथ सीमा युद्ध के बाद एक अलग बाहरी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। उस संघर्ष के दौरान, हमारी खुफिया जानकारी हमले के लिए चीनी निर्माण का पता लगाने में विफल रही।
- परिणामस्वरूप, भारत ने एक समर्पित बाहरी खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की।
- मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित, पिछले चालीस वर्षों में इस संगठन ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है और इसे विदेशों में भारत के प्रभाव को काफी हद तक बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है।
- 1968 में, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने R.N. काओ को रॉ के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

रॉ की संरचना

- R&AW का आयोजन CIA की तर्ज पर किया गया है। R&AW के प्रमुख को कैबिनेट सचिवालय में सचिव (R) नामित किया गया है।
- सचिव (R), प्रधान मंत्री की सीधी कमान के अधीन है, और प्रशासनिक आधार पर कैबिनेट सचिव को रिपोर्ट करता है, जो प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करता है।

रॉ के उद्देश्य:

- उन देशों में राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास की निगरानी करना जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी विदेश नीति के निर्माण पर सीधा असर पड़ता है।

- अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना और विदेशी सरकारों को प्रभावित करना।
- भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए गुप्त ऑपरेशन।
- आतंकवाद विरोधी अभियान और भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्वों को निष्क्रिय करना।
- पाकिस्तान को ज्यादातर यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति को नियंत्रित और सीमित करने की मांग।

ऑपरेशन अमानत

खबरों में क्यों?

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने हाल ही में "अमानत" नामक एक सफल ऑपरेशन चलाया, जिसके परिणामस्वरूप खोए हुए या छूटे हुए सामान और मूल्यवान वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ऑपरेशन अमानत पहल के तहत, रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए एक अनोखी पहल की है।
- यह यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद करता है।
- फोटो के साथ खोए हुए सामान का विवरण संबंधित डिवीजनों के RPF कर्मियों द्वारा अपलोड किया जाता है।
- यात्री यह जांच सकते हैं कि उनका सामान जो रेलवे परिसर या ट्रेनों में गुम हो गया था या खो गया था, वह स्टेशनों पर खोए संपत्ति कार्यालय केंद्रों पर उपलब्ध है या नहीं।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के बारे में मुख्य तथ्य:

- यह भारत का एक सुरक्षा बल है जिसे भारतीय रेलवे के रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है।
- इसकी स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 द्वारा की गई थी।
- इसमें रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1966, रेलवे अधिनियम, 1989 (समय-समय पर संशोधित) के तहत किए गए अपराधों की खोज, गिरफ्तारी, पूछताछ और मुकदमा चलाने की शक्ति है।
- यह एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF, जिसे आमतौर पर अर्ध-सैन्य बल के रूप में जाना जाता है) है जिसके पास अपराधियों को गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने की शक्ति है।
- यह बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन है।
- RPF के सभी अधिकारी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा (IRPFS) के सदस्य हैं और UPSC सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं।
- इसका नेतृत्व महानिदेशक (DG) करते हैं। हालाँकि, RPF के महानिदेशक का पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।

खनिज सुरक्षा साझेदारी

खबरों में क्यों?

भारत को हाल ही में खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) में शामिल किया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

खनिज सुरक्षा साझेदारी के बारे में:

- यह जून 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और प्रमुख भागीदार देशों द्वारा घोषित महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नई पहल है।
- गठबंधन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरीके से किया जाए जिससे देशों को उनकी भूवैज्ञानिक बंदोबस्ती के पूर्ण आर्थिक विकास लाभ का एहसास करने की क्षमता का समर्थन मिले।
- समूह का ध्यान कोबाल्ट, निकेल, लिथियम जैसे खनिजों और 17 "दुर्लभ पृथ्वी" खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर होगा।

एक महत्वपूर्ण खनिज क्या है?

- महत्वपूर्ण खनिजों की कोई वैश्विक परिभाषा नहीं है, लेकिन अनिवार्य रूप से, वे उच्च आर्थिक भेद्यता और उच्च वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जोखिम वाले खनिज भंडार हैं।

प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं?

- प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट हैं।
- इनका उपयोग EV बैटरी बनाने के लिए किया जाता है और अर्धचालक और उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
- इन खनिजों का उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में भी किया जाता है।

महत्वपूर्ण खनिजों के शीर्ष उत्पादक कौन हैं?

- वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख उत्पादक चिली, इंडोनेशिया, कांगो, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका हैं।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या हैं?

- 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REE) में 15 लैंथेनाइड्स (परमाणु संख्या 57 जो आवर्त सारणी में 71 तक लैंथेनम है) और स्कैंडियम (परमाणु संख्या 21) और येट्रियम (39) शामिल हैं।

वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2023

खबरों में क्यों?

हाल ही में, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने अपने बहुप्रतीक्षित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने हाल ही में 'विश्व में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों 2023' की अपनी बहुप्रतीक्षित सूची का अनावरण किया है।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में:

- स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और स्थिरता सहित पांच मेट्रिक्स के मूल्यांकन के माध्यम से, यह रैंकिंग उन शहरों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो जीवन की असाधारण गुणवत्ता प्रदान करने में उत्कृष्ट हैं।
- इस वर्ष, सूचकांक में 172 शहरों को शामिल किया गया और लगातार दूसरे वर्ष, वियना, ऑस्ट्रिया को दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर नामित किया गया है।
- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ने वियना की सफलता का श्रेय "स्थिरता, अच्छे बुनियादी ढांचे, मजबूत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं और भरपूर संस्कृति और मनोरंजन के नायाब संयोजन" को दिया।
- डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने भी सूची में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है।
- इसके बाद क्रमशः दो ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न और सिडनी हैं।
- तीन कनाडाई शहर - वैंकूवर, कैलगरी और टोरंटो - ने भी शीर्ष दस की सूची में जगह बनाई।
- एशिया से, जापान का ओसाका रैंकिंग में 10वें स्थान पर था।
- EIU के अनुसार, दुनिया के महामारी से उबरने के बाद सूचकांक पिछले साल बढ़कर 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- औसत सूचकांक स्कोर अब 100 में से 76.2 है, जो एक साल पहले 73.2 था।
- सूचकांक स्कोर में समग्र वृद्धि के बावजूद स्थिरता में मामूली गिरावट देखी गई।

सबसे कम रहने योग्य शहर हैं:

- जो शहर अन्य मुद्दों के अलावा चल रही नागरिक अशांति और सैन्य संघर्षों से त्रस्त हैं, वे सूची में सबसे नीचे रहे।
- अल्जीरिया के अल्जीयर्स, लीबिया के त्रिपोली और सीरिया के दमिश्क को दुनिया के तीन सबसे कम रहने योग्य शहरों का दर्जा दिया गया।
- दमिश्क को सर्वेक्षण में लगातार सबसे निचले रैंक वाले शहरों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है।
- इस वर्ष इसके जीवंतता स्कोर में कोई सुधार नहीं देखा गया है।

नैनो यूरिया

खबरों में क्यों?

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने हाल ही में कहा कि उसने अमेरिका में तरल नैनो यूरिया निर्यात करने के लिए कैलिफोर्निया स्थित कपूर एंटरप्राइजेज इंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

नैनो यूरिया के बारे में:

- यह एक नैनोटेक्नोलॉजी-आधारित क्रांतिकारी कृषि-इनपुट है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है।
- इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया है।
- इफको नैनो यूरिया भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) में शामिल एकमात्र नैनो उर्वरक है।

विशेषताएँ:

- पारंपरिक यूरिया प्रिल की तुलना में, नैनो यूरिया का वांछनीय कण आकार लगभग 20-50 NM और अधिक सतह क्षेत्र (1 मिमी यूरिया प्रिल से 10,000 गुना अधिक) और कणों की संख्या (1 मिमी यूरिया प्रिल से 55,000 नाइट्रोजन कण) होता है।
- इसमें कुल नाइट्रोजन 4.0% होती है।

फ़ायदे:

- यह कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ ऊर्जा-कुशल, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है।
- फसल के लिए उपलब्धता में 80% से अधिक की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता प्राप्त हुई।
- इससे फसल उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में सुधार होने और पारंपरिक उर्वरक के "असंतुलित और अत्यधिक उपयोग" को संबोधित करने की उम्मीद है।

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको):

- यह भारत की सबसे बड़ी बहु-राज्य सहकारी समिति है जिसका स्वामित्व पूरी तरह से भारतीय सहकारी समितियों के पास है।
- इफको मुख्य रूप से उर्वरकों के उत्पादन और वितरण में लगी हुई है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

खबरों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करते हैं

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए।
- इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज में किए गए असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए की गई थी।
- उत्तराखंड के कोटद्वार जिले की रहने वाली देवरानी बहनों को लगभग चार दशकों तक उनके उल्लेखनीय योगदान और सेवा के लिए सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

- राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- उद्देश्य: इन पुरस्कारों का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में नर्सों के उल्लेखनीय कार्यों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना है। पुरस्कार नर्सों को उनकी समर्पित सेवा जारी रखने और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं।
- मान्यता: राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत में नर्सिंग पेशे में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। वे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं और जीवन बचाने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता को पहचानते हैं।
- चयन प्रक्रिया: पुरस्कार विजेताओं का चयन एक कठोर और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अस्पतालों, नर्सिंग स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों सहित विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों से नामांकन आमंत्रित करता है। नामांकन का मूल्यांकन प्रख्यात स्वास्थ्य पेशेवरों की एक समिति द्वारा किया जाता है।
- पुरस्कार समारोह: यह समारोह आम तौर पर नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है और इसमें गणमान्य व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, नर्सिंग पेशेवर और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अन्य हितधारक शामिल होते हैं।
- पुरस्कार श्रेणियाँ: राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग उत्कृष्टता के विभिन्न पहलुओं को पहचानने के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन श्रेणियों में सहायक नर्स और दाई, महिला स्वास्थ्य आगंतुक और नर्स शामिल हो सकते हैं।
- पुरस्कार में 50000/- रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है।

10 योजना जुलाई 2023: विश्व को समग्र कल्याण का उपहार

अध्याय 1: आयुष

- "जीवन विज्ञान" एक शब्द है जिसका उपयोग अक्सर आयुष प्रणाली, विशेष रूप से आयुर्वेद का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक भारतीय ज्ञान संरचना में इसकी एक मजबूत नींव है।
- आयुष मंत्रालय (MoA) लगातार आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहा है।
- परिणामस्वरूप, अनुसंधान संस्थानों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि हुई है, और आयुष विशेषज्ञ और समकालीन वैज्ञानिक अब एक साथ काम कर रहे हैं।
- आयुष मंत्रालय पारंपरिक ज्ञान और नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच ज्ञान अंतर को कम करना चाहता है। यह गारंटी देगा कि आयुष को उन चिकित्सा प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं।

आयुष मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास पहल

- आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अध्ययन के लिए स्वायत्त संस्थानों के रूप में एमओए द्वारा पांच अनुसंधान परिषदों का गठन किया गया है।
- औषधीय पौधों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और औषधि मानकीकरण वैज्ञानिक प्रयासों में से हैं। नैदानिक अनुसंधान, फार्मास्युटिकल अनुसंधान, आदि।
- आयुष विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विशेषज्ञों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- अंत:विषय अनुसंधान और सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देकर, आयुष का लक्ष्य नवीन समाधान खोजने के लिए विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।
- 2022 में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों को मान्यता देने के लिए आयुष मार्क लॉन्च करने की घोषणा की, जो देश के गुणवत्तापूर्ण आयुष उत्पादों को प्रामाणिकता प्रदान करेगा।
- MoA कई विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और CSIR, CIMR, आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ काम करता है।
- देश के उच्च गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों को वैधता प्रदान करने के लिए, पारंपरिक चिकित्सा वस्तुओं को अलग करने के लिए आयुष चिह्न भी पेश किया गया था।
- मंत्रालय भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए दिशानिर्देश भी विकसित कर रहा है।
- हर्बल उत्पादों, पंचकर्म उपकरणों और योग सहायक उपकरणों के लिए अब 17 भारतीय मानक हैं।
- आयुष अनुसंधान साइट को दुनिया भर के पैमाने पर आयुष सिस्टम साक्ष्य-आधारित अनुसंधान डेटा का प्रसार करने के लिए बनाया गया था।
- शिक्षाविदों, चिकित्सकों और हितधारकों के लिए, मंत्रालय सम्मेलनों, सेमिनारों और प्रशिक्षण सत्रों की भी व्यवस्था करता है।
- एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल की बहुलवादी प्रणाली के भीतर आयुष की क्षमता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 द्वारा काफी समर्थन दिया गया है।
- WHO-ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM), पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र जामनगर, भारत में स्थापित किया जा रहा है।
- यह मौजूदा चिकित्सा प्रणाली के वैज्ञानिक आधारों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।
- यह पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों में अग्रणी के रूप में कार्य करेगा और आयुष प्रणाली की विश्वव्यापी स्थिति का समर्थन करेगा।

- पारंपरिक दवाओं की प्रभावशीलता, प्रभावकारिता, पहुंच और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना इसके मुख्य कार्यों में से एक है।
- डेटा एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन के लिए उपकरण और प्रक्रियाओं के निर्माण के साथ-साथ, इसमें कई तकनीकी क्षेत्रों में मानदंड, मानक और सिफारिशें बनाना शामिल होगा।
- आयुष प्रणालियों के साक्ष्य आधारित अनुसंधान डेटा को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए आयुष अनुसंधान पोर्टल स्थापित किया गया है।
- कुल मिलाकर, क्लिनिकल, प्री-क्लिनिकल, ड्रग रिसर्च और फंडामेंटल में 39109 शोध अध्ययन आज तक उपलब्ध हैं।

व्यावहारिक मॉडल

- पारंपरिक चुनौतियों की खोज: अनुसंधान का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान का पता लगाना और उसे मान्य करना और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नवीन दृष्टिकोण खोजने के लिए सदियों से संचित ज्ञान का दोहन करना है।
- आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का एकीकरण: कोविड के प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने और विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से एक अंतःविषय आयुष अनुसंधान और विकास कार्य बल।
- अधूरी स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को संबोधित करना: यह अधूरी स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को संबोधित करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आधुनिक दवाओं की सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, संज्ञानात्मक घाटे के प्रबंधन में ब्राह्मी घृत और ज्योतिष्मती तेल।
- जीवनशैली में संशोधन को बढ़ावा देना: आयुष योग, ध्यान, आहार संबंधी दिशानिर्देश और प्राकृतिक उपचार सहित एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है।
- पूर्वानुमानात्मक, निवारक और वैयक्तिकृत चिकित्सा: आयुष मानता है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। इस प्रकार यह स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यापक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में आयुष

- स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणाली स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम् के सिद्धांत पर भारत में स्वास्थ्य देखभाल की बहुलवादी नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के 4A- पहुंच, सामर्थ्य, उपलब्धता और स्वीकार्यता को प्राप्त करने के लिए WHO के रणनीतिक उद्देश्यों का अनुपालन कर रही है।
- आयुष पोषण अभियान के माध्यम से शून्य भूख (SDG 2) प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके तहत आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों और प्रथाओं के माध्यम से किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, साथ ही बच्चों में कुपोषण और एनीमिया के प्रबंधन के लिए डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है।
- आयुष अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली (SDG 3) की दिशा में लगन से काम करता है।
- यह राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) और एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से असमानताओं को कम करने (SDG 10) की दिशा में भी काम करता है।
- इसके अलावा, हर्बल दवाओं के साथ आयुष एसडीजी 11 'सतत शहर और समुदाय' का समर्थन करता है।
- यह लक्ष्यों के लिए साझेदारी (SDG 17) को भी बढ़ावा देता है क्योंकि यह साझेदारी और ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

- G20 की अध्यक्षता, WHO-GCTM आदि पहलों का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम है जिसका अर्थ है 'दुनिया एक परिवार है', एक दर्शन जो सभी प्राणियों की परस्पर निर्भरता और एक स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत दुनिया के निर्माण के लिए सहयोग के महत्व पर जोर देता है।
- आयुष ने हमेशा भारतीय और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में और सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सस्ती और सुलभ है।

अध्याय 2: वैश्विक कल्याण के लिए योग

- योग एक जीवनशैली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को जोड़ती है और साधारण व्यायाम से परे है।
- यह तनाव और चिंता को कम करने में सहायता करता है जो रक्तचाप बढ़ाता है, अवसाद उत्पन्न करता है और हृदय रोग का कारण बनता है।
- योग विचारों में स्पष्टता लाकर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है।
- योग शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह एक उत्कृष्ट मन-शरीर अभ्यास है जो लचीलेपन, शक्ति, सहनशक्ति और संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- यह पुराने दर्द को कम करने, सूजन को कम करने और श्वसन कार्यों में सुधार करने में भी मदद कर सकता है।
- नियमित योग अभ्यास समग्र स्वास्थ्य में सुधार करके प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।

योग की अवधारणाएँ और सिद्धांत

- अहिंसा और संतोष के सिद्धांत एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में महत्वपूर्ण हैं जो न केवल व्यक्तिगत पूर्ति बल्कि दूसरों की भलाई को भी महत्व देता है।
- अहिंसा हमें किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचना सिखाती है, जबकि संतोष हमें लगातार बाहरी सत्यापन की तलाश करने के बजाय अपने भीतर संतुष्टि और खुशी खोजने की याद दिलाता है।
- योग के मूल सिद्धांतों में से एक अपरिग्रह है, जो हमें जो आवश्यक है उसका उपयोग करना और बाकी को दूसरों के लिए छोड़ना सिखाता है।
- महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग अथवा योग के आठ अंग

योग के लाभ

- यह शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव में मदद करता है।
- यह हमारे भीतर और हमारे आस-पास की दुनिया के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करता है।
- इसका सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- इससे अधिक संतुष्टिदायक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीया जा सकता है।
- यह जागरूकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

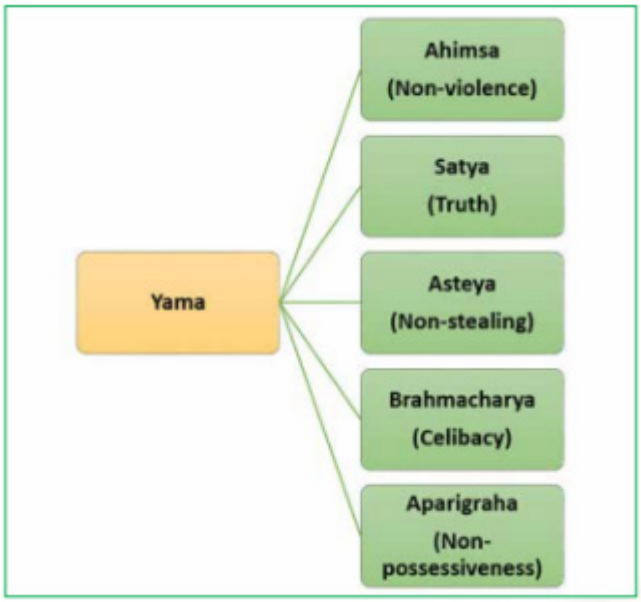

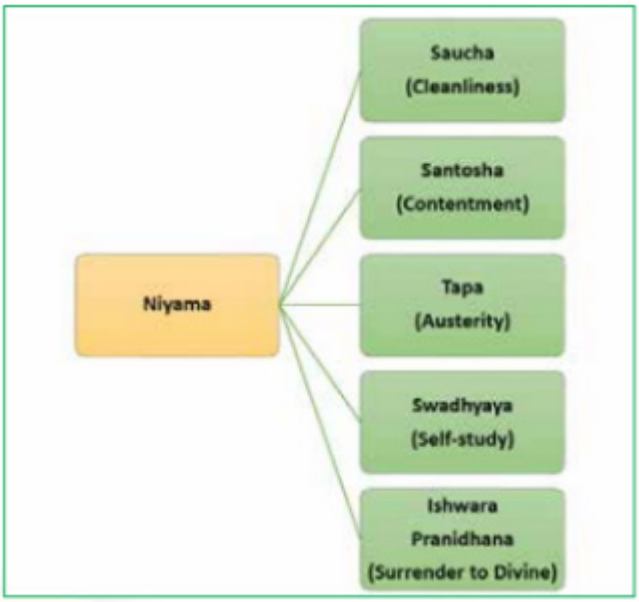

स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए योगाभ्यास

1. षट्कर्म - षट्कर्म, जिन्हें शुद्धिकरण अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है, हठ योग में आवश्यक हैं क्योंकि वे शरीर को शुद्ध करने और आगे के अभ्यासों के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। विभिन्न उपविभागों के साथ छह प्राथमिक षट्कर्म हैं, लेकिन कोई भी कुछ चयनित प्रथाओं का नियमित रूप से अभ्यास कर सकता है।
2. योगासन- योगासन, या मनो-शारीरिक आसन, विभिन्न सफाई प्रथाओं द्वारा शरीर को विषमुक्त करने के बाद किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख विभिन्न योगासन हैं, लेकिन हठ योग पाठ में 32 योगासन बताए गए हैं जो आवश्यक हैं।
3. प्राणायाम - प्राणायाम, या सांस नियमन, योग की सबसे महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक है। एक बार जब शरीर क्रमशः षट्कर्म और योगासन के माध्यम से विषहरण और स्थिर हो जाता है, तो प्राणायाम की भूमिका आती है।
4. मुद्रा और बंध - इन प्रथाओं का उपयोग शरीर में प्राण को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। मुद्राएं शारीरिक मुद्राएं हैं, और बंध मानसिक ताले हैं जो शरीर में प्राण के उचित प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य लाभ होते हैं।
5. ध्यान - ध्यान या मेडिटेशन, योग का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। ध्यान मन की पूर्ण शांति की स्थिति है, जो मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। ध्यान के विभिन्न वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभों में तनाव कम होना, याददाश्त में सुधार और बढ़ी हुई एकाग्रता शामिल हैं।

योग और वैश्विक कल्याण

- योग ने विश्व स्तर पर व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने से योग दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है।
- वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सदियों से भारतीय दर्शन का हिस्सा रही है और योग के अभ्यास से भी निकटता से जुड़ी हुई है।

निष्कर्ष

- उपलब्ध यौगिक ग्रंथों के अनुसार, योग का विज्ञान व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने में मदद करता है और हमें रोग-मुक्त शरीर और शांत और शांत मन प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। यह जीवन की एक कला और विज्ञान है जो आसन (आसन), नियंत्रित श्वास तकनीक (प्राणायाम), विश्राम (योग निद्रा) के माध्यम से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कल्याण में सुधार लाता है और ध्यान (ध्यान) के माध्यम से मन को शांत करता है।
- वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में योग अपनाने वालों की संख्या काफी बढ़ रही है।

अध्याय 3: मानसिक कल्याण में ध्यान संबंधी दृष्टिकोण की भूमिका

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बीमारी या विकलांगता की अनुपस्थिति स्वस्थ माने जाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- हिप्पोक्रेट्स के चिकित्सा विज्ञान के अनुसार चिकित्सा का उद्देश्य, बीमार की पीड़ा को पूरी तरह से दूर करना है।

प्राचीन चिकित्सा तकनीक

- प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ सत्य प्रस्तुत करती हैं कि विज्ञान में जबरदस्त प्रगति के बावजूद, समकालीन चिकित्सा आज भी सीख रही है।
- मिस्र और चीन जैसे प्राचीन समाज वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते थे।
- चकरा देने वाली अवधारणाएँ प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद जैसी वैकल्पिक प्रणालियों में पाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, दिन के जिस समय किसी पौधे को खरीदा जाता है, तैयार किया जाता है और खाया जाता है, उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि तुलसी की पत्तियों की कटाई रात में की जाए तो वे जहरीली हो सकती हैं।

उपचार और समग्र कल्याण

- प्रक्रियाएं और उपचार जो शरीर, मन और आत्मा सहित संपूर्ण प्राणी की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समग्र कल्याण प्रदान कर सकते हैं।
- किसी के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार उसका स्वयं या आत्मा है।

आंतरिक स्वच्छता के लिए ध्यान

मानसिक बीमारियों से बचाव के लिए आंतरिक स्वच्छता महत्वपूर्ण है। यदि आंतरिक स्वच्छता कमजोरियों द्वारा अपहरण कर ली गई है:

- व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आती

- वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता/सकती
- व्यक्ति सही और गलत या अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की अपनी शक्ति खो देता है।
- कई स्वास्थ्य समस्याओं को आहार और व्यायाम में प्राकृतिक समायोजन और ध्यान और प्रार्थनापूर्ण रवैया अपनाने से हल किया जा सकता है।
- एक सरल प्राकृतिक ध्यान का अभ्यास हार्टफुलनेस के साथ आसानी से किया जा सकता है।
- इसके अलावा, आत्म-अनुशासन और जीवनशैली में प्राकृतिक सुधार के कई व्यापक लाभ हैं।

मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन

- दिमाग और भावनात्मक दिल के लिए वैक्सीन क्या है? ध्यान।
- और हार्टफुलनेस जैसा सरल प्राकृतिक ध्यान, आसानी से अभ्यास किया जाता है क्योंकि यह योगिक संचरण या प्राणाहुति द्वारा सहायता प्राप्त है।
- हार्टफुलनेस-सफाई प्रक्रिया हमें तनाव और चिंता के हमारे दैनिक स्तर को कम करने में सक्षम बनाती है। अधिकांश आधुनिक बीमारियाँ काफी हद तक मनोदैहिक होती हैं। हम इन्हें जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ कहते हैं, लेकिन ये घातक हो सकती हैं।
- ध्यानपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण जीवनशैली अपनाने के परिणामस्वरूप आत्म-अनुशासन में होने वाले प्राकृतिक सुधार के कई व्यापक लाभ हैं।
- व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी डिजिटल लत को कम कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाले अतिरिक्त विकिरण से बच जाता है।
- हार्टफुलनेस विश्राम और हार्टफुलनेस ध्रुवता प्रक्रियाओं का उपयोग उन बच्चों द्वारा भी किया जाता है जो दीर्घकालिक ध्यान करने के लिए बहुत छोटे हैं।
- वे अपने शैक्षिक प्रदर्शन और खेल में सुधार पाते हैं, और रचनात्मकता और खुशी में भी निखार पाते हैं।
- ध्यान संबंधी दृष्टिकोण इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण और भावनात्मक लचीलेपन में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए जाने जाते हैं।
- यह चिंता को कम करता है, शांति देता है और कई समस्याओं की जड़ का समाधान करता है।

अध्याय 4: स्वस्थ जीवन शैली की मूल बातें

- आहार में सब्जियां, फल, प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स सभी प्रचुर मात्रा में होने चाहिए।
- हाफ-प्लेट नियम का पालन करना और कार्ब्स, चीनी और नमक का सेवन कम करना एक सरल रणनीति है। ट्रांस फैट का सेवन भी कम करना चाहिए।

हाफ प्लेट

- भोजन करने से पहले पूरा भोजन पहले से तैयार कर लेना चाहिए। यह भाग नियंत्रण में सहायता करता है।
- इसका एक शानदार उदाहरण पारंपरिक जापानी बेंटो बॉक्स या भारतीय थाली है।
- अध्ययनों के मुताबिक, जो लोग प्लेट में खाना खाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 14% कम खाना खाते हैं जिन्हें दूसरी और तीसरी बार मदद मिलती है।
- प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से बना होना चाहिए और बाकी हिस्सा अनाज या अनाज का साइड डिश होना चाहिए।
- पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे कि दाल, दाल, नट्स, अंडे, कम वसा वाले डेयरी आदि में पाया जाता है।

कितना खाना चाहिए?

- भाग नियंत्रण परोसने के चरण में शुरू होता है। प्लेट में कम डालें या जो भी आप चाहते हैं उसे दूसरे स्थान पर रखने के बजाय एक बार में डालें।

क्या खाने के लिए?

- बेहतर खाने का मतलब उन खाद्य पदार्थों को चुनना है जिनमें उच्च पोषक तत्व घनत्व होता है, फलों और सब्जियों से लेकर साबुत अनाज और प्रोटीन तक।

कब खाना चाहिए?

- जल्दी सोएं, जिससे आपके पेट को आपके द्वारा खाए गए भोजन को सबसे कुशल तरीके से पचाने का समय मिल सके। दिन और रात की प्राकृतिक सर्कैडियन लय के अनुसार, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच भोजन करें। दूसरे शब्दों में, 'अपने सिस्टम के कामकाजी घंटों के दौरान खाएं!'

कैसे खाना चाहिए?

- धीरे-धीरे खाने से कई फायदे होते हैं। सबसे पहले, पाचन प्रक्रिया वास्तव में मुंह में शुरू होती है, इसलिए धीरे-धीरे चबाने और अच्छी तरह से चबाने से पाचन में सुधार होता है। दूसरा, यह आंत को तृप्ति स्तर दर्ज करने के लिए आवश्यक समय (लगभग बीस मिनट) देता है।

भोजन के सिद्धांत

- आहार के दौरान प्रेरणा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
- अवांछनीय भोजन के साथ नकारात्मक जुड़ाव विकसित करें और सनक या अनियंत्रित/क्रैश आहार के आगे न झुकें।

- यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और खान-पान की योजना बनाएं।
- ध्यानपूर्वक खाने का अभ्यास करना और जंक और फास्ट फूड का सेवन कम करना महत्वपूर्ण है।
- फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएँ।
- अस्वास्थ्यकर भोजन, शराब और धूम्रपान से बचें।
- बॉडी क्लॉक का पालन करना जरूरी है।
- नियमित शारीरिक गतिविधि और व्यायाम में संलग्न रहना भी आवश्यक है।
- व्यक्तियों को तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए।
- गहन शारीरिक परीक्षण और नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए।

अध्याय 5: गैर-क जा - गांधीवादी विचार

- 1930 में जब गांधीजी यरवदा केंद्रीय कारागार में बंद थे तो वे सप्ताह में एक बार सत्याग्रह आश्रमहैको पत्र भेजते थे। पत्रों में आश्रम के मुख्य अनुष्ठानों का संक्षिप्त विश्लेषण शामिल था, जिन्हें "ग्यारह प्रतिज्ञा" के रूप में जाना

  - प्रतिज्ञाएँ शक्ति का प्रतीक हैं और कमज़ोरों द्वारा इनका पालन नहीं किया जा सकता।
  - एक बार पर्याप्त रूप से पदोन्नत होने पर, वे विदेशी मुद्रा आय प्राप्त कर सकते हैं।
  - यह प्रतिस्पर्धी वैश्विक लाभ दे सकता है।
  - यह भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करता है।
- गांधीजी के कुछ प्रकाशनों का शीर्षक "स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शिका" है। उन्होंने कहा कि मन, दस इंद्रियों की सहायता से, सभी मानवीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।
- क्रमशः पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच अनुभूति इन्द्रियाँ होती हैं।
- शरीर को भगवान का मंदिर मानने की सलाह दी जाती है।
- गांधीजी का टिकाऊ और मितव्ययी जीवन जीने का तरीका आत्म-नियंत्रण पर आधारित था।

वर्ष 1928 में गांधीजी ने आश्रम के लिए कुछ नियम बनाए। वह थे:

1. सभी आश्रमवासियों को प्रातः 4 बजे प्रातःकालीन प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहिए।
2. सभी को सामुदायिक रसोई में खाना खाना चाहिए।
3. प्रतिदिन 160 धागे कातना चाहिए।
4. घर के काम के लिए किसी नौकर या मजदूर को काम पर नहीं रखना चाहिए।
5. सभी वयस्क पुरुषों को रात्रि जागरण में संलग्न रहना चाहिए।
6. सभी युवाओं और वयस्कों को बारी-बारी से शौचालयों की सफाई करनी चाहिए।
7. आश्रम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे आश्रम का कार्य करना चाहिए।
8. व्यक्ति को दैनिक डायरी रखनी चाहिए और दिन भर में किए गए सभी कार्यों को नोट करना चाहिए।

RAO'S ACADEMY

11 कुरुक्षेत्र जुलाई 2023 : जल संरक्षण

अध्याय 1: खाद्य सुरक्षा के लिए जल प्रबंधन को बढ़ावा देना

- प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से भूमि और पानी पर बढ़ता दबाव वैश्विक खाद्य प्रणाली और इसकी स्थिरता के लिए कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। आने वाले वर्षों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और SDG हासिल करने के लिए जल प्रबंधन महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगा।

The global food system and its sustainability are facing several challenges due to increasing pressure on natural resources, especially land and water, while in the future the demand for food is set to grow manifold. Indeed, the sustainability of the food system in the future will require much more resource efficient production with prime focus in conservation and management of resources like water. In fact, water management will be one of the most significant factors in the years to come to ensure food security and achieve SDGs. The new India sees efficient water management as key to its future needs to emerge as the world leader.

जल प्रबंधन एवं संरक्षण की आवश्यकता

- बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, वर्षा पैटर्न में बदलाव और मरुस्थलीकरण के साथ - जल प्रबंधन और संरक्षण वैश्विक प्राथमिकताएं बन गए हैं।
- भारत दुनिया की लगभग 18% आबादी का घर है और इसके पास केवल 4% जल संसाधन हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में से एक है।
- अनुमान है कि 2030 तक, देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिससे अंततः देश की जीडीपी में ~ 6% का नुकसान होगा।
- बढ़ती जनसंख्या के साथ, वैश्विक मांग को पूरा करने और शून्य भुखमरी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि को 2012 की तुलना में 2050 तक लगभग 50% अधिक भोजन, पशुधन चारा और जैव ईंधन का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी।
- अनुमानित मांग और आपूर्ति में अंतर को संबोधित करने के लिए, खेती में गहन से संसाधन-कुशल जलवायु-स्मार्ट खेती में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

कृषि में भारत की जल संरक्षण रणनीतियाँ

न्यूनतम पानी में अधिकतम उपज पैदा करने के लिए जल संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं।

Average Annual Rainfall (1985-2015)	105 mm (3880 BCM)
Annual Rainfall (2020)	1283 mm
Mean Annual Natural Run-Off	1999.2 BCM
Total Utilisable Water	1122 BCM
Net Ground Water Availability (2013)	411 BCM
Estimated Utilisable Surface Water Potential	690 BCM
Total Replenishable Ground Water Resources (2013)	432BCM
Ultimate Irrigation Potential	139.9 Mha (From Surface Water= 76 Mha and 64 Mha from Groundwater)

भारत में अनुमानित जल मांग

Sector	Water Demand in BCM (Billion Cubic Meter)								
	Standing Sub-Committee of MOWR			NCIWRD					
	2010	2025	2050	2010		2025		2050	
				Low	High	Low	High	Low	High
Irrigation	688	910	1072	543	557	561	611	628	807
Drinking Water	56	73	102	42	43	55	62	92	111
Industry	12	23	63	37	37	67	67	81	81
Energy	5	15	130	18	19	31	33	63	70
Other	52	72	80	54	54	70	70	111	111
Total	**813**	**1093**	**1447**	**694**	**710**	**784**	**843**	**973**	**1180**

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- यह 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका 2021-26 के लिए 93,068 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
- यह योजना स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से सिंचाई के लिए अंत-से-अंत समाधान प्रदान करती है।
- इसे निम्नलिखित योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था-
  - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) - जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
  - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) - भूमि संसाधन विभाग (DOLR), ग्रामीण विकास मंत्रालय।
  - खेत जल प्रबंधन (OFWM) - कृषि और सहयोग विभाग (DAC)।

प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC)

- PDMC को 2015 में PMKSY के एक घटक के रूप में लॉन्च किया गया था। 2022-23 से PDMC को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत लागू किया जा रहा है।
- PDMC ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इस योजना के तहत, भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सांकेतिक इकाई लागत का 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है।

सही फसल अभियान

- सही फसल अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जल मिशन का एक घटक है।
- "सही फसल" अभियान पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था जो पानी की अधिक खपत नहीं करती हैं, लेकिन पानी का बहुत कुशलता से उपयोग करती हैं और आर्थिक रूप से लाभकारी हैं; स्वस्थ और पौष्टिक हैं; क्षेत्र की कृषि-जलवायु-जल विशेषताओं के अनुकूल; और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)

- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत एक उप-मिशन है, जो सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत आता है।
- इस योजना का 6 वर्षों (2019-20 से 2024-25) की अवधि के लिए कुल परिव्यय 4645.69 करोड़ रुपये है।
- BPKP प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है - एक रसायन मुक्त, पारंपरिक खेती-आधारित विविध कृषि प्रणाली जो कार्यात्मक जैव विविधता के साथ फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है।
- इस योजना का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना, मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र का मनोरंजन करना और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न चल रही योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कृषि और बागवानी फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं -
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (NMOOP), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)।

आगे की राह

- जल एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों में जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम उठाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है।
- जल संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और प्रोत्साहनों पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय 2: सामुदायिक योजना के माध्यम से जल संरक्षण

निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास के लक्ष्यों को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास आवश्यक है। एक स्वस्थ और आर्थिक रूप से उत्पादक समाज सुनिश्चित करने और जल-सुरक्षित देश बनने के लिए, उचित, समय पर और सस्ती जल

आपूर्ति की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। देश की वार्षिक 1,200 मिमी वर्षा का केवल 6% ही संग्रहित होता है, इसलिए देश की जल माँगों को पूरा करने के लिए पानी को बचाना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी-

भारत के संविधान के अनुसार, 'जल' राज्य का विषय है। इसलिए, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और प्रबंधन के कदम संबंधित राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी बने हुए हैं। राज्यों के जल संरक्षण प्रयासों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के आवश्यक प्रावधानों के साथ विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। किसी भी सार्वजनिक विकास प्रयास की प्रबंधन प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

राज्यों द्वारा जल संरक्षण पहल:

SN	State	Name of Initiative	Programme Activity
1	Andhra Pradesh	Neeru-Chettu	Rejuvenating and revitalising natural resources. De-silting of tanks and feeder channels, etc., are taken up, additional water storage is created. Aimed at collective participation and spread of awareness to make the State 'drought proof' through better Water Conservation.
2	Bihar	Jal Jeevan Hariyali	Identification, restoration, and renovation of all public water storage structures – ponds / canal / pines, etc. Construction of check dams and other water harvesting structures in small rivers / drains and water storage areas of hilly areas. The objective is to encourage farmers to participate in water conservation initiatives of the government and to get sensitised on the use of alternative crops, drip irrigation, organic farming, and other new technologies with less dependence on irrigation.
3	Gujarat	Sujalam Sufalam Jal Sanchay Abhiyan	Deepening water bodies in the state before monsoon arrives to increase storage of rainwater to be used during times of scarcity. It is a Public Private Partnership programme and government contribution is 60 per cent of the work expenditure.
4	Haryana	Jal Hi Jeevan Hai	Encouraging farmers to adopt crop diversification and sow crops which require less water like Maize, Arhar, etc., instead of water guzzling crops such as paddy so as to conserve water.
5	Odisha	Pani Panchayat	Ensuring voluntary activity of group of farmers engaged in the collective management (harvesting and distribution) of surface water and groundwater (wells and percolation tanks). Objective is to ensure optimum utilisation of water as well as improving agricultural production.
6	Maharashtra	Jalyukt Shivar Abhiyaan	Deepening and widening of water streams, construction of cement and earthen stop dams, works on nullahs and digging of farm ponds. Objective is to make Maharashtra drought-free by making 5,000 villages free of water scarcity each year.
7	Rajasthan	Mukhya Mantri Jal Swawalamban Abhiyan	Extending conservation efforts to manage rainfall, runoff, groundwater & in-situ soil moisture. Through convergence of schemes of various departments, works are executed through people's participation by motivating villagers & beneficiaries.
8	Telangana	Mission Kakatiya	Reclamation of water tanks by restoring minor irrigation sources. Aims at spreading minor irrigation in the state with community participation for sustainable water security.

1. **नीरू-चेट्टु**

कार्यान्वयन राज्य - आंध्र प्रदेश

- इसका उद्देश्य बेहतर जल संरक्षण के माध्यम से राज्य को 'सूखा प्रतिरोधी' बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी और जागरूकता फैलाना है।
- इस गतिविधि में टैंकों और फीडर चैनलों से गाद निकालने आदि के माध्यम से जल संसाधनों को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित करना शामिल है।

2. **जल जीवन हरियाली**

कार्यान्वयन राज्य - बिहार

- इसका उद्देश्य किसानों को सरकार के जल संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और सिंचाई पर कम निर्भरता के साथ वैकल्पिक फसलों, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है।
- इसमें सभी सार्वजनिक भंडारण संरचनाओं-नहरों, तालाबों आदि की पहचान, पुनर्स्थापन और नवीनीकरण शामिल है।

3. **सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान**

कार्यान्वयन राज्य - गुजरात

- यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) कार्यक्रम है और सरकार का योगदान कार्य व्यय का 60% है।
- इस परियोजना में भंडारण बढ़ाने के लिए मानसून के आगमन से पहले जल निकायों को गहरा करना शामिल है।

4. **जल ही जीवन है**

कार्यान्वयन राज्य - हरियाणा

- यह किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे मक्का, अरहर आदि बोने के लिए प्रोत्साहित करता है।

5. **पानी पंचायत**

कार्यान्वयन राज्य - ओडिशा

- इसका उद्देश्य पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में सुधार करना है।

6. **जलयुक्त शिवार अभियान**

कार्यान्वयन राज्य - महाराष्ट्र

- इसका उद्देश्य हर साल 5000 गांवों को पानी की कमी से मुक्त करके महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाना है।
- इसमें जल धाराओं को गहरा और चौड़ा करना, सीमेंट और मिट्टी के स्टॉप डैम का निर्माण आदि शामिल है।

7. **मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान**

कार्यान्वयन राज्य - राजस्थान

- विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीणों एवं लाभार्थियों को प्रेरित कर जनभागीदारी से कार्य संपादित किये जाते हैं।
- संरक्षण प्रयासों में वर्षा, अपवाह, भूजल और यथास्थान मिट्टी की नमी का प्रबंधन शामिल है।

8. **मिशन काकतीय**

कार्यान्वयन राज्य - तेलंगाना

- इस पहल का उद्देश्य स्थायी जल सुरक्षा के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ राज्य में लघु सिंचाई का प्रसार करना है।

YOUR SUCCESS IS OUR PRIORITY RAO'S ACADEMY

केंद्र सरकार की जल संरक्षण पहल:

- भारत में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जिसमें से लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर (45%) वर्तमान में किसी भी स्रोत से सिंचाई के अंतर्गत आता है। भारत अत्यधिक वर्षा पर निर्भर है, जिससे असिंचित क्षेत्रों में खेती एक जोखिम भरा, कम पारिश्रमिक और कम उत्पादक पेशा बन गया है। सुनिश्चित सिंचाई किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी और इनपुट में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे आय और उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और टैगलाइन - प्रति बूंद अधिक फसल का प्रचार-प्रसार करके देश के सभी कृषि फार्मों तक सिंचाई के कुछ साधनों तक स्थायी पहुंच सुनिश्चित करना है।

PMKSY के विभिन्न घटक जिन्हें कार्यान्वयन चरण के दौरान पर्याप्त सामुदायिक योजना और भागीदारी की आवश्यकता है:

- हर खेत को पानी।
- वाटरशेड विकास।
- प्रति बूंद अधिक फसल।
- जल शक्ति अभियान - यह मिशन भारत के 256 जिलों के पानी की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए लागू किया गया है।
- अटल भूजल योजना - इसका उद्देश्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पहचाने गए अत्यधिक दोहन वाले और जल-तनाव वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल का स्थायी प्रबंधन करना है।
- जल शक्ति मंत्रालय ने सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपाय भी किए हैं - राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (NAQUIM) कार्यक्रम, वर्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RADP), राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, कैच द रेन और सही फसल अभियान।

SN	PMKSY Components	Programme Activity
1	Har Khet ko Pani	Create new water sources through Minor Irrigation (surface and groundwater); Repair, restoration and renovation of water bodies; Construct rain water harvesting structures; Command area development, strengthening and creation of distribution network from source to the farm; Create and rejuvenate traditional water storage systems [like Jal Mandir (Gujarat); Khatri, Kuhl (H.P.); Zabo (Nagaland); Eri, Ooranis (T.N.); Dongs (Assam); Katas, Bandhas (Odisha and M.P.] etc.] at feasible locations.
2	Watershed Development	Create water harvesting structures viz. check dams, nala-bund, farm ponds, tanks, etc.; Ridge area treatment, drainage line treatment, soil and moisture conservation, nursery raising, afforestation, horticulture, pasture development, livelihood activities for the asset-less persons; Effective rainfall management like field bunding, contour bunding/trenching, staggered trenching, land levelling, mulching, etc.
3	Per Drop More Crop	Programme management, preparation of State/District Irrigation Plan, approval of annual action plan, Monitoring, etc.; Promote efficient water conveyance and precision water application devices like drips, sprinklers, pivots, rain-guns in the farm; Construct micro irrigation structures; Secondary storage structures at tail end of canal system to store water when available in abundance (rainy season) or from perennial sources like streams for use during dry periods through effective on-farm water management.
4	MGNREGA	Create water harvesting structures on individual lands of vulnerable sections, creation of new irrigation sources, upgradation/desilting of traditional water bodies, water conservation works, etc.; De-siltation of canal & distribution system, deepening and desiltation of existing water bodies, strengthening of bunds/embankments, etc.

मनरेगा वाटरशेड विकास कार्यों में सामुदायिक भागीदारी

Type of Watershed Development Works	Engagement of the Community
☛ Contour trenching for water conservation in plantations and grassland development. ☛ Loose boulder bunding by erecting dry stone walls across the hill slopes at pre-determined spacing for developing land for cultivation. ☛ Spring-shed development in north eastern States to revive springs and protect these against drying up during dry season. ☛ Village ponds excavation and renovation of existing ponds to increase water storage space. ☛ Bench terracing to use the hill slopes for crop production on sustainable basis. ☛ Gabion structures of stone and wire dams across drainage lines to address soil erosion issues.	☛ Intensive participatory planning exercise is adopted to prepare watershed development plans with active involvement of villagers. ☛ Identification of workable watershed boundaries [with around 500-1000 hectares of area] by referring to watershed atlas available with the States concerned. ☛ Carrying out Baseline/benchmark Surveys viz. climate, soil types, fertility, rainfall pattern, runoff volume, land-use pattern, vegetation to make the plan outcome-oriented. ☛ Active participation of community makes the programme community-driven and community managed/owned. ☛ Adoption of Participatory Rural Appraisal which combines various tools like social mapping, resource mapping, seasonal mapping, transact walk, focus group discussions enables community to express and analyse their own situation, clearly delineating location-specific water needs and priorities.

जल संरक्षण प्रयासों की सफलता के उपाय :

- 73वां संवैधानिक संशोधन ग्राम पंचायतों को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों की योजना बनाने और प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के लिए पीआरआई (पंचायती राज संस्थान), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान समूहों और सहकारी समितियों के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। पीआरआई के माध्यम से समुदाय को कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रयासों की सफलता के लिए समुदाय को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए -

- जल सुरक्षा योजना, सिंचाई योजना और ग्राम कार्य योजना तैयार करना।
- जल योजनाओं की स्थिरता पर चर्चा और विचार-विमर्श करें, और जल संरक्षण प्रणालियों के लिए नए राजस्व संसाधनों का पता लगाएं।
- पानी के पुनर्भरण, भंडारण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने और पानी की गुणवत्ता के उपयोग से संबंधित मुद्दों को पूरा करने के लिए जल आरक्षित ऑडिट और जल सुरक्षा योजना तैयार करना।
- परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और धन के उपयोग को बढ़ावा देना।
- जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए जल संग्रहण, भंडारण, उपयोग आदि पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की व्यवस्था करें।

निष्कर्ष - जल संरक्षण कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में तभी सफल होंगे जब समुदाय और अंतिम लाभार्थी कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में शामिल होंगे।

अध्याय 3: मनरेगा वाटरशेड विकास कार्यों में सामुदायिक भागीदारी

- वैश्विक जल संकट के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए अपने 2030 एजेंडा के तहत एक लक्ष्य स्थापित किया है जो यह सुनिश्चित करना है कि सभी को स्वच्छ पानी और स्वच्छता (एसडीजी 6) तक पहुंच मिले। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2019 बताती है कि दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी हर साल कम से कम एक महीने के लिए गंभीर पानी की कमी से पीड़ित होती है।
  - प्रचुर वर्षा होने के बावजूद, अपर्याप्त जल प्रबंधन प्रथाओं और तेजी से शहरीकरण के कारण भारत को अक्सर सूखे, बाढ़ और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।
  - जल संकट से निपटने के लिए सरकार, नागरिक निकायों, प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया के साथ-साथ समाज सहित विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
  - लोगों में जागरूकता पैदा करने और शिक्षित करने के साथ-साथ पानी की हर बूंद को बचाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए संरचित दीर्घकालिक अभियानों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय जल मिशन (NWM)

- राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ मिशनों में से एक है।
- एनडब्ल्यूएम का मुख्य उद्देश्य पानी का संरक्षण करना, बर्बादी को कम करना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और विकास के माध्यम से राज्यों के भीतर और भीतर इसके अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय जल मिशन के पांच लक्ष्यों में से एक जल संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्यों को बढ़ावा देना है।
- लक्ष्य IV के तहत एनडब्ल्यूएम की रणनीतियों में से एक जल संरक्षण और जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए पुरस्कारों के माध्यम से संगठनों या कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। वार्षिक एनडब्ल्यूएम जल पुरस्कार जल संरक्षण, कुशल जल उपयोग और टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं।
- वाटर टॉक - एनडब्ल्यूएम पानी से संबंधित विषयों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 'वॉटर टॉक' नामक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन करता है। वॉटर टॉक श्रृंखला हर महीने के तीसरे शुक्रवार को होती है और इसमें क्षेत्र के विशेषज्ञों और अभ्यासकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ शामिल होती हैं।

'कैच द रेन' अभियान

- NWM द्वारा "कैच द रेन" अभियान चलाया जा रहा है।
- यह अभियान 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था।
- अभियान का उद्देश्य राज्यों और हितधारकों को क्षेत्र की मिट्टी के स्तर और जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बनाने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें 'बारिश को पकड़ें, जहां यह गिरती है, जब गिरती है' थीम के साथ लोगों की भागीदारी हो।
- अभियान में जल निकायों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी शामिल है।

लोगों को जागरूक करने की रणनीतियाँ:

शिक्षा और जागरूकता-निर्माण अभियानों के माध्यम से, व्यक्तियों को अपने पानी की खपत की जिम्मेदारी लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है कि इस बहुमूल्य संसाधन की हर बूंद का संरक्षण किया जाए। अतीत में, पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर मीडिया अभियान, कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, जल यात्रा आदि जैसे कई जन जागरूकता अभियान शुरू किए गए थे। जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी और अन्य सरकारी मीडिया प्लेटफार्मों का लगातार उपयोग किया गया है। जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए जिन अन्य उपायों का उपयोग किया जा सकता है उनमें शामिल हैं-

- सोशल मीडिया - का उपयोग वास्तविक समय में लोगों तक सीधे पहुंचने और उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए किया जा सकता है।
- पारंपरिक मीडिया - टीवी, समाचार पत्र और रेडियो जैसे माध्यमों का उपयोग करना क्योंकि इनका देश भर में व्यापक प्रभाव है।
- शैक्षणिक संस्थान।
- समुदायों को शामिल करना - सेमिनार, कार्यशालाएं आदि जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- प्रोत्साहन और पुरस्कार - लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट और छूट जैसे प्रोत्साहन की पेशकश की जा सकती है। यह केंद्र या राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है।
- निजी क्षेत्र को शामिल करना - पहले से ही कुछ निजी संगठन हैं जो जल संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं।
- प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ जुड़ाव - जनता का ध्यान आकर्षित करने और जल संरक्षण पहल को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रिटी की भागीदारी की मांग की जा सकती है।

अध्याय 4: गांवों को पानी के लिए पर्याप्त बनाना

PRI (पंचायती राज संस्थानों) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) का स्थानीयकरण सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में एक योजना के रूप में कार्य करता है।

17 संयुक्त राष्ट्र-SDG को 9 व्यापक विषयों में पुन: मैप किया गया है:

- थीम 1 - गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गांव।
- थीम 2 - स्वस्थ गांव।
- थीम 3 - बाल-सुलभ गांव।
- थीम 4 - जल पर्याप्त गाँव।
- थीम 5 - स्वच्छ एवं हरित गांव।
- थीम 6 - गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा।
- थीम 7 - सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव।
- थीम 8- सुशासन युक्त गांव।
- थीम 9 - गांव में विकास को बढ़ावा देना।

जल पर्याप्त गांव

- LSDG का थीम 4- जल पर्याप्त गांव कई अन्य एसडीजी से संबंधित है। उदाहरण के लिए, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की कमी से सीमांत किसानों और कृषि पर निर्भर भूमिहीन मजदूरों की आय कम हो जाती है और यह संभावना है कि उनकी आजीविका गरीबी रेखा (SDG 1-शून्य गरीबी) से नीचे आ जाएगी, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी (SDG-2 जीरो हंगर) इत्यादि।
- थीम 4 - जल पर्याप्त गांव बहुआयामी है और इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ और कुशल उपयोग आदि से है।

Sl No.	Goals
1.	Providing access to clean Water to all households and public buildings in the villages by 2024
2.	Provide access to Sanitation in the villages
3.	Achieve ODF Sustainability
4.	Grey Water management
5.	Per capita availability of water in villages
6.	Construction of rainwater harvesting and recharge works
7.	Safeguarding of water bodies
8.	Constitution of Village Water and Sanitation Committees (VWSCs) in each Gram Panchayats
9.	Water efficient Agricultural practices

- थीम 4 के तहत, प्रगति का आकलन, विश्लेषण और निगरानी करने के लिए 25 संशोधित जीपी (ग्राम पंचायत) स्तर संकेतक के साथ 9 उप-लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
  - 2024 तक सभी गाँव के घरों तक स्वच्छ जल की पहुँच उपलब्ध कराना।
  - गांवों में स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना।
  - ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) स्थिरता हासिल करना।
  - ग्रे जल प्रबंधन।
  - गांवों में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता।
  - वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण कार्यों का निर्माण।
  - जल निकायों की सुरक्षा करना।
  - प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) का गठन।
  - जल कुशल कृषि पद्धतियाँ।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत योजना की आवश्यकता है कि संसाधन (मानव, ज्ञान, वित्तीय और प्रशासनिक) अंतिम बिंदु (गांव, किसान या परिवार) तक पहुंचें। पीआरआई को सभी चल रही योजनाओं का बुनियादी ज्ञान और व्यापक कार्य योजना विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए।
- पर्याप्त पानी वाले गांव का लक्ष्य हासिल करने के लिए, ग्राम पंचायत को 15वें वित्त आयोग निधि, जल जीवन मिशन (जेजेएम), मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)आदि जैसी कई योजनाओं से संसाधनों का पता लगाना चाहिए।

RAO'S ACADEMY

अच्छी पहल और प्रथाओं से सीखना:

- जल संसाधनों की बहाली, संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कई परिणाम देने वाली पहल चल रही हैं। ऐसी पहलों को प्रलेखित करने की आवश्यकता है और किसी भी आवश्यक अनुकूलन के साथ दोहराने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- पानी की उपलब्धता और खपत की गणना करके स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के आधार पर जल बजट तैयार करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। जल बजट जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को सामने रखता है और इसका उद्देश्य जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना भी है।
- तेलंगाना राज्य में, सभी घरों में सुरक्षित और टिकाऊ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सभी गांवों में मिशन भागीरथ योजना लागू की गई है। इसके अलावा, सिंचाई टैंकों को उनकी पूरी क्षमता तक बहाल करने के लिए मिशन काकतीय योजना लागू की गई थी और कई जल संरक्षण कार्य जैसे चेक डिमांड का निर्माण, अन्य संचयन संरचनाएं, फीडर और फील्ड चैनलों की गाद निकालना आदि मनरेगा के तहत किए गए हैं।

निष्कर्ष - पंचायतें जैसी स्थानीय संस्थाएँ जल पर्याप्त गाँव प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, पानी से संबंधित सभी मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में मुख्यधारा में शामिल किया जाना है। लोगों की भागीदारी, समुदाय के नेतृत्व वाले प्रबंधन, पीआर पदाधिकारियों और विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जल-पर्याप्त गांवों के संदर्भ में वांछित परिणाम आएंगे।

अध्याय 5: जल स्थिरता सुनिश्चित करने वाली जल उपयोग दक्षता

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के मूल में 'जल' है। सतत विकास लक्ष्य - लक्ष्य 6.4 जल उपयोग दक्षता और जल तनाव को संबोधित करता है। एसडीजी लक्ष्य 6.2 है: '2030 तक, सभी क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करना और पानी की कमी को दूर करने के लिए मीठे पानी की स्थायी निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करना और पानी की कमी से पीड़ित लोगों की संख्या को काफी हद तक कम करना।'

जल उपयोग दक्षता:

- जल उपयोग दक्षता प्रभावी जल उपयोग और वास्तविक जल निकासी के बीच का अनुपात है।
- जल क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन को बनाए रखने के लिए जल उपयोग के प्रत्येक क्षेत्र (कृषि, पेय, घरेलू आदि) में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।

कृषि में जल उपयोग दक्षता:

- भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि देश की लगभग 58% आबादी की आजीविका का स्रोत है।
- सिंचाई में जल उपयोग दक्षता (WUE) किसी सिंचित खेत, खेत और परियोजना की फसल द्वारा खपत किए गए सिंचाई पानी और स्रोत से दिए गए पानी का प्रतिशत है। कुछ पानी परिवहन, वितरण और खेत में उपयोग के कारण नष्ट हो जाता है।
- भारत में, कृषि क्षेत्र जल संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए इस क्षेत्र में पानी की थोड़ी प्रतिशत बचत भी पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता पर बड़ा प्रभाव डालेगी।

कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार के तरीके:

1. **सूक्ष्म सिंचाई**
   - ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई में WUE पारंपरिक बाढ़ सिंचाई में केवल 30-50% की तुलना में 80-95% तक अधिक है।
   - सूक्ष्म सिंचाई तकनीक मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के अलावा जल जमाव, उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय और अन्य इनपुट लागत को कम करने और कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करती है।

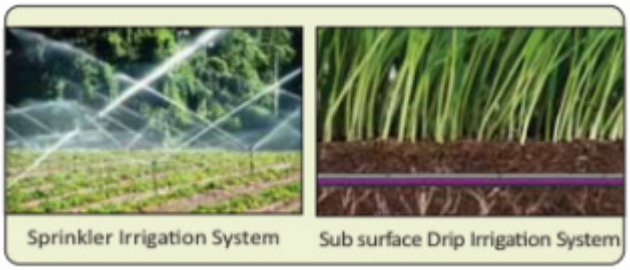

2. **मल्चिंग**
   - मल्चिंग पौधे के जड़ क्षेत्र से वाष्पीकरण द्वारा पानी की हानि को नियंत्रित करके WUE को बढ़ाने में मदद करती है।
   - गीली घास मिट्टी के ऊपर फैला हुआ एक पदार्थ है - प्लास्टिक शीट, जैविक सामग्री।
   - कृषि में गीली घास सामग्री के उपयोग से लगभग 10% पानी की बचत होती है।
3. **सूखा सहनशील फसलें**
   - क्षेत्र की जलवायु के लिए उपयुक्त फसलें उगाने से प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने में भी मदद मिलती है।
   - आईसीएआर ने कई सूखा-सहिष्णु कम अवधि की फसल की किस्में विकसित की हैं जो पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं।

जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के अन्य उपायों में शामिल हैं:

- चैनलों की लाइनिंग करके या अधिमानतः, बंद नलिकाओं का उपयोग करके परिवहन हानि को कम करें।
- दोपहर में छिड़काव से बचने से वाष्पीकरण कम हो जाता है।
- अति-सिंचाई के कारण जल-प्रवाह और अंतःस्राव हानि को कम करें।
- क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त और विपणन योग्य फसलों का चयन करें।
- उचित कीट, रोग और परजीवी नियंत्रण का प्रयोग करें।
- जहां संभव हो वहां खाद और हरी खाद डालें और प्रभावी ढंग से उर्वरक डालें।
- खरपतवार नियंत्रण उपाय लागू करें।
- दीर्घकालिक स्थिरता के लिए मृदा संरक्षण का अभ्यास करें।
- मौसम की स्थिति और फसल के विकास के चरणों को ध्यान में रखते हुए, पानी की कमी को रोकने के लिए सटीक मात्रा में सिंचाई करें।

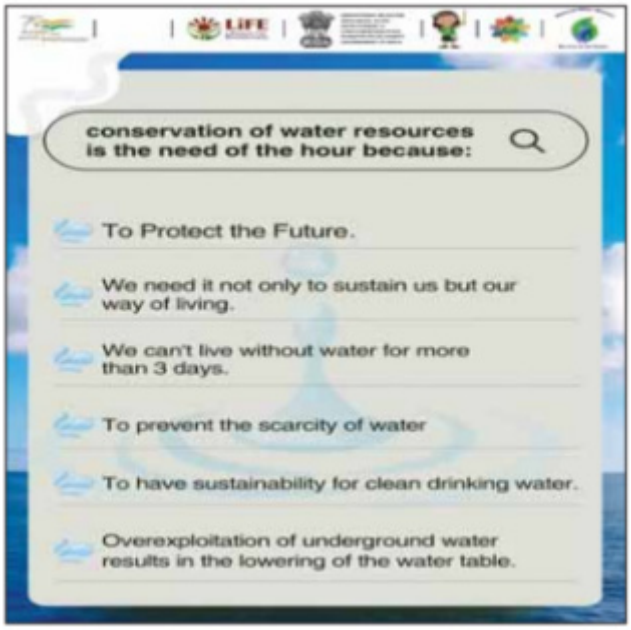

कृषि क्षेत्र में WUE बढ़ाने की पहल:

- PMKSY (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)
- AIBP (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) - भारत सरकार ने प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्रदान करने के लिए 1996-97 के दौरान एआईबीपी लॉन्च किया, जो लक्षित क्षमता प्राप्त करने के लिए पूरा होने के उन्नत चरण में थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पानी की बचत हुई और दक्षता में सुधार हुआ।
  - 2015-16 के दौरान एआईबीपी को PMKSY के साथ एकीकृत किया गया था।
- कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM)- IPC (सिंचाई क्षमता निर्मित) और IPU (सिंचाई क्षमता उपयोग) के बीच अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार ने 1974-75 के दौरान सीएडीडब्ल्यूएम लॉन्च किया।
  - पीएमकेएसवाई के लॉन्च के साथ, सीएडीडब्ल्यूएम को पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी घटक के तहत शामिल किया गया था।
- हर खेत को पानी (एचकेकेपी) - एचकेकेपी पीएमकेएसवाई के तहत एक घटक है और इसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से हर खेत को पानी सुनिश्चित करना है।
- प्रति बूंद अधिक फसल - सूक्ष्म सिंचाई (PMKSY का एक घटक) के माध्यम से अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) - राष्ट्रीय जल मिशन जून 2008 में पांच लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया था। NWM का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य WUE में कम से कम 20% सुधार करना है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग में WUE बढ़ाने के क्षेत्र में अनुसंधान महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है।
- जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई)- डब्ल्यूयूई में 20% सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत बीडब्ल्यूयूई की स्थापना की गई थी।
- BWUE विभिन्न क्षेत्रों- कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन आदि में WUE में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा प्रदाता है।

औद्योगिक क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता (WUE):

- हाल के अध्ययनों से पता चला है कि 2005 और 2030 के बीच औद्योगिक पानी की मांग चौगुनी हो जाएगी, जिससे देश के पहले से ही अत्यधिक आवंटित जल संसाधनों पर और दबाव पड़ेगा।
- पानी की कमी के कारण 2013 और 2016 के बीच भारत की कम से कम 20 सबसे बड़ी तापीय उपयोगिताएँ बंद हो गईं, जिससे कुल 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय नुकसान हुआ। इसलिए कंपनियों के लिए जल संसाधन प्रबंधन को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के दायरे से ऊपर उठाना महत्वपूर्ण है।

औद्योगिक क्षेत्र में WUE बढ़ाने की पहल:

राष्ट्रीय जल मिशन ने 'भारत में औद्योगिक WUE को बढ़ाने के लिए सहायक नीति के लिए बेंचमार्किंग औद्योगिक जल उपयोग' के संबंध में TERI को एक बेंचमार्किंग अध्ययन प्रदान किया है।

- चरण 1 में, अध्ययन दो औद्योगिक क्षेत्रों - थर्मल पावर प्लांट और कपड़ा उद्योगों पर केंद्रित होगा।
- चरण 2 में, लुगदी और कागज और इस्पात उद्योगों में जल ऑडिट किया जाएगा।

घरेलू क्षेत्र में WUE बढ़ाने की पहल:

- राष्ट्रीय जल मिशन ने बीआईएस को जल-कुशल पाइपलाइन उत्पादों के लिए मानक जारी करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की है।
- अमृत मिशन- इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पानी का स्थायी प्रबंधन करना है।

अध्याय 6: 2023: अंतर्राष्ट्रीय जल प्रतिबद्धताओं का वर्ष और ग्रामीण भारत के लिए इसका क्या अर्थ है

- वर्ष 2023 दुनिया के जल संबंधी लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण वर्ष है।
- 2017 में, संयुक्त राष्ट्र ने 2018 - 2028 को सतत विकास के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया। वर्ष 2023 पानी पर कार्रवाई और एसडीजी के लिए दशक का मध्य वर्ष है।
- आईपीसीसी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट, आईपीसीसी रिपोर्ट 2021, इस बात पर प्रकाश डालती है कि जल चक्र ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिससे एक डिग्री तापमान वृद्धि के साथ सूखे, बाढ़ और चक्रवातों में वृद्धि होती है। ये मुद्दे वैश्विक आबादी के लगभग 40% को प्रभावित करते हैं।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुमान के अनुसार 2019 में भारत को 5.61 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पिछले दो दशकों में चरम जलवायु घटनाओं के कारण।
- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 75% से अधिक जिले अत्यधिक घटना वाले हॉटस्पॉट हैं, और भारत की 80% से अधिक आबादी सूखे, बाढ़ और चक्रवात जैसे अत्यधिक जल-मौसम आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील जिलों में रहती है।
- पानी की कमी, पानी की गुणवत्ता में गिरावट, बुनियादी ढांचे की क्षति और जलजनित बीमारियों का बढ़ता प्रसार जलवायु परिवर्तन के कुछ परिणाम हैं।

ग्रामीण भारत के लिए जल का महत्व

- भारत में 53% जिले ग्रामीण हैं (जनगणना 2011), जिनमें से 37% अत्यधिक जल-मौसम आपदाओं के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हैं। इस प्रकार, सूखे, बाढ़ और चक्रवात के प्रभावों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- कृषि और WASH (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की मांग सबसे अधिक है। पानी की मांग का बड़ा हिस्सा (लगभग 80%) कृषि के लिए जिम्मेदार है, हालाँकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से WASH भी महत्वपूर्ण है।
- पानी की मांग को पूरा करने के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) विश्लेषण 2022 के अनुसार, देश में लगभग 30% मूल्यांकन इकाइयाँ अर्ध-गंभीर, गंभीर या अत्यधिक दोहन वाली हैं। यह देखते हुए कि 80% से अधिक ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं भूजल स्रोतों पर आधारित हैं, भविष्य में भूजल का गैर-नियमन चिंता का विषय हो सकता है।

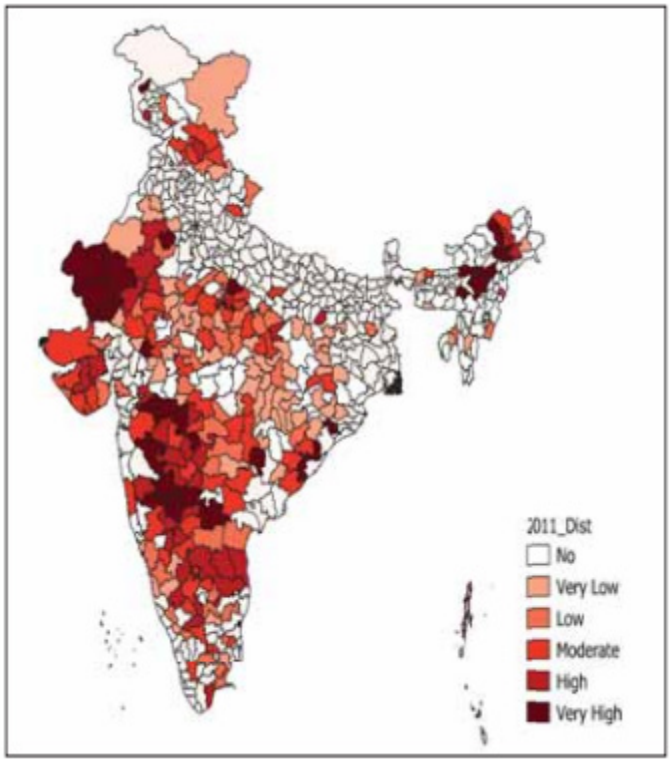

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ और परिणाम

G20 (बीस का समूह)

- भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ECSWG) के एक भाग के रूप में एक समर्पित वैश्विक जल वार्ता आयोजित की जा रही है। यह 2030 तक SDG-6 के अनुरूप स्थायी जल संसाधन प्रबंधन प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- दूसरी G20 ECSWG बैठक के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय ने भारत के दो प्रमुख मिशनों - जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर प्रकाश डालते हुए, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलवायु-संवेदनशील विकास के महत्व पर जोर दिया।
- इन संवादों के इच्छित परिणामों में शामिल हैं -
- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच।
- भूजल प्रबंधन में भूजल पुनर्भरण और इसके कुशल उपयोग में स्थानीय हितधारकों को शामिल किया जाता है।
- बेहतर आपदा जोखिम में कमी के साथ जलवायु लचीला जल बुनियादी ढांचा।

संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन (UNWC)

- UNWC, 2023 की सह-मेजबानी मार्च 2023 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा की गई थी।

- सम्मेलन का मुख्य परिणाम जल कार्रवाई दशक और 2030 एजेंडा की दूसरी छमाही में वैश्विक जल और स्वच्छता से संबंधित लक्ष्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रगति में तेजी लाने के लिए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं पर एक दस्तावेज है। जल-सुरक्षित दुनिया के प्रति लगभग 700 प्रतिबद्धताएँ की गई।
- भारत ने एक्शन एजेंडा के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है, जो 2030 से काफी पहले है।

पार्टियों का सम्मेलन (CoP):

- CoP यूएनएफसीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) द्वारा आयोजित एक वार्षिक बैठक है जहां देश एक साथ आते हैं और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और संबोधित करते हैं।
- एसडीजी 6 पर विशेष ध्यान देने के साथ, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पर कार्रवाई बढ़ाने के लिए 2019 में COP25 में वॉटर एक्शन ट्रैक लॉन्च किया गया था।
- COP26 में, जल मंडप की स्थापना की गई जिसने हितधारकों को जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जल प्रबंधन पर ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
- 2022 में पानी और स्वच्छता को भी पहली बार एजेंडा में शामिल किया गया।

आगे की राह

- SDG 6 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के लिए आगे का रास्ता अपने मौजूदा कार्यक्रमों और प्रतिबद्धताओं में तालमेल बिठाना और उनका लाभ उठाना होना चाहिए। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और जल क्षेत्र में लचीलापन बनाने के लिए मौजूदा रणनीतियों को मजबूत करने के लिए CoP, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन, G20 आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्राप्त सामूहिक ज्ञान और अनुभवों का लाभ उठा सकता है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

RAO'S ACADEMY

for Competitive Exams

BHOPAL | INDORE

DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN

M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of **RACE**)

Coming Soon in INDORE

EMAIL: office@raosacademy.in | WEBSITE: www.raosacademy.in

Bhopal Branch: Plot No. 132, Near Pragati Petrol Pump, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal(M.P.) 462011
95222 05553 , 95222 05554

Indore Branch: 10,Vishnupuri, A.B.Road, Near Medi-Square Hospital Bhawar Kuwar Square, Indore (M.P.)-452001
95222 05551, 95222 05552

" विद्याधनं सर्व धनं प्रधानम् "

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of **RACE**)

"YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता"

BHOPAL CENTRE

Plot No. 132,
Near Pragati Petrol Pump,
Zone II, Maharana Pratap
Nagar, Bhopal (M.P) - 462011

Contact:-
95222-05553, 95222-05554

INDORE CENTRE

10, Vishnupuri Colony,
Bhanwarkua Square,
A.B. Road, Near Medi-Square
Hospital, Indore - 452001

Contact:-
95222-05551, 95222-05552

Email Id:- office@raosacademy.in | Website:- www.raosacademy.in

raosacademybhopal | raosacademyforcompetitiveexams | raosacademyforcompetitiveexams